राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का उन्तीसवां दिवस [संख्या : 17

सोमवार;

15 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री हरजीराम बुरड़क।

सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित नियमों का उल्लंघन

434. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों व विभाग द्वारा जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को कुछ विभागों व संस्थाओं द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की भी शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो किस प्रकार की तथा उक्त का निराकरण किस प्रकार से किया गया?

(3) क्या मौजूदा कानून के लागू होने के बाद सरकार ने उक्त के प्रभावों का मूल्यांकन किया है? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे तथा नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत): (1) जी हां। दिनांक 26.1.2001 से लागू है। नियमों व विभाग द्वारा जारी निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट ''ए'' से ''आई'' तक संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सरकार के कार्य कलापों की जानकारी आम जन को उपलब्ध हो रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग 3 में उत्तर दिया है। मेरा इसमें प्रश्न यह था कि इनके प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे? आपने सिर्फ इतना सा उत्तर दे दिया कि इसकी जानकारी जनता को है। मेरा इसमें पूछने का मतलब यह था कि सभी विभागों ने अपने विभागों के द्वारा नागरिक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अधिकार पत्र जारी किये हैं और उन नागरिक अधिकार पत्रों में इस अधिनियम और नियमों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। जैसा कि आपने इसमें फीस रखी है 2 रुपये प्रति पेज और उन्होंने कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये रख लिया और उनको जब आपके विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हैं, या सर्कुलर दिखाते हैं तो कहते हैं यह तो होम डिपार्टमेंट के लिए है हमारे लागू ही नहीं है। इसलिए मेरा इसके सम्बन्ध में निवेदन यह था कि आप इसकी समीक्षा करें कि इसकी अनुपालना किस सीमा तक हो रही है। उदाहरण के तौर पर डीडवाना पी.डब्ल्यू.डी. के एक्स.ईएन. से एक आदमी ने नकल मांगी, 42 पेज की नकल के, उसने 420 रुपये वसूल किए। उस प्रार्थी ने आपके विभाग के आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2001 का हवाला दिया तो कहा कि यह तो होम डिपार्टमेंट के लिए है, हमारे लिए नहीं है। उससे इतनी अधिक राशि वसूल कर ली और इसका जब मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रश्न पूछा, अभी 26 मार्च को उत्तर दिया है कि नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार प्रतिलिपियों की दर 10 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा करवाई है। इसमें किसी प्रकार का कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे आपके इस अधिनियम और नियमों का जनता को लाभ मिल सके। इस सम्बन्ध में आप विशेष रूप से ध्यान दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अलग-अलग विभागों ने अलग-अलग अपने नियमों के अन्तर्गत नकल लेने के प्रावधान किये हुये हैं और उसी के आधार पर फीस भी निर्धारित कर रखी है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने अवगत करवाया है कि डीडवाना के एक मामले में अधिक राशि वसूल की गई है। अगर इस एक्ट के तहत वह व्यक्ति प्रार्थना-पत्र देता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसकी फीस जो हमने निर्धारित की उसके आधार पर ही वसूल की जाती। हो सकता है उसने पुराने जो नियम विभाग के हैं उनके तहत दरखास्त दी होगी और उनके तहत उन्होंने उसकी फीस चार्ज की होगी। अब भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति प्रार्थना-पत्र देगा, नकल के लिए जो हमने फीस निर्धारित कर रखी है 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से वही वसूल की जाएगी। इसके साथ-साथ अगर कोई मिलावट की चीज है, स्पेसिफिकेशन में कोई गड़बड़ है, उसकी जांच करवाने के लिए भी आवेदन करेगा तो उसकी भी हमने फीस निर्धारित कर रखी है उसी निर्धारित फीस के आधार पर वसूल किया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न में इतना सा उत्तर आपने बाकी रख दिया कि क्या इस बात की आप मानीटरिंग करेंगे कि आज तक जो एक्ट लागू हुआ उसके बाद में उसकी मंशा के अनुरूप सारे विभाग अनुपालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आइन्दा इसकी अनुपालना कराने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर किसी विभाग में इस एक्ट की पालना नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से पालना करवाएंगे ताकि राज्य सरकार की जो मंशा है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने का उसको लाभ मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भावना के साथ सरकार ने यह सूचना के अधिकार का कानून बनाया था कि निचले स्तर पर एक पारदर्शिता का वातावरण बनेगा और लोगों को जैसी जानकारी चाहिएगी वह मिल सकेगी। वैसे कानून में तो अपील की भी व्यवस्था है और प्रावधान दूसरे भी किये गये हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवहार में स्थिति यह है कि जब निचले स्तर पर व्यक्ति कापी लेने के लिए जाता है, तो न तो उसका आवेदन खारिज किया जाता है और उसको कई दिन तक घुमाते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि निचले स्तर पर नौकरशाही में एक प्रभावी संदेश देने के लिए कि सूचना के अधिकार के प्रति सरकार गम्भीर है क्या आप सचिव और जिला कलक्टर के स्तर पर खाली सूचना के अधिकार को लेकर कोई समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का विचार रखते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य सरकार की मंशा है कि इस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। यदि कहीं किसी स्तर पर कमी है, तो निश्चित रूप से ऐसी बैठक आयोजित करके विचार कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या : 435

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद। श्री भरोसी लाल। श्री निर्भय लाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** प्रश्न संख्या 436.

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) **:** जो पिछला प्रश्न है जिसमें वह तीनों ही गायब हो गये। उसमें क्या हमको बोलने का अवसर नहीं है क्या?

श्री संयम लोढ़ा : नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया माननीय अध्यक्ष महोदय आपने।

श्री रामस्वरूप : आप बोल लें। आपको मना कौन कर रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : प्रश्न संख्या 436.

श्री रामस्वरूप : आपको मना कौन कर रहा है। (व्यवधान) लिख कर दे रखा है उन्होंने कि अगर हम अनुपस्थित रहे तो आप बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : लिख कर दिया है तो पूर्व में आपको सूचना देनी चाहिए, सदन की मेज पर आनी चाहिए और वह मेरे सम्मुख प्रस्तुत होनी चाहिए। अब आप कागज लिए घूम रहे हैं कि मुझे...

श्री रामस्वरूप : कागज का नहीं, साहब, मेरे क्षेत्र का रहने वाला है। वह फरेबीलाल है उसके साथ अन्याय हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : प्रश्न संख्या 436.

श्री रामस्वरूप : इसलिए निवेदन कर रहा हूं मैं तो। उसका ट्रांसफर कर दिया। मेरे क्षेत्र के फरेबीलालजी जो रहने वाले हैं टोडाभीम के उनको बार-बार परेशान किया जा रहा है। उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं इसका जवाब दें बार-बार उनके ट्रांसफर क्यों किये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : प्रश्न संख्या 436.

श्री रामस्वरूप : सारी जनता वहां की चाहती है, पूरे क्षेत्र के विधायक वहां के चाहते हैं। सबने आपको लिख कर दे रखा है उसके बावजूद मंत्रीजी कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी मीणा, बैठिए।

श्री रामस्वरूप : तीन-तीन विधायकों ने प्रश्न को लगा रखा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे क्षेत्र के हैं उनको परेशान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी है। निवेदन नहीं।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जवाब से क्यों डरते हो? आप साफ कह दीजिए कि उसको लगा दिया जाएगा दुबारा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें लगाने में? अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आप बैठिए। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रामस्वरूप : कि उनको परेशान कर रखा है बार-बार उनके खिलाफ यहां क्वेश्चन उठ रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रामस्वरूप : मैंने भी अलग क्वेश्चन इसका लगा रखा था। पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में यहां पर चर्चा हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपको किसी ने अथोराइज नहीं किया है। आप बैठिए। श्री संयम लोढ़ा। आप बैठिए।

श्री रामस्वरूप : मेरा करबद्ध निवेदन है साहब माननीय मंत्रीजी से, फरेबीलालजी को दुबारा वहीं पर लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : यह करबद्ध निवेदन है आपसे।

श्री अध्यक्ष : जिद्द करने से मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रामस्वरूप : इतनी देर में तो आप कह सकते थे खड़े हो करके। आप कह दीजिए खड़े हो करके कि लगा दिया जाएगा (व्यवधान)...आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय से, आप बीच में बोलने लग गये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : वह निवेदन आपका खारिज कर दिया... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं तो करबद्ध निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय से कि फरेबीलालजी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है उनके साथ... (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : (व्यवधान)... उनकी पालना नहीं कर रहे हो आप। यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, खुद चाहते हैं। माननीय मंत्रीजी... (व्यवधान)... कह दो लगा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। रतनारामजी आप भी बैठिए। श्री संयम लोढ़ा।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

436. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 2001-2002 में कौन-कौनसी पेयजल योजना/कार्य स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में सहायक अभियंता शिवगंज/सिरोही द्वारा भेजी गई कौन-कौनसी योजना अथवा कार्य की स्वीकृति किस स्तर पर विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 में व 1999-2000 में

(श्री संयम लोढ़ा)

स्वीकृत ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो अभी तक अपूर्ण हैं अथवा जिनका कार्य शुरू नहीं हो पाया है? विवरण मय कारण के सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क (डा. जितेन्द्र सिंह) (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के स्थान पर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 2001-2002 में पेयजल के सन्दर्भ में 27 योजनाएं कुल अनुमानित लागत रुपये 384.30 लाख हेतु स्वीकृत हुई। इनमें से 8 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष में से 9 योजनाओं को ग्रीष्म 2002 में पूर्ण करना लक्षित है। 3 योजनाओं को वर्ष 2002 तथा 3 योजनाओं को वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना लक्षित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2001-2002 में सहायक अभियंता, शिवगंज/सिरोही द्वारा भेजी गई योजनाओं में से 2 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनका विवरण निम्नप्रकार है :-

(अ) नगरीय जलयोजना शिवगंज-जवाई बांध को स्रोत लेकर रुपये 198.79 लाख लागत पर योजना बनाई गई है जिसे त्वरित शहरी जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी सहमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को मार्च, 2002 में भेजा गया है। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने पर क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(ब) ग्रामीण जलयोजना धान्ता माकरोड़ा– योजना का प्रारूप अनुमानित लागत रुपये 10.99 लाख बोर्ड कार्यालय में स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

3. (क) वर्ष 1999-2000, में विधान सभा क्षेत्र सिरोही हेतु कुल 49 योजनाएं रुपये 264.73 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी, जिनमें से 46 योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया है। शेष रही 3 योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है :-

(अ) संवर्धन योजना झाड़ोली– योजना 3/2000 में 4.64 लाख रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई अब तक खर्च रुपये 3.24 लाख हो चुका है। पहाड़ी पर बनाए जाने वाले जलाशय का कार्य ठेकेदार द्वारा न करने के कारण देरी हुई। इस ठेकेदार की अमानत राशि जब्त कर नई निविदाएं प्राप्त कर अब कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है। योजना ग्रीष्म 2002 में पूर्ण करना लक्षित है। वर्तमान सेवा स्तर लगभग 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। उपरोक्त के अतिरिक्त 7 हैण्ड पम्प चालू हैं।

(ब) संवर्धन सेवड़ा– उम्मेदगढ़ योजना 2/2000 में रुपये 45.80 लाख

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। अब तक 26.07 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। स्रोत का कार्य प्रारम्भ कर पूरा कर दिया है योजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है। यह योजना 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने हेतु स्वीकृत की गई थी। वर्तमान में इस योजना के सभी 9 गांवों में न्यूनतम सेवा स्तर 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस योजना के विभिन्न गांवों में कुल 22 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(स) संवर्धन शहरी योजना सिरोही– योजना 3/2000 में 33.95 लाख रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी। अब तक 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। योजना में 3 खुले कुओं को गहरा करने के अतिरिक्त सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। इस कार्य को वर्ष 2002 में पूर्ण करना लक्षित है। सिरोही शहर में वर्तमान में एकांतरे जल वितरण किया जा रहा है तथा सेवा स्तर 58 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 232 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(ख) वर्ष 2000-01 में कुल 56 योजनाएं रुपये 256.70 लाख रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी। उनमें से 49 योजनाओं को पूर्ण कर लाभान्वित किया जा चुका है। शेष रही 7 योजनाओं की स्थिति निम्नप्रकार है:–

(1) संवर्धन क्षेत्रीय योजना देवली–कुकड़ीखेड़ा– यह योजना 11/2000 में रुपये 4.80 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। खर्चा रुपये 1.64 लाख हुआ। नलकूप का निर्माण करवाया गया था जो असफल रहा। अब स्थान बदल कर खुले कुएं की निविदा आमंत्रित की गई है। इस योजना को वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना लक्षित है। इस योजना पर 2 गांव लाभान्वित हैं जिनकी जनसंख्या 419 व 52 क्रमशः है। जहां सर्विस लेवल क्रमशः 20 तथा 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इन गांवों में क्रमशः 6 व 2 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(2) संवर्धन क्षेत्रीय योजना भेव अन्दोर–9/2000 में रुपये 47.81 लाख अनुमानित लागत पर योजना स्वीकृत हुई तथा अब तक खर्च 22.32 लाख रुपये हो चुका है। 3 नलकूपों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। स्रोत सफल होने के बाद अन्य कार्य प्रारम्भ करवा दिये गये हैं। इसी वित्तीय वर्ष में योजना पूरी करना

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लक्षित है। योजना पर 9 गांव हैं तथा वर्तमान सर्विस लेवल 20 से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है योजना के विभिन्न गांवों में 33 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। यह योजना सेवा स्तर 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन संवर्धित करने हेतु निर्माण में है।

(3) संवर्धन पाइप्ड योजना पोसालिया...

श्री परसादी लाल (सहकारिता राज्य मंत्री) : आपका बहुत बड़ा है जवाब। यह क्या है?

डा. जितेन्द्र सिंह : यह सर, पूछा ही इतना लम्बा है.... योजना 11/2000 में 3.55 लाख रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। अब तक खर्च रुपये 1.86 लाख हो चुका है। नलकूप व विद्युतीकरण हो चुका है। पाइप लाइन का कार्य चल रहा है। अप्रैल, 2002 में लाभान्वित करना प्रस्तावित है। वर्तमान सर्विस लेवल लगभग 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 12 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(4) अध्यक्ष महोदय, संवर्धन पाइप्ड योजना उथमण– योजना 11/2000 में 4.80 लाख रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। पाइप लाइन का कार्य प्रगति में है। शेष कार्य पूर्ण। ग्रीष्म 2002 में लाभान्वित करना लक्षित है। वर्तमान सर्विस लेवल लगभग 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 10 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(5) संवर्धन योजना पालड़ी (एम)– योजना 11/2000 में रुपये 5.00 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत अब तक खर्च 1.94 लाख हुआ। नलकूप असफल होने के कारण नया नलकूप बनाना प्रस्तावित है। नलकूप बनने व सफल होने पर अन्य कार्य करवाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सेवा स्तर 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा अतिरिक्त 11 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(6) संवर्धन पाइप्ड योजना कैलाश नगर–योजना 11/2000 में रुपये 5.00 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। अब तक खर्च रुपये 3.06 लाख हो चुका है। इसी ग्रीष्म ऋतु में योजना पूर्ण करना लक्षित है। वर्तमान सेवा स्तर 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा अतिरिक्त 16 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। इस योजना से मुख्यत: वितरण व्यवस्था में सुधार तथा सेवा स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन लक्षित है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(7) संवर्धन क्षेत्रीय योजना जोयला–आलपा– योजना 3/2001 में रुपये 28.62 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी। अब तक रुपये 6.32 लाख खर्च हो चुका है। नलकूप का निर्माण हो चुका है। अब शेष कार्य करवाना प्रस्तावित है। योजना वर्ष 3/2003 में पूर्ण करना लक्षित है। इस योजना में 5 गांव हैं तथा वर्तमान सेवा स्तर 25 से 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अलावा विभिन्न गांवों में 18 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संयम लोढ़ा : मुझे यह जवाब लिखित में मिल गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री महोदय का जवाब ही इस बात का उदाहरण है कि इनके विभाग का कार्य कितना साधारण स्तर का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सिरोही शहर का आपने जिक्र किया, वहां आप एकांतरे जलापूर्ति कर रहे हैं और वह भी सौ लीटर प्रति दिन के मापदण्ड के विपरीत 58 लीटर कर रहे हैं। यह दुर्दशा इसलिए हुई है कि 1999 में जिन कार्यों की आपको स्वीकृति दी गयी थी आज तीन साल बीतने के बाद भी उन कार्यों को आप पूरा नहीं करा सके।

मैं आपके माध्यम से कुछ पूरक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं एक तो यह कि सरकार ने यह फैसला किया कि हर पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ेगी। क्या जलदाय विभाग इस बात का भी सोच रखता है कि जितने भी राज्य में पंचायत मुख्यालय हैं और वह भी हैण्ड पम्प योजना में हैं, एक नीति बना कर सारे पंचायत मुख्यालयों को पनघट अथवा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना अथवा पाइप स्कीम से जोड़ने का तय करने का कोई मंशा रखता है?

दूसरा, आपने जो तीन श्रेणियां निर्धारित की हुई हैं हैण्ड पम्प, पनघट और पाइप स्कीम के लिए, क्या इन तीनों श्रेणियों के लिए जनसंख्या का मापदण्ड आप 2001 की जनगणना को लेने की मंशा रखते हैं?

तीसरा, "प्रशासन गांवों के संग" अभियान में सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्पों के प्रस्ताव प्राप्त हुए जनता के माध्यम से और जो कंटींजेंसी प्लान आपने स्वीकृत कराया है, क्या उसमें सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र के लिए आपने एक भी हैण्ड पम्प स्वीकृत किया है?

चौथा, भीनमाल, जालौर, आहोर, शिवगंज, रानीवाड़ा इन सभी पंचायत

(श्री संयम लोढ़ा)

समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने प्रति व्यक्ति जलापूर्ति का मापदण्ड 70 लीटर प्रति व्यक्ति रखा हुआ है, क्या सिरोही पंचायत समिति में भी आप यह मानदण्ड 70 लीटर करने की मंशा रखते हैं?

पांचवां, शिवगंज पंचायत समिति क्षेत्र में आपने 70 लीटर प्रति व्यक्ति का मानदण्ड रखा हुआ है। क्या आप एक भी गांव में 70 लीटर का जो आपने मानदण्ड रखा हुआ है उसके आधार पर जलापूर्ति कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय आपको अवसर दे रहे हैं तब आप भी पूछ सकते हैं।

क्या यह सही है कि सिरोही पंचायत समिति के एवड़ी गांव में प्रति व्यक्ति 10 लीटर, बीलदर गांव में प्रति व्यक्ति 10 लीटर, बाल्दा गांव में प्रति व्यक्ति 16 लीटर, तवरी गांव में प्रति व्यक्ति 15 लीटर, हुगनी गांव में प्रति व्यक्ति 15 लीटर और नून गांव में प्रति व्यक्ति 15 लीटर के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है? क्या इन सभी गांवों में आपके मानदण्ड के अनुरूप जलापूर्ति करने के लिए आप कोई योजना स्वीकृत करने जा रहे हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि पंचायतें जिस तरह से रोड से जोड़ी गयी हैं उस तरह से क्या सरकार विचार रखती है कि पंचायतों को, जो भी पंचायत हैडक्वार्टर हैं उनको पाइप स्कीम से जोड़ा जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999 की पापुलेशन के जो स्टेण्डर्ड्स हैं, 4000 उसके हिसाब से...

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय, मैंने पनघट, रीजनल स्कीम और पाइप स्कीम तीनों का आप्शन दिया है आपको। तीनों में से किसी की भी पालिसी ड्रा करने की आप मंशा रखते हैं क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह : देखिए, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसा है, जो स्टेण्डर्ड्स थे 4 हजार के उसको घटाकर इस बार 15 सौ कर दिया गया है, 15 सौ पापुलेशन वर्तमान 2001 में और इसके अन्तर्गत जो भी कवर होंगे इसमें उनको निश्चित रूप से इन स्कीमों में जोड़ा जाएगा। आप बता रहे हैं, पाइप स्कीम विशेष तौर से जो 15 सौ पापुलेशन रखी गयी हैं वर्तमान 2001 के स्टेण्डर्ड के अनुसार 4 हजार को रिलेक्स करके वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा जागरुक हो गए, पानी की आवश्यकता बढ़ गयी इसलिए हम उसमें बहुत ज्यादा रिलेक्सेशन करके पाइप स्कीम को 4 हजार, जो 1991 में थी उसको 15 सौ कर दिया हमने। पाइप स्कीम है वह तो हम 15 सौ जो पापुलेशन होगी 2001 में, उसमें इंक्लुड कर लेंगे। बाकी आपने बताया है यह

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अपनी पम्प एण्ड टेंक स्कीम आपकी जो अलग बतायी है इसके अन्दर विशेष परिस्थितियों में निश्चित रूप से सरकार उस पर गौर करेगी।

नम्बर-दो, जो आपने 70 लीटर के बारे में पूछा है, अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी देने का स्टेण्डर्ड है वह 40 लीटर है। जो हमारे फेमिन डेजर्ट डिस्ट्रिक्स हैं, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें विशेष तौर से 70 लीटर हमने इंक्लुड किया, वह 70 लीटर विशेष तौर से जो वहां पशुधन है बहुत बड़ी संख्या में उसको देखते हुए 40 + 30 लीटर रखते हुए, एक राउण्ड फिगर में 70 लीटर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मानदण्ड रखे हुए हैं कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी सप्लाई किया जाए। यह सरकार के अपने मानदण्ड स्थापित हैं और इसके बाद सरकार ज्यादा गौर नहीं कर सकती है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा अपने विधान सभा क्षेत्र में कार्य किया है और सम्भवत: बहुत लम्बी-लम्बी योजनाएं इन्होंने 1999 से 2000 तक, कम से कम अकेले सिरोही में, आपके विधान सभा क्षेत्र में सरकार का करीबन 9 करोड़ रुपये का कार्य आपके द्वारा वहां कराया गया है और अभी लेटेस्ट जो बहुत अच्छी योजना आपने बनायी थी शिवगंज को जंवाई बांध से पानी देने के लिए, उसको सरकार ने पी.पी.सी. में स्वीकृत कर दिया है। मैं विधायक महोदय को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया में हमने उसको भेजा हुआ है, एक्सलरेटेड अरबन वाटर सप्लाई प्रोग्राम में, और उसमें ज्योंही हमें वहां से क्लीयरेंस मिलती है, यह समझ लीजिए आपका कार्य निश्चित रूप से प्रारम्भ हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिरोही के लिए कि जंवाई बांध से शिवगंज को पानी मिल रहा है। सिरोही के लिए जो आपने चिन्ता प्रकट की है, नि:सन्देह उसके बारे में विभाग गौर कर रहा है। हमारे अधिकारियों को इस बारे में विशेष चिन्ता है और आप द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सिरोही के लिए आप वरीड हैं कि सिरोही को अलग से वाटर सप्लाई से जोड़ा जाए, क्योंकि जंवाई बांध से शिवगंज की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और सिरोही 35 किलोमीटर आगे है। जो प्रोजेक्ट बनेगा, शिवगंज होते हुए तो उसका लाभ आपके सिरोही को भी मिलेगा। उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करके जो सिरोही की आप प्राब्लम बता रहे हैं निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा किया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैंने एक जानकारी चाही थी कि प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र में जितने हैण्ड पम्प की मांग हुई थी, आपने जो कंटींजेंसी प्लान स्वीकृत किया है। क्या सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी हैण्ड पम्प स्वीकृत किया है? नहीं किया है, तो जो प्रस्ताव हैण्ड पम्पों के प्राप्त हुए हैं वह आप कब तक स्वीकृत कर देंगे?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, हमारे स्टेण्डर्ड्स हैं पापुलेशन के, हैण्ड पम्प के जो नार्मल स्टेण्डर्ड्स हैं पापुलेशन के लिए वह 250 पर एक हैण्ड पम्प है। एस.सी./एस.टी. पर 150 पापुलेशन पर एक हैण्ड पम्प है और जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लिए 100 पर एक हैण्ड पम्प स्वीकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेण्डर्ड्स हैं जो कि हैण्ड पम्प के लिए प्रस्तावित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में नार्मल स्टेण्डर्ड से भी बहुत अधिक संख्या में हैण्ड पम्प हैं और मैं समझता हूं कि उसमें भी अगर अबंडन हैण्ड पम्प होंगे और उनकी आवश्यकता होगी और माननीय सदस्य उसके बारे में लिखकर देंगे तो विभाग निश्चित रूप से इस पर गौर करेगा कि उनको अलग से हैण्ड पम्प प्रोवाइड किए जाएं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके स्वयं के विभाग ने सिरोही में 8 स्थान तो खुद ने ही चिन्हित किए हैं और 7 स्थान सिरोही शहर में चिन्हित किए हैं जहां जलापूर्ति की विकट समस्या पैदा हो सकती है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के विभाग का नोट है।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए उनका बहुत विस्तार से जवाब दिया गया है और उसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो 3 वर्ष में अकाल पड़ा वह एक सिरोही की समस्या नहीं है। जहां–जहां भी हमारे रॉकी एरियाज हैं वहां जल स्तर इतना तेजी से नीचे गया है कि यह विभाग के सामने भारी समस्या हो गयी है। आज टोटल लैण्ड हमारे पास कंट्री का 10 प्रतिशत है, हमारे पास पानी एक प्रतिशत है। उन परिस्थितियों में बहुत से हैण्ड पम्प सूखे हैं और निःसन्देह यह समस्या हर जगह उठ खड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो सिरोही की समस्या बता रहे हैं वह मुझे व्यक्तिगत रूप से लिख दें। मैं इसमें निश्चित रूप से जो भी हो सकेगा, करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नार्म्स में जो पाइप्ड स्कीम 4 हजार से आपने 15 सौ की है, तो जो हैण्ड पम्प स्कीम में 5 सौ की आबादी थी क्या उसमें भी विभाग रिलेक्सेशन देने की मंशा रखता है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। आप साथ ही जवाब दे देना।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि जहां 7-7 सौ हैण्ड पम्प लगे हुए हैं जलप्रदाय योजनाओं के साथ में उनका मेंटीनेंस नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से उनका मेंटीनेंस करेंगे। पंचायतें मेंटीनेंस कर नहीं पा रही हैं। मेरा ऐसा निवेदन है, मुख्य मंत्री महोदय से कि जहां 250 से अधिक हैण्ड पम्प खुदे हुए हैं, क्या वहां अलग से सब-डिवीजन खोलने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल। आप साथ ही दे देना जवाब।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर जलदाय विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार फ्लोराइड युक्त पानी की गम्भीर शिकायतें मिली हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के गांव अरनेटा, बीया, श्रीपुर, आण्डेखेड़ा, बालापुरा, टीमली...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिरोही विधान सभा से सम्बन्धित पूछिये, आप।

श्री घासीलाल मेघवाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, आप हमारे बूंदी के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो क्या जो विभाग द्वारा क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की जो स्कीम सरकार के पास भिजवायी हुई है उसको आप कब तक मंजूरी दिलवाने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री रिछपालजी मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान में जितनी भी टी.एस.एस. की योजनाएं चलती हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। पंचायतें उन स्कीमों को सुचारू रूप से चला नहीं पा रही है, तो क्या सरकार इसमें कोई नीतिगत बदलाव करने की मंशा रखती है? रखती है, तो कब तक और नहीं रखती है, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूरामजी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के बारे में यह प्रश्न है, मैंने 295 के अन्तर्गत पहले भी प्रश्न किया था कि जितने भी हैण्ड पम्प खोदे हैं वह सारे हैण्ड पम्प ढाई इंच पाइप के हैं और चूंकि अभी 3-4 साल से लगातार पानी बहुत गहरा चला गया है अत: ढाई इंच के पाइप से पार नहीं पड़ती है। पानी बहुत गहरा चला गया है इसलिए ढाई इंच की जगह सवा इंच के पाइप लगाने की जो योजना है उस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि ढाई इंच की जगह सवा इंच पाइप लगाए जाएं ताकि लोगों को पानी खींचने में परेशानी नहीं आए। यह आप कब तक करा देंगे? और जितने भी पुराने हैण्ड पम्प हैं वह 100 फीट के हैं वह सारे सूख गये हैं इसलिए उनकी जगह आपके जो ज्यादा के मापदण्ड हैं उतने गहराई में खोदने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : सभी का उत्तर साथ दे दीजिए, श्री हीरालालजी सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जलदाय विभाग ने जो सर्वे किया और जो हैण्ड पम्प मृत घोषित हो गये क्या मृत घोषित हुए हैण्ड पम्पों को जलदाय विभाग तुरन्त लगाने का विचार रखती है? दूसरा, मेरा प्रश्न है कि अभी हैण्ड पम्प 200-200, 300-300 फीट की गहराई पर होने के बावजूद वह ड्राई घोषित हो गये हैं। क्या हर पंचायत स्तर पर हैण्ड पम्पों के माध्यम से जो पैसा खर्च होता है उसकी बजाय एक ट्यूबवैल लगाकर पंचायत के सुपुर्द करने का भी विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डांग क्षेत्र में पहले ढाई सौ की आबादी पर एक हैण्ड पम्प स्वीकृत था लेकिन डांग क्षेत्र में रियायत दी गई कि 100 के ऊपर एक हैण्ड पम्प लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा, यह हैण्ड पम्प कुछ महीने पंचायत समिति के माध्यम से ठीक होते हैं, कुछ महीने जलदाय विभाग से। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि एक ही डिपार्टमेंट को अगर इनको ठीक करने के लिए अधिकृत किया जाए तो इसमें ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। तीसरी, बात यह है कि जो 50-60 हजार रुपये एक-एक हैण्ड पम्प के ऊपर खर्च होते हैं चूंकि जल स्तर नीचे चला गया उसकी बजाय इस तरह की अगर योजना बनायी जाए कि एक बोरिंग से दूर-दूर की ढाणियों में पाइप द्वारा पानी पहुंचाया जाए, तो मैं समझती हूं ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरमीत सिंह।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि डेजर्ट जोन के जो पहले जिले चयनित थे उनमें से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को हटाया जा रहा है, क्यों और किन परिस्थितियों में?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी अब आप जवाब दीजिए, काफी हो गया।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही सवाल पूछा है, मैं तो कभी पूछता ही नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो ढाई इंच के हैण्ड पम्प लगाए गए थे वह सारे के सारे हैण्ड पम्प फेल हो गए और उनकी जगह ढाई इंच के पाइप के बजाय सवा इंच के पाइप लगाने थे। राज्य सरकार ने इस मामले में पहले चर्चा भी की थी और सबको ढाई इंच की बजाय सवा इंच में चेंज करने के लिए मानस भी बनाया था। मेरा निवेदन है कि कब तक सरकार इन ढाई इंच के पाइपों को सवा इंच में परिवर्तन करने का मानस रखती है?

श्री अध्यक्ष : महादेव सिंह जी, बैठिए। आपने पूछ लिया क्वेश्चन। श्री यशवंत सिंह रामू।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो फ्लोराइड युक्त गांव हैं उनकी सरकार कोई योजना बना रही है? अगर बना रही है तो कब तक और नहीं, तो क्यों? अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से लगातार इस विधान सभा में क्वेश्चन लगते आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सिरोही का प्रश्न है आप कहां की बात कर रहे हैं?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे फ्लोराइड युक्त गांवों की बात कर रहा हूं। मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, यशवंतसिंहजी आपने प्रश्न पूछ लिया है। श्री देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि फूल्याई खिड़की की टंकी को मंजूर हुए तीन साल हो गए लेकिन उसका कार्य नहीं चल रहा है। उसका कार्य कब तक चलाने की इजाजत दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि धोद, डूंगरपुर, किशनगंज, सपोटरा, नदबई, शाहरपुरा से आने वाले अधिकतर माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता हैण्ड पम्पों के बारे में उठाई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य तौर से यह हैण्ड पम्प प्रोब्लम हुई है वह

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पिछले तीन साल से जो परसेंटेज आफ रेन कम हुई है उसकी वजह से हैण्ड पम्प का जल स्तर नीचे चला गया है, हैण्ड पम्प ड्राई हो गए। अध्यक्ष महोदय, एक मार्च से सरकार का हैण्ड पम्प रिपेयर प्रोग्राम चल रहा है जो 15 जुलाई तक चलेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां भी अबंडन हैण्ड पम्प हैं उनकी पर्टीकुलर्स विभाग को अवेलेबल हो जाए यह वह स्वयं इसमें रुचि लेकर करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि सरकार ने पापुलेशन 4000 से 1500 कर दी...

श्री अध्यक्ष : बात नहीं, चीफ व्हिप महोदय बैठिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो व्यवस्था करी थी 4000 से 1500 हमारी पाइप्ड योजना के लिए वह सरकार अभी वित्तीय परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह दूसरी परिस्थितियां थीं। इसके अलावा खण्डेला और नदबई से आने वाले माननीय सदस्यों ने फ्लोराइड की प्रोब्लम उठाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बारे में लिख कर दें, सरकार जो भी बेस्ट पोसिबल कर सकती है वह करेगी। क्योंकि फ्लोराइड निश्चित रूप से एक प्रोब्लम है।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : अभियान में आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? जो अबंडन हैण्ड पम्प हैं उनको रिप्लेस करने का भी होगा या खाली वाशर लगाने तक ही सीमित रहेगा वह प्रोग्राम?

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने सब अधिकारियों को डायरेक्शंस दे दिये हैं।

श्री नारायण सिंह : क्या डायरेक्शन दे दिए हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह : उसमें हैण्ड पम्प रिपेयर का जो कार्य है वही प्रस्तावित है। उसमें जो डीपनिंग वगैरह करना है उनकी डिटेल इकट्ठी कर ली जायेगी। अबंडन हैं उनकी कर ली जायेगी और वह विभाग से विचार-विमर्श के द्वारा उनके बारे में कंसीडर कर लिया जाएगा, वित्त विभाग के कंसीडरेशन को देखते हुए।

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो अभियान चलाया जाएगा उसमें केवल वाशर चेंज न करके...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि पानी बहुत नीचे चला गया है उसकी जगह आप पाइप लगाने की कृपा करें। आप नीचे पाइप तो लगाते नहीं है और ढाई इंच के पाइप की जगह आप सवा इंच के पाइप लगाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, आप बूंदी के प्रभारी मंत्री हैं इसलिए बूंदी को नहीं भूलें। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : आपके 100 हैण्ड पम्प ड्राई हो गये हैं उनकी जगह आप दूसरे हैण्ड पम्प कब लगाने जा रहे हैं?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 गांव फ्लोराइड युक्त हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प का पानी बहुत नीचे चला गया है, सारे हैण्ड पम्प फेल हो रहे हैं। जो हैण्ड पम्पों का पानी नीचे चला गया उसके लिए मंत्री क्या कर रहे हैं? पानी बिलकुल नीचे चला गया, पानी रहा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री घासीलाल जी।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम उनकी गहराई दुबारा करायी जाए ताकि वह हैण्ड पम्प पानी फेंके। अब गर्मी का मौसम आ गया और हमारे यहां 30 परसेंट क्षेत्र हैण्ड पम्पों से पानी पी रहा है। मेहरबानी करके आप उनको कब तक गहरा करा रहे हो ताकि वह दुबारा से पानी फेंकने लग जाए। आपके सारे हैण्ड पम्प बंद पड़े हैं। मेहरबानी करके आप यह बताइये कि उनको गहरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? गहरे नहीं हो रहे हैं, तो उनकी जगह नये लगा दो।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 15 जिले ऐसे हैं जो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने सर्वे किया है। 4 से 10 मीटर पानी नीचे चला गया है और बहुत गम्भीर स्थिति राजस्थान की है।

श्री अध्यक्ष : ताम्बीजी अभी मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से टी.एस.एस. की योजनाओं के सम्बन्ध में मंत्रीजी से जानकारी चाही थी। अध्यक्ष महोदय, पंचायत की यह हालत है कि वह उस स्कीम को नहीं चला सकती। स्कीमें बन्द पड़ी हुई हैं। उनको रिपेयर कराने को पंचायत के पास पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलालजी।

श्री घासीलाल मेघवाल : प्रश्न संख्या 437 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान) धारीवालजी, खड़े होइये। बाद में बिजली का करंट आपको लग जाएगा। (व्यवधान) प्रश्न पूछ लिया है। घासीलाल का। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : इनको पता ही नहीं है कि प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप अपने प्रश्न के टाइम पर कहां थे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो बीकानेर से आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो यहीं हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो, बीकानेर ट्रेन लेट हो गई...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फरेबीलाल का क्वेश्चन था। उसमें तीन माननीय सदस्य... (व्यवधान) तीनों माननीय सदस्य भरोसी लालजी, निर्भयलालजी और आजाद साहब, तीनों का क्वेश्चन लगा हुआ था, जिसमें तीनों में से कोई नहीं आया। (व्यवधान) मैंने उसके बारे में निवेदन किया था। (व्यवधान) मुझे लिख कर देकर गए थे। मैंने निवेदन भी किया था, मेरी बात को नहीं माना। (व्यवधान) मुझे इन्होंने लिख कर दिया था, मैंने निवेदन भी किया था। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने इनको लिख कर दिया था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे को इन्होंने लिख कर दिया था, यह कह रहे हैं। (व्यवधान) मैंने निवेदन भी किया था। फरेबीलाल एस.टी. के हैं, वह मीणा जाति के हैं। (व्यवधान) उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका ट्रांसफर कर दिया। माननीय मंत्रीजी इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) दे दीजिए जवाब। लिख कर देकर गए थे। (व्यवधान) माहिरआजादजी कह रहे हैं, लिखकर देकर गया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फिर भी मेरे क्वेश्चन का नम्बर नहीं लिया। फरेबीलाल... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अम्बेडकर जयन्ती का प्रोग्राम था। इनको अथोराइज करके गया था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मुझे नियुक्त करके गए थे। (व्यवधान) मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया था। फरेबीलाल के साथ कृषि उपज मण्डी में जो अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, दुबारा उनको बयाना लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? (व्यवधान) तीन माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन उठाया है। मेरे क्षेत्र का रहने वाला है। एस.टी. का है। मीणा जाति का है। उसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे करबद्ध पुनः निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां, मैं बैठ जाऊंगा साहब। (व्यवधान) लेकिन मीणा के साथ यह अन्याय हो रहा है। उसको मेहरबानी करके कब लगा रहे हैं, यह तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए। श्री घासीलालजी।

नगरपालिका कापरेन/लाखेरी को आबंटित सिवाय चक भूमि

437. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन की नगरपालिका कापरेन/लाखेरी एवं केशवरायपाटन को जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा कितनी सिवाय चक भूमि का आबंटन किया गया? क्या उक्त पालिकाओं द्वारा आबंटित भूमि का टाउन प्लान बनाकर जनहित में उपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य समय पर नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी रिप्लाई दीजिए।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांति कुमार धारीवाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन की नगरपालिका कापरेन को 0.85 हैक्टेयर तथा नगरपालिका लाखेरी को 56.46 हैक्टेयर सिवाय चक भूमि जिला कलक्टर बूंदी द्वारा अभी हाल ही में आबंटित की गई है। नगरपालिका केशवरायपाटन को भूमि का आबंटन नहीं हुआ है। कापरेन व लाखेरी नगरपालिकाओं को आबंटित भूमि पालिकाओं के नाम दर्ज होने के पश्चात् ही प्लान बनाकर जनहित में उपयोग किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। क्योंकि अभी नगरपालिकाओं के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं हुई है।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि नगरपालिका कापरेन को 0.85 हैक्टेयर तथा नगरपालिका लाखेरी को 56.46 हैक्टेयर सिवाय चक भूमि जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा अभी हाल ही में आबंटित की गई है तथा नगरपालिका केशवरायपाटन को भूमि का कोई आबंटन नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि नगरपालिका केशवरायपाटन को क्या कारण है कि जिला कलक्टर द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई तथा जो भूमि कापरेन और लाखेरी नगरपालिका को आबंटित की गई है उसका उपयोग राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित में कब तक किया जाएगा? क्या मंत्री महोदय

(श्री घासीलाल मेघवाल)

इसकी कोई समय सीमा बताने का विचार रखते हैं?

साथ ही मेरा जो दूसरा प्रश्न था उसका जवाब मिला है, जी नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से राज्य सरकार की लोकप्रिय नीतियों और मंशा के अनुरूप वहां पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष नगरपालिका कापरेन, पाटन को प्राथमिक कन्या पाठशाला के लिए सवा चार–चार लाख रुपये का आबंटन किया गया था। अभी तक भी वह पैसा नगरपालिका में पड़ा हुआ है। नगरपालिका के द्वारा और तो और, अभी तक भी कन्या पाठशाला के लिए भूमि का चयन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है, आप ही के आदेश हैं, आप के ही निर्देश हैं कि जब बजट सत्र चलता हो तो उस समय जिला स्तर पर या नगरपालिका स्तर पर कोई भी अधिकारी अत्यावश्यक बैठक नहीं बुला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, घासीलाल जी संक्षेप में। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 11 अप्रैल को केशवरायपाटन नगरपालिका द्वारा एक अत्यावश्यक बैठक के नाम पर जो एजेंडा निकाला गया है वह मेरे हाथ में है और उसमें महत्वपूर्ण बिन्दु दिए गए हैं नगरपालिका ई.ओ. द्वारा इससे पूर्व भी जब वह कापरेन में था, मेरी अनुपस्थिति में लाटरी निकाली, गई, बोर्ड द्वारा अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को लाटरी निकाल दी गई। जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वह गरीब, बेरोजगार उपयोग से वंचित रह गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार के द्वारा चम्बल शुद्धिकरण के नाम से केशवरायपाटन में 12 लाख 70 हजार रुपये आबंटित किए गए थे। क्या विभाग द्वारा कोई टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जाती है? अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केशवरायपाटन नगरपालिका द्वारा कोई टेण्डर जारी नहीं किए जाते हैं। अभी हाल ही में एक नाले की सफाई के लिए बस स्टैण्ड से कालोनी सी.ए.डी. तक...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा चौड़ा भाषण दे रहे हैं कि आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछिए। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : घासीलालजी। (व्यवधान) आप प्रश्न पूछिए।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं। (व्यवधान) गत वर्ष मात्र पौन किलोमीटर की सफाई के लिए 15 हजार रुपये में कार्य करवाया गया था वह इस बार 1 लाख, 37 हजार में करवाया गया है, वह भी बिना टैंडर के, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को जिन भूमि की आवश्यकता होती है वह जिला कलक्टर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की सैक्शन 92 में, इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। जब अलोटेड लैण्ड है वह नगरपालिका के रेवेन्यू रिकार्ड में चढ़ जाती है उसके बाद नगरपालिका वहां पर कोई स्कीम बनाती है और स्कीम बनाकर उस भूमि का निष्पादन करती है। केशवरायपाटन नगरपालिका के द्वारा जिला कलक्टर से कोई भूमि नहीं मांगी गई और कापरेन और लाखेरी में जो भूमि मांगी गई है वह नगरपालिका के खाते में अभी नहीं चढ़ी है, जब तक वह रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं चढ़ जाती। नगरपालिका सक्षम नहीं है कि वहां पर कोई स्कीम बनाई जाए और उस भूमि का निष्पादन किया जाए।

दूसरी बात जो केशवरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछी है कि केशवरायपाटन की नगरपालिका के द्वारा टेण्डर जारी नहीं किये जाते, कोई प्लान नहीं बनाया जाता, लाटरी में अनियमितताएं होती हैं, इस प्रकार की शिकायतें अगर मेरे पास आएंगी, तो मैं निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाऊंगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि भूमि का चयन नहीं किया गया कन्या पाठशालाओं के लिए, मेरे पास तो उसकी भी कोई शिकायत नहीं आई। भूमि का चयन अगर नहीं किया गया तो यह आप मुझे बता देते तो मैं उनको वाकायदा डाइरेक्शन देता और भूमि का चयन भी होता और कन्या पाठशाला के लिए तो वैसे भी सरकार प्राथमिकता के तौर पर काम करती है।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विधान सभा के सत्रकाल में जो मीटिंग बुलाई है नगरपालिका ने, उसके लिए भी माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सदस्य ने कहा है। माननीय अध्यक्षजी ने आदेश निकाल रखे हैं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं आयोजित की जाएगी जिसके माननीय विधायक, जो यह भी सदस्य हैं, उसने 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाई जबकि विधान सभा का वर्किंग-डे था। उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? वह बताइये।

श्री घासीलाल मेघवाल : वे मीटिंग्स बुलाई जाती हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, और तो और...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर वगैरह इस प्रकार की मीटिंग बुला लेते हैं। हम यहां सदन में रहते हैं और वे वहां मीटिंगें बुला रहे हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग, पानी की मीटिंग है, बिजली की मीटिंग है, जिला परिषद् की मीटिंग है, वे बुला रहे हैं। आप निर्देश दुबारा दें उनको ताकि इस प्रकार की मीटिंगें वे नहीं बुलाएं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मीटिंग बुलाने का जहां तक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको... (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : आपके आदेश की पालना अगर जिलाधीश महोदय राजस्थान में नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ा हमारी रक्षा करने वाला कौन है? जब आपने सर्कुलर भेज दिया, उसके बाद भी जिलों के जिलाधीश जगह-जगह पर मीटिंगें बुला रहे हैं। एम.एल.ए. को इत्तला होती नहीं है, तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अध्यक्ष महोदय, आप इसमें ऐसी व्यवस्था करें ताकि अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो उसकी जांच करवाएं।

श्री रामस्वरूप : हमारे अध्यक्ष महोदय इतने शक्तिशाली हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि मीटिंग बुला लें। वह निश्चित रूप से ऐसा आदेश...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अभी सदस्य महोदय ने जानकारी दी है। वैसे तो यह रोज मिलते हैं लेकिन इस बारे में कोई बात तो इनकी हुई नहीं। कभी कोई शिकायत इन्होंने मुझे दी नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : वहां पर मौजूद ही नहीं रहते हम।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो डाक मुझे मिली है वह मीटिंग निकलने के बाद में मिली है। वहां से डाक, जब-जब भी नगरपालिकाओं की मीटिंग होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से डाक भेजी जाती है कि जब तक वह डाक मुझे मिलती है तब तक तो वह नगरपालिका की मीटिंग निकल जाती है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह हो सकता है कि वह डाक की हड़ताल चल रही थी उस वक्त वह बात हो गई हो। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : डाक की हड़ताल, अध्यक्ष महोदय, यह जो लिखकर दिया है। (व्यवधान) अगर आप चाहे तो आपके पास दे देता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : केशवरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य, आप ले जाकर दे दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह शिकायत हुई है नगरपालिकाओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में 11 अप्रैल को...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डाक की शिकायत नहीं है बल्कि आपकी बात है, वह यह सदन में...(व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : डाक की हड़ताल का 11 अप्रैल से...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर कोई सदस्य लिखित में शिकायत देगा, तो मैं निश्चित तौर पर इसकी कार्यवाही करूंगा।

श्री घासीलाल मेघवाल : यह लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह 11 अप्रैल को जो मीटिंग बुलाई है, 11 अप्रैल को हाउस चल रहा था उसमें क्या करेंगे आप?

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, विभाग को...(व्यवधान) जिला कलक्टरों को निर्देश दिए जाएं कि वह अगर किसी तरह की हड़ताल हो, तो टेलीफोन से माननीय सदस्यों को सूचना करें और यह सुनिश्चित करें कि माननीय सदस्य को इस तरह की बैठकों की इत्तला मिल गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहाना बना रहे हैं कि यह डाक की हड़ताल हो गई, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह इत्तला टेलीग्राम के जरिए मिलनी चाहिए, ताकि यह इस प्रकार का बहाना नहीं बना सके। बाई टेलीग्राम मिलनी चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की सूचना जिला कलक्टरों को माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी देते हैं। यह संसदीय कार्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं। आपके माध्यम से जो सूचनाएं यह भेजते हैं कि इस दौरान... (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की ज्यादती के बारे में मैं बता रही हूं आपको कि... (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक से...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, तो कोई बैठक आहूत ही नहीं की जाए अगर जिन्होंने बैठक आहूत की है, सारे माननीय सदस्य आपको कह रहे हैं, करौली से आने वाले ने कही और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही तो अध्यक्षजी की जो व्यवस्था है इसको आप दुबारा सर्कुलर भेजें और जिन्होंने मीटिंग बुलाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें, यह बात आप कहें।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इस बात की घोषणा करें कि दुबारा इस प्रकार की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। यह जिलाधीश महोदय जो कार्य कर रहे हैं। आप इस बारे में जवाब दें। आप इत्तला भेजेंगे या नहीं भेजेंगे दुबारा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलादेवी का महत्वपूर्ण मेला जो कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी सपोटरा में है, उसमें मीटिंग की गई। (व्यवधान) सुनने दो, श्रीमन्। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलादेवी मेले के बारे में अभी नई जानकारी जैसी कि मैं बताऊं कि वह मीटिंग बुलाई गई, कैलादेवी की मेले की व्यवस्था के लिए अगर वहां के एम.एल.ए. को नहीं बुलाया गया, यह अधिकारियों की कब से ज्यादती हो गई? मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। जहां पर चालीस-पचास लाख, पांच-छह लाख रोज आदमी आते हैं और करीब चालीस पचास लाख यात्री आते हैं, वहां पर इस महत्वपूर्ण मीटिंग में भी विधायक को नहीं बुलाया गया कोई सी भी मीटिंग में, यह तो सरासर अन्याय है, इसके बारे में आप बात करें।

श्री रामस्वरूप : मेहंदीपुर बालाजी मेले के बारे में मीटिंग हुई थी और मैं वहां का विधायक हूं, मुझे भी नहीं बुलाया गया। वहां पर यह लगातार होता चला जा रहा है। माननीय सदस्यों का अपमान है, साहब। यह यहां पर माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में भी जलदाय विभाग की मीटिंग है। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है और हम दोनों विधायक यहां मौजूद होंगे, चारों विधायक यहां मौजूद होंगे तो जलदाय पर क्या चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी मीटिंग हो रही है सत्रकाल में वह... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए। यह गवर्नमेंट ने नोट कर लिया है।

श्री हीरालाल सहरिया : एक भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। उसे कैंसिल होना चाहिए यह सर्कुलर राज्य सरकार की तरफ से आपके माध्यम से जाना चाहिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब, इस बात का जवाब दो, यह अन्याय हो रहा है हम विधायकों के साथ। कुछ तो बोलो इसके बारे में, माननीय सदस्यों को वहां पर बुलाया नहीं जाता है। सूचना नहीं दी जाती हैं, आप मेहरबानी करके कुछ तो जवाब दीजिए। आप हमारे लिए बोलो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सर्कुलर भेजा या नहीं भेजा, आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ठहरो साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री जुगल काबरा : यह जो प्रश्न है, साहब, विभाग द्वारा यह जो लाखेरी और कापरेन में जिला कलक्टर द्वारा भूमि आबंटित करने की बात की गई है... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं वही बात बता रहा हूं।

श्री जुगल काबरा : किन्तु वह इन नगरपालिकाओं के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है। इसका क्या तकनीकी कारण है, यह माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका तकनीकी कारण यह है कि कापरेन की नगरपालिका की भी सुस्ती है और जिलाधीश कार्यालय में भी जो लोग अमल-दरामद दर्ज करते हैं, उनके बीच कोई कार्डिनेशन नहीं होगा, यही होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा यह साफ-साफ निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि जिन-जिन समितियों में माननीय सदस्य वहां सदस्य के रूप में बिराजमान हैं, उनकी मीटिंग वे या तो शनिवार को बुलाएं, अधिवेशन के दौरान कभी नहीं बुलाएं और अगर इस प्रकार की मुझे तो अभी यह शिकायत आपकी ही मिली है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 11 अप्रैल को तो शनिवार भी नहीं था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, नहीं था। यह शिकायत मुझे अब आज मिली है, तो क्या मैं पहले से सोचता, कार्यवाही करता क्या? अब कह रहा हूं मैं कार्यवाही करूंगा। कमलाजी की बात थी, कमलाजी ने भी शिकायत की है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कलक्टरों के बारे में, माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं, आप क्या निर्देश कर रहे हो उनको? कलक्टर महोदय इस प्रकार की मीटिंगें लगातार बुला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : जिलाधीश महोदय बुला रहे हैं इस प्रकार की मीटिंगें। माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी मीटिंगें, शिकायत आ रही है उनके खिलाफ, आप कार्यवाही करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आप जिलाधीशों को इस प्रकार के निर्देश निकालोगे क्या?

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री ललित भाटी : ऐसी जितनी भी शिकायतें मिलेंगी उनके ऊपर आप कार्यवाही करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : काबराजी, बैठिए आप। नैक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : बोल रहे हैं, साहब, मंत्रीजी बोल रहे हैं। यह जनरल व्यवस्था का मामला है। पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री जनार्दन गहलोत : जवाब दो।

श्री अमराराम (धोद) : हां, बोलो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यूं राज्य सरकार की तरफ से यह सर्कुलर्स जारी किए हुए हैं और सारे कलक्टर्स को यह अच्छी तरह से मालूम है कि जब सत्र चलता हो तो उन दिनों में यह किसी भी हालत में कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाए। यह इनको सर्कुलर दो-तीन बार भेजे गए हैं और फिर माननीय सदस्य खुद इतने इंफ्लुएंशियल हैं कि अगर यह डाइरेक्ट बात करते तो कलक्टर की क्या औकात है कि मीटिंग नहीं सरकाता। अब आज आप यह कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : कहने के बावजूद भी वे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके कहने के बावजूद भी करते हैं। आप पूछ लो।

श्री रामस्वरूप : आप तो शक्तिशाली हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनसे पूछ लो। आपके कहने के बावजूद भी कर रहे हैं। आप कितने प्रभावी हो गये हैं, यह इससे झलक रहा है।

श्री रामस्वरूप : शक्तिशाली है तो आप करो, कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : वह हमारी बात कहां मानते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह आपकी ही नहीं मान रहे हैं तो हमारी क्या मानेंगे? आपकी ही नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : प्रशासन लूज है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप क्या कार्यवाही करेंगे? हमको बता रहे हैं शक्तिशाली है, आप इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री दुर्गाप्रसाद : अपमान किया है इन्होंने आपका अपमान किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिन्होंने निरन्तर आपके आदेश की अवहेलना की है, आप उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? मंत्रीजी के भेजने के बाद भी जिन्होंने नहीं किया, आप इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? हम सक्षम हैं या नहीं पर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य का जो अपमान उन्होंने किया है आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? आपका अपमान किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके आदेश की पालना नहीं की और आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, बैठिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने पत्र भेजने के बाद, जिन्होंने उसको फालो नहीं किया, आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? यह आप बताइये। हम सक्षम हैं या नहीं हैं, आप असक्षम क्यों हैं? यह आपकी असक्षमता का...(व्यवधान) कह रहा हूं हाउस में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। माननीय माहिर आजाद साहब, आप बैठिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यदि लिखित में देंगे कि...

श्री अमराराम (धोद) : दे रहे हैं न लिखित में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने लिखकर दिया है कलक्टर साहब को, कलक्टर साहब ने मीटिंग बुला ली और हमको उन्होंने इग्नोर किया है तो हम उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जब आपका सर्कुलर है तो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी। कमलाजी बैठिए आप।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि 6 तारीख को कैलादेवी मेले की जो मीटिंग बुलाई, एक सैकण्ड...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमलाजी, बैठिए आप।

श्रीमती कमला बृजलाल : ट्रस्ट है, ट्रस्ट में वहां अधिकारी ने वहां के अधिकारियों पर खुले रूप से यह आरोप लगाया कि हम अधिकारियों को एक-एक लाख रुपये देते हैं। खुले आरोप लगाया ट्रस्ट के एक गिरधारीलालजी, अधिकारी ने वहां पर लेकिन वहां के अधिकारी, मुझे तो बुलाया नहीं था उस मीटिंग में जो कि मैं बोलती, उसके बारे में आप जानकारी मुझे दें। वहां पर खुला आरोप लगाया गया, मीटिंग में कैलादेवी की में, 6 तारीख में कि एक-एक लाख रुपये अधिकारियों पर, वह कौन-कौन से अधिकारी हैं और कितने लाख रुपये उनको दिए ट्रस्ट वालों ने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

जिला करौली में सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय में स्वीकृत फैक्स मशीन

438. **श्री जनार्दन गहलोत (करौली)**: क्या सूचना एवं जन-सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला मुख्यालय पर जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क अधिकारी का पद लम्बे समय से रिक्त है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय से स्वीकृत मोडम फैक्स मशीन आज तक नहीं लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार स्वीकृत फैक्स मशीन को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(4) उक्त संदर्भ में कौन दोषी है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(5) उक्त जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

राज्य मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क (डा. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से। (1) जी, नहीं।

(2) सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय, करौली में मोडम स्थापित किया हुआ है। सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय करौली के लिए वर्ष 1999-2000 में फैक्स मशीन स्वीकृत की गई थी लेकिन क्रय की प्रक्रिया के दौरान ही प्रतिबंध लगने से स्थापित नहीं की जा सकी।

(3) जी हां। इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) राज्य सरकार के वित्तीय सीमा के कारण फिलहाल सूचना केन्द्र की स्थापना सम्भव नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, जी, नहीं।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमैंटरी पूछ लीजिए, आप एक सप्लीमैंटरी।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय जन सम्पर्क मंत्रीजी का नाम गिनीज बुक में लिखवाया जाए। मैं यह आपसे सिफारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस प्रकार से तीन बार प्रश्न किए और तीनों बार इन्होंने कहा वहां पी.आर.ओ. लगा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कौन पी.आर.ओ. वहां लगा हुआ है? जब मैं प्रश्न पूछता हूं उसके पहले इनके विभाग वाले किसी को चार्ज दिला देते हैं और कहते हैं पद भरा हुआ है। आज तक तीन बार रिप्लाई दी है। आज तक स्थायी पी.आर.ओ. को आपने लगाया है क्या? पहले सवाईमाधोपुर से आपने चार्ज दिला दिया इसी ढंग से, आपने बाद में दौसा वाले से दिलवा दिया। आज भी वहां पी.आर.ओ. नहीं हैं। तीन साल हो गए। जिलाधीश कार्यालय बना हुआ है। आज हमारे जिले की सारी एक्टिविटीज को,....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप चाहते हो कि बड़े-बड़े शहरों का ही प्रचार हो। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फैक्स मशीन का जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष : सूचना नहीं, एक ही अनुपूरक पूछिए आप। (व्यवधान) समय हो गया है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के अन्दर फैक्स मशीन सैंक्शन हो गयी और बार-बार कहते हैं, इस सत्र में फिर विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे करौली जिले के साथ अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है। सही मायने में इनको सारे डिवीजनल हैडक्वार्टर नजर आते हैं और पिछड़ा हुआ इलाका जो डांग का इलाका है, उसकी तरफ इनकी कोई नजर नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि स्थाई पी.आर.ओ. कब लग जाएगा और फैक्स मशीन कब तक लग जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामस्वरूप : मैं भी करौली जिले से आता हूं। पी.आर.ओ. मीणा लगाते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। फिर मीणा लगाया, फिर उसको हटा दिया। यह मीणाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। लगाते हैं और हटाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उसका उत्तर

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बयाना का नियम विरुद्ध स्थानान्तरण

435. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर), श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) एवं श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री फरेबीलाल मीणा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना को प्रमुख शासन सचिव, कृषि द्वारा हटाया गया है? यदि हां, तो कब एवं क्यों?

(2) क्या उक्त आदेशों की स्वीकृति हेतु कृषि विपणन राज्य मंत्री की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त अनुमति प्राप्त की गई है?

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना में कार्यरत कर्मचारी श्री भूपसिंह मीणा व श्री प्रहलाद मीणा कनिष्ठ लिपिक को नीलामी से हटाया गया एवं श्री घमण्डी लाल को आरोप पत्र दिया गया? यदि हां, तो कब एवं क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों कर्मचारी प्रमुख शासन सचिव के रिश्तेदार हैं?

(6) क्या प्रमुख शासन सचिव द्वारा अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध कार्यवाही से नाराज होकर श्री फरेबीलाल मीणा को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना से हटाया गया है?

(7) क्या यह सही है कि व्यापार मण्डल एवं जनप्रतिनिधियों ने भी उक्त सचिव के स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने की मांग की है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक कारणों से आदेश दिनांक 8.2.2002 के द्वारा इन्हें आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है।

(2) आवश्यकता थी परन्तु मंत्री दौरे पर गये हुए थे इसलिए स्टैंडिंग आर्डर के प्रावधानानुसार मंत्री के अनुमोदन की अपेक्षा में इन्हें पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया था।

(3) उक्त तिथि में मंत्री के राज्य से बाहर दौरे पर होने के कारण अनुमति प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं था।

(4) जी हां। श्री भूपसिंह मीणा, नीलाम लिपिक एवं श्री प्रहलाद प्रसाद मीणा, नीलामकर्ता को नीलामी से दिनांक 4.1.2002 को कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना में प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए हटाया है। श्री घमण्डीलाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक को लक्ष्य से कम आय प्राप्त करने एवं बकाया आबंटन शुल्क की वसूली नहीं करने के कारण दिनांक 8.2.2002 को आरोप पत्र जारी किया गया है।

(5) इनमें से एक कर्मचारी श्री भूपसिंह मीणा प्रमुख शासन सचिव का चचेरा भाई है।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मरुधर क्षेत्रीय बैंकों को राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की अतिरिक्त अंशपूंजी की अदायगी

808. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंशपूंजी में भारत सरकार प्रायोजक बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) व राज्य सरकार का कितना-कितना प्रतिशत हिस्सा है तथा कुल कितनी अंशपूंजी लगी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व प्रायोजक बैंक तो अतिरिक्त पूंजी देने को तैयार हैं, परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक अपने हिस्से की अतिरिक्त पूंजी नहीं दी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनहित में मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने हिस्से की अतिरिक्त अंशपूंजी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य में कार्यरत अन्य क्षेत्रीय बैंकों की ही तरह भारत सरकार, प्रायोजित बैंक एवं राज्य सरकार की अंश पूंजी क्रमशः 50:35:15 प्रतिशत है तथा मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्वीकृत कुल अंशपूंजी 1.00 करोड़ रुपये है।

(2) उपलब्ध अभिलेख के आधार पर स्थिति यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के अन्तर्गत भारत सरकार व प्रायोजक बैंक अपने-अपने हिस्से की राशि देने को तैयार हैं। राज्य सरकार के द्वारा अपने हिस्से की राशि वर्ष 1997-98 की 431.27 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत की गई जिससे सम्बन्धित बैंकों को वितरण और आबंटन विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। मरुधर क्षेत्रीय बैंक को वर्ष 1998-99 में भारत सरकार द्वारा पुनर्संरचना के तहत राशि स्वीकृत की गई। इस वर्ष के लिए देय राज्य सरकार की अंशपूंजी बजट की उपलब्धता के अनुसार राज्य सरकार उक्त राशि देने का विचार रखती है।

चुंगी कर्मचारियों का नगर निगम जयपुर में उद्यान निरीक्षक के पद पर समायोजन

809. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर में उद्यान निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर में चुंगी कर्मचारियों के समायोजन के लिए भेजे गए प्रस्तावों में यह भी प्रस्ताव भेजा गया है कि जो कर्मचारी उद्यान निरीक्षक की योग्यता रखते हैं, उन्हें उक्त पद पर समायोजित कर दिया जावे? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त से निगम पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में उद्यान निरीक्षक के 10 पद स्वीकृत हैं। उक्त पद वर्ष 1998-99 से रिक्त हैं, लेकिन दिनांक 1.5.1997 से 4.4.2000 तक एक पद पर श्री सन्तराम मीणा प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) भाग संख्या-2 में उत्तर निहीत है।

आवारा पशुओं के दबावखानों में अनियमितताओं की जांच

810. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं के लिए बनाए गए दबावखानों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर छापे मारे गये हैं? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं के लिए बनाए गए दबावखानों में 44 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को दोषी बताया गया था :-

1. श्री मुइनुद्दीन, स्कन्धपाल।
2. श्री महेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक।
3. श्री रामकल्याण मीणा, ग्वाला।

किन्तु इसमें एक श्री मुइनुद्दीन, स्कन्धपाल को न्यायालय द्वारा निर्दोष माना गया है। शेष दोनों कर्मचारियों के मामले न्यायालय में लम्बित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

उदयपुर में पानीराम संस्था द्वारा वृक्षारोपण में अनियमितताएं

811. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर शहर में नगरपालिका एवं नगर न्यास ने वृक्षारोपण हेतु पानीराम नामक एजेंसी को कार्य किन शर्तों पर दिया है? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उक्त संस्था द्वारा उदयपुर में कब-कब व कितने-कितने पौधे लगाये और उक्त के लिए अब तक उन्हें कितना भुगतान किया गया?

(3) उक्त संस्था द्वारा लगाए गए पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं? इनका प्रति वर्ष मूल्यांकन कब व किसने किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इतनी राशि व्यय करने के बाद भी उपलब्धि अतिन्यून है तथा जो कुछ है वह भी पुराने वृक्षों को अपने टी गार्ड में लेकर दिखाया गया है? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों नगर परिषद् एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पानीराम सोसायटी को जिन शर्तों पर वृक्षारोपण की अनुमति दी गई थी, उनका विवरण संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में उक्त संस्था द्वारा कब-कब कितने-कितने पौधे लगाये गये की सूचना संस्था ने नगर परिषद् एवं नगर सुधार न्यास, उदयपुर को नहीं दी है। उक्त संस्था को केवल वृक्षारोपण करने की सहमति दी गई थी। वृक्षारोपण के लिए नगर परिषद् एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं था। इसलिए उक्त संस्था को किसी प्रकार का भुगतान किए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल का कार्य संस्था के स्तर पर ही किया जाना है। लगाए गये पौधों एवं जीवित पौधों की सूचना संस्था द्वारा नगर परिषद् एवं नगर विकास प्रन्यास को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। चूंकि वृक्षारोपण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना था इसलिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी।

(4) वृक्षारोपण के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होने के कारण नगर परिषद् अथवा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उपलब्धियों का आकलन नहीं किया गया है। कोई वित्तीय अनियमितता नहीं होने से इसमें कोई दोषी नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

टोडारायसिंह (टोंक) में निर्मित नवीन सर्कल का नामकरण

812. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह (टोंक) में नगरपालिका द्वारा नये बस स्टैण्ड पर पाश कालोनी एवं सर्कल का निर्माण करवाकर उसका नामकरण किया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो किसके नाम से कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सर्कल का नाम भारत की महान विभूति स्वामी निरंजन देव तीर्थपुरी शंकराचार्य के नाम से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सर्कल का नामकरण उक्त महान विभूति के नाम से करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किसके द्वारा कब-कब? उक्त पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भाग संख्या एक के उत्तर के पश्चात् इस भाग का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका जालौर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वाहन चालक के पद पर पदस्थापन

813. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका जालौर में वाहन चालकों के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त पदों पर वर्तमान में कौन कौन वाहन चालक कार्यरत हैं?

(3) क्या उक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या सरकार उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वाहन चालकों के रिक्त पदों पर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका, जालौर में वाहन चालकों के 05 पद स्वीकृत हैं।

(2) उक्त पदों पर श्री सुमेरिया, श्री डायाराम, श्री प्रकाश स. सेवक, श्री लियाकत खां, फायरमैन व श्री रतनाराम वाहन चालक कार्यरत हैं।

(3) जी नहीं।

(4) भाग संख्या-3 के उत्तर के पश्चात् भाग संख्या-4 के उत्तर की आवश्यकता नहीं रही।

जिला भीलवाड़ा की नगरपालिकाओं द्वारा रियायती दर पर भू-आबंटन

814. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला भीलवाड़ा की नगरपालिकाओं के नगरीय सीमा में गत पांच वर्षों में सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए नजूल दर अथवा रियायती दरों पर भूमि का आबंटन किया है? यदि हां, तो किस-किस नगरपालिका में किन-किन शर्तों पर कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां उपलब्ध कराई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले की नगरपालिकाओं की नगरीय सीमा में उक्त वर्णित संस्थाओं के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी संस्थाओं के प्रकरण कब से?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की जिन नगर परिषद्/पालिकाओं द्वारा नगरीय सीमा में गत पांच वर्षों में सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए किन-किन शर्तों पर कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां उपलब्ध कराई गई, उसका विवरण संलग्न है।

(2) उक्त जिले की नगरपालिकाओं की नगरीय सीमा में उक्त वर्णित संस्थाओं के कौन से प्रकरण कब से लम्बित है, का विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद् अजमेर में अपर्याप्त सफाई कर्मचारी

815. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद् अजमेर में सफाई हेतु कितने स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं?

(2) सफाई व्यवस्था हेतु सामान्य मानदण्ड क्या हैं? सामान्य मानदण्ड के अनुसार अजमेर शहर की आबादी को देखते हुए कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अपर्याप्त कर्मचारी संख्या की दशा में अजमेर की सफाई व्यवस्था एवं कचरा परिवहन हेतु नगर परिषद् अजमेर द्वारा किन शर्तों पर क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अस्थायी सफाई कर्मचारी भी लगाये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों और कब-कब तथा कितने समय के लिए व उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर में सफाई हेतु 945 स्थाई सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) सफाई व्यवस्था हेतु प्रति 2000 की जनसंख्या पर 5 सफाई कर्मचारी होने का सामान्य मानदण्ड निर्धारित हैं। सामान्य मानदण्ड के अनुसार अजमेर शहर की आबादी को देखते हुए लगभग एक हजार दो सौ सफाई कर्मचारी होने चाहिए। मानदण्डों की प्रति संलग्न है।

(3) अपर्याप्त कर्मचारी संख्या की दशा में अजमेर की सफाई व्यवस्था एवं कचरा परिवहन हेतु नगर परिषद् द्वारा सफाई व्यवस्था जिन शर्तों पर करवाई जा रही है, उनका विवरण संलग्न है।

(4) अस्थाई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने से वर्तमान में कोई अस्थाई सफाई कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं।

(प्रति/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान नगरपालिका चयन आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति को नियुक्ति

816. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राजस्थान नगरपालिका, जिला सेवा चयन आयोग का गठन किया हुआ है?

(2) क्या उक्त आयोग द्वारा किसी कर्मचारी को उपयुक्त घोषित किये जाने पर वह व्यक्ति नियुक्ति का पात्र हो जाता है? यदि नहीं, तो क्या आयोग के निर्णय को रोकना, आयोग की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं होगा?

(3) क्या दिनांक 27.8.1998 को नगरपालिका जिला सेवा चयन आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय की क्रियान्विति राज्य सरकार द्वारा करवा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक करवा दी जावेगी?

(4) उक्त बैठक में जिन कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई थी क्या वे अभी भी कार्य कर रहे हैं?

(5) क्या श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन नियमों के आधार पर उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) जिन कर्मचारियों की स्क्रीनिंग दिनांक 27.8.1998 को की गई है, की स्क्रीनिंग को विचाराधीन रखकर बिना वेतन के कार्य करवाना क्या कर्मचारियों के शोषण की श्रेणी में नहीं आता है?

(श्री परसराम मोरदिया)

(7) क्या सरकार द्वारा पत्र क्रमांक एफ.ग/84/एसएमई/डीएलबी/96/4695 दिनांक 1.9.1998 द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कितने समय में उक्त कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आयोग पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करता है।

(3) जी नहीं। प्रकरण राज्य सरकार के पास मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण की समीक्षा की गई कि राज्य में चुंगी समाप्त होने के कारण अधिशेष कर्मचारियों का समायोजना विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध पर रखे हुए व्यक्तियों को स्क्रीनिंग करके स्थाई नियुक्ति दे दी गई, तो इस प्रकार के हजारों श्रमिक जो अनुबन्ध पर काम कर रहे हैं, वे भी विभाग से स्थाई नियुक्ति की मांग करेंगे। इस प्रकार समीक्षा करने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही पर रोक लगा दी।

(4) उक्त बैठक में स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों में से 09 कार्यरत हैं।

(5) उक्त कर्मचारियों को वेतन पेटे अग्रिम राशि का भुगतान अनुबन्ध के आधार पर 1500/- रुपये व 1200/- रुपये प्रतिमाह की दर से वर्ष 1998 तक, तथा 04 कर्मचारियों को न्यायालय के निर्णय अनुसार उक्त दर से दिनांक 30.4.2001 तक भुगतान किया गया है।

(6) जी नहीं। प्रकरण विचाराधीन है।

(7) जी नहीं। गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

प्रश्न संख्या-817

(स्थगित)

आनासागर झील, अजमेर की जमीन का अवैध नियमन

818. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास अजमेर से सेठ भागचन्द सोनी (मेवाड़) की जमीन का नियमन किया है यदि हां, तो नियमन कब तथा कितने खसरा नम्बर का हुआ?

(2) उक्त नियमन किन नियमों के अन्तर्गत हुआ?

(3) उक्त नियमन से आनासागर क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना कम हुआ है?

(4) क्या उक्त नियमन (मेवाड़ स्टेट) नियमों के वितरीत हुआ था? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सेठ भागचन्द सोनी एस्टेट की भूमि का नियमन नगर सुधार न्यास द्वारा किया गया है। नियमन हेतु मांग पत्र दिनांक 23.10.2001 को जारी किया गया है। खसरा नम्बर 2100 से 2106 थोक तेलियान में कुल 25 भू-खण्डों के कुल रकबा 8405.09 वर्गगज का नियमन किया गया है।

(2) उक्त नियमन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1956 की धारा 60, नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 राजस्थान शहरी क्षेत्र (भू-खण्डों के उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 1974 के एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के अन्तर्गत किया गया है।

(3) उक्त नियमन के कारण आनासागर क्षेत्र के क्षेत्रफल का कम होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा जांच कराई जा रही है।

(4) जांच रिपोर्ट के परीक्षण के बाद ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रश्न संख्या-819

(स्थगित)

विधायकों को जिला मुख्यालय पर आवास आबंटन

820. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधायकों को जिन के निजी आवास उनके जिला मुख्यालय पर नहीं हैं? आवास आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सरकार का विधायकों को अब जिला मुख्यालय पर आवास सुविधा कब तक देने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समय सीमा नहीं तय की गई है।

(2) खण्ड-1 में उत्तर निहित है।

कृष्णा विहार कालोनी, गोपालपुरा (जयपुर) में आम रास्ते पर अतिक्रमण

821. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर के गोपालपुरा रोड स्थित कृष्णा विहार कालोनी के प्लाट संख्या-82 की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है? मय-नक्शे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री उदय सिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटधारी ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि के निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जगह पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त कब्जा हटाकर, आम जनता के लिए रास्ता खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनता की सुविधा के लिए सड़क के बीच में आये उक्त प्लाट की अवाप्ति की कार्यवाही कर अन्यत्र प्लाट देकर सड़क बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के गोपालपुरा रोड स्थित कृष्णा विहार कालोनी के प्लाट संख्या-82 की लम्बाई 50-57 फुट व चौड़ाई 30-40 फुट है। (नक्शा संलग्न है)

(2) जी हां। प्लाटधारी ने आबंटित भूमि के निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जगह पर कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि भू-खण्ड संख्या 82 के आबंटी ने अपीलीय अधिकरण में रेफरेंस संख्या 239/2000 दायर कर स्थगनादेश ले रखा है। न्यायालय का निर्णय होने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्थगनादेश खारिज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्राधिकरण स्तर पर अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रताप नगर चौराहा, मुरलीपुरा ग्राम (जयपुर) में संचालित अवैध कारखाने से प्रदूषण

822. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीराम मोटर बाडी कारखाना प्लाट नं. 262 ए, आर्य नगर, प्रताप नगर चौराहा, न्यू मुरलीपुरा ग्राम में अनधिकृत रूप से संचालित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त से ध्वनि प्रदूषण, कालोनीवासियों के आवागमन में परेशानी, बिजली प्रवाह में अवरोध व कालोनी का आम आदमी परेशान है? क्या सरकार उक्त कारखाने को बन्द करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मुरलीपुरा प्रताप नगर चौराहे के पास आर्य

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नगर के आवासीय भू-खण्ड संख्या 262-ए में श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री विजय कुमार जांगिड़ द्वारा श्रीराम मोटर बाडी रिपेयरिंग वर्क्स के नाम से कारखाना संचालित किया जा रहा है।

(2) जी हां। यह भी सही है कि उक्त कारखाना संचालित करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। बिजली प्रवाह में अवरोध होने का बिन्दु प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है। उक्त कारखाने से कालोनीवासियों को आवागमन एवं कालोनी में रहने वाले नागरिकों को परेशानी होना स्वाभाविक बात है। उक्त कारखाने को 15 दिन में हटाने हेतु श्रीमती सोहनी देवी को धारा 32 जे.डी.ए. एक्ट, 1982 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है। साथ ही उक्त कारखाने का पावर कनेक्शन काटने हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को लिखा गया है।

गांधी विहार योजना, सांगानेर (जयपुर) में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

823. श्री मानसिंह चौहान (पिड़ावा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा ''गांधी विहार'' योजना सांगानेर एयर पोर्ट के सामने शुरू की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना कब शुरू की गई? उक्त योजना के आबंटियों के प्लाट नं. एवं ब्लू मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटन के समय उक्त योजना में सड़क, पानी नाली एवं सीवरेज बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तावित थे? यदि हां, तो क्या उक्त सभी विकास कार्य कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गांधी विहार योजना कालोनी के पास मारुति नगर का गन्दा पानी उक्त कालोनी में आकर भर जाता है? यदि हां, तो गन्दे पानी के निकासी के लिए अभी तक आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या सरकार उक्त की जिम्मेदारी निर्धारित कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है?

(4) उक्त योजना में आबंटियों द्वारा कितनी राशि एकत्रित की गई तथा अब तक उक्त के विकास पर कितना व्यय किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना दिनांक 16.10.1993 को शुरू की गई। योजना के ब्लू प्रिंट मानचित्र की प्रति संलग्न है, जिसमें वांछित विवरण अंकित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। योजना में सड़क, पानी, नाली सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तावित थे, जिनमें से सड़क, नाली निर्माण कार्य करवा दिए गए हैं।

(3) जी हां। उक्त गांधी विहार कालोनी में गंदा पानी भर गया था, जिसका निकास कर दिया गया है तथा यू (U) शेप नाला बनाया जाकर बड़े नाले से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में कालोनी में पानी भरा हुआ नहीं है।

(4) इस योजना में आबंटियों से राशि 58,31,703 एकत्रित की गई तथा विकास पर 27.37 लाख व्यय की गई।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पटेल नगर, जयपुर की उद्यान भूमि पर अतिक्रमण

824. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महेश नगर, जयपुर के पास स्थित पटेल नगर के उद्यान पर (फेसिलिटी एरिया) पटेल नगर एवं सूर्य नगर क्षेत्र के निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा?

(2) उक्त योजना में उद्यान का क्षेत्रफल कितना है तथा कितना-कितना किस-किस द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? मानचित्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आसपास के निवासियों के घर का गन्दा पानी उक्त उद्यान में आकर भर जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। फैसिलिटी एरिया में सूर्य नगर के प्लाट धारकों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जा रही है।

(2) इस उद्यान (फैसिलिटी एरिया) का क्षेत्रफल 3665 वर्गगज है। जिस पर सूर्य नगर के प्लाट नम्बर 665 व 666 के धारक (जविप्रा रिकार्ड के अनुसार) श्रीमती शांति देवी पत्नी रामप्रकाश ने उद्यान की 50 वर्गगज भूमि पर प्लाट नं. 667 के प्लाटधारक (जविप्रा रिकार्ड के अनुसार) श्रीमती शांति देवी पत्नी रामप्रकाश द्वारा उद्यान की 14 वर्गगज व रास्ते की 24 वर्गगज भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। उद्यान का विकास कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पेयजल योजनाओं हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग

825. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 के मध्य पेयजल योजना के तहत किन-किन देशों से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु कब-कब स्वीकृत हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग कब तक कर लेना था? समय पर राशि का उपयोग नहीं होने से विदेशी सहयता की जो हानि हुई उसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) परियोजना प्रबन्ध प्रकोष्ठ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चूरू हेतु के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी से राशि प्राप्त होती है। फरवरी, 2002 तक प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राशि प्राप्ति दिनांक	राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	18.10.1994	498.13
2.	11.5.1995	1191.50
3.	14.12.1995	1536.40
4.	30.12.1996	665.94
5.	30.5.1997	1452.27
6.	19.12.1997	1066.89
7.	23.3.1998	1588.00
8.	16.10.1998	1607.00
9.	25.11.1998	995.41
10.	28.12.1998	995.57
11.	31.3.1999	998.17
12.	31.5.1999	876.70
13.	27.12.1999	812.46
14.	29.3.2000	799.90
15.	13.6.2000	1197.09
16.	24.3.2000	1193.43
17.	30.10.2000	497.07
18.	2.11.2000	599.27
19.	22.12.2000	1148.17
20.	18.6.2001	1004.41
	योग	**20723.83**

(2) उक्त राशि का उपयोग 31.3.2003 तक करना है राशि समय समय पर प्राप्त हो रही है एवं उपभोग में ली जा रही है। समय पर राशि का उपभोग होने के कारण विदेशी सहायता में कोई हानि नहीं हुई है।

पुरानी परासोली, आसीन्द (भीलवाड़ा) की अयोग्य घोषित टंकी

826. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला भीलवाड़ा के तहसील क्षेत्र आसीन्द में पुरानी परासोली में पानी की टंकी किस वर्ष में बनी थी और उक्त को कब अयोग्य घोषित किया गया? उक्त अयोग्य घोषित टंकी अब कब तक गिराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला भीलवाड़ा के तहसील आसीन्द में पुरानी परासोली में पानी की टंकी वर्ष 1979-80 में बनी थी। उसको अयोग्य घोषित करने हेतु क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय का मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के निरीक्षण दल द्वारा 21.3.1999 को निरीक्षण किया गया तदानुसार उन्होंने दिनांक 30.8.1999 को अयोग्य घोषित की जाने की सिफारिश की। विभाग द्वारा अयोग्य घोषित करने एवं टंकी गिराने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के जल रहित भूमिगत जलाशय

827. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय में ऐसे गांव हैं जहां भूमिगत जलाशय/पानी की टंकी या पाइप लाइन डाल रखी है परन्तु वहां पानी नहीं पहुंचता है? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) क्या सरकार उक्त के लिए उचित व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 5 ऐसे गांव हैं जहां जलाशय हैं, जो जोड़े हुए हैं, लेकिन जहां विभिन्न कारणों से पानी नहीं पहुंच रहा है। इनका विवरण निम्नप्रकार है :-

(अ) **राताकोट (18)** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 2081 है। जल स्रोत सूख जाने के कारण 2 भूतल जलाशय में पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में वर्तमान में 13 हैण्ड पम्प चल रहे हैं।

(ब) **शोकलिया (9)** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 1869 है। जल स्रोत में उत्पादन नगण्य हो जाने के कारण 2 भूतल जलाशयों में पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में वर्तमान में 14 हैण्ड पम्प चल रहे हैं।

(स) **बांदनवाड़ा (6)** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 5440 है। जल स्रोत में उत्पादन कम हो जाने के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कारण गांव में बने हुए कुल 4 भूतल जलाशयों में से 2 में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी प्रकार गांव में बने कुल 2 उच्च जलाशयों में से एक में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसे पानी की कमी के कारण जोड़ा भी नहीं गया है। वर्तमान उत्पादन 70000 लीटर प्रतिदिन है तथा 39 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(द) **गोपालपुरा (23)** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 542 है। जल स्रोत सूख जाने के कारण बने हुए 1 भूतल जलाशय में पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में 8 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(क) **टांटोती (3)** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 2441 है। जल स्रोत में कमी आने के कारण वर्तमान उत्पादन 40000 लीटर प्रतिदिन है। इसके मजरे सूरजपुरा में 1 भूतल जलाशय में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्राम टांटोती में कुल 26 हैण्ड पम्प चालू हैं। मजरा सूरजपुरा की आबादी लगभग 200 है जिसमें एक हैण्ड पम्प चालू है।

(2) लगातार तीन सालों से विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कम वर्षा होने के कारण जल स्रोत लगभग सूख गये हैं। जल स्रोतों में समुचित मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होने के कारण भूतलीय जलाशयों में या तो पानी की आंशिक मात्रा ही पहुंच पाती है या कुछ जलाशयों में बिलकुल पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जहां भूतलीय जलाशयों में पानी नहीं पहुंचता है वहां ग्रामवासी या तो हैण्ड पम्प से या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से पानी प्राप्त करते हैं। भिनाय विधान सभा क्षेत्र में आने वाले समय में अगर बरसात अच्छी होती है एवं जल स्रोतों से समुचित मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है तो इनका भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

बांदनवाड़ा में प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में वर्णित एक उच्च जलाशय को पाइप लाइन डालकर स्रोत से जोड़ा जाना शेष है लेकिन चिन्हित जल स्रोत में बिलकुल पानी नहीं होने के कारण अभी पाइप लाइन नहीं डाली गई है।

प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार सभी गांवों में वर्तमान आवश्यकता हेतु पर्याप्त हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाएं

828. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पेयजल की विकट समस्या है और जलस्तर काफी नीचे चला

(डा. रतन लाल जाट)

गया है? सरकार ने उक्त क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं?

(2) विधायक एवं सांसद कोटे से गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए हैं? उक्त कार्य कब स्वीकृत हुए व कितने-कितने समय बाद इनको पूर्ण किया गया है और विलम्ब के क्या कारण रहे हैं? कार्य सम्पादन में देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं एवं जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प हैं। उक्त में से कितने हैण्ड पम्प चल रहे हैं, कितने खराब हैं व खराब हैण्ड पम्पों की कब-कब सूचना मिली व उनको कितने समय बाद ठीक किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन कौनसी किस प्रकार की पेयजल योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं? उक्त योजनाओं के पुनरुद्धार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कौन कौनसी नई पेयजल योजनाएं सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? उक्त को कब तक स्वीकृत कर शेष गांवों में पेयजल की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत 1991 की जनगणनानुसार 1 कस्बा गंगापुर एवं 180 आबाद ग्राम आते हैं। गंगापुर कस्बे की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 15224 है। इस कस्बे का वर्तमान जल सेवा स्तर 32 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त कस्बे में 68 चालू हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के सभी 180 ग्राम विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित हैं :-

पाइप्ड योजना	12 ग्राम
पम्प एवं टैंक योजना	7 ग्राम
क्षेत्रीय योजना	21 ग्राम
टी.एस.एस. योजना	15 ग्राम
हैण्ड पम्प योजना	125 ग्राम
योग	**180 ग्राम**

पिछले कुछ वर्षों से कम वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में भूगर्भीय जल स्तर नीचे चला गया है तथा वर्तमान में यह जल स्तर 25 से 40 मीटर के बीच है। भूगर्भीय जल के स्तर में कमी आने से जल स्रोतों की जल आवक क्षमता प्रभावित हुई है। जिसके समाधान के लिए विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में निम्न कार्य किए है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(अ) खुले कुए चालू किएं 3

(ब) खुले कुओं में होरिजेंटल बोरिंग 3

(स) नया नलकूप बनाकर चालू किया 1

(द) नई पाइप लाइन बिछाई 3 गांवों में

(य) नवीन हैण्ड पम्प बनाकर चालू किए 40

उक्त नवीन हैण्ड पम्पों में से सभी 40 एक्स्ट्रा डीम हैण्ड पम्प बनाए गए हैं, जो कि साधारण हैण्ड पम्प के मुकाबले अधिक गहराई से पानी उठाने में सक्षम हो। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष हेतु योजनाओं का प्राथमिक सर्वेक्षण कर सम्भावित समस्या का आकलन कर 46 नये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति 28 ग्रामों के लिए जारी की गई है। स्वीकृत 46 हैण्ड पम्पों में से 11 हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं तथा उनमें से 4 हैण्ड पम्प स्थापित कर चालू कर दिए गए हैं। शेष 35 हैण्ड पम्पों का कार्य प्रगति पर है। उक्त 46 हैण्ड पम्पों में से 44 एक्स्ट्रा डीप हैण्ड पम्प हैं। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सभी 180 गांवों में जल वितरण का विवरण व 46 हैण्ड पम्पों की प्रगति संलग्न परिशिष्ट–'अ' में दर्शायी गई है।

(2) विधायक एवं सांसद कोटे से गत तीन वर्षों में क्रमशः 9 एव 61 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से सभी कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। उक्त कार्यों का विवरण एवं पूर्ण करने का समय परिशिष्ट–'ब' में दर्शाया गया है। इससे सभी कार्य समय पर पूर्ण कर दिये गये हैं। ग्राम खानिणा का नलकूप असफल रहा है। अतः देरी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के शहरी क्षेत्र गंगापुर में 80 हैण्ड पम्प स्थापित हैं जिनमें से 68 हैण्ड पम्प चालू एवं क्रमशः 5, 7 हैण्ड पम्प सूखे एवं परित्यक्त हैं। शहरी क्षेत्र में हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही मरम्मत करवा दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1250 हैण्ड पम्प स्थापित हैं इनमें से 54 हैण्ड पम्प परित्यक्त एवं 121 हैण्ड पम्प सूखे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान 38 हैण्ड पम्प ठीक किये गये। माह फरवरी, 2002 के अग्रिम सप्ताह में हैण्ड पम्प मिस्त्रियों ने 95 खराब (मरम्मत योग्य) हैण्ड पम्पों की सूची दी। दिनांक 1.3.2002 से प्रारम्भ किए गए, 28वें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान सभी 95 हैण्ड पम्पों को ठीक कर चालू कर दिया गया है। वांछित विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सभी गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है। जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है। उपरोक्त में से 31

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जल योजनाएं (जिसमें 38 ग्राम लाभान्वित हैं) ग्राम पंचायतों/समितियों द्वारा जनता जल योजनाओं के तहत संचालित एवं संधारित की जा रही हैं। शेष योजनाएं विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के संवर्द्धन हेतु किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में निहित है। वर्तमान में स्वीकृति हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर योजना से अजमेर को जलापूर्ति

829. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में बीसलपुर परियोजना द्वारा पेयजल आपूर्ति की योजना के द्वितीय चरण की तैयारी के सम्बन्ध में योजना का प्रारूप तैयार किया गया है?

(2) उक्त योजना में कितनी राशि व्यय की जावेगी?

(3) सरकार वर्ष 2002-2003 में बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण में कितनी राशि व्यय करने जा रही है? अब सरकार कब तक उक्त योजना को पूरा करने का विचार रखती हैं?

(4) मसूदा में बीसलपुर परियोजना के पाइप कब तक डाल दिये जाएंगे?

(5) उक्त कार्य में किन अधिकारियों द्वारा विलम्ब किया गया है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर शहर हेतु बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण की योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

(2) उक्त योजना की अनुमानित लागत रुपये 52387.00 लाख है।

(3) उक्त योजना का प्रारूप स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है। जिसकी स्वीकृति एवं क्रियान्विति बजट उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगी।

(4) फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय-मसूदा सैक्टर के अन्तर्गत डिजाइन अनुसार सरवाड़ से भिनाय तक 900 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी.सी. पाइप लाइन के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। सरवाड़ से भिनाय के मध्य इस 900 मि.मी. व्यास की स्थाई पाइप लाइन के कार्य पूर्ण होने पर पूर्व में बिछाई हुई पाइप लाइन को उखाड़ कर उसे भिनाय से बांदनवाड़ा एवं बांदनवाड़ा से मसूदा तक बिछाया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2004 तक पूर्ण कर लिए जाने की सम्भावना है।

(5) उक्त कार्य में किसी भी अधिकारी के स्तर पर विलम्ब नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र खारची की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

830. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी के कौन-कौनसे ग्रामों में फ्लोराइड युक्त एवं खारा पानी है? उक्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कितनी परियोजनाएं कितनी राशि की स्वीकृत की एवं कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हेतु विचाराधीन हैं? परियोजनावार स्वीकृत एवं विचाराधीन योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विचाराधीन परियोजना अब कब तक स्वीकृत होगी? वर्तमान में जो परियोजना स्वीकृत है वह कब तक पूर्ण करा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं देसूरी के क्रमशः 27 गांव, 6 गांव एवं 9 गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. से अधिक है जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। उक्त गांवों में से 2 गांव क्रमशः ठाकरावास कोड संख्या 62 एवं निम्बली माण्डा कोड संख्या 61 पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजना सिरियारी-वोपारी-चिरपटिया जिला पाली की मार्च, 2002 में राशि रुपये 91.10 लाख हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के शेष 25 गावों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु फुलाद बांध से जल लेना प्राथमिक रूप से प्रस्तावित है। बांध में पेयजल हेतु पानी की मात्रा का आरक्षण करवाने हेतु प्रयाय किये जा रहे हैं। पानी का आरक्षण होने के बाद योजना का प्रारूप तैयार कर स्वीकृति हेतु आगामी कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में संदर्भित स्वीकृत योजना को संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार सितम्बर, 2003 तक पूर्ण करवाना लक्षित है। फुलाब बांध में पानी का आरक्षण होने के बाद योजना बनाकर प्राथमिकता तथा धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत करना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

कनिष्ठ अभियंता की सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति

831. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में विभाग में कितने कनिष्ठ अभियंता सिविल/डिग्री/डिप्लोमा के पद पर स्वीकृत हैं? उक्त के विरुद्ध कितने कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या डिग्री/डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियंता दोनों एक ही प्रकार का कार्य सम्पादित करते हैं? यदि हां, तो उनके वेतनमान व वरिष्ठता भिन्न क्यों हैं?

(3) क्या सरकार प्रतिवर्ष कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति हेतु अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर रही है? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष जारी सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या वर्तमान में ऐसे कनिष्ठ अभियंता भी कार्यरत हैं जो सहायक अभियंता की वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार इन्हें सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/डिग्री/डिप्लोमा) के कुल 1101 स्वीकृत पद हैं जिसके सन्दर्भ में कुल 1109 कार्यरत हैं। कार्यरत 1109 कनिष्ठ अभियंता में से 42 अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 36 सहायक अभियंता के पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उपरोक्तानुसार नियुक्ति हेतु कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) सेवा नियमों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद पर डिग्री/डिप्लोमाधारी व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। पद के संदर्भ में ड्यूटी एक समान है। डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी दोनों की ही नियुक्ति एक ही वेतनमान में होती है। लेकिन डिग्रीधारी को उच्च शिक्षा होने के कारण नियमों में उच्च प्रारम्भिक वेतन देने का प्रावधान है। वरिष्ठता अलग-अलग सेवा नियमों में प्रावधान के अनुरूप रखी जाती है।

(3) कनिष्ठ अभियंता पद की वरिष्ठता सूची आवश्यकता अनुसार समय समय पर जारी की जाती है। विभाग में आखरी बार वरिष्ठता सूची 31.3.1998 तक नियमित नियुक्ति कनिष्ठ अभियंताओं के संदर्भ दिसम्बर, 1998 में जारी की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गई। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स', 'द' पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में 36 कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता के पद के विरुद्ध कार्यकारी व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। इन्हें कनिष्ठ अभियंता की वेतन श्रृंखला में वेतन मिल रहा है। इन्हें नियमानुसार वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर पदोन्नत करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। वर्तमान में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक किये जाने पर रोक होने के कारण वर्तमान में यह कार्यवाही कर पाना सम्भव नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली/अटरू/छबड़ा के मरम्मत योग्य हैण्ड पम्प

832. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली/अटरू/छबड़ा में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं तथा कितने हैण्ड पम्प नाकारा हो चुके हैं?

(2) उक्त खराब हैण्ड पम्प कब तक ठीक करवा दिये जावेंगे और कब तक नाकारा हैण्ड पम्प के स्थान पर नये लगा दिये जावेंगे?

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के कितने गांवों में पानी की टंकी बनवाए जाने की योजना है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत विजयगढ़ के ग्राम नेहड़ी पंचायत समिति हिण्डौली के नाकारा हैण्ड पम्प के स्थान पर नया हैण्ड पम्प कब तक लगा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली, अटरू एवं छबड़ा में कुल स्थापित हैण्ड पम्प 28वें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान (1.3.2002 से प्रारम्भ) के दौरान खराब पाये गये, सुधारे गये तथा नकारा हैण्ड पम्पों का विवरण निम्नानुसार है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कुल स्थापित हैण्ड पम्प	हैण्डपम्प मरम्मत अभियान की प्रगति			नकारा हैण्ड पम्प (सूखे शामिल)	विशेष विवरण
			खराब पाये गये (मरम्मत योग्य)	ठीक किये गये (30.4.2002 तक)	शेष बचे (मरम्मत योग्य)		
1.	हिण्डौली	1429	408	220	188	81	अवरुद्ध हैण्ड पम्पों के विरुद्ध 16 हैण्ड पम्प नये लगा दिये हैं।
2.	अटरू	1727	537	153	381	229	अवरुद्ध हैण्ड पम्पों के विरुद्ध 12 हैण्ड पम्प नये लगा दिये हैं।
3.	छबड़ा	1248	284	130	154	102	अवरुद्ध हैण्ड पम्पों के विरुद्ध 8 हैण्ड पम्प नये लगा दिये हैं।
	योग	4404	1229	503	723	412	

वर्तमान में अभियान के अन्तर्गत शेष हैण्ड पम्पों का सुधार कार्य प्रगति में है।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर में वर्णित शेष बचे (मरम्मत योग्य) हैण्ड पम्पों को 15 मई, 2002 तक ठीक करना प्रस्तावित है। बकाया नकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति, गांव की आबादी, वर्तमान चालू हैण्ड पम्पों की संख्या, भूजल की उपलब्धता प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार सतत् प्रक्रिया के रूप में किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 36 नकारा हैण्ड पम्पों के विरुद्ध नये हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति जारी कर, हैण्ड पम्प निर्माण चालू किये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के किसी भी गांव में वर्तमान में पानी का उच्च जलाशय बनाने की स्वीकृति नहीं हैं।

(4) ग्राम नेहड़ी की 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 411 है तथा यहां 4 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। कथित नकारा हैण्ड पम्प से लगभग 250 मीटर दूरी पर अन्य हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान मानदण्डों के अनुसार नया हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम तूरा (जालौर) की प्रस्तावित जनता जल योजना

833. **श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर की पंचायत समिति सायला के ग्राम तूरा में जनता जल योजना स्वीकृत की गई थी?

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना वर्ष 2000-2001 में विधायक कोटे से स्वीकृत की गई थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना हेतु विधायक कोटे से राशि भी जिला कलक्टर, जालौर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवा दी थी?

(4) क्या दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी उक्त योजना की क्रियान्विति नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्यों?

(5) अब उक्त योजना कब तक पूर्ण कर दी जाएगी और अभी तक नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) ग्राम तूरा पंचायत समिति सायला की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 1950 है। जिसमें से 777 मुख्य गांव एवं शेष 1173 आबादी 5 ढाणियों में रहती है। मुख्य गांव एवं 1 ढाणी असलाई नाडी पम्प एवं टैंक जलयोजना से लाभान्वित हैं, जिसका संधारण ग्राम पंचायत जनता जल योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति जिला कलक्टर, जालौर के पत्रांक 2200 दिनांक 10.4.2001 द्वारा जारी की गई है। इस योजना का मुख्य जल स्रोत खुला कुआं है जिससे पानी पम्प करके गांव में स्थित 2 भूतल जलाशय क्षमता क्रमशः 60 कि.ली. एवं 20 कि.ली. में एकत्रित करके उसमें चारों ओर स्थापित सार्वजनिक नलों द्वारा जल वितरित किया जाता है। पेयजल का वर्तमान सर्विस लेवल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 5 ढाणियों में हैण्ड पम्प कार्यरत, जिनका पानी पीने योग्य है। मुख्य गांव क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना घनानी लोदराउ से भी जुड़ा है एवं आवश्यकतानुसार इस योजना से भी जल उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) जी नहीं। माननीय विधायक द्वारा उक्त गांवों में विधायक कोटे के अन्तर्गत आर.सी.सी. उच्च जलाशय बनाने की अनुशंसा की गई। जिसके आधार पर प्रोविजनल प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त जिला कलक्टर विकास के पत्रांक 16358 दिनांक 31.8.2001 के द्वारा राशि रुपये 2.165 लाख की जारी की गई।

(3) उक्त जारी की गई प्रोविजनल स्वीकृति के विरुद्ध किसी प्रकार कोई राशि जिला कलक्टर की ओर से विभाग में जमा नहीं कराई गई है।

(4) विभागीय नीति अनुसार ऐसे गांव जिनकी आबादी 1991 के अनुसार 4000 से अधिक होने पर उच्च जलाशय बनाने एवं घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) द्वारा जारी की गई प्रोविजनल प्रशासनिक स्वीकृति को मध्य नजर रखते हुए इस गांव में उच्च जलाशय बनाने के नीतिगत निर्णय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने हेतु बनाए जा रहे हैं।

(5) प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करने के बाद प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में विधायक कोटे से स्वीकृत हैण्ड पम्प

834. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में विधायक कोटे से वर्ष 1999-2000 में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाये जाने हेतु स्वीकृत हुए?

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछ हैण्ड पम्प अभी तक नहीं लग सके हैं? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां?

(3) अब तक उक्त हैण्ड पम्प न लग पाने के क्या कारण हैं और अब कब तक लगा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में विधायक कोटे से वर्ष 1999-2000 में 9 ग्रामों हेतु 9 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए। ग्रामवार लगाए/चालू किए गए 9 हैण्ड पम्पों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त स्वीकृत सभी 9 हैण्ड पम्प लगाये जाकर चालू कर दिये गये हैं।

(3) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार स्वीकृत सभी 9 हैण्ड पम्प वर्तमान में सभी चालू है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जोधपुर एवं उदयपुर सम्भाग में आबंटित खानें

835. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक राज्य में कुल कितनी खानों का सरकार द्वारा आबंटन किया गया है?

(2) जोधपुर एवं उदयपुर सम्भाग के तहत गत दो वर्षों में कितनी खानों का आबंटन किया गया?

(3) उक्त खानों का आबंटन करने का क्या आधार रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा भविष्य में और खानों को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व किन-किन स्थानों पर?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक 114 प्रधान खनिज, 941 अप्रधान खनिज एवं 1019 क्वारी लाइसेंस कुल 2076 खानों का आबंटन किया गया है।

(2) जोधपुर एवं उदयपुर सम्भाग में गत दो वर्षों में आबंटित खानों का विवरण निम्नानुसार है :–

(राज्य मंत्री, खनिज)

सम्भाग	प्रधान खनिज	अप्रधान खनिज		योग
		खनन पट्टे	क्वारी लाइसेंस	
जोधपुर	14	229	712	955
उदयपुर	33	100	172	205

जोधपुर सम्भाग की सूची परिशिष्ट ए, ए-1, ए-2 व उदयपुर सम्भाग की सूची परिशिष्ट बी, बी-1, बी-2 पर संलग्न है।

(3) प्रधान खनिज के खनन पट्टे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 एवं अप्रधान/क्वारी लाइसेंस राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत आवेदित करने पर क्षेत्र की रिक्तता, वन रहित क्षेत्र होने के आधार पर खानों के आबंटन किया जाता है।

(4) जी हां। आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर खान एवं खनिज विकास एवं विनियम, 1957/खनिज रियायत नियम, 1960/राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत खानों का आबंटन किया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला झुंझुनूं में बजरी पत्थर की रायल्टी के ठेके

836. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी, नवलगढ़ तथा खेतड़ी तहसील क्षेत्रों में वर्ष 2002-2003 के लिए बजरी पत्थर आदि की रायल्टी के ठेके किस-किस स्थान के लिए किस-किस को दिये गये हैं?

(2) उक्त क्षेत्रों में उक्त अवधि के लिए अतिरिक्त रायल्टी के ठेके किस-किस को दिये गये हैं और रायल्टी वसूली की दर क्या निर्धारित की गई है?

(3) उक्त में कौन-कौन से स्थान रायल्टी वसूली के लिए निर्धारित किये गये हैं?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में खनिज बजरी की अधिशुल्क रायल्टी का ठेका जहाज, पंचलगी, मणकसा, कांकरिया, चंवरा, गुढ़ा, पापड़ी, कुकुम सिंह की ढाणी, बागोली, जोधा का वास आदि के लिए मैसर्स अरावली एसोसिएटेड को दे रखा है।

तहसील खेतड़ी में खनिज बजरी की अधिशुल्क रायल्टी का ठेका सिंघाना, मानोता, चिरानी, भूदन, मुरादपुर, चुरीना,

(राज्य मंत्री, खनिज)

ढाणी, भालोट, शिवपुरा, काकड़ा, कुशलपुरा आदि मैसर्स अरावली एसोसिएटेड को दे रखा है। खेतड़ी तहसील में ही दूसरा ठेका क्षेत्र ठोसी ठाठवाड़ी, गौरीर, दूदवा, नालिया, किशनपुरा मुकुन्दपुरा, दलौता आदि में अरावली एसोसिएटेड को दे रखा है तथा तीसरा ठेका क्षेत्र बसई मोडी इलासर, बेसरदा, सिओर, बिहारीपुर, मेहाड़ा आदि में श्री रिछपाल सिंह को दे रखा है।

उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम झडाया, बुरकड़ा में पत्थर (मेसनरी स्टोन) का अधिशुल्क संग्रह वसूली का ठेका श्री रामावतार यादव को दे रखा है एवं पत्थर की अधिक अधिशुल्क संग्रह वसूली का ठेका राजस्व तहसील क्षेत्र उदयपुरवाटी के लिए श्री श्रीराम सैनी को वर्ष 2002-03 तक के लिए दे रखा है तथा नवलगढ़ व खेतड़ी तहसील क्षेत्र में पत्थर का कोई ठेका नहीं दे रखा है।

(2) उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में पत्थर (मेसनरी स्टोन) की एक्सेस रायल्टी (Excess Royalty) का ठेका श्री श्रीराम सैनी पुत्र श्री मोतीलाल सैनी को दिया गया है। रायलटी वसूली की दर रुपया 5/- प्रति टन निर्धारित है तथा तहसील नवलगढ़ व खेतड़ी में एक्सेस रायल्टी का ठेका नहीं है।

(3) उदयपुरवाटी क्षेत्र में खनिज बजरी के लिए भैरूचाट, उदयपुरवाटी, जहाज पंचलंगी, मणकसास, कांकरिया, पापड़ा बागोली, नवरंगपुरा आदि में रायल्टी वसूली के लिए स्थान निर्धारित है।

खेतड़ी तहसील क्षेत्र में खनिज बजरी के लिए मानौता, नानूवाली बावड़ी, निजामपुर मोड़, ठोसी, ठाठवारी, दूदवा, मेहाड़ा, बेसई आदि में रायल्टी वसूली के लिए स्थान निर्धारित है। उदयपुरवाटी क्षेत्र में खनिज पत्थर (मेसनरी स्टोन) के एक्सेस रायल्टी के लिए उदयपुरवाटी, आकावली पहाड़ी, गुढ़ा, टोडी पहाड़ी, नेवरी पहाड़ी तथा अधिशुल्क संग्रह वसूली के लिए झड़ाया-बुरकड़ा आदि स्थान निर्धारित है।

जोधपुर तहसील में तुलारहित रायल्टी नाकों पर अनियमित वसूली

837. श्री भंवरलाल बलाई (सूरसागर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील के सुप्रसिद्ध पत्थर की रायल्टी व तुलाई फीस की वसूली ठेके पर दी गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र की कब कब से किस-किस ठेकेदार को किस-किस दर से? क्या रायल्टी ठेकेदार के विरुद्ध अवैध रायल्टी वसूली, अवैध नाके व अवैध फ्लाईंग आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? शर्तें, आदेश की प्रति, स्वीकृत रायल्टी नाकों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(श्री भंवरलाल बलाई)

(2) क्या यह भी सही है कि रायल्टी ठेके में शामिल क्षेत्रों के अलावा क्षेत्र की रायल्टी व तुलाई फीस लेने हेतु ठेकेदार अधिकृत नहीं है? यदि हां, तो उक्त के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई? उक्त क्षेत्रों में लाइसेंस आबंटन के कितने अरसे बाद, कब की, और किस अधिकारी की गलती से कब तक ऐसी रायल्टी व तुलाई फीस किसने, कितनी ली तथा अब उक्त सरकारी हानि वसूली के साथ दोषी के खिलाफ सरकार कब तक कार्यवाही करेगी? उक्त सम्बन्ध में अब तक प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रायल्टी ठेके की शर्तों के अनुसार ठेके की राशि की मासिक किस्त जमा कराने हेतु कोई तारीख तय कर रखी है? यदि हां, तो कौन से नियम अथवा शर्त के तहत कौनसी मासिक तारीख तय की तथा उक्त तारीख के बाद जमा किस्त पर कितना ब्याज किस दर से वसूल कर ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, की तो कब तक की जाएगी?

(4) क्या यह भी सही है कि तुला रहित रायल्टी नाकों पर अधिकतम 16 टन रायल्टी वसूली के ही प्रावधान हैं? यदि हां, तो फिर अधिकतम 18 टन रायल्टी वसूली के आदेश सक्षम स्वीकृति के बिना किस अधिकारी ने किये? क्या इससे खनिज निदेशक के परिपत्र, ठेके की शर्त, इकरारनामा की अवहेलना हुई? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने जा रही है? अब तक दो टन अधिक रायल्टी से कितनी राशि रायल्टी ठेकेदार ने वसूल की? क्या उक्त प्रकार अधिक वसूली के अनुपात में ठेके की राशि एवं प्रतिभूति में बढ़ोतरी कर ठेकेदार से वसूल की है अथवा नहीं? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो अब कब तक वसूली की जायेगी?

(5) क्या यह सही है कि 18 टन रायल्टी वसूली के ठेकेदार ने माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश लिए? यदि हां, तो ऐसे आदेश को वेकेट कराने हेतु किस-किस स्तर से कब-कब क्या क्या निर्देश दिए? उक्त की पालना में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की है? उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों, उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सर्वश्री सी.पी. ट्रेडिंग कम्पनी के, ए.ओ.पी. प्रो. श्री चन्द्रप्रकाश शाह निवासी यशोवधंम, चौपासनी ग्राम जोधपुर को 14.7.2000 से 13.7.2002 तक जोधपुर तहसील में स्वीकृत क्वारी लाइसेंस क्षेत्र (फीदूसर, घोडाघाटी, सोड़ों

(राज्य मंत्री, खनिज)

की ढाणी, कालीवेरी, पालड़ी, पालड़ी-ए, ब्राह्मणों का टांका, ब्राह्मणों का टांका ब्लाक नं. 2, चने का वाड़िया, बालसमन्द, पुराना किला, मनजी की घाटी, पावू मगरा, गदियानाड़ा, मोरभाखरी, गोलासनी, दंताला, भदरेसिया, कदमकुझी, उखलिया-ए, उखलिया-बी, मण्डोरघाटी, केरू, बडली-ए, बडली-बी, वरवाडिया नाडा, नाथों की बेरी, अरना, ढूंढाली, हनुमानसागर, कोथी व भूरीवेरी) को संलग्न स्वीकृत आदेश की शर्तों व दर पर दिया गया है। शर्त, आदेश की प्रति व स्वीकृति रायल्टी नाकों की सूची संलग्न है।

पत्थर संघ, ट्रक मालिक यूनियन, जोधपुर द्वारा 4.2.2002 को ठेकेदार के विरुद्ध अवैध रायल्टी, अवैध नाकें, अवैध फ्लाइंग की शिकायतें की गई थी। उक्त शिकायत पर दिनांक 5.2.2002 को खनि अभियन्ता, जोधपुर ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था, जिसमें ऐसे कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ कि ठेकेदार द्वारा किसी से कोई अवैध रायल्टी ली गई हो, न ही वहां पर कोई अवैध नाके फ्लाइंग का प्रमाण प्राप्त हुआ।

(2) जी हां। यह सही है कि रायल्टी ठेकों में शामिल ठेकों के अलावा क्षेत्र की रायल्टी व तुलाई फीस ठेकेदार नहीं ले सकता है। ऐसी स्थिति होने पर विभाग द्वारा ठेके के अलावा क्षेत्रों में रायल्टी वसूली की व्यवस्था की जाती है। ऐसे खनन क्षेत्रों में जब खनिज का निर्गमन शुरू होता है तब निर्गमन पर वसूली की जाती है। क्वारी लाइसेंस आबंटन होने के पश्चात् जब क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में खनिज का निर्गमन होता है तब ही रायल्टी देय होती है एवं वसूल की जाती है। जिन क्षेत्रों में क्वारी लाइसेंस आबंटन किये गये हैं तथा वहां डेढ़ वर्ष तक कोई खानों से निर्गमन नहीं होने से रायल्टी वसूली की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जैसे ही इन क्षेत्रों से निर्गमन आरम्भ हुआ दिनांक 8.3.2002 से तीन नाकेदारों को रायल्टी वसूली हेतु नियुक्त किया गया है। इस प्रकार विभाग को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है।

(3) जी हां। यह सही है कि राजस्थान अप्रधान रियायत नियमावली, 1986 के नियम 32 से 37 के अन्तर्गत ठेके की संविदा निष्पादन की तिथि से ठेका प्रभाव में आता है एवं ठेके की मासिक किस्त ठेका निष्पादन से पूर्व अग्रिम वसूल कर ली जाती है एवं एक माह पश्चात् उसी तिथि को मासिक किस्त बकाया होती है। जिसे जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहल्लत दी जाती है। देय तिथि के 10 दिन पश्चात् जितने दिन विलम्ब से किस्त जमा होती है उस पर 20 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाकर मांग कायम कर वसूल की जाती है। ठेकेदार से ठेका निष्पादन तिथि से 31.3.2002 तक ब्याज के रूप में रुपये 89,124/– वसूल किये गये हैं।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें तुला रहित रायल्टी नाकों पर

(राज्य मंत्री, खनिज)

अधिकतम 16 टन वसूल की जावे। खनिज वाहनों के द्वारा ढाये गये खनिज के शुद्ध वजन के अनुरूप रायल्टी वसूल करने के प्रावधान हैं। खनिज वाहनों द्वारा समय-समय पर ढाये गये खनिज की औसत भार क्षमता की गणना की जाकर तुला रहित खनिज नाकों पर देय रायल्टी राशि तय की जाती है एवं साथ ही खनिज निर्गमन दाताओं को यह भी सुविधा दी जाती है कि यदि वह तयशुदा औसत रायल्टी राशि देना न चाहे तो निकटतम तुलायंत्र पर वाहन ले जावे एवं तुलायंत्र द्वारा चिन्हित वास्तविक वजन के अनुसार रायल्टी राशि का भुगतान करें। जहां समीप में तुलायंत्र न हो तब विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में खनिज के आयतन अनुसार देय राशि के भुगतान का प्रावधान है।

माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा दिनांक 27.11.2000 को एक जनहित याचिका पर दिये गये निर्णय अनुसार जिला प्रशासन को पाबन्द किया गया कि जोधपुर शहरी सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, इसमें अधिकांश वाहन तुलायंत्र वाले नाकों पर न जाकर शहर के बाहरी सड़कों से जाने लगे जिन पर विभाग के नाके तो थे परन्तु तुलायंत्र नहीं थे। ठेकेदार द्वारा दिनांक 6.12.2000 को एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तुलायंत्र रहित नाकों से गुजरने वाले वाहनों से 16 टन खनिज की रायल्टी ली जाती है जबकि वाहनों में खनिज लगभग 20 से 24 टन होता है। इस पर कार्यालय के खनि कार्यदेशकों द्वारा दिनांक 13.12.2000 को 18 वाहनों को तुलवाया गया जिसमें से 13 वाहनों में खनिज का वजन 18 टन से अधिक पाया गया। अत: इसी को आधार मानते हुए तुलायंत्र रहित नाकों पर 18 टन रायल्टी वसूली के आदेश दिनांक 16.12.2000 को प्रसारित किये गये।

माननीय उच्च न्यायालय में संशोधन आदेश के जरिये भारी वाहनों को रात्रि 10 बजे से प्रात: 7 बजे तक तथा कुछ रास्तों पर जाने की छूट दी गई जिसमें तुलायंत्र रहित नाकों पर पूर्व की तरह वाहनों का आवागमन कम हो गया तथा स्थिति पूर्ववत हो जाने से दिनांक 16.12.2000 को जारी आदेश को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 6.1.2001 के जरिए निरस्त करते हुए जहां पर विभागीय तुलायंत्र स्थित नहीं है वहां पर खनिज युक्त वाहनों के 16 टन रायल्टी वसूल करने के आदेश जारी किये गये। उक्त कार्यवाही से विभागीय परिपत्र, ठेके की शर्तें एवं इकरारनामे की अवहेलना नहीं हुई है। अत: अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(5) यह सही है कि माननीय न्यायालय में 11.1.2001 को वाद प्रस्तुत

(राज्य मंत्री, खनिज)

हुआ। दिनांक 18.1.2001 को पैनल लायर की नियुक्ति जिला कलक्टर महोदय द्वारा की गई। दिनांक 25.1.2001 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12.1.2001 को यथास्थिति के आदेश कर दिये। यथास्थिति के आदेश निरस्त कराने हेतु पैनल लायर को हर तारीख पेशी पर निवेदन किया जाता रहा, परन्तु किसी न किसी कारणवश दोनों पक्षों की बहस न होने के कारण स्थगन निरस्त न कराया जा सका। उच्च अधिकारी से वार्तालाप करने पर दिये गये निर्देशानुसार अपर लोक अभियोजक को अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 4.3.2002 को शीघ्र सुनवाई कर प्रार्थना पत्र दायर करने हेतु एवं अन्तरिम स्थगन को हटाने हेतु लिखा गया। श्रीमान् अपरलोक अभियोजक द्वारा 19.3.2002 को माननीय न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 20.3.2002 पत्रावली तलब हेतु तलवाना के साथ प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय द्वारा तामिल हेतु दिनांक 23.3.2002 को पेशी रखी गई। दिनांक 23.3.2002 को वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु समय चाहा जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 1.4.2002 को पेशी दी गई। दिनांक 1.4.2002 को वकील प्रार्थी जोधपुर में न होने के कारण उनके सहायक के उपस्थित होने पर आगामी पेशी दिनांक 11.4.2002 को वास्ते जवाब एवं बहस हेतु दी गई है। न्यायालय में चल रही कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम धनेश्री तहसील प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में डकैतों के हमले में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि

838. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि दिनांक 19 मार्च, 2001 को रात्रि में ग्राम धनेश्री तहसील प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में डकैतों के हमले में तीन व्यक्तियों की मृत्यु एवं पांच व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे? यदि हां, तो सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को कितनी-कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई और स्वीकृत राशि का भुगतान कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। दिनांक 19.3.2001 को ग्राम धनेश्री थाना प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में हुई डकैती में 3 व्यक्ति क्रमश: निर्भयराम कुमावत, चैनाराम भांभी व प्रकाश मीणा की मृत्यु हुई एवं छह व्यक्ति

(गृह मंत्री)

क्रमश: महेश कुमावत, मांगीलाल, नानूराम, जगदीश कुमावत, शिवराम व सुरेश भांभी घायल हुए। मृतक श्री प्रकाश मीणा के आश्रितों को जनजातीय क्षेत्रीय विकास, प्रतापगढ़ द्वारा रुपये 10,000/- की आर्थिक सहायता दिनांक 24.3.2001 को दी गई। शेष दो मृतकों के आश्रितों को रुपये 10,000/- प्रत्येक को एवं 6 घायलों को रुपये 32,500/- की राशि स्वीकृत कर बजट की मांग की गई है। बजट प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

ग्राम गहनौली, थाना महवा (दौसा) में दर्ज अवैध शराब की तस्करी के मुकदमे

839. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गहनौली, थाना महवा, जिला दौसा में अवैध शराब पुलिस ने जब्त की थी? यदि हां, तो कितनी शराब जब्त की गई?

(2) उक्त अवैध शराब की तस्करी करते समय पुलिस ने किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध थाना महवा में मुकदमा दर्ज किया? मुकदमे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी शराब के तस्कर को अभी तक नहीं पकड़े जाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गहनौली, थाना महवा, जिला दौसा में पुलिस ने अवैध शराब की पकड़ की थी जो कुल 21 कट्टे अवैध शराब थी जिसमें कुल 4200 पाऊच थे।

(2) उक्त शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त 1. श्री रामराज गुर्जर निवासी भोपुर शापुर थाना महवा, 2. श्री समय सिंह उर्फ नक्टा मीणा निवासी झाडिसा थाना टोडाभीम के खिलाफ मुकदमा सं. 27/02 धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम थाना महवा पर दर्ज किया है। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है।

(3) उक्त अपराध संख्या 27/02 तारीख 28.1.2002 को थाना महवा पर दर्ज हुआ है। मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 29.1.2002, 2.2.2002, 10.2.2002, 13.2.2002, 16.2.2002, 24.3.2002 को थानाधिकारी महवा मय पुलिस पार्टी के उनकी शकूनत पर दबिश दी मगर गिरफ्तार नहीं हुए। फिर केस पत्रावली तारीख 5.2.2002 को अदालत ए.डी.जे. कोर्ट बांदीकुई ने अग्रिम जमानत बहस हेतु तलब की। जहां से तारीख 8.2.2002 को पत्रावली जमानत खारीज के साथ प्राप्त हुई। तत्पश्चात् तारीख 18.2.2002 को मुलजिमान की अग्रिम जमानत बहस हेतु पत्रावली माननीय

(गृह मंत्री)

राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बेंच ने तलब की जहां से पत्रावली फारीख होकर तारीख 28.2.2002 को मय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज के प्राप्त हुई। इसके बाद वांछित मुलजिम व जीप नं. आरजे 29सी-1208 की तलाश हेतु भरसक प्रयास जारी है। निकट भविष्य में जल्दी ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला बांसवाड़ा में चल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना

840. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा में चल विधि विज्ञान प्रयोगशाला है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर उक्त प्रयोगशाला की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा में चल विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है। ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रस्तावों में मशीनरी एवं उपकरण क्रय के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं, उसमें बांसवाड़ा भी सम्मिलित है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण एवं नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने से स्वीकृतियां जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

जिला बांसवाड़ा की अरथूना पुलिस चौकी की थाने में क्रमोन्नति

841. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में पुलिस के पुनर्गठन के लिए गठित कमेटी को राज्य के सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के क्रियान्वयन के तहत तीसरे व अन्तिम चरण में बांसवाड़ा जिले की अरथूना पुलिस चौकी को थाने में तब्दील करने का प्रस्ताव भी था? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्वीकृत के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) वर्ष 1994 में पुलिस मुख्यालय पर पुनर्गठन योजना तैयार की गई थी, उस समय सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(2) जी हां। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के पुलिस थानों के भवन निर्माण/मरम्मत हेतु आबंटित राशि

842. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के पुलिस स्टेशनों के भवनों के निर्माण व मरम्मत हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के थानों के भवनों की मरम्मत व नये भवन बनाने हेतु अब आगामी बजट में राशि आबंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के पुलिस स्टेशनों के भवनों के निर्माण व मरम्मत के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के थानों में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

843. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में लूटमार/चोरी/डकैती/आत्मदाह/बलात्कार व अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज हुये?

(2) उक्त में से कितने प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट लगाई तथा कितनों के चालान पेश किये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में चोरी के कुल 54 प्रकरण, बलात्कार के 5 प्रकरण, लूट के 2 प्रकरण, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 33 प्रकरण दर्ज हुये हैं। डकैती एवं आत्मदाह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में चोरी के कुल 26 प्रकरणों में एफ.आर. व 26 प्रकरणों में चालान तथा 2 प्रकरण, जैर-तफतीश है। बलात्कार के कुल दर्ज प्रकरणों में से 3 प्रकरणों में एफ.आर., 1 प्रकरण में चालान तथा एक प्रकरण जैर-तफतीश है। एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज प्रकरणों में से 22 में एफ.आर., 10 प्रकरणों में चालान तथा एक प्रकरण जैर-तफतीश है।

प्रश्न संख्या-844

(श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) के सदन से निलम्बन के कारण सूची से पृथक किया गया)

थाना हिण्डौन (करौली) के क्षेत्राधिकार के ग्राम

845. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1992 से पूर्व ग्राम झिरना, खरेठा, पोचड़ी, भंगो, अरानी गूर्जर, हरीराम रामपुरा थाना हिण्डौन जिला करौली के क्षेत्राधिकार में आते थे? यदि हां, तो उक्त गांवों को अब कौन से थाने के क्षेत्राधिकार में जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों को थाना हिण्डौन से पुनः जोड़ने की प्रक्रिया कितने समय से किस स्तर पर विचाराधीन है?

(3) क्या सरकार अब उक्त गांवों को थाना हिण्डौन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम झिरना, खरेठा, पोचड़ी, भंगो, अरानी गुर्जर, हरीराम रामपुरा वर्ष 1989 से पूर्व थाना हिण्डौन के कार्यक्षेत्र में थे। वर्ष 1989 में थाना सूरोठ नव सृजित हुआ तब से वर्तमान तक उक्त गांव थाना सूरोठ के कार्यक्षेत्र में है।

(2) उक्त गांवों को थाना हिण्डौन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

ग्राम कल्याणी (करौली) के निवासी श्री जगमोहन के साथ घटित घटना की न्यायिक जांच

846. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम कल्याणी (करौली) में दिनांक 22.11.2001 को ग्रामवासी श्री जगमोहन के साथ क्या घटना घटी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटना से पहले श्री जगमोहन किस-किस जुर्म का आरोपी था? विवरण मय दिनांक एवं जुर्म के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त काण्ड की जांच की गई? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिकारियों ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए जांच में लीपा-पोती की गई है?

(5) क्या सरकार उक्त काण्ड की जांच किसी न्यायिक अधिकारी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम कल्याणी (करौली) में दिनांक 22.11.2001 को जगमोहन के साथ कोई घटना घटित नहीं हुई, बल्कि

(गृह मंत्री)

दिनांक 20/21.11.2001 की रात्रि 11.30 बजे थाना करौली के क्षेत्राधिकार में छेड़ के नाले के पास ए.डी.एफ. पुलिस पार्टी करौली के साथ हुई मुठभेड़ में जगमोहन मारा गया।

(2) उक्त घटना के पहिले जगमोहन अपराध संख्या 148/2001 दिनांक 26.10.2001 धारा 307, 216(ए) भादस थाना मण्डरायल की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य मुलजिमान के साथ नामजद मुलजिम था। इसके अतिरिक्त अ.सं. 322/2001 दिनांक 19.6.2001 धारा 147, 148, 149, 341, 382 भादस व धारा 11 आर.डी.ए. एक्ट थाना करौली, अपराध सं. 519/2001 दिनांक 26.9.2001 धारा 382 भादस थाना करौली एवं अभि.सं. 118/2001 दिनांक 14.9.2001 धारा 392 भादस थाना मासलपुर में तफतीश के दौरान घटना में लिप्त होना बताया गया है।

(3) जगमोहन के ए.डी.एफ. पार्टी के मुठभेड़ में मारे जाने के सम्बन्ध में प्राप्त परिवाद की जांच महानिरीक्षक पुलिस (मानवाधिकार) सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान, जयपुर द्वारा की गई, जिस पर उपरोक्त घटनाक्रम पर दर्ज अभियोग संख्या 635/2001 धारा 147, 148, 30 भादस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट तथा धारा 11 आर.डी.ए. एक्ट थाना करौली एवं अभियोग संख्या 693/2001 धारा 302, 120बी, भादस थाना करौली का अन्वेषण सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। जांच में कोई लीपा-पोती नहीं की गई है। घटनाक्रम के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण का अन्वेषण जारी है।

(5) जी नहीं।

प्रश्न संख्या-847

(स्थगित)

जिला बांसवाड़ा के थानों में जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे

848. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1998 से मार्च, 2002 तक भूतपूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कौन-कौनसी घटनाओं तथा धाराओं में कब-कब मुकदमे दर्ज किये गये? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में पुलिस अनुसंधान में कितनों के चालान किये गये और कितनों में अन्तिम प्रतिवेदन दी गई? उक्त जनप्रतिनिधि किन-किन राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्धित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1998 से मार्च, 2002 के मध्य भूतपूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कुल 54 अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज अभियोगों का अभियोग वार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर जो संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त अभियोगों के बाद अनुसंधान 30 में चालान, 20 में अंतिम रिपोर्ट दी गई एवं 4 अभियोग अनुसंधानहीन है। उक्त जनप्रतिनिधियों में 20 कांग्रेस, 32 भाजपा, 17 जनता दल, 2 निर्दलीय एवं 1 शिवसेना राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित है। अभियोग वार विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के गृह रक्षा स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक का भुगतान

849. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को गृह रक्षा की ड्यूटी के पारिश्रमिक (दैनिक मानदेय भत्ता) का भुगतान गृह रक्षा विभाग के किस-किस बजट मद से किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में गृह रक्षा स्वयं सेवकों को गृह रक्षा की ड्यूटी करने पर पारिश्रमिक (दैनिक मानदेय भत्ता) का भुगतान गृह रक्षा विभाग के उक्त हेतु स्वीकृत बजट से किया जाता है? क्या अन्य सरकारी विभाग के बजट मद से भी भुगतान किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में ऐसे कितने राज्य कर्मचारी हैं जो गृह रक्षा स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत (नामांकित) होते हुए भी अपने नियमित वेतन भत्तों के अलावा गृह रक्षा स्वयंसेवक की ड्यूटी के पारिश्रमिक (दैनिक मानदेय भत्ता) का भुगतान रक्षा विभाग के बजट मद से प्राप्त करते हैं/कर रहे हैं? विभागवार/एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को गृह रक्षा की ड्यूटी के पारिश्रमिक (दैनिक मानदेय भत्ता) का भुगतान गृह रक्षा के निम्न बजट मद से किया जाता है :–

बजट मद :–

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 गृह रक्षा

001 नगरीय

0002 पारिश्रमिक (आयोजना भिन्न)

(2) राज्य में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को गृह रक्षा की ड्यूटी करने पर पारिश्रमिक (दैनिक मानदेय भत्ता) का भुगतान गृह रक्षा विभाग के उक्त बजट मद से किया जाता है तथा अन्य सरकारी विभाग के बजट मद से भी भुगतान किया जा सकता है, यदि अन्य कोई विभाग, सदस्यों की किसी सुरक्षा ड्यूटी हेतु मांग करता है, तो वह विभाग, उनके बजट से ही समस्त भुगतान

(गृह मंत्री)

करता है। इसके लिए मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 54882-9 दिनांक 23.12.1997 द्वारा निर्देश दिये हुए हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) राज्य में ऐसे राज्य कर्मचारी जो गृह रक्षा स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत (नामांकित) हैं, वे सामान्य तथा गृह रक्षा की ड्यूटी जैसे रेगुलर नाइट गस्त ड्यूटी आदि में गृह रक्षा स्वयंसेवक के रूप में ड्यूटी देते हुए अपने मूल विभाग जिसमें वे नियोजित है, का कार्य भी सम्पादित करते हैं तथा जब भी पुलिस की सहायतार्थ अथवा विशेष ड्यूटीज पर होम गार्ड्स को ड्यूटी पर बुलाया जाता है तब स्वयंसेवकों को उनके मूल विभाग से ड्यूटी से रिलीव किया जाता है तथा होम गार्ड्स के रूप में ड्यूटी करने पर उनको इस विभाग से दैनिक मानदेय का भुगतान किया जाता है तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप (प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है) सदस्यों की ड्यूटी अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उस अवधि में स्वयंसेवक अपने मूल विभाग से वेतन भत्ते भी प्राप्त करने के हकदार होते हैं। राज्य कर्मचारियों की जिलेवार एवं विभागवार सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मृत वन रक्षक श्री हीरासिंह रावत के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति

850. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन रक्षक श्री हीरासिंह रावत की उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी राजसमन्द में सेवा में रहते दिनांक 19 फरवरी, 1999 को मृत्यु हो गई? यदि हां, तो उक्त के आश्रित पुत्र श्री केसर सिंह को मृत राजकर्मी आश्रितों की अनुकम्पा में नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उप वन संरक्षक द्वारा प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक/पत्र कार्मिक/उवस/99/3805 दिनांक 19.5.1999 के अनुसार सारी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवा दी थीं? यदि हां, तो अब तक उसके पैतृक विभाग में सेवाएं नहीं देने के क्या कारण हैं?

(3) अब उक्त मृत आश्रित को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। मृतक स्व. श्री हीरासिंह का एक पुत्र किशोर सिंह भारतीय सेना में सिपाही के पद पर पहले से ही कार्यरत होने से आश्रित (पुत्र) केसर सिंह को

(राज्य मंत्री, वन)

नियमानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होने से नियुक्ति नहीं दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दर्शाये कारणों से श्री केसर सिंह को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दर्शाये गये कारण से आश्रित श्री केसर सिंह को नियमानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं है।

जिला टोंक कैथून से निवाई रोड साइड प्लांटेशन पेड़ों की अवैध कटाई

851. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वन मण्डल अधिकारी, टोंक ने प्रतिबन्ध के विरुद्ध माह जून, 2001 में कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये हैं? यदि हां, तो कितने अधिकारी/कर्मचारियों के रेंजवार/पदवार सूची सदन की मेज पर रखें? क्या उक्त स्थानान्तरण करते समय राज्य सरकार के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवहेलना की गई है? यदि नहीं, तो किसकी अनुमति से किये गये? क्या वन राज्य मंत्री वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिबन्ध में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करने का विचार रखते हैं? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। मण्डल वन अधिकारी, टोंक द्वारा माह जून, 2001 में चार कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये।

उक्त स्थानान्तरित/पदस्थापित कर्मचारियों की रेंजवार, पदवार सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

स्थानान्तरित कर्मचारियों में से तीन कर्मचारी (परिशिष्ट 'क' के क्र.सं. 1, 2 एवं 3) को कुछ समय बाद ही पुनः पूर्व स्थान पर लगा दिया गया था।

चौथे कर्मचारी श्री सिद्धिक मोहम्मद कनिष्ठ लिपिक का पदस्थापन उसी कार्यालय परिसर में होने से पदस्थापन में परिवर्तन किये जाने का विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पंचायत समिति अटरू/छबड़ा/ छीपाबड़ौद की अन्नपूर्णा योजना के लाभान्वित व्यक्ति

852. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत अटरू छबड़ा/छीपाबड़ौद के कितने व्यक्तियों को कब-कब लाभान्वित किया गया?

(2) उक्त योजना में लाभान्वित की

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

पात्रता के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(3) क्या पंचायत समिति छबड़ा/छीपाबड़ौद/अटरू में अन्नपूर्णा योजना में लाभान्वितों को नियमानुसार लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत अटरू, छबड़ा तथा छीपाबड़ौद पंचायत समितिवार वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

अटरू	छबड़ा	छीपा बड़ौद	कुल योग	लाभान्वित करने की तिथि
203	131	261	595	अप्रैल, 2000 से लगातार
285	181	510	976	जनवरी, 2001 से नये चयनित लगातार
307	101	548	956	अक्टूबर, 2001 से नये चयनित लगातार
795	413	1319	2527	योग

(2) लाभान्वितों की पात्रता के अन्तर्गत 65 वर्ष से ऊपर ऐसे वृद्ध, निर्धन, अशक्त, असहाय, नागरिक आते हैं जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, किन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य पेंशन योजना के अन्तर्गत कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

(3) पंचायत समिति छबड़ा/छीपाबड़ौद/अटरू में नियमानुसार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को 30 किलो गेहूं प्रति त्रैमास नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक का पदनाम परिवर्तन

853. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक का पदनाम परिवर्तन प्रस्ताव पर विधि विभाग द्वारा वर्ष 1998 एवं वर्ष 2001 में दो बार अनुशंसा करने के पश्चात् भी वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई है?

(2) राजस्थान विधि राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981 में पदनाम परिवर्तन संशोधन करने के सम्बन्ध में कार्मिक क-2 विभाग वित्त विभाग की सहमति क्यों आवश्यक है जबकि पदनाम परिवर्तन से आर्थिक भार नहीं पड़ता है?

(3) क्या लम्बे समय से विचाराधीन पदनाम परिवर्तन के प्रस्ताव जिसे प्रशासनिक विधि विभाग उचित समझता है और वित्त विभाग असहमत हैं ऐसी विरोधाभास स्थिति में क्या इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्णयार्थ नहीं रखा गया? यदि हां, तो उनसे निर्णय/अनुशंसा कब तक प्राप्त की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक के पदनाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर वर्ष 1998 व 2001 में वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी। वर्तमान में विधि सहायक का पद अधीनस्थ सेवा का पद है। विधि सहायक के पद को राज्य सेवा में सम्मिलित करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन लम्बित है। इसलिए वित्त विभाग ने माननीय न्यायालय का निर्णय होने का इंतजार करने का परामर्श दिया है।

(2) पदनाम परिवर्तन करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में यद्यपि कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है किन्तु पदनाम परिवर्तित होने पर अन्य सेवाओं के समान वेतनमान के संवर्गों से भी ऐसी ही मांग उठेगी इसलिए वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है।

(3) पदनाम परिवर्तन के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रतीक्षा में रखा हुआ है। अत: न्याय निर्णय के अध्यधीन होने के कारण यह प्रकरण माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसकी आवश्यकता होने पर यथासमय उनके समक्ष रखा जावेगा। अत: उक्त विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

प्रबंधक अरबन काआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बालोतरा द्वारा श्रमिक की अनुचित सेवा मुक्ति

854. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री गोमाराम पुत्र श्री किरताराम जाति जाट ग्राम कुम्पलिया जिला बाड़मेर ने अरबन काआपरेटिव बैंक लिमिटेड बालोतरा में दिनांक 3.9.1991 से 1.3.1993 तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर संस्था को लगातार सेवाएं दी है? यदि हां, तो क्या नियोजक द्वारा श्रमिक को मौखिक आदेशों से सेवा मुक्त करना उचित था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त श्रमिक के द्वारा श्रम न्यायालय, जोधपुर में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद अरबन काआपरेटिव बैंक लिमिटेड बालोतरा के विरुद्ध पेश किया गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि श्रमिक के पक्ष में फैसला श्रम न्यायालय, जोधपुर का दिनांक 15.10.1998 को हो चुका था? यदि हां तो बैंक द्वारा निर्णय की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब श्रम न्यायालय के निर्णय की पालना कर कब तक दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। श्रम न्यायालय के निर्णय की पालना बैंक द्वारा की जा चुकी हैं।

(4) श्रम न्यायालय के निर्णय की पालना कर दी गई हैं।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा वितरित ऋण की वसूली

855. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत 10 वर्षों में प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर के द्वारा किन-किन केन्द्रीय सहकारी बैंक को कितना-कितना अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया?

(2) उक्त अवधि में प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य सहाकरी बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा किन-किन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कितना अकृषि ऋण उपलब्ध कराया गया?

(3) क्या उक्त अवधि में प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर के द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिरिक्त व्यक्तिगत और सहकारी संस्था, कम्पनियों/फर्मों इत्यादि को भी ऋण उपलब्ध कराया गया? यदि हां, तो कितना ऋण किन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया गया?

(4) उक्त अवधि में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण में से प्रतिवर्ष कितनी वसूली हुई एवं कितने प्रतिशत अवधिपार हुआ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा गत 10 वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराये गये अल्पकालीन ऋण का विवरण परिशिष्ट संख्या-1 पर एवं मध्यकालीन ऋण का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा गत 10 वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(2) उक्त अवधि में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराये गये अकृषि ऋणों का विवरण परिशिष्ट संख्या-3 पर उपलब्ध है।

(3) हां। इस अवधि में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अतिरिक्त व्यक्तिगत और सहकारी संस्था, कम्पनियों, फर्मों इत्यादि को भी ऋण उपलब्ध कराये

(सहकारिता मंत्री)

गये हैं। राजस्थान राज्य सहाकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष उद्देश्यवार उपलब्ध कराये गये ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या-4 पर उपलब्ध है।

(4) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों की पिछले 10 वर्षों की मांग, वसूली, शेष बचे अवधिपार की राशि तथा अवधिपार राशि का मांग से प्रतिशत का विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी भूमि विकास बैंक सुलतानपुर (कोटा) में अनियमितताएं

856. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा सुलतानपुर (कोटा) व रामगंजमण्डी (कोटा) में नकद राशि के गबन के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो गबनकर्ताओं के नाम व पता तथा वर्तमान में कहां व किस पद पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट व आडिट रिपोर्ट में दोषी पाये गये उक्त कर्मचारी अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं? क्या सरकार दोषी कर्मियों को महत्त्वपूर्ण पदों से हटाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जांच रिपोर्ट व आडिट रिपोर्ट अनुसार उक्त कर्मचारियों को दण्डित किया गया है? यदि हां, तो किस दण्ड से और नहीं तो क्यों? क्या दोष सिद्ध/संदिग्ध आचरण वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही सेवा नियमानुसार पर्याप्त है?

उत्तर

(1) जी हां। गबनकर्ताओं के नाम, पता एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण निम्नप्रकार है :–

नाम	पता	वर्तमान पदस्थापन
1. श्री राजेन्द्र सिंह	सुपरवाइजर, कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक, लिमिटेड	प्रधान कार्यालय, कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
2. श्री राधेश्याम अग्रवाल	सुपरवाईजर (निलम्बित) कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	वर्तमान में निलम्बनकाल में शाखा सुलतानपुर कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त रूप से दोषी पाया गया कर्मचारी वर्तमान में श्री राधेश्याम अग्रवाल निलम्बित है तथा श्री राजेन्द्र सिंह को महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया है।

(3) जी हां। श्री राजेन्द्र सिंह सुपरवाइजर एवं श्री राधेश्याम अग्रवाल सुपरवाइजर के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का दण्डादेश दिया गया है। श्री राधेश्याम अग्रवाल निलम्बित चल रहे हैं एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला अलवर की कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार

857. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कुल कितनी भूमि कस्टोडियन की है?

(2) क्या उक्त भूमि पर किसानों का गत कई वर्षों से कब्जा है? उक्त कब्जेधारियों में से कितने लोगों को पट्टे जारी किये हुए हैं? क्या सरकार उक्त भूमि पर गैरखातेदार लोगों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 3,34,443 बीघा 12 बिस्वा कस्टोडियन भूमि है।

(2) उक्त भूमि में से 1,31,301 बीघा भूमि पर 20,549 व्यक्तियों का गत कई वर्षों से कब्जा है। इसमें से 14001 आबंटियों को पट्टे जारी किये गये हैं, कस्टोडियन भूमि के पट्टे गैर खातेदारी से खातेदारी के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत बड़ियाल में राहत कार्य की बकाया मजदूरी का भुगतान

858. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत बड़ियाल कलां में कब-कब अकाल राहत कार्य करवाएं गए तथा किन किन सरपंचों के अधीनस्थ कार्य हुए तथा कितनी-कितनी राशि उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती बादामी मीणा द्वारा करवाए गए? यदि हां, तो कब-कब? उक्त कार्यों को करवाने में अनियमितता तथा फर्जी मस्टररोल का

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उपयोग कर कम मजदूरी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो कब तथा किसके द्वारा?

(3) क्या उक्त अकाल राहत कार्य में कार्यरत सभी मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किन कारणों से भुगतान से अभी तक मजदूरों को वंचित रखा गया है?

(4) क्या उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्ति के पश्चात् उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) अभाव सम्वत् 2056 व 2057 में श्रीमती बादामी मीणा, सरपंच के कार्यकाल में निम्नलिखित कार्य सामने अंकित राशि से स्वीकृत किये गये :–

सम्वत् 2056

1. सम्पर्क सड़क हुण्डी का बास बड़ियाल कलां 1.42 लाख
2. सम्पर्क सड़क धाधोलाई से बड़ियाल रोड तक 0.42 लाख
3. तलाई खुदाई एवं गहरा ढण्ड बड़ियाल कलां 0.50 लाख

सम्वत् 2057

1. कमरा व बरामदा निर्माण उ.प्रा.शा. धाधोलाई 1.37 लाख
2. सी.सी. रोड छीन्दी की ढाणी, धाधोलाई 1.07 लाख

(2) जी हां। उक्त कार्य में से केवल सम्पर्क सड़क डूंडी का बास स्वीकृत राशि 1.42 लाख रुपये पर माह मई, 2000 के प्रथम व द्वितीय पखवाड़े की मजदूरी दर 21.78 रुपये आने के कारण मजदूरों द्वारा भुगतान लेने से इंकार कर दिया गया। मजदूरी कम आने के सम्बन्ध में जिले के समस्या समाधान शिविर में दिनांक 24.11.2000 को शिकायत प्राप्त हुई थी।

(3) जी नहीं। मजदूरी कम आने के कारण मजदूरों द्वारा मजदूरी लेने से मना कर दिया गया तथा कार्य का पुन: मूल्यांकन कराने हेतु दिनांक 24.11.2000 को ही आदेश दिये गये तथा पुन: मजदूरी कम आने के कारण मजदूरों ने भुगतान लेने से मना कर दिया।

(4) सरपंच ग्राम पंचायत के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जिला पाली के अकाल राहत कार्य

859. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(1) जिला पाली में सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि गत तीन वर्षों में व्यय की गई? उक्त राशि किन मदों से व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार व्यय राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किन-किन कार्यों के लिए व्यय की गई? उक्त राशि में से श्रम व सामग्री पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में उक्त जिले में कुल कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ?

उत्तर

(1) पाली जिले में गत तीन वर्षों में अभिकरणों द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार कराए गए कार्यों तथा व्यय की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(2) भिन्न-भिन्न अभिकरणों द्वारा सम्पादित कराए गए कार्यों का कार्यवार श्रम व सामग्री पर व्यय राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(3) कार्यरत अभिकरणों द्वारा राहत कार्यों पर लगाये गये मजदूरों की संख्या (परिशिष्ट "अ") पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई

860. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर व विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों का हाल ही में जिला कलक्टर्स के मार्फत सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में कई उद्योग प्रदूषण फैलाने वाले होने के बावजूद रिहायशी व अन्न/फल/सब्जी/दलहन उत्पादक खेत खलिहानों के बीच में प्रदूषण फैलाव वाले उद्योग/संयंत्र चलाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों क्या सरकार इन्हें तत्काल बन्द कराने का विचार रखती हैं यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पर्यावरण प्रदूषण फैला रही पत्थर/रोड़ी पीसने की क्रेशर मशीन द्वारा खेत खलिहानों की खड़ी फसल एवं उपजाऊ

(श्री कन्हैया लाल)

भूमि पर पत्थर की बारीक रेत उड़-उड़ कर जमा होने से अनुपजाऊ हो रही है क्या कृषि भूमि को बचाने के लिए स्थानीय कृषकों/नागरिकों द्वारा उक्त क्रेशर मशीनों को बन्द करने या हटाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अब तक उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर एवं बस्सी विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का जिला कलक्टर के मार्फत सर्वे कराने की कोई अधिक जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

बस्सी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र में रिहायशी व अन्य फल/सब्जी/दलहन उत्पादक खेत खलिहानों के बीच औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं।

फल/सब्जी/दलहन उत्पादक कृषकों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना/शिकायत प्राप्त होगी तो उनके विरुद्ध जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियमां के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी नहीं। खेत खलिहानों एवं भूमि के अनुपजाऊ होने की कोई अधिकृत जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत 12 में से 6 उद्योगों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिनका निरीक्षण किया गया। इनमें से 4 स्टोन क्रेशर ने समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर रखी थी एवं शेष 2 ने उचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। इनके विरुद्ध वायु अधिनियम की धारा 31 "ए" के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बिजली सम्बन्ध विच्छेद करने एवं उद्योग को बन्द करने के आदेश दिए गए।

तत्पश्चात् एक उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किए जाने के फलस्वरूप राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उसे सम्मति जारी की गई किन्तु शेष एक उद्योग जिसने अभी तक उचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की है को बन्द करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित प्रदूषित जल की रोकथाम

861. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :** क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं जिन्होंने जल/वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल से सम्मति/प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे हैं तथा ऐसी कौन-कौन सी इकाइयां हैं जिन्होंने अभी तक जल एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में नियंत्रण संयंत्र नहीं लगा रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा गत एक वर्ष में प्रदूषण की दोषी इकाइयों का कब-कब निरीक्षण किया तथा इसके क्या परिणाम रहे? विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में उक्त इकाइयों से प्रदूषण विषैला जल कहां से कहां तक प्रवाहित हो रहा है?

(3) राज्य सरकार उक्त क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों जो लगातार जल एवं वायु प्रदूषण फैला रही हैं रोकथाम हेतु क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार जल निकास से हो रहे प्रदूषण से विद्याधर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाये जा रही है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 70 ऐसी औद्योगिक स्थापित हैं जिन्होंने जल एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त कर रखी है जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

297 ऐसी इकाइयां हैं जिन्होंने अभी तक जल एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में नियंत्रण संयंत्र नहीं लगा रखे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 1.4.2001 से दिनांक 31.3.2002 की अवधि में ऐसी इकाइयों के विरुद्ध किए गए निरीक्षण का माहवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों से निकलने वाला उच्छिष्ट (Effluent) अमानीशाह नाले में बहता हुआ पापड़ वाले हनुमानजी के मार्ग में स्थित पुलिया के नीचे से होता हुआ बहता है।

(3) प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जल एवं वायु अधिनियमों

(राज्य मंत्री, पर्यावरण) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों में उपचार संयंत्र स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।

(4) विद्याधरनगर एवं आसपास के क्षेत्र के नागरिकों में प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के फैलने के बारे में राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है।

विद्याधरनगर एवं आसपास के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित नलकूपों की समय-समय पर रासायनिक जांच की जाती है, जिनमें प्रदूषण के लक्षण नहीं पाए गए हैं।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य मण्डी प्रांगणों में धर्म कांटा हेतु भू-आबंटन

862. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धर्मकांटा हेतु किन-किन मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड चिन्हित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिन्हित भू-खण्डों में कहां-कहां आबंटन कर दिया गया है एवं धर्म कांटा स्थापित हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन चिन्हित भूखण्डों का आबंटन नहीं किया गया है उसके क्या कारण रहे हैं और अब कब तक आबंटित कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) राज्य में निम्नलिखित 125 मण्डी/गौण मण्डी प्रांगणों में धर्म कांटा के भूखण्ड चिन्हित हैं :- बांदीकुई, भीलवाड़ा, बालोतरा, बारां, बीकानेर (फल-सब्जी व ऊन), बांसवाड़ा, बून्दी, श्रीविजयनगर, बाड़मेर, महुवा-मण्डावर, चित्तौड़गढ़, छबड़ा, डीग, अजमेर, अटरू, निवाई, माण्डलगढ़, नीमकाथाना, मालपुरा, नोखा, नवलगढ़, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, नोहर, नदबई, नरेना, नगर, डेगाना, खैरथल, दौसा, किशनगढ़, केशोरायपाटन, कोटपूतली, रानी, कांमा, टोंक, हिण्डौन सिटी, प्रतापगढ़, रायसिंहनगर, लालसोट, उदयपुर, पदमपुर, उनियारा, पीपाड़, रतनगढ़, चौमेहला, शिवगंज, सुजानगढ़, अन्ता, बीकानेर, श्रीमाधोपुर, भरतपुर, सोजत, चूरू, सवाईमाधोपुर, इकलेरा, संगरिया, इटावा, फतेहपुर, राजगढ़, सुमेरगंज, खानपुर, देवगढ़, झालरापाटन, झुंझुनूं, जहाजपुर, बाड़ी, जालौर, श्रीकरणपुर, भीण्डर, बड़ीसादड़ी, सादुलपुर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा (भीलवाड़ा), अनूपगढ़, बेगूं, सांचौर, आमेट, भवानीमण्डी, नाथद्वारा, सरदारशहर, बनेड़ा,

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

श्रीडूंगरगढ़, डीडवाना, सांगोद, भीनमाल, श्रीगंगानगर, बयाना, कपासन, तारानगर, बयाना–फ.स., टोडारायसिंह, भादरा, अलवर, फागी, घड़साना, डूंगरपुर, फतेहनगर, रावतसर, नागौर, गुलाबपुरा, बेरियावाली, कोटा, मेड़ता सिटी, केकड़ी, आसीन्द, ब्यावर, रामसिंहपुर, बिलाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, विजयनगर, चाकसू, जैतारण, कुचामन सिटी, सुमेरपुर, सादुलपुर, जोधपुर (अनाज), जयपुर (अनाज), चौमूं (अनाज), जोधपुर (फ.स.), खैरली, लूणकरणसर, रामगंज मण्डी, जयपुर (फल–सब्जी)।

(2) मण्डी/गौण मण्डी प्रांगणों में धर्म कांटा आबंटन/स्थापना का विवरण निम्नप्रकार है :–

क्र.सं.	मण्डी प्रांगण का नाम	विशेष विवरण
1.	जोधपुर (फल सब्जी)	स्थापित
2.	खेड़ली	स्थापित
3.	उदयपुर	राज. स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड को आबंटित
4.	जयपुर (अनाज)	स्थापित
5.	जयपुर (फल सब्जी)	स्थापित
6.	सुमेरपुर	ठेके पर चलाने की कार्यवाही जारी
7.	विजयनगर मु.म.	मण्डी समिति द्वारा संचालित
8.	गो.म. गुलाबपुरा (विजयनगर)	मण्डी समिति द्वारा संचालित
9.	गो.म. आसीन्द (भीलवाड़ा)	चालू नहीं
10.	केकड़ी	चालू नहीं
11.	बारां	मण्डी समिति द्वारा संचालित
12.	खाजूवाला	टी.एम.सी. योजना में स्थापित
13.	हनुमानगढ़ टाउन (गो.म.)	टी.एम.सी. योजना में स्थापित
14.	बिलाड़ा	टी.एम.सी. योजना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित
15.	ब्यावर	टी.एम.सी. योजना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित
16.	मेड़ता सिटी	टी.एम.सी. योजना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित
17.	रायसिंहनगर	टी.एम.सी. योजना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित

नोट : जयपुर (अनाज) में धर्म कांटा का आबंटन निरस्त कर कब्जा लेने हेतु प्रकरण भू–सम्पदा अधिकारी के समक्ष विचाराधीन।

(3) धर्म कांटा हेतु चिन्हित रहे शेष भू–खण्डों के आबंटन हेतु नये नियम बनाये जाना प्रक्रियाधीन है।

राज्य के कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में आबंटन योग्य दुकानें/गोदाम

863. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के विभिन्न कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में कितनी दुकानें/गोदाम रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकान/गोदाम कब से रिक्त हैं? इनके आबंटन में क्या कठिनाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त दुकान/गोदाम का आबंटन कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' के अनुसार है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' के कालम संख्या 6 एवं 7 के अनुसार है।

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' के कालम संख्या 8 के अनुसार है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक में आई गिरावट का निराकरण

864. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक का कार्य भी किसानों के फायदे के लिए किया जाता है? उक्त योजना के तहत बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में क्या गत वर्षों में शुल्क में गिरावट आई है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

(3) क्या इनके निराकरण के लिए सरकार के पास कोई योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के लाभ के लिए फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक का कार्य आंशिक रूप से किया जाता है।

उक्त योजना के तहत निम्न गतिविधियां चलायी जा रही हैं :–

1. मसाला प्रोत्साहन योजना।
2. कृषक संवादों का आयोजन।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

3. राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रतिदिन कृषि जिंसों के भाव इंटरनेट पर प्रदर्शित।

4. दूरदर्शन के माध्यम से फसलों की पैदावार के बाद मण्डी में बेचने तक के बीच की प्रक्रियाओं की जानकारी।

5. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अब तक 35 कोल्ड स्टोरेज व मसाला प्रसंस्करण इकाइयों को 277.12 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

6. किसानों के क्षेत्र विशेष में उनकी फसल के निर्यात के लिए परामर्श के रूप में कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम 1995-96 में श्रीगंगानगर में किन्नू के भाव बुरी तरह गिरने एवं उसके बागान उजड़ने पर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा परामर्शदाता की सेवाएं लेकर किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया गया एवं दूसरे राज्यों के निर्यात को किन्नू निर्यात के लिए आकर्षित किया। इससे किन्न की निर्यात एवं बिक्री मूल्य बढ़ा। इसी प्रकार बीज' मसालों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा योजना आरम्भ की गयी है। योजना अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2005 तक है।

कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से निर्यातकों द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात विगत वर्षों में निम्नानुसार किया गया :–

क्र. सं.	वर्ष	जिंस	मात्रा	देश का नाम, जिसको निर्यात किया गया
1	2	3	4	5
1.	1995-96	किन्नू	374	यू.के. दुबई, सऊदी अरबिया
		संतरा	25	श्रीलंका
		सब्जी	3.5	कनाडा
2.	1996-97	किन्नू	100	मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया
		मेथी	60	फ्रांस
3.	1997-98	किन्नू	206	श्रीलंका, इंडोनेशिया
		धनिया	80	श्रीलंका
		सोनामुखी	208	विभिन्न देश
4.	1998-99	किन्नू	84	श्रीलंका, दुबई
		बीज मसाले	541	दुबई
		औषधि उत्पाद	280	यूरोप, दुबई व अन्य देश

1	2	3	4	5
5.	1999 –2000	मेहन्दी	32	तुर्की
		बीज मसाले	425	दुबई
		सेनाय पत्ता	17.50	दुबई
6.	2000 –2001	मेथी	90	यू.ए.ई., दुबई
		धनिया	29.21	दुबई
		अजवाइन	3.6	दुबई
		तेज पत्ता	3.00	दुबई
7.	2001 –02	धनिया	95.04	यू.ए.ई., दुबई
	(12/01 तक)	मैथी	33.57	दुबई
		अजवाइन	3.6	दुबई
		कलौंजी	7.50	यू.ए.ई., दुबई
		तेज पत्ता	50	दुबई
		सेनाय पत्ता	5.0	दुबई

(2) यह बोर्ड परियोजना नहीं है और न ही इसमें कोई शुल्क लिया जाता है। अत: गिरावट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर फल सब्जी मण्डी समिति द्वारा किसान मण्डी का निर्माण

865. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर फल सब्जी मण्डी समिति द्वारा किसान मण्डी का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब और उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या किसान मण्डी का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है वह पूरा हो रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं तो क्यों? क्या इसका उपयोग किसानों के लाभार्थ करने की सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990 में निर्माण कराया गया व इस पर राशि रुपये 45 लाख व्यय हुए।

(2) किसान मण्डी के निर्माण का उद्देश्य आंशिक रूप से पूर्ण हो रहा है। इसके एक प्लेट फार्म पर कृषकों द्वारा अपनी उपज बिना बिचौलियों के सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की जा रही है। शेष 4 प्लेटफार्मों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फुटकर सब्जी विक्रेताओं का पुनर्वास करा दिया गया है। जिन्हें खाली कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषि मण्डी समिति अजमेर द्वारा सड़कों की मरम्मत

866. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रमजान खान)

(1) कृषि मण्डी समिति, अजमेर की वर्ष 2000-2001 में कुल आय किस-किस मद में कितनी-कितनी हुई?

(2) उक्त कृषि मण्डी समिति के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2000-2001 में कृषकों की सुविधा के लिए कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व मण्डी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों के पेचवर्क के लिए राशि व्यय नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या अब सरकार पूर्व में बनाई गई सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), अजमेर की वर्ष 2000-2001 में मद वार आय का विवरण निम्नप्रकार है :-

1.	अनुज्ञा पत्र शुल्क	4100.00
2.	जमाधन पर ब्याज	150829.00
3.	मण्डी शुल्क	7831872.00
4.	फार्म पर्ची वि.	4165.00
5.	विलम्ब शुल्क	10422.00
6.	भवन किराये	1011156.00
7.	ठेके से आय	93150.00
8.	वादशमन (जुर्माना)	34876.00
9.	भवन अग्रिम वापसी	224250.00
10.	वाहन अग्रिम	65900.00
11.	दु.कि. अग्रिम	11204.00
12.	विविध अग्रिम	523388.00
13.	अमानत (धरोहर)	106700.00
14.	निर्माण राशि वापसी	22000.00
15.	अन्य आय	37223.00
	योग	10131235.00

(2) वर्ष 2000-2001 में कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर के अन्तर्गत दो सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें सम्पर्क सड़क शिवपुरा की लम्बाई 4.00 किमी. एवं सम्पर्क सड़क नया गांव की लम्बाई 1.50 किमी. निर्मित की गई, इस तरह वर्ष 2000-2001 में 5.50 किमी. सड़क का निर्माण कराया गया।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। इस बारे में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

प्रतापगढ़ कृषि उपज मण्डी में संचालित आढ़त प्रथा

867. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्द लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़ में आढ़तिया प्रथा काफी समय से प्रचलित है? क्या उक्त प्रथा से कृषकों को कृषि उपज का विक्रय मूल्य पन्द्रह दिनों के अन्तराल में मिलता है?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्तराल में भुगतान एवं आढ़त की कटौती के कारण ही कृषि उपज, प्रतापगढ़ मण्डी, में नहीं आकर पास की कृषि मण्डी मन्दसौर, निमच, पिपलिया, जावरा एवं पिपलोद, (सभी मध्य प्रदेश की मण्डियां) चली जाती हैं? क्या उक्त मण्डियों में कृषकों को आढ़त एवं भुगतान दोनों से सहूलियत मिलती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार प्रतापगढ़ कृषि उपज मण्डी में संचालित आढ़त प्रथा समाप्त करने का विचार रखती है? क्या मण्डी ने किसी आढ़तिया को लाइसेंस दे रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आढ़त का काम करने वालों के पास कृषि जिंस का क्रय-विक्रय का भी लाइसेंस है? यदि हां, तो मण्डी में दोहरा मानदण्ड क्यों अपना रखा है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही नहीं है कि आढ़त व्यवस्था में कृषकों को कृषि उपज का विक्रय मूल्य का भुगतान पन्द्रह दिनों के अन्तराल में किया जाता है। प्रभावी आढ़त व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों को कृषि उपज का विक्रय मूल्य का भुगतान विक्रय दिवस को ही किया जाता है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ में कृषकों को उनकी उपज का भुगतान 'क' वर्ग दलाल द्वारा विक्रय के दिवस को ही कर दिया जाता है तथा 'क' वर्ग दलाल द्वारा निर्धारित आढ़त की वसूली क्रेता व्यापारी से की जाती है, कृषकों से नहीं। अतः इस कारण दूसरी मण्डियों में जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की मण्डियों में आढ़त व्यवस्था प्रभावी नहीं होने के कारण जिंसों के भावों में अन्तर आ सकता है जिसके कारण कृषक सीमावर्ती प्रश्नांकित मध्य प्रदेश की मण्डियों में अपनी उपज ले जाकर भी विक्रय कर सकते हैं, जिसके लिए वे स्वतंत्र हैं।

राज्य में आढ़त प्रथा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रभावी है। फिलहाल इस व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रतापगढ़ मण्डी समिति द्वारा 156 व्यवसाइयों को संयुक्त अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये हुए हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(3) जी हां। राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम 1963 के नियम 69 के

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

तहत एक व्यवसायी को संयुक्त अनुज्ञा पत्र अर्थात 'क' वर्ग दलाल व व्यापारी का अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रावधान निहीत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जैसलमेर में कृषि मण्डियों में निर्मित दुकानों का आबंटन

868. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के जैसलमेर, मोहनगढ़, नाचणा तथा रामगढ़ में कृषि मण्डियों का निर्माण करवाया गया है? उक्त मण्डियों के यार्ड तथा भवनों पर कितना व्यय हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में सुथारवाड़ा तथा सुलताना दो मण्डी प्रस्तावित है जिनका निर्माण होना है?

(3) उक्त निर्मित चार मण्डियों में दुकानें आबंटन में विभाग को कितनी आय हुई है? विवरण सदन की मेज रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में एक भी मण्डी कार्यरत नहीं है एवं भवन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तथा वहां चौकीदार की भी व्यवस्था नहीं है?

(5) क्या सरकार मण्डी निर्माण तथा उसके उपयोग की कोई स्पष्ट नीति बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला जैसलमेर में जैसलमेर, मोहनगढ़, नाचना एवं रामगढ़ में कृषि मण्डी यार्ड में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य करवाया गया है। जैसलमेर मण्डी एवं निम्नलिखित तीन उप मण्डियों के निर्माण पर निम्नानुसार व्यय हुआ है :–

क्र. सं.	मण्डी का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण वर्ष	व्यय राशि (लाखरु.में)
1.	जैसलमेर	1998–1999	110.73
2.	मोहनगढ़	2000–2001	71.79
3.	नाचना	2000–2001	81.09
4.	रामगढ़	2000–2001	75.71

उक्त मण्डी एवं सब यार्डों में करवाये गये निर्माण कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय की विस्तृत सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

(2) उक्त जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गोण मण्डियों में सुथारवाला प्रस्तावित है।

(3) चार मण्डियों में निर्मित दुकानों के आबंटन से हुई आय का विवरण निम्नानुसार है :–

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

क्र. सं.	मण्डी/ गौण मण्डी	राशि
1.	जैसलमेर	71679.00
2.	मोहनगढ़	3465721.00
3.	नाचना	2316758.00
4.	रामगढ़	शून्य – व्यापारियों द्वारा भू-खण्डों की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण सूचना शून्य है।

(4) यह सही नहीं है कि उक्त जिले में एक भी मण्डी कार्यरत नहीं है। जैसलमेर मण्डी में दुकानों का कब्जा दिनांक 15.2.2002 को दिया गया एवं भवन सही अवस्था में है तथा मोहनगढ़, रामगढ़ एवं नाचना में मण्डी प्रांगण में केवल दुकान एवं गोदाम हेतु भू-खण्ड आबंटन किए गए हैं। जैसलमेर एवं नाचना में चौकीदारी व्यवस्था की हुई है तथा मोहनगढ़ एवं रामगढ़ में चौकीदारी व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) इन मण्डी यार्डों से कृषि उपज के नियमित विक्रय के लिए ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला सवाईमाधोपुर की कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर की सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति

869. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर की कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर के पैकेज प्रथम एवं द्वितीय में कुछ सड़कें स्वीकृत की गई थीं? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कितनी-कितनी राशि की एवं कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पैकेज प्रथम एवं द्वितीय में कुछ राशि शेष है? यदि हां, तो दोनों में कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पैकेजों के ग्राम रानीला एवं फुलवाड़ा में विलेज पोर्सन को जोड़े जाने हेतु मण्डी गंगापुर ने प्रस्ताव संख्या एक व दो दिनांक 23.2.2000 को निदेशालय एवं प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को मय तकनीकी रिपोर्ट के भिजवाये थे? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति मय तकनीकी रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(4) विधायक बामनवास द्वारा प्रशासक कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय अधिकारियों को लिखे गये पत्र दिनांक

(डा. किरोड़ी लाल)

19.11.1999, 25.11.2000, 4.5.2000, 4.12.2001 एवं प्रमुख शासन सचिव को लिखे गये पत्र दिनांक 19.4.2001 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) पैकेज में राशि बचने मण्डी के प्रस्ताव एवं सहमति भेजने के बाद भी उक्त दोनों गांवों के विलेज पोर्सन के कार्यों की स्वीकृति नहीं निकाले जाने का क्या कारण है?

(6) क्या बोर्ड इन्हें स्वीकृत कर जोड़ने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पैकेज संख्या-1 में तीन सड़कें वर्ष 1997-98 में राशि 121.85 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी तथा पैकेज संख्या-2 में दो सड़कें वर्ष 1998-99 में राशि 60.41 लाख रुपये की स्वीकृत हुई थी जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

(2) जी नहीं। संवेदक को दिए गए कार्यादेश में कोई राशि शेष नहीं है।

(3) मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशालय को नहीं वरन कृषि विपणन बोर्ड को भिजवाये गये हैं। मण्डी समिति गंगापुर सिटी के प्रस्ताव संख्या-1 व 2 दिनांक 23.2.2000 की फोटो प्रति संलग्न है।

(4) माननीय विधायक द्वारा उद्धृत पत्र विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता। प्रमुख शासन सचिव (कृषि) को पत्र दिनांक 19.4.2001 नहीं लिखा जाकर दिनांक 7.4.2001 एवं 31.5.2001 को लिखे गये हैं जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(5) सम्पर्क सड़क फुलवाड़ा के निर्माण से गांव जुड़ चुका है। सम्पर्क सड़क रानीला के सन्दर्भ में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) सम्पर्क सड़क रानीला के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत मुख्यालय हिगोण्या (बारां) की सड़क का डामरीकरण

870. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां में स्थित लोहत से ग्राम पंचायत मुख्यालय, हिगोण्या तक डामरीकृत सड़क बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से कितनी राशि के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी बारां में पर्याप्त राशि उपलब्ध

(श्री रामगोपाल बैरवा)

है? यदि हां, तो सड़क नीति के अन्तर्गत आने के बाद भी लम्बे समय तक स्वीकृति जारी नहीं करने के क्या कारण हैं? उक्त के लिए कौन दोषी हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सम्पर्क सड़क को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 23.1.2002 को कृषि उपज मण्डी समिति, बारां द्वारा संदर्भित सड़क 4.5 किलोमीटर लम्बाई में 74.54 लाख रुपये की प्रस्तावित की गई है।

(2) जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष की मण्डी की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि उपज मण्डी छबड़ा की गौण मण्डी छीपा बड़ौद के यार्ड का विस्तार

871. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या कृषि उपज मण्डी, छबड़ा की गौण मण्डी, छीपाबड़ौद का यार्ड कृषि जिन्सों की आवक को देखते हुए छोटा पड़ता है? यदि हां, तो उक्त के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में सड़क निर्माण

872. **श्री हनुमान प्रसाद** (सूरजगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में सूरजगढ़–जाखौद महपालवास–उरीका सड़क 0/0 से 11/0 किलोमीटर विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत हुई थी?

(2) क्या उक्त सड़क का कार्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क कार्य स्वीकृति के अनुसार हो रहा है?

(3) क्या उक्त सड़क का कार्य सूरजगढ़–जाखोद तक सही तौर पर करने के बाद आगे का कार्य अन्य सड़क पर किया जा रहा है? यदि हां, तो किस की अनुमति से?

(4) उक्त में स्वीकृति के विपरीत कार्य करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त सड़क का कार्य स्वीकृत अलाइंमेंट के अनुरूप करवाया जा रहा है।

(3) जी नहीं। सूरजगढ़-जाखौद की लम्बाई 7.0 किमी. है, जिस पर पेवर का कार्य किया जा चुका है एवं जाखौद से आगे अलाइंमेंट का विवाद है। अत: कार्य बन्द करके विवाद निबटाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(4) उक्त सड़क में स्वीकृति के विपरीत कोई कार्य करने की सूचना नहीं है। यदि ऐसा प्रयास पाया जाएगा, तो कार्यवाही की जाएगी।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 21 मार्च, 2002

सी-स्कीम जयपुर के बिला नाम प्लाट की नीलामी

96. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्लाट नं. एफ-128, गौतम मार्ग, सी-स्कीम का आबंटन देश के विभाजन पूर्व श्री मौलाबक्ष के नाम था? क्या उक्त व्यक्ति के पाकिस्तान चले जाने पर उक्त प्लाट सरकारी कस्टडी में आ गया?

(2) उक्त प्लाट की सरकार द्वारा कब नीलामी की गई तथा नीलामी किस के नाम छूटी और बाद में क्या नीलामी रद्द की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि श्री मौलाबक्ष के वर्ष 1971 में जयपुर घूमने आने पर वह उक्त भू-खण्ड को किसी व्यक्ति को फर्जी कागजातों पर किसी को दान दे गया?

(4) वर्तमान में उक्त प्लाट किसके नाम है तथा कौन व्यक्ति किसकी मंजूरी से वहां निर्माण करा रहा है?

(5) क्या उक्त प्लाट पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है या हुआ था? यदि हां, तो सरकार ने उसको रोकने की क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि प्लाट नं. एफ-128, गौतम मार्ग, सी-स्कीम का आबंटन देश के विभाजन पूर्व अर्थात दिनांक 5.5.1945 को जयपुर सरकार द्वारा किया गया था श्री मौलाबक्ष के पाकिस्तान जाने की पुख्ता जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-खण्ड संख्या एफ-128 की कोई नीलामी नहीं की गई।

(3) दिनांक 17.3.1971 को श्री मौलाबक्ष के द्वारा अपने भाई का लड़का श्री मोहम्मद मकसूद पुत्र अब्दुल गफूर को हिब्बा किया गया, लेकिन श्री मौलाबक्ष का पाकिस्तान से आने की पुख्ता जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) वर्तमान में उक्त प्लाट मोहम्मद मकसूद पुत्र अब्दुल गफूर के नाम है तथा स्थानीय समझौता समिति के निर्णय दिनांक 21.3.2001 के निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति के आधार पर श्री मोहम्मद मकसूद निर्माण करा रहा है तथा उक्त स्वीकृति को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 24.5.2001 के द्वारा सस्पैंड किया गया। उक्त सस्पैंड के विरुद्ध प्रार्थी जविप्रा अपीलीय अभिकरण के एक वाद संख्या 401/2001 दायर कर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई कि निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचाए।

(5) जी नहीं। स्थानीय समझौता समिति के आदेश दिनांक 21.3.2001 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने पर उक्त भू-खण्ड पर निर्माण किया गया, लेकिन जारी अनुज्ञा को सस्पैंड करने पर वाद क्रमांक 401/2001 के निर्णय पारित आदेश के तहत प्रार्थी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। प्रकरण जविप्रा अपीलीय अधिकरण में विचाराधीन है।

प्राधिकरण द्वारा स्थानीय समझौता समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तरीय समझौता समिति में अपील प्रस्तुत की जा रही है।

पुष्कर क्षेत्र में रेगिस्तान की रोकथाम

136. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तीर्थराज पुष्कर एवं बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में रेगिस्तान का दिनोंदिन विस्तार हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बढ़ते रेगिस्तान के कारण पुष्कर तीर्थस्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार ने उक्त बढ़ते हुए रेगिस्तान की रोकथाम की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) अब कब तक उक्त बढ़ते हुए रेगिस्तान की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा योजना बनाई जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। चूंकि अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में पश्चिमी दिशा से अरावली गैप्स के द्वारा रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। अतः मरू विकास कार्यक्रम/मरू प्रसार रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण कर रेगिस्तान के विस्तार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अजमेर जिले के पींसागन, किशनगढ़ व श्रीनगर विकास खण्डों को मरू विकास कार्यक्रम में दिनांक 1.4.1995 को सम्मिलित किया गया है।

जल ग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्विति से भी रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) उपरोक्तानुसार।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से रींगस में पेट्रोल पम्प पर दिन दहाड़े हुई डकैती एवं सीकर सदर थाना के सामने से हुई जीप चोरी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री शिवराम सिंह कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर के बस स्टैण्ड में पर्याप्त स्थान नहीं होने से यात्रियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से पोलियो उन्मूलन के नाम पर एक 15 वर्षीय छात्र का घुटने से ऊपर का पैर काट दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा टोडाभीम में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में शीतलहर से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से विधान सभा जहाजपुर में विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु नया जी.एस.एस. स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा बारां की ग्राम पंचायत-नियाना, सोरसन, अमलसरा को वन विभाग द्वारा गोडावण क्षेत्र घोषित करने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला जालौर की पंचायत समिति-सायला के ग्राम बालवाड़ा की पुनः पैमाइश करवा कर राजस्व नक्शा एवं रिकार्ड दुरुस्त करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नगराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता जल योजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा के खातोली में नायब तहसीलदार कार्यालय शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से राज्य के पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से वन मण्डल टोंक के अन्दर भीमड़ावास में बीसलपुर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आरक्षित भूमि में पेड़ काटे जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर की इन्तजामिया कमेटी द्वारा कथित अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य की ओर से राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने हेतु कृषि कनेक्शन पर मिनिमम चार्ज माफ करने एवं कनेक्शन काटने के लिए छह माह की छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह। (अनुपस्थित)
श्री कन्हैया लाल। (अनुपस्थित)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसके बारे में पहले भी निवेदन किया था। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राहत मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ओलावृष्टि और जो वर्षा हुई थी उससे किसानों की फसल नष्ट हुई है। मैंने रखा था इस मामले को। (व्यवधान) मैंने रखा था इस मामले को साहब। इसके बारे में क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जवाब नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फसल और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्या हुआ साहब? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल बरबाद हो गयी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में निवेदन किया था फसल नष्ट हो गयी। किसानों को वर्षा हुई थी उससे नुकसान हुआ है। यह मैंने रखा था प्रश्न। इन्होंने भी साथ दिया था मेरा। उसके बारे में क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ओलावृष्टि और बारिश से जो नुकसान हुआ है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने कहा था मंत्रीजी से वक्तव्य दिलाया जाएगा इस बारे में। किसानों का मामला है, साहब। हमारी किसान हितैषी सरकार है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड। एक बोलो, एक।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सात दिन पहले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलो तो समझ में आए कि क्या बोल रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे सात दिन पहले... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं बोल रहा हूं साहब। ओलों और वर्षा से फसल नष्ट हो गयी किसानों की। जिसके कारण किसानों की जो गाढ़ी मेहनत की कमाई, दुनिया भर का खर्चा उन्होंने किया है, वह फसल नष्ट हो गयी है। मेहरबानी करके किसानों को सहायता दिलायी जाए। यह मेरा निवेदन है। अब आप बोलो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय सहायता मंत्रीजी, आप इसका कब स्टैटमेंट देंगे? (व्यवधान) बिराजो न आप। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सात दिन हो गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को इस सदन में उठाया था, उस वक्त भी निवेदन किया था कि मैंने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे विस्तृत जांच करके रिपोर्ट पेश करे। मेरे पास अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं आज रिपोर्ट प्राप्त करके कल तक इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराने का निवेदन करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक में एक कोली समाज की बालिका के साथ जो मामला हुआ था, यहां उठाया था 12 तारीख को, शुक्रवार को, आपने कहा था मैं उसकी जानकारी करके बता दूंगा। मुझे अभी-अभी सूचना मिली है। उसकी भी जानकारी सरकार ने प्राप्त कर ली या नहीं की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद साहब, बिराजिए। बात हो गयी न।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस सम्बन्ध में भी मैं कल सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए न। बिराजिए। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि विपक्ष यहां है नहीं तो आप 295 को पढ़ा मान कर शिक्षा पर डिबेट चालू करें।

श्री रामस्वरूप : नहीं साहब, हम बैठे हुए हैं। पढ़ा हुआ कैसे मान लिया जायेगा? हम यहां बैठे हुए हैं। वह नहीं हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। विपक्ष तो नहीं रहेगा, विपक्ष से क्या लेना-देना है? विपक्ष के नहीं रहेंगे तो इसका मतलब आप... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विपक्ष तो आपके कारण नहीं है। हमेशा आप और गुलाब सिंहजी प्रतिपक्ष के नेता के साथ को-आर्डिनेशन करके...(व्यवधान) ऐसे मसलों को आप सुलझाते थे। अब की बार आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। वह तो आप...(व्यवधान) आप अगर आज भी चाहें और बीच में समन्वय करो, को-आर्डिनेशन करो, तो यह मामला आज भी सुलझ सकता है। इसके लिए तो जिम्मेदार आप हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : विपक्ष तो गायब ही रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? विधान सभा नहीं चलेगी क्या उनके कारण? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजिए। (व्यवधान) माननीय माहिर आजाद साहब, कृपा करके आप इस हाउस को चलने दीजिए। एक माननीय सदस्य बोले तो मेरे भी कुछ समझ में आए, मैं कुछ कहूं। आप बोलो, यह बोले, वह बोले तो उससे क्या फायदा हो रहा है? आप कहिए न। आप बोलना चाहते हो तो मैं इजाजत दूंगा। आप बैठिए न फिर। आप बोलो, यह बोल लिए, वह बोल लिए। हाउस को डिस-आर्डर में रखने में क्या फायदा? न तो हमारे कुछ पल्ले पड़ता है, न आप जवाब दे सकते हैं। इतना जोश खाने की जरूरत कहां पड़ रही है? हम आपको अलाउ कर रहे हैं। आपको बोलने दे रहे हैं। थोड़ा बहुत हाउस को आर्डर में लाकर चलने दीजिए न। हां, बोलिए क्या कहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है। लेकिन जिस तरह की सीकर में घटनाएं हो रही हैं। पुलिस थाना रींगस है, उसके मात्र...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिए आप। आपका रिजेक्ट तो किया नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, डिस्करेज की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो सूचना दे रहा हूं कि किस तरह के हालात बन रहे हैं, मतलब थाने से 100 गज की दूरी पर दिन-दहाड़े अगर लूट कर ले जाएं और एक भी नहीं पकड़ा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जानकारी मिल जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सीकर की जनता जिस तरह से भयाक्रांत हो रही है, नेशनल हाइवे-पर थाने के बिलकुल 100 गज की दूरी पर लूट कर ले जाए, पैदल लूट कर ले जाए, बगैर हथियार के लूट कर ले जाए और पुलिस थाना 100 गज की दूरी पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जानकारी मिल जाए, उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हों, तो फिर बात कर लेंगे हम। जानकारी तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो भय पैदा हो गया है...

श्री उपाध्यक्ष : कल जो घटना हुई है, सरकार के पास जानकारी आ जाएगी, सरकार आपको जानकारी दे देगी।

श्री अमराराम (धोद) : थाने के सामने सुरक्षा नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि सीकर की आम जनता जिस तरह से भयाक्रांत है कि इस तरह से थाने के सामने लूट कर ले जाए, और बगैर हथियार के, बगैर वाहन के पैदल लोग आकर लूट ले जाएं। थाने के सामने दिन दहाड़े...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ जाने दो। आप सरकार से जानकारी आ जाने दो। बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : सुबह सात बजे जीप उठा कर ले जाएं और जिस तरह से पुलिस मुस्तैदी की पोल खुल रही है, लोग आक्रांत हो रहे हैं। इसलिए मेरा तो निवदेन है कि गृह मंत्री इस स्थिति को सम्भालने के लिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। कह दिया न आपको वह जानकारी आ जाने दो, उसके बाद करेंगे। हां, माहिर आजाद साहब, आप क्या कहना चाहते हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आपसे निवेदन किया कि प्रतिपक्ष नहीं है 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो मेरा निवेदन यह था कि प्रतिपक्ष नहीं होने की स्थिति में आज तक संसदीय कार्य मंत्री, खेतसिंहजी सरकार की तरफ से और प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत करके जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, मामले को शोर्ट आउट करते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हैं, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो अब के आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने का? अगर आप चाहो, तो यह मामला अभी सुलझ सकता है। यह तो आपने बात कही, यह मामला सुलझ सकता है। आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो। हां, आप क्या फरमा रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी जन क्रांति मंच, राजस्थान के अर्जुन देथा चार रोज से, 11 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं अनिश्चितकालीन स्टेच्यू सर्कल पर। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इनमें जो सारी मांगें इनकी हैं वह मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिख करके अनिश्चितकाल के लिए भूख-हड़ताल पर गये हैं। अर्जुन देथा पालिटिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। यह पहले जनता दल के अध्यक्ष थे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब भी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी भी हैं, यह समाजवादी पार्टी में हैं। (व्यवधान) जो भी हैं लेकिन उनकी मांगें शिड्यूल्ड कास्ट को ले करके हैं। जैसे एक लक्ष्मण सिंह जाटव की टांगें काट दीं, टांग तोड़ दी भरतपुर में मजदूरी मांगने पर। अब उसको पंचायती राज मंत्रीजी ने सस्पैंड, फिर वापस बहाल कर दिया। इसी तरह से जिंसीराम बैरवा की जमीनें छीन ली लठैतों ने। तो यह तमाम शिड्यूल्ड कास्ट और वीकर सैक्शन के केसेज हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी हालत खराब है, उनको भूख हड़ताल पर चार रोज हो गये हैं और उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट आ रही है, तो आपको कम से कम कुछ इंटरविन करना चाहिए, उनसे जाकर बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि यह मांगें ऐसी हैं जिसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सरकार नेगेटिव जवाब तो नहीं देगी। आप यह कहेंगे कि इसमें कार्यवाही, अगर कमी रही है, तो पूरी करेंगे। आप उनको अगर संतुष्ट करें तो भूख हड़ताल से उठ जाएंगे अन्यथा एक सिचुएशन ग्रेव हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दें।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सुरेन्द्रजी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि वे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सही मायने में महत्वपूर्ण तो इतने हैं कि उन्होंने लाडनूं से चुनाव लड़ा और 350 वोट मिले थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि वह अगर भूख हड़ताल पर हैं। आखिर जिम्मेदारी है इस सरकार की, उनको अगर उठाने के लिए कोई आश्वासन दें तो गृह मंत्रीजी अवश्य दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है और उन्होंने जो जिक्र किया उसमें कई विभागों से सम्बन्धित मांगें हैं। गृह विभाग का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उसकी जानकारी प्राप्त करके निश्चित रूप से कार्यवाही करने के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार के किसी प्रतिनिधि से उनकी बात करा दें, साहब, वहां पर भूख हड़ताल के स्थान पर Somebody on behalf of the Govt.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि एक विभाग की बात होती, तो मैं जाकर जवाब दे आता। पंचायती राज विभाग का जिक्र उन्होंने किया।

श्री अमराराम (धोद) : ज्यादातर आपके ही विभाग से सम्बन्धित है। जो दलित वर्ग है, जिनकी जमीन को लेकर आपरेशन हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात है, वो बोल रहे हैं आप खड़े हो गये। आप बोलने दें न उनको। सुरेन्द्रजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, जहां तक जमीन पर कब्जा करने का सवाल है या उनके साथ किसी तरह की ज्यादती का सवाल है, उसकी सारी कार्यवाही करने का तो मैं आश्वासन देता हूं लेकिन पंचायती राज विभाग में कोई नौकरी का मामला है या दूसरा मामला है।

श्री अमराराम (धोद) : दलित वर्ग पर जो आपरेशन हुए हैं उनको पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की बारबार अपील करने के बाद।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उन सारे केसेज को देख कर...

श्री अमराराम (धोद) : भरतपुर का एक आदमी जिसने मजदूरी मांगी उसके दोनों पैर इस तरह से तोड़े कि दोनों पैर कट गये और आज तक उसका चालान नहीं हुआ। इसलिए, गृह मंत्रीजी, ऐसे जो केस हैं उनके लिए आपका विभाग ही सक्षम है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उन सारे मामलों को देख कर मैं शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। हो गयी न बात अब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक सेंटेंस।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अलाउ कर दिया, बात हो गयी। अब इसमें कोई डिबेट थोड़ी होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, डिबेट नहीं है, एक बात कहना चाहता हूं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं गृह मंत्रीजी, आप से गृह मंत्री के हिसाब से निवेदन नहीं कर रहा मैं निवेदन कर रहा हूं राज्य मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य से। दूसरे विभाग के विषय में भी बात कर सकते हैं, मुख्य मंत्रीजी से भी बात कर सकते हैं। कुल-मिलाकर के कोई रास्ता आप निकालें कि उनसे बातचीत होकर, उनको एश्योरेंस मिलकर वह भूख हड़ताल टूटे। मेरी प्रार्थना तो यह है।

श्री उपाध्यक्ष : 295 को पढ़ा हुआ माना गया। डाक्टर करण सिंहजी।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बहरोड़-नीमराणा-शाहजापुर औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक आनर्स की समस्या

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्चों के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के लगभग 500 ट्रक आनर्स की समस्या यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं कि बहरोड़ के पास बहरोड़, नीमराणा और शाहजहापुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाए, किसानों की बड़ी कीमती जमीन अधिगृहीत कर के औद्योगिक विकास के रास्ते सुलभ कराए गए। वहां पर अनेक फैक्ट्रियां लगीं। किसानों को जो मुआवजा मिला उससे उनके पास में रोजी-रोटी का और कोई साधन नहीं था, ज्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं थे और मोटा-मोटा ट्रक चालक का धंधा उन्होंने चालू किया। उन फैक्ट्रियों के साथ एक तरह का अनुबंध हुआ कि ट्रक के जितने चालक हैं वे मिल करके अपनी एक यूनियन बनाएंगे और नीमराणा और शाहजहापुर क्षेत्र के लोग हैं उनके ही ट्रक लेंगे जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती रहे। यह काम पिछले लगभग बीस वर्षों से बड़ा शांतिपूर्वक चलता रहा है।

आम तौर पर जिस तरह की ट्रक यूनियंस की रेपुटेशन होती है कि कहीं झगड़ा कहीं फसाद, बहरोड़ की ट्रक यूनियन के मामले में आपको एक केस भी कहीं पुलिस में रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मिल कर उनका काम चलता रहा। अभी पिछले दिनों दिल्ली में कोई एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें हमारे राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद थे और राजस्थान में और देश में उद्योग के हालात क्यों खराब हैं। इस विषय की चर्चा के अनेक कारणों में बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है या मल्टी नेशनल के सामने हमारा उद्योगपति टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। उद्योगपतियों की एक संस्था ने यह बात कहने की कोशिश की कि नीमराणा

(डा. करण सिंह यादव)

और बहरोड़ के उद्योग तो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि वहां के ट्रक यूनियन के लोगबाग हम से ज्यादा किराया ले रहे हैं और जब तक वो हम से ज्यादा किराया लेते रहेंगे, हमारा मामला मुनाफे में नहीं चलेगा। यह एक मांग वहां उभर करके आयी और इस मीटिंग के संदर्भ में सम्भवतया माननीय चीफ सैक्रेटरी ने नीचे के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली से हमारे जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं, श्री जे.पी. सिंह, वह नीमराणा में आए और व्यापारियों से एक तरफा बात करके जिला प्रशासन को इस तरह के निर्देश दे दिए कि इस ट्रक यूनियन को तोड़ दिया जाए।

आज के इस युग में जहां रोजी-रोटी के लिए आदमी दर-दर भटकता फिर रहा है, उस क्षेत्र की जनता को औद्योगिक विकास के नाम पर कुछ मिला है, तो सिर्फ प्रदूषण मिला है। आप स्वयं जानते हैं कि आज कोई औद्योगिक घराना वहां के स्थानीय बच्चे को नौकरी देने के लिए कतई तत्पर नहीं है। यह मेरी नहीं, यू.पी. से, बिहार से और दूसरे क्षेत्रों से लोग लेकर आ जाएंगे लेकिन स्थानीय आदमियों को नौकरी नहीं देंगे। यह ट्रक का मामला ऐसा था जिससे दाल-रोटी बैठ कर वो अपनी चला रहा था। आज सरकार के इशारे पर, चीफ सैक्रेटरी के और बड़े अधिकारियों के इशारे पर उन व्यापारियों को खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए ट्रक यूनियन तोड़े जाने से अगर देश का औद्योगिक वातावरण बन जाएगा, तो सबसे पहले तोड़ दीजिए, साहब। जिला प्रशासन को उनके पीछे लगा दिया कि आप इस ट्रक यूनियन नाम को हटा दीजिए, अपनी अलग-अलग कम्पनी बना दीजिए।

इसलिए यहां पर माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, राजस्थान के गृह मंत्रीजी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, उद्योग मंत्रीजी अभी थोड़ी देर पहले सदन में थे, श्रम मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, जिनका भी इस मामले से गहरा ताल्लुक है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ट्रक यूनियन के बीच में और व्यावसायियों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में कहीं कोई मन-मुटाव है, कहीं ऐसा लगता है कि ट्रक यूनियन उनसे कोई ज्यादती कर रही है, तो श्रम विभाग के लोग या उद्योग विभाग के लोग बैठ करके बीचदारी करके और उस मामले को सलटाएं बजाए इसके कि उनको एक तरफा निर्णय दे करके और पुलिस की लाठी से और प्रशासन के जोर से ट्रक यूनियन को तोड़ने से उस क्षेत्र के हजारों किसानों को, जिन्होंने अपनी जमीनें दी थीं और जिनका रोजगार मात्र ट्रक चलाना है यूनियन के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को सुलभ रोजगार उपलब्ध हो जाता है। बारी से, क्रमश: हर आदमी का नम्बर आता जाता है। अपना अपना धंधा करते रहते हैं।

(डा. करण सिंह यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कि राज्य सरकार को आप इस बारे में निर्देशित करें कि बहरोड़ की और नीमराणा की ट्रक यूनियन को इस तरह से नहीं तोड़ा जाए। वहां के लोगों से, ट्रक यूनियन से बैठ कर बात की जाए। व्यवसायी और उद्योगपतियों के बीच में बैठ करके जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कोई ऐसा रास्ता निकाले कि दोनों बैठ करके आपस में सामंजस्य से, जिस तरह से पिछले 20 साल से रहते रहे हैं, इस तरह से रहते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसादजी।

ब्यूरोक्रेट्स का जन-प्रतिनिधियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में एक खास व अहम मुद्दे को लेकर अपने विचार रखना चाहता हूं। यह मुद्दा इस सदन के प्रत्येक सदस्य की गरिमा व अधिकार से सम्बन्धित है, प्रदेश की शांति-व्यवस्था से सम्बन्धित है, कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है, साम्प्रदायिक सौहार्द से सम्बन्धित है। मैं इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी बात को गौर से सुनें। वैसे सौभाग्य से आज वरिष्ठ मंत्री भी इस सदन में मौजूद हैं, गृह मंत्रीजी हैं, वित्त मंत्रीजी हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी हैं और हमारे शिक्षा/पंचायती राज मंत्रीजी भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी बात को गौर से सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय कुछ माह पूर्व इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य ने अपने साथ घोर अन्याय को, उपेक्षापूर्ण व्यवहार को, जलालतपूर्ण व्यवहार को देखते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के झापट मार दिया था। उसके झापट मारने के तुरन्त बाद काफी हो-हल्ला हुआ। प्रशासनिक स्तर पर हुआ और सामाजिक स्तर पर भी हुआ। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को किसी ने नहीं देखा कि वह क्या परिस्थिति थी जिसके कारण हमारे माननीय सदस्य को विवश होना पड़ा झापट मारने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सदस्य के साथ घोर अन्यायपूर्ण बर्ताव किया गया, उनकी उपेक्षा की गयी और आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ भी ये प्रशासनिक अधिकारी, नौकरशाह इसी प्रकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। अभी इस सदन में कुछ समय पहले बहन कमलाजी ने एक बात रखी कि करौली में मीटिंग बुलायी गयी

(श्री दुर्गाप्रसाद)

और उनको नहीं बुलाया गया, जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। उनके साथ भी उपेक्षा बरती गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि गंगापुर में गोलीकाण्ड हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्ण तौर से मेरा बहिष्कार सा किया। शांति समिति की बैठकों में मुझे नहीं बुलाया गया हालांकि मैं उस वक्त बीमार था। शांति समिति की बैठकों में यदि मुझे बुलाया जाता, तो मैं निश्चित रूप से सब बीमारी को छोड़कर वहां जाता गंगापुर में शांति व्यवस्था के लिए। वहां हिन्दू-मुसलमानों में किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा नहीं हो, इसके लिए मैं वहां जाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैं वहां पर होता, तो निश्चित रूप से वहां गोलीकाण्ड नहीं होता चाहे मुझे खुद को गोली खानी पड़ती। प्रशासनिक अधिकारियों ने, प्रशासनिक नौकरशाहों ने मेरी उपेक्षा की और नतीजा यह हुआ कि वहां पर इन्होंने अपने सामन्तशाही व्यवहार के कारण, अलोकतांत्रिक व्यवहार के कारण गोलियां चला दीं और इस सरकार के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। बहुत से लोगों ने मुझे ही उसके लिए जिम्मेदार बताया। हालांकि मैं वहां पर नहीं था। यहां पर मैं उन्नीस तारीख को आ गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे एक माननीय सदस्य ने एक पुलिस अधिकरी के झापट रसीद किया था तब हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने उस मसले को गम्भीरता से लिया था और उन्होंने इस बात की जानकारी प्राप्त की थी कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति थी जिससे माननीय सदस्य को एक ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम देना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने सब बातों की जांच की और जांच करने के बाद जैसा कि मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक ऐसा आदेश निकालना पड़ा कि जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाए। जैसे ही वे मिलने आएं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएं, उनको आदर से बैठाया जाए और उनकी बात को सुना जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि एम.एल.ए., एम.पी. या जनप्रतिनिधि किसी प्रशासनिक अधिकारी को टेलीफोन करते हैं तो उनकी बात को प्राथमिकता के आधार पर सुना जावे। यदि प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो अटेंडेंट जो रिसीव करता है टेलीफोन को, उसको टेलीफोन नम्बर नोट करना चाहिए और जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी वापस आता है, तो उसे जनप्रतिनिधि से सम्पर्क करना चाहिए और बात पूछनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने कायम की। हमें लगा

(श्री दुर्गाप्रसाद)

कि अब हमारी पूछ होगी, जनप्रतिनिधियों की कुछ बात मानी जायेगी और प्रजातंत्र सफल होगा। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, नौकरशाहों ने हमारे मुख्य मंत्रीजी के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उन्होंने उसी प्रकार पूर्ववत आचरण शुरू कर दिया। हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार काम करते हैं जैसे कि इस देश में प्रजातंत्र नहीं है। वहीं अंग्रेजों का राज है, राजा महाराजाओं का राज है और सामन्तशाहों का राज है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार ये प्रशासनिक अधिकारी काम करते रहे तो सच मानिए यह देश का लोकतंत्र ज्यादा समय नहीं सफल हो पाएगा।

श्री जर्नादन गहलोत (करौली) : स्पेसिफिक नाम तो बोलो कौन है, प्रशासनिक अधिकारी कौन है, क्या है, कहां हुआ समझाओ तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं एक जनरल बात कहता हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): दुर्गा प्रसादजी, प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात नहीं सुनें और वह प्रशासनिक अधिकारी सिर उठाकर चला जाए, ऐसा होता है क्या कभी?

श्री दुर्गाप्रसाद : अभी हुआ है न। हमारे गंगापुर में गोलीकाण्ड हुआ।

महोदय, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे गंगापुर में गोलीकाण्ड हुआ। गोलीकाण्ड प्रशासनिक अधिकारियों की गलती के कारण हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, वह कहते हैं कि जनता ने पत्थर मारे, इसके कारण हमने गोलियां चलायीं। मैं पूछना चाहता हूं उन प्रशासनिक अधिकारियों से कि कितने आदमी घायल हुए, कितने पुलिस अधिकारी मरे और कितनों के गम्भीर चोटें आयीं, क्या उनके पास जवाब है? एक भी आदमी गम्भीर रूप से घायल नहीं हुआ और गोली चलाने से पहले यह तो है ही नहीं कि पत्थर मारा और गोली चला दी। गोली चलाने से पहले अश्रु गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो वहां पर फायरब्रिगेड से पानी की बौछारें डाली जा सकती हैं, रबर की गोलियां भी चलायी जा सकती हैं। गोली कभी भागते हुए लोगों पर नहीं चलायी जाती, आदमियों को मारने के लिए नहीं चलायी जाती। गोली तो केवल भीड़ को भगाने के लिए चलायी जाती है और हवाई फायर किये जाते हैं, तो यह क्या प्रशासनिक उद्दण्डता

(श्री दुर्गाप्रसाद)

नहीं थी? आप कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी सही काम कर रहे हैं। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? वहां पर तीन आदमी मौके पर मरे, सात आदमियों के गोली लगीं जिनका कि यहां पर आज तक एस.एम.एस. हास्पिटल में इलाज करा रहे हैं। क्या यह प्रशासनिक अधिकारियों की उद्दण्डता नहीं थी?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन पर, इनकी गतिविधियों पर पूरी तरह काबू नहीं किया जाएगा तब तक मैं सोचता हूं कि देश का लोकतंत्र ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता और हम लोग यदि इसी प्रकार उपेक्षा महसूस करेंगे तो एक दिन बगावत हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई विधायक किसी अधिकारी के झापट मार दे या कोई पुलिस अधिकारी गोली चला दे, इन सब बातों से बचने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को कुछ नियम और कायदे बनाने पड़ेंगे, कोड आफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा।

श्री जनार्दन गहलोत : बने हुए हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद : बना हुआ है, तो उसका प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय गहलोत साहब, आपको क्या पता है कि कोड आफ कंडक्ट है और किस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।

मैं अपनी बात कहता हूं कि मैंने एक अधिकारी विशेष को कार्ड दिया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद : टाइम खतम हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। कह दिया न। सरकार ने सुन लिया।

श्री दुर्गाप्रसाद : शार्ट कर रहा हूं, साहब। मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं अपने आप। मैं माननीय सदस्य का जवाब दे रहा हूं। मैंने एक कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद पन्द्रह मिनट बाद मुझे बुलाया गया। अधिकारीजी यह जानते थे कि एम.एल.ए. का कार्ड है फिर भी टेबल पर निगाह नीची करके लिखा पढ़ी कर रहे थे कि मैं जाकर उनके सामने खड़ा हो गया और फिर बोले, बोलो भाई क्या बात है। यह कोई तरीका है? यह जनता का राज है? यह क्या देश का लोकतंत्र है?

श्री जनार्दन गहलोत : नाम बताओ उसका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : यह बाद में बताऊंगा। मैं होम मिनिस्टर को बता दूंगा, वित्त मंत्रीजी को बता दूंगा और मुख्य मंत्रीजी को बता दूंगा पर यहां पर नहीं बताऊंगा। यह मेरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री जनार्दन गहलोत : जब आपको वहीं बताना है, तो फिर इस सदन को क्यों बता रहे हो?

श्री दुर्गाप्रसाद : मैंने एक बड़ा उदाहरण दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो आपकी हालत जब है, आप कांग्रेस का साथ दे रहे हो और हर वक्त साथ रहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री दुर्गाप्रसाद : यह कांग्रेसियों की भी हालत है मेरी ही नहीं है। अभी कमलाजी भी कह रही थीं और दूसरे साथी लोग भी कह रहे थे। मैं इस प्रशासन में बैठे हुए मंत्रीगण से कहूंगा, दुर्भाग्य से हमारे मुख्य मंत्रीजी आज नहीं हैं वह एक अच्छे अधिकारी हैं, एक अच्छे मंत्री हैं और उन्होंने हमारे लिए, विधायकों के लिए काफी सुविधाएं भी दी हैं, हमें साठ लाख रुपये का फण्ड दिया, एक हमें क्लर्क भी दिया और दूसरी सुविधाएं भी दे रहे हैं, परन्तु दु:ख तो इस बात का है कि नौकरशाह हावी होते जा रहे हैं। जब तक इन नौकरशाहों के खिलाफ हमारी सरकार मुस्तैदी से कोई एक्शन नहीं लेगी, इनके खिलाफ अक्सर क्या होता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो कभी-कभी बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आप रिपीट कर रहे हैं। एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। बात तो वही है।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं तो आसन की व्यवस्था का आदर करता हूं, बैठ जाऊंगा, परन्तु पूरी बात तो कहने दो।

याचिका का उपस्थापन

रामसर-नागौर, वाया छापड़ा तंवरा डेह सड़क के डामरीकरण हेतु

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, रामसर-नागौर वाया छापड़ा तंवरा डेह सड़क का डामरीकरण करने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री सी. पी. जोशी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,72,91,87,000/- (पैंतीस अरब, बहत्तर करोड़, इक्यानवें लाख, सत्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में बार-बार समानीकरण के तौर पर शिक्षकों के पद घटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. राजीव गांधी पाठशालाओं हेतु भवन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. सीमावर्ती जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में अध्यापकों का कैडर अलग किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
4. सीमावर्ती रेगिस्तानी जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में लगातार अध्यापकों के सैकड़ों पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

5. शिक्षा स्तर को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

6. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पिछड़े वर्ग की बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुए कालेज खोले जाने तथा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जहां-जहां प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यालय नहीं खोले गये हैं वहां विद्यालय खोले जाने तथा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

7. शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर का अनुदान 90 प्रतिशत बढ़ाये जाने एवं राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेवाड़ा में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरादा, बरछावाड़ा, बैड़ा, झापरा, डोलकुजला, माण्डेला, गंधवा में प्रधानाध्यापक के पदस्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

9. राज्य में अधिक से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

11. मण्डावर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मातौर एवं जिन्दौली में क्रमशः उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने तथा तहसील मण्डावर में बालिकाओं का उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (ब्राड़ी)

12. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के बसई डांग उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंचनपुर माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

13. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा स्वयं के भवनों में न चलने वाले विद्यालयों को भवन उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

15. प्राथमिक विद्यालय बावड़ी, मारवाड़ जंक्शन, बान्ता कन्या विद्यालय, गुडा प्रेमसिंह, सुगालिया तथा सिचाणा की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री केसाराम चौधरी)

16. माध्यमिक विद्यालय धेनड़ी में तीन द्वितीय ग्रेड, तीन तृतीय ग्रेड, पी.टी.आई., एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक प्रधानाध्यापक के स्वीकृत पदों पर अध्यापक लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनला में कृषि एवं विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र खारची के उच्च प्राथमिक विद्यालय, निपल को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. जोजावर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

20. जिला कोटा के बड़ौद व सांगोद में स्टेडियम का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. सांगोद जिला कोटा में महाविद्यालय तथा संस्कृत विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी)

22. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजोली एवं नीमकापुरा में शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

24. गंगापुर जिला भीलवाड़ा में स्थित अमिल बोलिया स्कूल में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के अनुपात में स्कूल प्रबन्धन द्वारा उचित शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विजय लक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़)

25. पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने एवं विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

26. विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र भादरा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं एवं

(श्री संजीव कुमार)

अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

28. श्रीमती गौरीदेवी लुहारीवाला कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादरा में जीव विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. नर्बदा देवी बिहाणी राजकीय महाविद्यालय, नोहर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. भादरा विधान सभा क्षेत्र के अनार्थिक एवं कागजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

31. लाखेरी में महाविद्यालय खोले जाने, विद्यालयों में रिक्त पद भरने एवं कापरेन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में जीव विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

32. रामगढ़ जिला अलवर में कम से कम 10 स्कूल क्रमोन्नत करने, सांस्कृतिक गतिविधि केन्द्र एवं पंजाबी साहित्य एकेडमी खोले जाने हेतु स्थान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

33. विभान सभा क्षेत्र दूदू में कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले पांच वर्ष से कार्यरत सभी अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

37. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के लम्बे समय से रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

38. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की अधिकांश स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र की राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कांवट

(श्री महादेव सिंह)

को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. राजकीय माध्यमिक विद्यालय दादिया रामपुरा, आभावास व लाखनी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांसरड़ा, गंगासागर, रलावता, बसीपुरा को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नर्सिंगपुरी व जयरामपुरा को संस्कृत प्रवेशिका में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

43. राज्य में सरकार के नियमों के अनुसार उर्दू विषय के कम से कम दस इच्छुक बच्चों के होने पर विद्यालयों में उक्त विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. प्रदेश में खोली गयी नवीन प्राथमिक पाठशालाएं खोले जाने में करौली क्षेत्र के साथ किए गए भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

45. स्कूल के क्रमोन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

46. राज्य में कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने व पुरानी धरोहर को बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. राजकीय विद्यालयों में रिक्त व्याख्याता व अन्य पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. जिला टोंक के उनियारा राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

49. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में शिक्षा के विकास हेतु कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

50. बेगूं व रावतभाटा में नवीन महाविद्यालय खोलने एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं शालाओं में पेयजल उपलब्ध कराने व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

51. राजीव गांधी विद्यालयों में अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने और प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को तृतीय श्रेणी में मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

52. राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. राजकीय संस्कृत विद्यालय चम्पाजी एवं निया में छात्र व छात्राओं की संख्या को मद्देनजर कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति और करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. रेगिस्तानी और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. रेगिस्तान और अति पिछड़े क्षेत्र में इस वर्ष तीन माध्यमिक व तीन उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द)

56. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

57. सिवाना विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष क्रमोन्नत हुये विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिणधरी में वाणिज्य विषय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पादरू में कृषि विज्ञान विषय खोलने तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय मूठली (सिवाना) में बोर्ड का सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

59. जिला बारां की किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम केलवाड़ा में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

60. गत दो वर्षों से पंचायत समिति रायपुर में रिक्त पड़े शिक्षा प्रसार अधिकारियों के तीन पदों पर पदस्थापना आदेश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. अत्यधिक छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय करमावाद पट्टा, खौड़िया (सोजत) तथा कालबकलां (रायपुर) को इसी बजट वर्ष में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

62. बजट घोषणानुसार अत्यधिक छात्र संख्या वाले माध्यमिक विद्यालय सैंदड़ा तथा कुशालपुरा गरीब क्षेत्र में संचालित विद्यालयों को इसी बजट वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखभाल सफाई, पानी हेतु अनुबंध पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

64. ग्रामीण लोक गीतों के संरक्षण के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लोक गीत रिकार्ड कर सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

65. कोटा जिले के कस्बा इटावा में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66. इटावा जिला कोटा में आई.टी.आई. विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

68. मण्डावर उच्च माध्यमिक विद्यालय में नये विषय खोलने एवं खानपुर डागरान में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के ग्राम माजरा (भानोत) में स्थित प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के ग्राम नागलसीमा में प्राथमिक विद्यालय को मात्र बालिका प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने व विद्यालय का नाम इस ग्राम में हुये एक शहीद के नाम से रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के टोडरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

72. पंचायत समिति धोद में एक भी राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय की सुविधा नहीं होने एवं धोद माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं सांगलिया माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अमराराम)

73. राज्य में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

74. स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

75. कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत समितियों में स्थानान्तरित करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आने व शिक्षा का राजनीतिकरण होने पर चर्चा के लिए।

77. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को पूर्णतया पृथक कर अलग से निदेशालय स्थापित करने से विभाग में शिक्षकों व छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं आंतरिक असमंजस पैदा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. राज्य में अनावश्यक रूप से सरकार द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोलकर बेरोजगारी बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

79. राज्य में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में पूर्णतया विफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

80. अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं पर राज्य सरकार का किसी तरह का भी अंकुश या नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

81. झुंझुनूं जिले के ग्राम बिजूसर की मिश्री बाई केड़िया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

82. तीन वर्ष से रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. शिक्षा की कोई नीति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

84. डूंगरपुर जिले में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. डूंगरपुर जिले में शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

86. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम कोटड़ा में दूर-दराज बिखरी आबादी बाहुल्य आदिवासी अंचल हेतु शिक्षा

(श्री मांगीलाल गरासिया)

के नये पैकेज देने, विद्यालय क्रमोन्नत में ज्यादा प्राथमिक देने तथा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला दूर-दराज में खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा)

87. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के बागड़ की कला और संस्कृति एवं ग्रामीण शिक्षा के संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

88. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के अध्यापकों को अन्यत्र प्रतिनियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त रहने एवं पदस्थापित अध्यापकों के समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में शिक्षा की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

93. सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में महाविद्यालय तथा केकड़ी-नगरपालिका क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन या स्थानान्तरण या पारस्परिक स्थानान्तरण करने के लिए शिक्षा नीति में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95. केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला एवं मदरसे खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. केकड़ी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय खोले जाने एवं स्कूलों में उर्दू विषय खोलकर उर्दू अध्यापक लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. शिक्षा नौकरी का माध्यम नहीं बनकर वरन तकनीकी शिक्षा से व्यवसाय खोलने हेतु आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ममता शर्मा (बूंदी)

98. उच्च शिक्षा एवं ग्रामीण शिक्षा स्तर में अत्यन्त कमियां होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

99. राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ामलानी, धोरीमन्ना, चवा, रावतसर, सनावड़ा, आडेल में व्याख्याताओं व प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, धोरीमन्ना एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय भेडाना, रामजी का गोल, कोजा, नगर, होडू, छोटू, महेलू, सरणू, नोखड़ा, मांगता, लोहारवा में विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापक व सहायक वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

101. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्राम रानी व नाडोल में संचालित विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

102. कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

104. शिक्षा में समानीकरण के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. लोक जुम्बिश में पुस्तकों के क्रय में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

106. एस.टी.सी. प्रशिक्षण बन्द होने से ग्रामीण छात्र–छात्राओं का अध्यापक बनने से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर)

107. विधान सभा क्षेत्र नोहर के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

108. सिरोही में एक नया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

110. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री संयम लोढ़ा)

111. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज में विज्ञान संकाय में गणित व वनस्पति शास्त्र के व्याख्याता लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

112. इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर के प्रबन्ध समिति के चुनावों को सहकारी विभाग द्वारा 45 दिन में प्रशासक द्वारा कराये जाने के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से पूर्व कमेटी को मान्यता देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

113. राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. बालिकाओं के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. जैसलमेर में माध्यमिक विद्यालयों में संगीत विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक स्तर तीसरी कक्षा तक रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. जैसलमेर जिले में अध्यापकों के पद स्थायी रूप से रिक्त रहने की स्थिति में अलग से सीमावर्ती कैडर बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)

118. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नवीन राजीव गांधी पाठशालाओं की स्वीकृति एवं निम्बाहेड़ा महाविद्यालय में विज्ञान विषय खोलने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

119. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के पाटन में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. राज्य की शिक्षा नीति में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)

121. माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

122. जमनाबाई पारख राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, ग्राम लोलवाट जाटावास, फलोदी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. राजीव गांधी पाठशालाओं में अशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के औचित्य एवं उनको मिलने वाले वेतन पर चर्चा के लिए।

124. फलोदी, विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन शिक्षा सत्रों से आवश्यक विद्यालयों को क्रमोन्नत न करने एवं भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

125. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हेतु बजट में प्रावधान कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गैडाकलां, खोखर, चिताई एवं बासेड़ राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गच्छीपुरा, भकरी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राबड़ियाप, पीलवापीह, गुलर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. उप खण्ड मुख्यालय, परबतसर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

129. राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

130. श्री राजीव गांधी पाठशालाओं में कम शिक्षित व्यक्तियों को अध्यापक नियुक्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131. राज्य के बजट में प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. राज्य के विभिन्न जिलों में समान अनुपात में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

134. जिला बीकानेर में विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा तथा इस हेतु बजट में दस करोड़ रुपये का प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

135. राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, उदयपुरवाटी में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में संचालित उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. टी.वी. के विभिन्न चैनलों पर महिलाओं की अर्द्ध नग्न व अश्लील दृश्य दिखाकर भारतीय संस्कृति पर हो रहे आक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. झुंझुनूं जिले के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, पचलंगी में कार्यरत अध्यापिका के खिलाफ अनुपस्थित रहने पर प्राप्त शिकायतों की जांच में देरी करने तथा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

139. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय शिक्षा में कार्यरत पी.टी.आई. द्वारा अपने से सम्बन्धित खेलों में अनिवार्य रूप से कम से कम पांच-पांच जिला एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतिभाओं को तैयार करने हेतु पाबंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. अजमेर के ऐतिहासिक एवं शैक्षिक महत्व एवं ख्याति को देखते हुए मुख्यालय स्तर पर कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु संगीत एवं नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी के सेंटर की स्थापना कर इनकी नियमित गतिविधियों का संचालन करने के साथ-साथ अजमेर को शैक्षिक जगत में विशिष्ट दर्जा एवं पहचान दिलाने की दृष्टि से आक्सफोर्ड पैटर्न पर सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकृत कम्प्यूकाम संस्था द्वारा स्वयं एवं उसके अधिकृत ए.बी.ए. द्वारा राज्य के विभिन्न स्कूलों में छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा के सम्बन्ध में किए

(श्री ललित भाटी)

गए करार एवं शर्तों का उल्लंघन करने तथा छात्र-छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त संसाधन एवं शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. अजमेर शहर के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने तथा प्रधानाध्यापकों रहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चल रही शैक्षिक गतिविधियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. अजमेर शहर के अधिकांश राजकीय एवं निजी क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में खेलकूद का मैदान उपलब्ध कराने तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा के खेल मैदान का जीर्णोद्धार कर आदर्श खेल मैदान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

144. राज्य में सेवानिवृत्त हुए व स्वर्गवासी उर्दू अध्यापकों के स्थान पर सामान्य शिक्षक लगा देने अथवा पद समाप्त कर दिये जाने से उर्दू भाषा के अध्ययनरत छात्रों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गोपालगढ़ व मूण्डियां तहसील नगर (भरतपुर) को उच्च माध्यमिक तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदपूरी व पापड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. उर्दू एवं बृज भाषा अकादमियों को बढ़ावा देने हेतु इनको दी जा रही अनुदान राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण राज्य के छात्रों को अदीब-ए कामिल, अदीब-ए माहिर, अदीब, इब्तेदाई व मोअल्लिम को पूर्व की भांति मान्यता प्रदान करते हुए उर्दू अध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. अल्पसंख्यकों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों की भांति प्रदेश में अलग से मदरसा बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

149. ग्राम धोलिया, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के माध्यमिक विद्यालय का नाम श्री नन्दलाल दाधीच (दानदाता भामाशाह) के नाम करने का निर्णय अभी तक सरकार के विचाराधीन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. चालू वर्ष 2002-2003 के बजट में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

151. ब्लाक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में यू.डी.सी. के पदों का कोई औचित्य नहीं होने से इस पद को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में लम्बे समय से चले आ रहे शिक्षकों के पद समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिए।

153. पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में जनता की मांग के अनुसार और श्री राजीव गांधी पाठशालाएं खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

154. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर, प्रारम्भिक, प्रत्येक ब्लाक शिक्षा अधिकारी विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गत तीन वर्षों में की गई जांच, दौरे (निरीक्षण) पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की माध्यमिक विद्यालय, देवगांव, लालगढ़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. राज्य में सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बीमा राशि के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर एवं माध्यमिक विद्यालय, ठीकरिया व मीणान चाकसू में अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कस्बा बस्सी में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

159. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राजकीय विद्यालयों में भवन, बाउण्डरी, शौचालय, पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिए।

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

160. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ा नयागांव, गुढ़ा एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय, हिण्डौली को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नीमकाखेड़ा, छाबड़या का नया गांव, गुढ़ा तरकड़ी, सीलोर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तलाव गांव, हुवांलिया को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

164. वर्ष 2001-2002 में घोषित 500 मदरसों में पेरा अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165. उच्च प्राथमिक विद्यालय, बबाईचा (अजमेर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदार सिंह ढाणी (अजमेर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

167. प्राथमिक विद्यालय, श्योपुरा (अजमेर) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

168. विधान सभा क्षेत्र भिनाय के अधिकतर विद्यालयों में पद रिक्त होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

169. राजनैतिक आधार पर विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

170. समानीकरण के कारण पदों में कटौती करने से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

171. श्री राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में व्यर्थ व्यय पर चर्चा के लिए।

172. शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की नीति न होने से शिक्षकों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

173. राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कार खरीदने में की गई अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग की प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. अध्यापकों से आठवीं एवं पांचवीं बोर्ड की परीक्षा निकट होने के बावजूद मतदाता सूची एवं वर्ष में कई बार सर्वे का कार्य करवाने से विद्यार्थियों के अध्ययन में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर के अधीन कार्यरत अध्यापिका श्रीमती उर्मिला शर्मा को पेंशन व अन्य लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर के स्टोर का वर्षों से भौतिक सत्यापन न करवाए जाने एवं प्रदेश में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिए।

177. शिक्षक संघों से 29.4.1998 को हुए समझौते के अनुरूप अध्यापकों को केन्द्र के समान 01 जुलाई, 1998 से वरिष्ठ एवं चयन वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम (किशनगढ़)

178. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अन्तर्गत लोक देवता तेजाजी महाराज की क्रीड़ास्थली रहे लाच्छा बावड़ी व सुरसरा स्थानों को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. लोक देवता तेजाजी महाराज की जीवनी पर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक भाषा में नाटक के मंचन पर चर्चा के लिए।

180. लोक देवता तेजाजी महाराज पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित व मौखिक गाथाओं को राजस्थान प्राच्य शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा संग्रहित कर प्रकाशन कराने पर चर्चा के लिए।

181. लोक देवता तेजाजी महाराज की जीवनी को फांग शैली में अंकित कर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा प्रदर्शनी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

182. बगड़ावत व लोक देवता देवनारायण की लीलाओं के क्रीड़ास्थल रहे अजमेर, भिनाय व आसीन्द आदि स्थानों में सर्वे कर उनकी प्राचीन किलों, मंदिरों, बावड़ियों आदि का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य

(श्री गोविन्द सिंह)

में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. महान स्वतंत्रता सेनानी व उत्कर्ष साहित्यकार तथा विभिन्न प्रतिभाओं के धनी स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह, संरक्षण तथा सम्पादन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. ''मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान'' टोंक द्वारा अजमेर से अनुदान स्वरूप प्राप्त की गई हस्तलिखित ग्रंथ मुद्रित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं प्रकाशन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. ''राजस्थान संगीत नाटक अकादमी'' द्वारा भोपा-भोपी द्वारा लोक देवता देवनारायण की फड कला प्रस्तुति का उचित संरक्षण नहीं देने से फड कला के विलुप्त होने की आशंका पर चर्चा के लिए।

186. लोक देवता देवनारायण की फड शैली की कलाकृतियों को संरक्षण व उनकी राजस्थान ललित कला अकादमी के माध्यम से प्रदर्शनी आयोजित करने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

187. भगवान महावीर के 2600 वें जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष में आर्थिक सहायता एवं अनुदान देने में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा नीति अपनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

188. राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

189. लोक जुम्बिश परिषद् द्वारा श्री राजीव गांधी पाठशालाओं, शिक्षाकर्मी विद्यालयों के भवनों के निर्माण की बी.एस.आर. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर की बी.एस.आर. से कम होने से निर्माण कार्यों को करवाए जाने में आ रही बाधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

190. राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, शेखीसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चार बजे मुखबंद का प्रस्ताव है। जो भी माननीय सदस्य बोलें, समय सीमा का ध्यान रखते हुए बोलने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र सराधना।

मांग संख्या-24 पर विचार

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मेरे विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। आज राजस्थान में जिस गम्भीरता से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक अच्छा संकेत है समाज के लिए और वह यह भी कि सारे देश में साक्षरता पर जब गम्भीरता से चर्चा होती है राजस्थान का बहुत पिछड़ापन था। सन् 1951 में 8.5 परसेंट था और आज वह स्थिति बढ़ करके 62 परसेंट के करीब हो गयी। यह हमारे इस प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

इस पर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए गये वर्तमान सरकार ने शिक्षा दर्पण के माध्यम से सर्वे करवा करके उन बच्चों की निशानदेही की गयी जो बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे और स्थिति यह रही कि उन तेइस लाख बच्चों में से चाहे वह राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से करें चाहे और किसी शिक्षाकर्मी के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। आज स्थिति यह है कि ग्यारह लाख बच्चे ही केवल मात्र आउट आफ स्कूल रहे हैं लेकिन इस सारी योजनाओं के साथ शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ है और गुणात्मक वृद्धि भी हुई है।

मान्यवर, निजी शिक्षण संस्थाओं को भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और एक तरह से इतनी छूट मिल गयी है जो जहां चाहे स्कूल खोल सकते हैं और जब उसके तीन वर्ष पूरे होने के बाद उसको क्रमोन्नत भी करने में राज्य सरकार की तरफ से बड़ी शिथिलता दी जा रही

(12.34 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

है। सही मायने में देखा जाए, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में निजी शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से यह एक व्यापार का रूप लेती जा रही है यह कालान्तर में जाकर एक चिन्ता का विषय बन सकता है। इन निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो गया है। आज जयपुर में ही देखा जाए, तो यह महसूस करेंगे आप भी कि जिन लोगों ने इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके या शिक्षा को व्यापार बना करके जो विद्यालय खोले गये हैं और उन विद्यालयों में भर्ती करने के लिए, मैं समझता था इन शब्दों का मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए, आर.टी.डी.सी. में जिस तरह लपकों का एक गिरोह व्याप्त हो गया था इन लड़कों को, बच्चों और बच्चियों को पकड़ने के लिए भी ऐसे लपके तैयार किए जा रहे हैं कि मेरी संस्था में ज्यादा ले करके आओगे तो हम

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आपको कमीशन देंगे। यह शब्द बड़ा अनुचित लगता है मुझे शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन स्थिति ऐसी पैदा होती जा रही है। इन शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखने की कोई न कोई ऐसी रूपरेखा बनायी जानी चाहिए।

दूसरा निवेदन है जहां पर सैकण्डरी स्कूल आपने सरकारी दे रखी है वहां पर यह भी नहीं देखा जा रहा है कि दूसरी गैर सरकारी संस्था को क्रमोन्नत करने के आदेश दिए जा रहे हैं या उस प्राइवेट संस्था को जो सैकण्डरी स्कूल में परिणत करने के आदेश दिए जा रहे हैं, तो उसका असर उस सैकण्डरी स्कूल पर क्या पड़ेगा जो राजकीय संस्था चल रही है। कई राजकीय संस्थाओं की स्थिति यह होती जा रही है कि वह प्राइवेट संस्था के कारण चाहे उनका आकर्षण हो, चाहे उनका व्यवहारिक सम्पर्क हो, किन्हीं भी कारणों से उन राजकीय संस्थाओं पर, सैकण्डरी स्कूलों पर बड़ा दबाव पड़ता जा रहा है और लड़कों की कमी होती जा रही है। मैं समझता हूं यह राज्य सरकार के लिए, विभाग के लिए एक शर्मनाक विषय है कि हमारी सरकारी संस्थाओं में छात्र नहीं जाना चाह रहे और प्राइवेट संस्थाओं में फीस देकर पढ़ना चाह रहे है। इसका मतलब यह है कि या तो हमारी जागरूकता की कमजोरी है या उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स की इच्छा शक्ति की कमजोरी है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नत करने के लिए आदेश देने से पहले कम से कम इस बात पर गौर किया जाए कि हमारी जो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं कहीं उनको नुकसान न हो जाए, वह बन्द न हो जाए और स्थिति ऐसी आती जा रही है, कई शिक्षण संस्थाओं को देखा जाए, मैं आपको उदाहरण पेश कर सकता हूं कि वह शिक्षण संस्थाएं बन्द होने की स्थिति में हैं। मेरे यहां जमुवारामगढ़ में एक नूरपुर स्कूल है वहां पर दो टीचर और तेरह छात्र हैं, मधुसूदनपुरा में यही पोजिशन है, हरचन्दपुरा में यही पोजिशन है। लड़कों को मुश्किल से पकड़-पकड़ कर वहां पर टीचर लाता है और वहां पर लड़के नहीं हैं। लड़के नहीं होने का कारण है वहां पर शिक्षण का कार्य ठीक नहीं है और उसका या तो सुपरविजन ठीक नहीं है या इंस्पैक्शन ठीक नहीं है या उस पढ़ाने वाले टीचर की इच्छा शक्ति मर चुकी है जिसके कारण वह लड़के भाग भाग कर प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे हैं। हर गार्जियन चाहता है कि मेरा लड़का अच्छा पढ़े लेकिन जब सरकारी शिक्षण संस्था में काम नहीं होता है तो प्राइवेट शिक्षण संस्था में भेज रहे हैं।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

इसलिए इन शिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नति, रजिस्ट्रेशन और रिकगनाइजेशन देने से पहले कम से कम इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, अफरा तफरी में इनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए कि जहां चाहो वहीं स्कूल खोलकर अपना काम चलाओ। यह व्यापारिक तरीके से निजी शिक्षण संस्थाओं का कार्य चल रहा है।

आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। मैं इस बात के लिए पहले भी इस सदन में धन्यवाद दे चुका हूं और राजस्थान सरकार को और शिक्षा विभाग को और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल कर सारे प्रदेश में एक शिक्षा का माहौल बनाया और वह शिक्षा का माहौल इस तरह से बना कि एक गरीब आदमी कभी महसूस नहीं करता था कि मेरी ढाणी में स्कूल हो जाएगी या मेरे मगरे में स्कूल हो जाएगा और मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा, वह समझता था मेरा बच्चा बड़ा होगा जब जाएगा। बड़ा होने से पहले उसको ढांढे, ढोर, खेत पर लगा दिया करता था। वह गरीब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए राजीव गांधी पाठशाला में भेजता है। शिक्षा सहयोगी आपने उसमें लगाए हैं, शिक्षा सहयोगी के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं यद्यपि 1200 रुपए में आपने लगाए और अपने अपने हिसाब से आपने इसमें गौर भी किया है, चार सौ रुपए का इंक्रीमैंट दे करके आपने उनको बढ़ाने की कोशिश भी की है लेकिन आगे आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विभाग को निवेदन करना चाहता हूं कि इन शिक्षा सहयोगियों में जिन शिक्षा सहयोगियों का रिजल्ट अच्छा रहे, जिनकी इच्छा शक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली हो, केवल मात्र नौकरी के लिए जो आ गये उनकी भी छंटनी होनी चाहिए। जो समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हों उन लोगों को आगे बढ़ा करके रेगुलर टीचर भी बनाया जाए और राज्य सरकार की सेवा भी उसको दी जाए।

दूसरा, राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षा सहयोगियों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने आज तक राजीव गांधी पाठशाला में शिक्षा सहयोगी का चयन तो कर लिया और पंचायती राज को छूट दे दी उन शिक्षा सहयोगियों को चुनने में, बीच में एक आब्सट्रक्ट भी आया, हाई कोर्ट का फैसला भी हुआ उसके अनुसार भी आपने काम करना शुरू किया लेकिन आज तक भी शिक्षा सहयोगियों के बारे में सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए हैं और न ही इन पर अभी तक कोई सही मायने में नियंत्रण हो पाया है। कौन इसको हटाता है, कौन लगाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मेरे यहां पर एक राजीव गांधी पाठशाला खोली और पहले पहले टीचर एक राधेश्याम नाम का आया और उसने छह महीने तक तो स्कूल चलायी, जब उसको 1200 रुपए में रास नहीं आये उसने प्राइवेट शिक्षण संस्था खोल करके शुरू कर दिया और हमारी संस्था को बन्द कर दिया। जब छह सात महीने तक वह बन्द रही, पंचायत दूसरी आयी, पंचायत ने बात की और ई.ओ. से, बी.डी.ओ. से बात करके उन्होंने कहा, दूसरा प्रस्ताव ले सकते हो आप। उन्होंने आज्ञा दे करके उस शिक्षण संस्था में राजीव गांधी पाठशाला में दूसरी शिक्षा सहयोगी चुनने के लिए वार्ड सभा करवा दी, ग्राम सभा करवा दी, दूसरी शिक्षा सहयोगी का चयन कर लिया और शिक्षा सहयोगी आज भी वहां काम कर रहा है और अब जब यह मालूम पड़ा राज्य सरकार ने एक एलान कर दिया, एक इंडिकेशन दिया कि इन शिक्षा सहयोगियों में से चुन करके हम इन लोगों को रेगुलर टीचर बनाएंगे। तो पहले वाला जाग गया कि मैं भी वापस आना चाहता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। राज्य सरकार ने फैसला कर दिया विभाग ने एक आर्डर दे दिया कि जो एक बार लग गया वह छूटेगा नहीं, उसको हटा नहीं सकते, हटाने का कोई पावर नहीं है, हटाने का पावर नहीं है, तो वह दूसरा भी आ गया। जो 6 महीने, 7 महीने काम करके चला जाता है और संस्था को छोड़कर चला गया। संस्था को बन्द करके चला गया, अब वह दूसरे टीचर को भी तनखाह नहीं मिल रही है और पहले वाले टीचर को भी तनखाह नहीं मिल रही है।

मैं इसलिये निवेदन कहना चाहता हूं कि आपके इस मामले में क्लीयर कोई निर्देश हैं नहीं। न आपके विभाग के अधिकारी इस बात को जानते हैं। सब टालमटोल के चक्कर में रहते हैं। कभी वह ई.ओ. को भेजते हैं, कभी ए.ई.ओ. को भेजते हैं और कभी डी.ई.ओ. को भेज देते हैं। इस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है और इस पर नियंत्रण भी सही मायने में खतम होता जा रहा है उस आपके आदेश से। एक इस आदेश से कि बार शिक्षा सहयोगी चयन करने के बाद में हटाया नहीं जा सकता। इस आदेश से लोगों का नियंत्रण भी खतम हुआ है इसलिये इस पर भी आप गौर करें और जल्दी से जल्दी इसके नियम बनाने की कार्यवाही करें।

आपने एक और सबसे बड़ा काम किया राजीव गांधी शिक्षा संकुल के नाम से।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो 15 मिनट का टाइम दिया था, साहब।

श्री सभापति : पहली घंटी है। पहली घंटी है। यह शुरूआत है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं बड़ा अनुशासित हूं, मैं फटाफट बैठ जाउंगा। मैं निवेदन यह कर रहा था, शिक्षा संकुल के नाम पर सारे आफिसेज को आपने एक जगह किया है और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और लाभ इसलिए मिलेगा कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक हों, चाहे शिक्षा से पीड़ित कोई है उसके गार्जियन हों, चाहे आफिसर्स हों, तो सबको एक जगह बैठा करके आपने किया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कक्षा 9 से 12 तक के एस.टी.,एस.सी., ओ.बी.सी. के छात्र एवं छात्राओं के लिये बुक बैंक की स्थापना के लिये 41 लाख रुपये रखे हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं, आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि 41 लाख रुपए इतनी बड़ी संख्या के लिए कम हैं इसलिए इसको भी बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं।

आपके नये क्रमोन्नत विद्यालय करने के लिए दो सौ उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में और दो सौ माध्यमिक को उच्च माध्यमिक में बदलने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं हमारे शिक्षा मंत्रीजी राजस्थान के जाने माने शिक्षा शास्त्रियों में से हैं और हम सबकी भावनाओं को भी जानते है। पहले तो मैं आपको निवेदन करूं प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक शिक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए आपको बहुत आर्थिक बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। मात्र एक छठी क्लास खोलनी पड़ेगी। एक हैडमास्टर, एक सैकण्ड ग्रेड का टीचर आपको देना पड़ेगा और उसी माहौल में साक्षरता का जो माहौल बढ़ रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। पांचवीं पास करके नजदीक के नजदीक लड़कों को पढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी इसलिए चार आपने पहले पहल जैसे दिया था प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उसी तरह से चार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में बदलने के लिये प्रावधान रखा जाए।

दूसरा, आपने दिया है उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में बदलने के लिए। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में बदलने के लिये दौ सौ स्कूल दिए हैं। एक विधान सभा क्षेत्र में एक विद्यालय दिया है, मैं समझता हूं यह भी उचित सा नहीं लगता है। यद्यपि आप दो खोलें, तीन खोलें, हम बहुत खुश होंगे लेकिन आपकी परेशानियों, आपके विभाग की परिस्थितियों को देखते हुए, राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए हम सब लोगों ने पहले भी निवेदन किया था और आज इस सदन में आपके माध्यम से मैं मेरा अनुरोध पहुंचाना चाहता हूं सभी साथियों की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश दिए जाएं।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है और प्राथमिक विद्यालय से लेकर राजस्थान के विश्वविद्यालय तक की चर्चाएं सब जगह हुई हैं। इस विषय पर पहली वाली सरकार ने भी काम किया है लेकिन गम्भीरता से नहीं ले पाए और अब की बार हम जब महसूस कर रहे हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं निवेदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि आपने ऐसे कदम उठाए जिनके कारण से चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति सुधरी हो, चाहे उनका शिक्षण सुधरा हो, चाहे वहां का प्रशासन सुधरा हो, चाहे प्राथमिक स्कूल तक का आपने शिक्षण और प्रशासन सुधारने की कोशिश की है। इसलिए कहना चाहता हूं कि सारे देश में हमारे प्रदेश की शिक्षा के बारे में जो यह चर्चाएं होती थी, दूसरे लोग समझते थे कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरा है उसमें भी ठीक सुधार हुआ है। आपने पहली बार गम्भीरता से विचार किया है।

मैं समझता हूं सन् 1964 में 25 और 30 मई के बीच में सैकण्डरी स्कूल के रिजल्ट निकले थे। उसके बाद में मई हुआ, मई से जून हो गया, जून से जुलाई भी होने लग गयी और अब की बार यह महसूस किया गया है राजस्थान की जनता भी यह महसूस कर रही है, राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में काम करने वाले सब महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने बड़ी गम्भीरता से इस मुद्दे को लिया और जल्दी से जल्दी समय पर रिजल्ट निकालने के लिए आपने कोशिश की है। इसमें एक सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी क्लासेज की कापीज जांचने के लिए केन्द्रीय पद्धति से जो आपने तरीका अपनाया है उससे भी लाभ होगा। समय पर आपका रिजल्ट भी निकलेगा।

आपने पांचवीं क्लास का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह ही परीक्षा लेने का पेटर्न दिया है। मैं समझता हूं इसमें भी आपकी कोई न कोई भावना रही होगी। लेकिन एक कारण मेरी समझ में नहीं आता कि आपके विभाग के निर्देश गये हैं कि पांचवीं तक कक्षा में किसी लड़के-लड़की को फेल नहीं किया जाए। जब पांचवीं तक के छात्र-छात्राओं को फेल नहीं करना है, अनुतीर्ण नहीं करना है तो बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के पेटर्न पर आप कठोरता से परीक्षा ले करके उसमें क्या रिजल्ट देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह समझ में नहीं आ पा रहा है। जब तक पांचवी कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को यह मालूम नहीं पड़ेगा कि हम फेल हो सकते हैं तो उन पर भी नियंत्रण खतम हो जाता है। थोड़ा उसमें दहशत भी बनी रहनी चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे हटा दिया

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जाएगा, या दूसरी कक्षा में नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरह की बात भी आप इसमें और फरमावें।

प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा को आपने पंचायती राज को दे दिया। मेरी बहुत सारे साथियों, माननीय सदस्यों से बात हुई है, कई जगह ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि प्रधान इसमें सब कुछ काम, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल प्रधान के नियंत्रण में है और प्रधान या प्रधान के यहां पर जो शिक्षा समिति होती है वह इसका नियंत्रण रखती है पर कई जगह जो प्रधान हैं उनके पति वहां पर टीचर हैं, प्रधान कुछ नहीं करती हैं और वह टीचर सारे काम करता है, तो सारा नियंत्रण तो उनके पति का है। उस अध्यापक का है। उस अध्यापक पर नियंत्रण कौन करेगा? इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि प्राइमरी शिक्षा को केवल मात्र पंचायती राज के भरोसे छोड़ करके मैं समझता हूं, मेरा अनुभव इसमें ठीक नहीं है।

आपने उच्च प्राथमिक शिक्षा में छठी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक की शिक्षा को प्राइमरी के साथ जोड़ दिया। आपने बहुत अच्छा सोच समझकर जोड़ा है और कुछ रिजल्ट भी ठीक आ सकते हैं। लेकिन कालान्तर में जा करके मुझे यह महसूस होता है कि वही पद्धति आपको अपनानी पड़ेगी कक्षा एक से पांच तक का अलग रखना पड़ेगा और छह से दस तक का अलग रखना पड़ेगा, या छह से आठ तक का अलग रखना पड़ेगा।

आपने नया एक संशोधन करने की और सोची है। 6, 7, 8 कक्षाओं को आपने 9,10 से अलग जोड़ने की कोशिश की है तो 6,7,8 की अलग कक्षाएं होंगी, 9,10 की अलग होगी। मैं समझता हूं इसमें आपका यह सोच होगा कि शिक्षक कम लगेंगे या कम शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर भी गौर फरमाएं। पहले से भी शिक्षा विभाग के एक रूल बने हुए हैं कि थर्ड ग्रेड का टीचर 42 पीरियड लेगा, सैकण्ड ग्रेड का टीचर 32 या 36 लेगा, इस तरह का जो विधान बना रखा है और फिर सीनियर टीचर या जिसको व्याख्याता कहते हैं, वह 18 पीरियड लेगा। मैं समझता हूं इसमें क्या दिक्कत आने वाली है। थर्ड ग्रेड के टीचर को कम मेहनत करनी पड़ती है और सीनियर टीचर या उस लैक्चरर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, इसका कारण समझ में नहीं आया। बराबर के टीचर्स से पूरा उपयोग लिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं आठ पीरियड में से एक पीरियड भी इनको खाली आराम, शांति, विश्राम का दे करके उनका उपयोग किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आज राजस्थान में अध्यापकों की कमी है और हर स्तर पर कमी है। प्राइमरी से लेकर के सीनियर सैकण्डरी तक के स्कूलों में, सब में टीचर्स की कमी है और आगे आने वाले बजट में माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे मैंने निवेदन भी किया था, आपने पहले कुछ संकेत भी दिए थे हमारे सब साथियों को कि आगे आने वाले बजट में, आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में हम शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन शिक्षकों की कमी को पूरा इस तहर से न करें कि समानीकरण के नाम पर यहां से वहां, वहां से यहां, इससे मामला बैठता नहीं है। नयी भर्ती से नयी भर्ती भी करें तो मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा सहयोगी के माध्यम से ही थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती करें जिससे शिक्षा सहयोगी में काम करने वालों को भी उत्साह और सम्बल मिले।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मेरे सुझावों पर आकर्षित करते हुए, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए, धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी 35 अरब, 72 करोड़, 91 लाख की शिक्षा की मांग को ले करके हमसे पारित करवाने के लिए आज प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर बोलते हुए मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था एरोगेंस बाई नेम इज सी. पी. जोशी, लेकिन मैं इसके बिलकुल विपरीत उनसे कहना चाहती हूं कि वह शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री होने के नाते इंटेलक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं और जब वह शिक्षा मंत्री बने तो राजस्थान की जनता ने बड़ा इस बात के ऊपर सोचा था कि वह शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा में कुछ नये सुधार, शिक्षा को कुछ नया स्वरूप देंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है यह कहते हुए कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी न कोई शिक्षा की नीति उन्होंने बनाई, न उन्होंने कोई स्थानान्तरण की नीति बनाई, न कोई समानीकरण की नीति बनाई, इस प्रकार से तीन साल तो बीत गए और यदि किसी प्रकार की नीति उन्होंने अभी भी नहीं बनाई, तो मैं समझती हूं कि उनका शिक्षा मंत्री रहना बिलकुल निरर्थक होगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वैसे शिक्षा के ऊपर केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भावी भविष्य भी निर्भर करता है और

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वह शिक्षा तो रह नहीं गई जो पुरातन में थी। जिस शिक्षा में ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, तकनीकी शिक्षा भी थी और उसके साथ चरित्र भी था। आज तो जैसा रामायण में कलियुग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हर माता–पिता अपने बच्चे को वही शिक्षा दिलाना चाहेंगे जिससे वह पेट भर सके। उन्होंने यू कहा है:–

"मात–पिता बालकन्हि बुलावहिं,
उदर भरे सोई धर्म सिखावहिं।"

इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा–

"हरहि शिष्य धन शोक न हरहि,
सो गुरु घोर नरक महुं परहि।"

मतलब, आज तो शिक्षक भी शिष्य से इतना पैसा लेकर भी वह और चीज नहीं सिखाता है, लेकिन शिक्षा देने के बदले में पैसे लेना चाहता है और हर माता–पिता भी अपने बच्चे को वही शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जिस शिक्षा के जरिए वह अपना पेट भर सके, पैसा कमा सके। इसलिए आप वह बात तो छोड़ दीजिए कि जिस समय गुरु हुआ करते थे और शिष्य हुआ करते थे, गुरु का मतलब है बड़ा, गुरु विद्वान भी होते थे, पढ़ाया भी करते थे और चरित्रवान भी होते थे। आज गुरु तो रह नहीं गए, अब रह गये शिक्षक। शिक्षा का मतलब सीख, सीख पैसे के लिए वह कैसी भी दे दे, क्योंकि पैसा कमाना है। हम देख रहे हैं आज निजी शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। आप 90 परसेंट एड देते हैं उसके बाद भी आपका उन शिक्षण संस्थाओं पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। वह किस प्रकार से धांधली करते हैं। वह विद्यार्थी का भी शोषण करते हैं और उसके साथ साथ अध्यापकों का शोषण भी करते हैं। मैं उन संस्थाओं की बात नहीं कह रही हूं कि जिन संस्थाओं ने सचमुच में एक बहुत अच्छी नीयत और मंशा के साथ शिक्षा जगत में प्रवेश किया था लेकिन आज तो हालत यह है कि सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

झुंझुनूं में सरकारी कालेज लड़कियों का तो है लेकिन दुर्भाग्य से लड़कों का जिला मुख्यालय पर कोई सरकारी कालेज नहीं है और गैर सरकारी कालेज में फीस लड़कियों की फीस के मुकाबले या सरकारी कालेज के मुकाबले टैन टाइम ज्यादा है। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप यह सुविधा नहीं दे सकते, हर मुख्यालय पर यह सुविधा नहीं दे सकते, तो विद्यार्थियों का भी शोषण हो रहा है, शिक्षक का भी शोषण हो रहा है और आपकी तो नीति अब निजीकरण की ओर है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, कुछ दिनों पूर्व राजस्थान पत्रिका में 30.12.2001 को एक खबर छपी थी कि अब सरकारी स्कूल में ही निजी स्कूल, मतलब एक पारी में जहां सरकारी स्कूल चल रहे हैं, दूसरी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पारी में निजी संस्था को भी आपने छूट दे दी कि वहां पर अपना स्कूल चलाएं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि गुरु और शिक्षक की बात तो मैं प्रसंगवश कह गई। लेकिन हम शिक्षा में प्रयोग पर प्रयोग करते चले जा रहे हैं, कभी तो शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ते हैं, कभी शिक्षा को केवल डिग्री से जोड़ देते हैं। किसी जमाने में प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक एक ही निदेशालय हुआ करता था, एक ही कंट्रोल करते थे मंत्री भी एक ही कंट्रोल करते थे और निदेशालय का निदेशक भी एक ही हुआ करते थे। लेकिन आज उसको टुकड़ों में बांट करके शिक्षा को विभाजित कर दिया है। खैर, सौभाग्य की बात है कि मंत्री उसके एक ही हैं और साथ में इनके पास पंचायती राज भी है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आज मुझे इस बात की तो खुशी है और इस बात के लिए तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी, हालांकि वह केवल आपकी उपलब्धि तो नहीं है लेकिन उस उपलब्धि में बहुत साझेदारी पूर्ववर्ती...

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : आपकी भी है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मेरी तो बिलकुल भी नहीं है। लेकिन उसमें पूर्ववर्ती सरकार की भी है, क्योंकि 1991 में हमारी जो साक्षरता दर थी वह 38.55 थी और आज हमारी साक्षरता दर 61.03 हो गई है। इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र है कि कई योजनाओं के जरिए प्राथमिक शिक्षा को कई भागों में करके, सामूहिक प्रयास करके साक्षरता की दर बढ़ा दी।

श्री नारायण सिंह : पूर्ववर्ती सरकार को किस बात का धन्यवाद?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह मैंने इसलिए कहा है, आप शायद समझ नहीं पाए कि 1991 में साक्षरता की दर जो थी वह 38.55 थी और 1991 में इनकी सरकार थी। 1991 से 1998 तक इनकी सरकार रही है और 1998 के बाद, 1999 से एक तरीके से यह सरकार आई है, यहि शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हुए हैं. इसलिए दोनों का ही प्रयास तो माना जाएगा। 1991 से 2001 में जब दुबारा सेंसेस हुआ है तो उसमें यह आंकड़े आए हैं। इसलिए प्रयास दोनों का ही माना जाएगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि आज इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी है कि सम्पूर्ण भारत की औसत शिक्षा दर से हमारा प्रान्त आगे है, पुरुषों की शिक्षा में उससे भी आगे है, वहां की जो औसत है वह 75. समथिंग है, और हमारे पुरुषों की 76. समथिंग है। इसलिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इस बात के लिए तो मैं आपका साधुवाद करती हूं। लेकिन आज शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार किस सीमा तक है यह कोई कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपकी यूनिवर्सिटीज में, कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में ही मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक खबर छपी थी कि ''कोटा खुला विश्वविद्यालय में पाठ्य सामग्री तैयार कराने और वितरण में लाखों का घपला।'' आपने उसके बाद क्या किया, मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना समय मुझे आप देंगे नहीं कि मैं यह आपको पढ़कर सुनाऊं। लेकिन एम.पी.डी. स्टोर पर छापा हुआ, छापे के दौरान यह लाखों के घपले का पता लगा। यही नहीं, आपकी नाक के नीचे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी चलती है उसमें इतनी अनियमितताएं हुई हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट भरी पड़ी है। मैं यदि उन सबको कहने लग जाऊंगी तो मुझे उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन यह देखने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई वी.सी. आया, कुलपति आया उसने टेम्परेरी भी रख लिए और एडहाक बेसिस पर भी रख लिए। यह पेंशन की स्कीम लागू हुई 1990 में और आज वर्तमान कुलपति हैं वह 1990 से पहले रिटायर हो गए थे। उस समय पेंशन की स्कीम नहीं थी। लेकिन जोड़-तोड़ करके, पता नहीं क्या करके खुद अपनी तो पेंशन करा ली, खुद तो पेंशन प्राप्त करेंगे लेकिन 15-15, 16-16, 20-20 साल से टेम्परेरी जो वहां पर लेक्चरर्स हैं, प्राध्यापक हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि परमानेंट हुए बिना पेंशन नहीं मिलती है, एडहाक वाले को पेंशन नहीं मिलती है इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलेगी। एक केस तो मुझे अभी मालूम है लेकिन चूंकि यह मंच एक किसी व्यक्ति की पैरवी के लिए नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी लेकिन अंधा व्यक्ति रिटायर हो गया और चूंकि वह टेम्परेरी ही रहा, 15 साल, 20 साल तक उसने यूनिवर्सिटी में नौकरी की लेकिन उसको इन नियमों के मुताबिक पेंशन नहीं

(13.00 बजे)

मिलेगी। यह कसूर किसका है? शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज जो 15-15, 16-16, 20-20 सालों से टेम्परेरी लगे हुए हैं, यह कसूर उनका तो नहीं है, क्यों नहीं आपने उनको परमानेंट किया, क्यों नहीं आपने आर.पी.एस.सी. के सामने भेजा या क्यों नहीं आपने उनकी स्क्रीनिंग की? यह उनका कसूर तो नहीं है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इन सब बातों की ओर भी देखिए।

सी.ए.जी. ने तो बहुत कुछ कहा, बहुत घपले बताए हैं लेकिन कुलपति खुद तो पेंशन प्राप्त करेंगे, नियम विरुद्ध करेंगे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

क्योंकि वह तो आर.पी.एस.सी. में चले गये थे, जो आज भी कुलपति बने हुए हैं लेकिन बाकियों का भी कुछ तो इन्तजाम कीजिए। 200 से करीब 380 के आसपास इस तरह के लोग हैं, 160 और 120, कुल 280, इस तरह के लोग 300 के आसपास हैं जो या तो टेम्परेरी हैं या एडहॉक हैं। शिक्षा मंत्रीजी, आप रहते रहते इन पौने दो साल में कम से कम यह काम तो कर दीजिए ताकि शिक्षा शास्त्री के अनुरूप आपका कोई काम हो सके, कोई उपलब्धि आपकी हो सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सिंडीकेट, जो मुख्य यूनिवर्सिटी का कार्यकारी निकाय है।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : मैडम, एक मिनट, इंटरप्शन करना चाहूंगा। आप टेम्पेररी और एडहाक हैं उनको परमानेंट करवाने की वकालत कर रही हैं क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कह रही हूं कि चाहे अनियमित ही लगे होंगे लेकिन जिनको 15-15, 16-16, साल हो गये, उनका हटाओ और नहीं हटाओ तो आप उनको परमानेंट कीजिए और परमानेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने 15-15, 16-16 साल तक उनसे पढ़वाया है, जो कुछ भी आप करो, कोई तो निर्णय कीजिए। आपने उनके ऊपर तलवार लटका रखी है, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, ऐसा आपने कर रखा है इसीलिए मैं निवेदन कर रही थी।

सभापति महोदय, सिंडीकेट में शायद आप भी बैठते होंगे, मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है। सिंडीकेट मुख्य कार्यकारी निकाय है। वैसे तो आप बहुत पैरवी करते हैं लेकिन आपको तो नोमिनेट सरकार ने किया है, बाकी और जगहों से कोई भी उसमें, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओ.बी.सी. का व्यक्ति नहीं है, तो उनके हितों का संरक्षण कैसे हो? इसलिए जब आप और सब जगह पर हैं, इसको लागू करते हैं, तो वहां भी लागू होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : यहां पर भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है, उदयपुर में भी है, सब जगह है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने किया है न?

श्री सी. पी. जोशी : हां, हमने किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाकी कुलपति ने और उन लोगों ने तो नहीं किया, इलेक्शन से तो नहीं आए हैं न?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, माइक को भी आन करो।

श्री सी. पी. जोशी : I don't want to disturb her.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि आज राजस्थान के अन्दर 29 हजार अध्यापकों की जगह खाली है, भर्ती होनी है, 29 हजार पद खाली पड़े हुए हैं और इसमें कालेज शिक्षा के भी हैं, माध्यमिक शिक्षा के भी हैं, प्राइमरी शिक्षा के भी हैं। कालेज में तो गैस्ट फैकल्टी कर दी, 75 रुपए एक पीरियड के हिसाब से देंगे आप। मैं नहीं समझ पा रही कि आखिर यह सब प्रयोग आप कर क्यों रहे हैं? पिछली बार आपने, 7 फरवरी, 2001 को दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी और उस खबर में था कि ''शिक्षकों के हजारों पद सृजित लेकिन भर्ती एक की भी नहीं की'', सृजित इतने हम करेंगे लेकिन भर्ती एक की भी नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि कब तक आप इन खाली पदों को रखेंगे? भरने का इरादा आपका है या नहीं? शिक्षा को, शिक्षा विभाग को ठीक तरीके से चलाने की आपको मंशा है या नहीं? मुझे आप यह बताने का कष्ट करें कि आपको कौन कंफ्यूज करता है इन सब बातों में। आप तो एक जिसे कहें कि शिक्षाविद् हो, इंटेलक्चुअल हो, कौन है जो आपको कंफ्यूज करता है, दिग्भ्रमित करता है और आपको कुछ नहीं करने देता, इस मंत्रिमण्डल में कौन ऐसा व्यक्ति है?

मोहम्मद माहिर आजाद : सी.पी. जोशीजी को आप इतना मामूली चीज मान रही हो, इनको कोई दिग्भ्रमित कर दे, इनको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता, यह तो सबको कर सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, वैसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, सीनियर है लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि इनके पास अपडेटेड इंफोर्मेशन नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिए। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप कह दीजिएगा।

श्री सी. पी. जोशी : मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, अपडेटेड इंफोर्मेशन के आधार पर कहे कि रिक्रूटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिक्रूटमेंट का आपने कहा कि एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। 400 पद आर.पी.एस.सी. को एक साथ रिक्रूटमेंट करने भेजे रिक्रूटमेंट करना उनका काम है। आर.पी.एस.पी. ने करके भेज दिए, स्कूलों में रिक्रूमेंट हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कालेजों में तो गैस्ट फैकल्टी से काम चला रहे हो, कहां आप कर रहे हो, आप बार-बार यही कह रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : मैडम, आपने कहा कि एक भी नहीं किया। गैस्ट फैकल्टी इज ए डिफरेंट इश्यू। इश्यू यह है कि आप कह रही हैं कि एक भी पद नहीं भरा। हमने कालेज के अन्दर चार सौ पर सृजित किए हैं, चार सौ पदों की आर.पी.एस.सी. होगी। आर.पी.एस.सी. की प्रक्रिया में अगर दो सौ करके उन्होंने सूचना भेज दी है।

(श्री सी. पी. जोशी)

स्कूलों के अन्दर हमने लैक्चरर्स के पदों की भी आर.पी.एस.सी. करवा रहे हैं, सैकण्ड ग्रेड के पदों की आर.पी.एस.सी. करवा रहे हैं। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था कि गैस्ट फैकल्टी की जो प्रोब्लम है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह पद तो भरे नहीं हैं अभी तक।

श्री सी. पी. जोशी : किसने कहा?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब भरे?

श्री सी. पी. जोशी : भर गये। इस सत्र में, आप अपडेटेड नहीं हैं। मुझे खाली तकलीफ यह है, मैं नहीं बोलना चाहता, आप वरिष्ठ सदस्या हैं सदन की, हमारे को गाइड करें। यह संविधान में संशोधन हो गया है, इस संविधान संशोधन के बाद इस व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकें, जो मेन मुद्दा है, जिस पर तो हम चर्चा कर नहीं रहे हैं। जिस चीज की सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको हम अखबारों के जरिए चर्चा करें, सभापति महोदय, मैं उनसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जो गलत बात मैंने कही है, आप अपने जवाब के अन्दर उस बात का जवाब दीजिए और कह दें कि यह बात मैंने गलत कही है लेकिन मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए आप।

श्री सी. पी. जोशी : गलत बात हाउस में नहीं आनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि यहां तो मंत्री भी जाने कितनी गलत-गलत बातें कहते हैं, कितनी गलत बात से इस सदन को गुमराह करते हैं, तब हम तो नहीं बोलते हैं?

श्री सी. पी. जोशी : इसका मतलब यह हुआ कि आप यह कह रही हैं कि गलत को गलत बोले तो कहना नहीं चाहिए। सभापति महोदय, यह कह रही हैं कि जब कोई गलत बोले तो उसको चुपचाप सुनना चाहिए। आप इतनी सीनियर हैं, आप मुझे गाइड करें तो मैं आपकी गाइडेंस को मानूंगा या गलत बात को मानूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि किशोरपुरा ग्राम झुंझुनूं जिले में है, वहां 3 साल पहले सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी बना था और अभी तक वहां पर केवल दो अध्यापक ही हैं। पिछले दिनों मैंने चिट्ठी लिखी कि यहां पर केवल दो अध्यापक ही हैं सीनियर में कृपया आप वहां पर और लगाएं। मैं जब कभी भी वहां जाती थी तो लोग मुझे शिकायत करते थे। अब दो से एक और बढ़ाकर तीन कर दिए इन्होंने। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि केवल स्कूल क्रमोन्नत कर देने से काम नहीं चलेगा। आपने तो मिडल के अन्दर भी जहां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

8 होने चाहिए, 5 के लिए कह दिया कि अध्यापक 5 ही होंगे, यह तो आपने अपना नियम बना दिया कि यहां पर पांच ही अध्यापक होंगे। इसलिए आप चाहे जब चाहे जो कुछ कम कर दो, ज्यादा कर दो। मैं निवेदन कर रही थी कि किशोरपुरा के अन्दर तीन अध्यापकों से सीनियर सैकण्डरी चल रही है। आप मुझे बताएं अपना जवाब देते समय कि कब तक पूरा करेंगे?

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सीनियर सैकण्डरी के अन्दर वाणिज्य विषय के स्टूडेंट्स के लिए कम्प्यूटर विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दी और कम्प्यूटर के इस मामले में कम्प्यूकाम कम्पनी को जिस तरीके से फ्रैंचाइज के नाम पर उसने लाखों रुपयों का घोटाला किया है, अखबारों में भी साया हुआ है, सदन में प्रश्न भी आया था। आप इस बारे में भी आज अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इसका क्या हुआ और इस तरीके से गरीब स्टूडेंट्स से कम्प्यूटर के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस कम्प्यूटर का विज्ञापन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निकाला था जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम केवल परीक्षा करवाना है और जहां तक रहा बोर्ड की परीक्षा का, बोर्ड की परीक्षा के अंदर भी आप देखिए कि किस तरीके से प्रवेश पत्रों पर न तो फोटो डाले, न रोल नम्बर डाले, न फोटो स्केन हुए यह 8 मार्च, 2001 की खबर है और उस समय आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वालों ने न तो प्रवेश पत्रों पर रोल नम्बर डाले थे और न फोटो स्केन किए थे, सबमें इस तरीके से बहुत इसके अंदर भी जबरदस्त अनियमितताएं हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि तकनीकी शिक्षा के नाम पर एक तरफ तो जो लोग आपको भवन बनाकर दें या एक-दो साल का खर्चा दें, उनको भामाशाह के पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं। झुंझुनूं में एक बिंजुसर जगह है। वो उद्योगपति हैदराबाद में रहते हैं और उन्होंने करीब करीब एक करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनायी। पहले तो लड़कियों के कालेज के लिए तत्कालीन राज्य मंत्री जाकर उसका उद्घाटन कर आए और उद्घाटन करने के बाद उनका 17 लाख रुपया सरकार ने जमा कर दिया कि खोल देंगे। 9 महीने के बाद उन रुपयों को वापस लौटाया कि अब नहीं खोल सकते, महिला महाविद्यालय नहीं खोलेंगे। खैर, उसके बाद वो उद्योगपति वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी के पास आए और इनसे कहा कि आखिर मैंने एक करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दी है, मैंने रुपया भी जमा करा दिया, अब इसका कुछ उपयोग तो आप करिए। तो इन्होंने वहां पर आई.टी.आई. का किया और आई.टी.आई. खोली। आई.टी.आई. इस शर्त के साथ खोली...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, अपोजिशन से बोलने वाले हम आज केवल दो ही तो व्यक्ति हैं और आप यों तो मत करिए

श्री सभापति : आप तो चालू रखिए, यह तो कर्तव्य की घंटी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, लेकिन पूरे प्रतिपक्ष के टाइम में तो देओ साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा तो मत करिए आप। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल पायी, अपनी बात नहीं कह पायी हूं। मैंने प्राइमरी की तो अभी चर्चा ही नहीं की है जो असली बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप चालू रखें, यह तो आप समझ गए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो गलती से दब गयी घंटी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी...

मोहम्मद माहिर आजाद : वैसे घंटी बजाना तो श्रोता का ग्रेस बढ़ाना होता है।

श्री सभापति : आपको सबको ज्ञान है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कि वहां पर आई.टी.आई. इस कंडीशन के साथ खोली कि इसका 24 लाख रुपया तो आप देंगे अपैरेटस के लिए, कम्प्यूटर के लिए और सारे जो अपैरेटस हैं इनके लिए देंगे, इंस्ट्रूमैंट्स, इक्विपमेंट्स, इन सबके लिए देंगे और हर साल का 5 लाख रुपया आप हमको देंगे पांच साल तक खर्चे का। इस शर्त के साथ सरकार ने वो आई.टी.आई. खोली और उसके बाद एक जिसे कहना चाहिए, कम्प्यूटर का बहुत दिनों बाद, जब 5-6 महीने बीत गए तब कहीं से उठाकर भरतपुर से कोई पुराने कम्प्यूटर पड़े हुए थे वे लेकर वहां पर दो डाल दिए और इलैक्ट्रिकल का वहां पर आज दिन तक शुरू नहीं हुआ। एन.सी.बी.टी. से उसका रिकोग्नाइजेशन भी नहीं आया। अब इस हालत में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं शिक्षा मंत्रीजी, उनको भामाशाह के पुरस्कार से पुरस्कृत भी आपने कर दिया और उस आदमी के साथ डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, 25 लाख जमा करवा लिया, 5 लाख रुपया करवा लिया, 30 लाख तो जमा करा लिये, एक करोड़ की बिल्डिंग बना दी और उसके बाद हालात यह है कि बच्चे आते हैं, लेकिन वहां पर टीचर्स नहीं भेजे। 6-7 महीने तक वहां पर कोई टीचर्स नहीं गए। ऐसी हालत में कौन आएगा, कौन अपना निवेश करेगा और कौन आपकी स्कूल और कालेज चलाएगा। इसलिए आप यो हतोत्साहित न करें।

झुंझुनूं में तो शिक्षा का श्रेय सच पूछिए तो मैं आपको बताती हूं इन्हीं उद्योगपतियों को है, जिन्होंने आज नहीं,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आज तो स्वीडन सरकार, भारत सरकार आपको प्राइमरी के लिए इतना पैसा दे रही है, विश्व बैंक इतना पैसा दे रहा है, उसमें सब कर रहे हैं, लेकिन आज से 60-70 साल पहले जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, आज से 65 साल पहले तब आप देखिए वहां पर इनी-गिनी स्कूलें इन्हीं बिड़ला की और मुकन्दगढ़ के सेठ कानोडिया की हुआ करती थीं, पौद्दार की भी थी, उन्हीं की हुआ करती थीं और उन्हीं के माध्यम से यह जिला आज महिला साक्षरता के अन्दर नम्बर वन है। इसलिए मैं आपको कहती हूं जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर कुछ करना चाहते हैं उनको यों हतोत्साहित न करिए। यों आप हतोत्साहित करेंगे, तो कोई नहीं आएगा और आपकी जो नीति है, आप चाह रहे हैं शिक्षा का निजीकरण हो जाए, जब निजीकरण हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा?

माननीय सभापति महोदय, अब मैं प्राइमरी एजुकेशन पर आती हूं। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में यह बात सही है, जैसा कहना चाहिए कि आज इतनी स्कीम्स हैं कि जिन स्कीम्स के जरिए हम यहां पर साक्षरता को, बच्चों को साक्षर बनाने के लिए जुटे हुए हैं। एक नहीं, न जाने कई स्कीम्स हैं और वो स्कीम्स हैं अनौपचारिक शिक्षा है, सबसे पहले तो आपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही उदाहरण दे दूं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्दर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। यह बात तो सही है कि 16 महीने की मशक्कत के बाद में 10 आदमियों को आपने आरोपित कर दिया और उनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके आपने मुकदमा चलाने की कह दी।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : वह तो नाम ही ऐसा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्दर तो आपने किया, लेकिन आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अलावा भी कई स्कीम्स हैं, अनौपचारिक शिक्षा को ही लीजिए। मार्च, 2000 के अन्त तक आपको 20,286 केन्द्र खोलने थे, लेकिन आप केवल 16,046 केन्द्र खोल पाए। आपका लक्ष्य 5,07,150 बच्चों का था, उसके मुकाबले आप 4,10,301 बच्चों का नामांकन कर पाए। 8,900 केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए खोले जाने थे, लेकिन आपने सबको सह शिक्षा कर दिया, उनको लड़के और लड़कियों दोनों में कर दिया। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन 30 करोड़ 77 लाख रुपए का आप उपयोग नहीं कर सके जो यदि आप करते, तो इसमें और तेजी आती।

माननीय सभापति महोदय, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अधिकार मानकर पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन करके पास किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को 6 से 14 साल वाले बच्चों को सबको साक्षर बनाएं, लेकिन उन्होंने तो संशोधन पास कर दिया, लेकिन जो मां-बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते उनके लिए दण्ड का प्रावधान आप करिए। उन्होंने तो किया नहीं। जो नहीं भेजते हैं यदि आप कोई दण्ड का प्रावधान करेंगे तो निश्चित तौर से वे भी अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि आज भी जैसा आपने कहा 23 लाख बच्चों का नामांकन हुआ है, 6 लाख शहरों में, 18 लाख गांवों में, लेकिन 11 लाख बच्चे अभी भी बाकी है...(व्यवधान) जिनका नामांकन होना है।

मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि अब इसके साथ ही साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी होगी। यह भी एक एल्योरमेंट होगा और इस एल्योरमेंट के लिए भी, कुछ गरीब लोग निश्चित तौर पर अपने बच्चों को भेजेंगे। लेकिन यह जो दोपहर का भोजन देंगे वह घूघरी वाली, वो जहरीली घूघरी वाली बात तो मत कर देना आप। इस बात का तो ध्यान रखना कि जो दोपहर का भोजन दें यह कम से कम अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक हो, यह एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए एल्योरमेंट है। लेकिन अब मैंने सुना है कि आप अब इन सबको पंचायतों को सौंप रहे हैं और अभी-अभी मुझे एक मैमोरण्डम मिला था जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों के अध्यापकों को इनकी हाजिरी, गैर हाजिरी पंच और सरपंच करेंगे। आप जानते हो पंच और सरपंच, आप और हम, आप जो मंत्री बन गए, हम जो विधायक बन गए, हम ही इस वोटों की राजनीति से अपने आपको अलग नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा, जैसा कहना चाहिए, अपन ही नहीं कर पाते हैं, तो वो पंच और सरपंच जो रात दिन उस लोकल लेवल पर रहते हैं वे कैसे अपने आपको इससे अलग कर पाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके आप इसे प्रधान तक ही सीमित रखें तो ठीक है, इससे नीचे तो मत उतारिए आप। पंच और सरपंचों को आपने यह जिम्मेदारी दे दी कि वो ही हाजिरी लगाएंगे तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे तो नहीं, उनकी हाजिरी और लगा दिया करेंगे, पंच और सरपंचों के हाजिरी लगा देंगे। ऐसा तो कम से कम आप न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहती हूं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए एक लोक जुम्बिश की तरफ से भी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। ''लोक'' का मतलब है जन, व्यक्ति और ''जुम्बिश'' का मतलब है आन्दोलन। यह जन-आन्दोलन की तरह से लोक जुम्बिश संस्था है और वो संस्था साक्षरता के लिए छह साल से

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्राइमरी एजुकेशन के लिए लगी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। डी.पी.ई.पी. भी हमारे यहां पर एक जिला स्तरीय, जिसे जिला प्राथमिक शिक्षा के नाम से आप कहते हैं, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं भी हैं, शिक्षा आपके द्वार, अब आपने एक नई स्कीम चलाई है राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, वह 2001 की जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। सतत् शिक्षा भी है, अनौपचारिक शिक्षा भी है, जनशाला कार्यक्रम भी है, आंगन पाठशाला भी है, प्रहर पाठशाला भी है। इस आंगन पाठशाला और प्रहर पाठशाला का तो मुझे ही नहीं मालूम था कि यह आंगन पाठशाला और प्रहर पाठशाला क्या है। मैंने तो जब देखा तब मुझे लगा, तारीफ तो करना चाहूंगी कि आंगन पाठशाला उनके लिए है जो 15 बच्चों को लेकर, यदि मैं मेरे घर के अन्दर 15 बच्चों का नामांकन कर लूं और पढ़ाने लग जाऊं, तो मैं आंगन पाठशाला चलाने लग जाऊंगी। प्रहर पाठशाला जो बच्चे और बच्चियां काम की वजह से, पशु चराने की वजह से या अपने मां-बाप के कोई छोटे बच्चे को रखने की वजह से स्कूल में नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी दो घंटे की पढ़ाई के लिए प्रहर पाठशाला चलाई है। स्कीम्स सब अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इतनी सारी स्कीमों के जरिए जो पैसा अलग-अलग जगह से, जैसे यह एक आपकी जो शिक्षा है इसमें स्वीडिश गवर्नमेंट का 3, भारत सरकार का 2, डी.एफ.आई.डी., एक तो मेरे यह समझ में नहीं आया लोक जुम्बिश की डी.एफ.आई.डी. क्या है, इस एब्रिविएशन को मैं समझ नहीं सकी। मुझे आप खड़ा होकर बता दें।

श्री सी. पी. जोशी : यह फंडिंग जो फोरेन से अपन फंड ले रहे हैं, वह डी.एफ.आई.डी. है, ब्रिटेन की है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी, यह पूरा बता दें। पूरा एब्रिविएशन ही तो जानना चाह रही हूं मैं।

श्री सी. पी. जोशी : हां, जवाब दूंगा तब बता दूंगा। यह ब्रिटेन की एक एन.जी.ओ. संस्था है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई बात नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे ही समझ में नहीं आया, आपके भी अभी तक नहीं आया।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे समझ में तो आ गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरे तो समझ में आ गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इसीलिए मेरे खयाल से आप भी बिराज जाओ और आप भी बिराज जाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों? मैं अपनी बात कह रही हूं। मेरे को कम्पलीट तो करने दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि शिक्षा कर्मी जो स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास संस्था सीडा की तरफ से है, सरकार को सहयोग के 18 करोड़ रुपए मिले थे और क्या आप खर्च कर पाये? पूरा खर्च नहीं कर पाए। जिसमें से आपको तो 1.80 खर्च देना था, स्वीडिश गवर्नमेंट को 16.25 देना था लेकिन इस पैसे को भी आप खर्च नहीं कर पाए हैं। यह डी.एफ.आई.डी. जो है, इसमें आपको आधा-आधा करना था, मतलब 50 परसेंट आपका और 50 परसेंट गवर्नमेंट का।

श्री सी. पी. जोशी : यह शिक्षा कर्मी जो योजना है उसका जो फंड है वह डी.एफ.आई.डी. से 50:50 है। जो आप बता रहे हैं वह लोक जुम्बिश 3:2:1 का है, दोनों में फर्क है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ना, वह शिक्षा कर्मी का है।

श्री सी. पी. जोशी : डी.एफ.आई.डी. का और स्वीडिश का है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शिक्षा कर्मी है, स्वीडिश की है अन्तरराष्ट्रीय विकास संस्था की इसलिए शिक्षा कर्मी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डी.एफ.आई.डी. में है 50:50 तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, बोलने दो न।

श्री सभापति : आपका दल है उस वजह से आधा घंटा दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, पूरा बोलने दो।

श्री सभापति : आपके दल को...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं बी.जे.पी. का।

श्री सभापति : बी.जे.पी. के साथ थोड़े ही हो आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : और क्या?

श्री सभापति : आप अपने आपको बी.जे.पी. के साथ मानते हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : विपक्ष का पूरा टाइम दो।

श्री सभापति : आप उनसे लिखकर ले आओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं 5 मिनट में अपनी बात खतम कर देती हूं। आपने दो बार घंटी बजा दी, मैं अपनी बात खतम कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए साक्षर बनाने के लिए जो विभिन्न योजनाओं के जरिए, कम से कम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भी 6, 7, 8 योजनाएं हैं, उनके जिनके जरिए हम उन्हें साक्षर बनाना चाहते हैं। उन स्कीमों के अन्दर यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाने थे दूसरे चरण में लेकिन आपने एक भी नहीं खोला, प्राइमरी का प्राइमरी ही रखा उनको। पहाड़ी, शहर की कच्ची बस्ती और जनजातीय और शैक्षणिक तौर से पिछड़े हुए इलाके में आपको यह खोलने थे लेकिन आपने एक भी नहीं खोला। इसी तरीके से, इसमें यह जो अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अन्दर बहुत जगह पर बहुत तरह की कई-कई अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई गई हैं। आपके उदयपुर में भी पाई गई हैं, भिंडर के तीन केन्द्र, गिरवा के तीन केन्द्र, अनूपगढ़ के 1, 2 और 3 जो थे उनमें 3-3, 4, 5 वहां कोई पंजीकृत आपका रजिस्टर ही नहीं रखा गया। बच्चों का नाम ही नहीं है, बस केवल यह कह दिया कि चला रहे हैं। जब तक आप उपस्थिति पंजिका नहीं रखेंगे तब तक कैसे जाना जाएगा कि आप वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह अनौपचारिक शिक्षा आपको बन्द कर देनी थी 31 मार्च, 2002 को और 31 मार्च, 2002 से पहले, 2-3 महीने पहले आदेश जारी किए स्लेटें खरीदने के लिए। स्लेट खरीदने के लिए जो विज्ञापन निकला उसमें 60 दिन की अवधि थी कि 60 दिन के अन्दर-अन्दर यह स्लेटें प्राप्त हो जानी चाहिए। लेकिन वह 60 दिन में नहीं हुई और अब उनको पता लग गया कि भाई, यह तो 2002 के मार्च में बन्द होंगी इसलिए ताबड़तोड़ के अन्दर 22 लाख, 34 हजार की 3.35 लाख स्लेटें ले लीं। कौन जिम्मेदार है इस 22 लाख के लिए और अब क्या करोगे उनका, वह स्लेटें कहां बांटोगे? जरा यही बताना कि इनका क्या उपयोग करोगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण बालिका विद्यार्थियों के लिए 6 कर्मी मुख्यालयों पर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कहा न कि मैं दो तीन मिनट में खतम कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, 6 आपके डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हैं। इन मुख्यालयों के ऊपर आपने 6 होस्टल बनाएं, ग्रामीण बालिकाओं के लिए केवल 2 होस्टल चल रहे हैं, एक तो उदयपुर का और एक जयपुर का, बाकी अजमेर, चूरू, जोधपुर और कोटा के बने हुए यों के यों पड़े हैं। कुछ तो उपयोग करिए उनका।

माननीय सभापति महोदय, आप बार बार घंटी बजा रहे है। मैं अपनी अन्तिम बात यह कहते हुए, हालांकि कहना तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बहुत कुछ था लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हैं, आज बोलने वाला कोई अपोजिशन का है भी नहीं फिर भी पता नहीं क्या वजह है।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि 1965-66 के अन्दर नागौर जिले के अन्दर बोरूंदा जगह के ऊपर एक रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी और उसकी आज वहां पर उसके जरिए करोड़ों रुपये की सम्पति है। अब, वह जो रूपायन संस्थान है, उस रूपायन संस्थान ने अपनी अचल सम्पत्ति है उसका बेचान कर दिया। यह बेचान का मेरे पास विक्रय पत्र है। गोदाम जो उनका था उसको बेच दिया, करीब डेढ़ लाख रुपए में तो डेढ़ लाख में जब बता रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए।

कला और संस्कृति पर बोलते हुए, वैसे तो यह कला और संस्कृति नारी ही अगली पीढ़ी को सौंपती है, क्योंकि कला और संस्कृति को नारी ही अक्षुण्ण रखती है और नारी ही उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। लेकिन यह अच्छा है कि महिला के पास ही यह कला अंार संस्कृति का महकमा भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह हो चाहे न हो, बता देंगे शिक्षा मंत्रीजी। मगर इस प्रकार से कला और संस्कृति के नाम पर किसी संस्था को रजिस्ट्रीकृत कराएं और उसके बाद कुछ समय चलाकर करोड़ों की सम्पति अर्जित करके यदि इस प्रकार से बेच देंगे, तो मैं समझती हूं कि कला और संस्कृति को हम अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस बात को भी मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में तहकीकात करके इस पर रोक भी लगाए और इसको बेच दिया है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? बाकी बची सम्पति को खुई-बुर्द नहीं कर सकें इसके बारे में भी आप कोई न कोई अपनी ओर से प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय करण सिंहजी।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, राजस्थान के सीमित वित्तीय संसाधन, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, पाठ-पठार, लम्बे-चौड़े रेगिस्तान और तीन वर्षो से भयंकर अकाल से झूझते हुए शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण काम पिछले सालों में हुआ है वह परिलक्षित हुआ है हमारी साक्षरता दर के बढ़ने से और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं, शिक्षा सहयोगियों, शिक्षा कर्मियों, जिला शिक्षा कार्यक्रम, लोक

(डा. करण सिंह यादव)

जुम्बिश जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान में आज जो शिक्षा का वातावरण बना है वह बहुत संतोषजनक है और कुछ ही दिनों पहले शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम से जो 9, साढ़े 9 लाख बच्चों को चिन्हित किया गया है उनको शिक्षा के दायरे में लाकर राजस्थान सम्पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों को।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से पिछले तीन सालों में बहुत कुछ हुआ है, विशेष तौर से नये विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और हाल ही में बीकानेर यूनिवर्सिटी की घोषणा राजस्थान की प्रगति का द्योतक है। यहां मुझे जैसे विधायक को, जो अलवर जिले से आता है और अलवर सम्भाग जो मत्स्य के नाम से जाना जाता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उस सम्भाग को जिसकी किसी जमाने में अपनी खुद की स्टेट होती थी, गवर्नमैंट होती थी लेकिन शायद राजनीतिक शक्ति की कमी की वजह से अलवर सम्भाग में न तो कोई बड़ी टैक्निकल कालेज आई वहां सरसों का इतना बड़ा उत्पादन होता है, न कोई कृषि विद्यालय आया और न ही आज तक कोई यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की गई। मेरा बोलना महज औपचारिकता सा नजर आता है लेकिन वहां के विधायक होने के नाते और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर शिक्षा का प्रतिशत अन्य जिलों के कम्पेरिजन में काफी अधिक है। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़कर आता हूं उसकी साक्षरता दर सब क्षेत्रों से अधिक है। इसलिए भविष्य में ध्यान रखते हुए कहीं प्लानिंग में, कागजों में उस क्षेत्र में भी मत्स्य यूनिवर्सिटी बने इस बात के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय और विश्वविद्यालयों में जिन कुलपतियों की नियुक्तियां की गई मैं बहुत संतोष के साथ कहना चाहूंगा कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय भी वित्तीय संकटों से घिर रहा था और वर्तमान कुलपति के आने के बाद वह अपने 8 करोड़ की आय से निकल कर आज 18 करोड़ की आय में आ गया, सैल्फ सफिसिएंट हो गया और आज उनके पास में सरप्लस मनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग एक करोड़ रुपए छात्र कल्याण कोष के लिए दिए जाते हैं और विश्वविद्यालय प्रयासरत है कि उसको केन्द्रीय दर्जा मिले। यह भी संतोष की बात है कि विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक सदभाव हेतु सिक्ख अध्ययन केन्द्र खोला

(डा. करण सिंह यादव)

जा रहा है। 33 नये वोकेशनल कोर्सेज चालू किए हैं, रक्षा अध्ययन विभाग और वैदिक अध्ययन विभाग चालू करने के लिए विद्यालय कार्यरत है। यह भी संतोष की बात है कि 15 साल बाद में हमारी इस गवर्नमेंट का यह अचीवमेंट है कि जो दीक्षांत समारोह होने बन्द हो गए थे वह राजस्थान विश्वविद्यालय में इस साल पहली बार हुआ और सबसे खुशी की बात है कि सभी विद्यालयों में सत्र नियमित हो गया। मार्च में परीक्षाएं चालू हो गयी और जून–जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर मैं चलता हूं।

लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की जब मैं चर्चा करता हूं तो मेरा मन सदैव वेदनाओं से भर जाता है कि इस विश्वविद्यालय पर सबसे बड़ा कलंक है कि आरक्षण के नियमों की, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जितनी अवहेलना राजस्थान विश्वविद्यालय में की गई वह अपने आप में एक उदाहरण है। सभापति महोदय, दो दिन पहले गुवाहाटी में हमारी पार्टी के मुख्य मंत्रियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था और उसमें जो 9 सूत्र जारी किए गए उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधीजी ने कहा है कि एस.सी., एस.टी. का जितना बैकलाग है, सभी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हैं कि आने वाले दिसम्बर से पहले पहले इस बैकलाग को पूरा किया जाएगा। आपने टी.वी. पर देखा हो, तो इसके लिए सोनिया गांधी ने शब्द भी यह इस्तेमाल किया है..."I give this direction. The directive is being issued. The language that she has used." यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है राजस्थान विश्वविद्यालय के मामले में। माननीय मंत्रीजी की सदन में बार–बार इस घोषणा के बावजूद कि इन वर्गों का पूरा ध्यान रखा जाएगा मैं सदैव इस मामले में आशंकित रहा हूं क्योंकि उस विश्वविद्यालय पर इस बात की छाप पड़ी हुई है, आज से नहीं है वर्षों से है। सभापति महोदय, यह एक इंक्वायरी रिपोर्ट है जो हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और रिटायर्ड अधिकारी वी.आई. राजगोपालजी ने लिखी थी। इन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लम्बा–चौड़ा शोध ग्रन्थ लिखा और उसके कुछेक उदाहरण मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पोलीटेक्निक साइंस के रीडर के लिए चयन हो रहा है। पैनल अपने आप से बनाया जा रहा है। उस पैनल में अगर कोई अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि है, एक डा. करण सिंह होते थे धौलपुर में, उनको लिया गया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में परिलक्षित होती है कि लोग किस तरह से मैनेज

(डा. करण सिंह यादव)

करते हैं अपनी पोस्टिंग को। They showed to it कि साहब डा. करण सिंह के पास में लैटर ही नहीं जावे कि आपको सब्जैक्ट एक्सपर्ट के रूप में बुलाया गया है, गवर्नमेंट नामिनी के रूप में बुलाया गया है। 12 तारीख को टेलीग्राम भेजा जाता है, 13 तारीख को शनिवार है, 14 तारीख को रविवार है, 15 तारीख को 15 अगस्त है और 16 तारीख को इन्टरव्यू हो रहे हैं और जिन लोगों को चयन किया जाता है पहले नम्बर पर और दूसरे नम्बर पर, चार सीटें उसमें रीडर के लिए है, 2 जनरल कैटेगरी की और एक एस.सी. और एस.टी. की। एस.सी. और एस.टी. के दोनों केंडीडेट को "नोट फाउंड सूटेबल" करके रिजैक्ट कर दिया जाता है। उसके ऊपर लिख कर दिया जाता है कि "These candidates were not found suitable and these posts will be carried forward." और सबसे बड़ी अचम्भे की बात है कि एक तरफ कैरीफारवर्ड करने की बात लिखी जाती है चांसलर को जवाब में और दूसरी तरफ जो दो लोग वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी के बैठे हुए होते हैं उनको उसमें समायोजित कर लिया जाता है। अभी समय नहीं है कि मैं उसको डिटेल में आपको पढ़कर सुनाऊं।

माननीय राजगोपालजी का आब्जर्वेशन था कि जो एस.सी. के केंडीडेट थे, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया हुआ है मूलचन्द आर्य, अजमेर में पढ़ने वाले, सैकण्ड क्लास के बी.ए., एम.ए., उन्होंने एम.फिल किया हुआ है और 11 सालों का उनका टीचिंग एक्सपीरिएंस। आफटर आल आरक्षण का मतलब क्या है? आप उनको यह कहकर टाल देते हैं कि इन्होंने पी.एच.डी. नहीं कर रखी है और जनरल कैटेगरी के उस आदमी को ले लेते हैं जिसने स्वयं ने पी.एच.डी. नहीं कर रखी लेकिन 2-4 सच्चे झूठे पेपर लिख रखे हैं। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यहां परम्परा रही है और यही कारण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एक हजार के लगभग टीचर्स हैं उनमें 5 प्रतिशत भी रिजर्वेशन के लोग बाग नहीं है। यह आज से नहीं हो रहा है 1978 में भी इस विश्वविद्यालय के लिए आर्डिनेंस लाया गया था। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा जब वह आर्डिनेंस लेकर आए थे उसमें प्रीफेस यह कहा गया था कि... "this is the last time that is being done. This will not be followed as a precedence." यह पहली बार या आखिरी बार हो रहा है भविष्य में इसको कभी फोलो नहीं किया जाएगा, भविष्य में रेगुलर चयन किए जाएंगे। सभापति महोदय, सन् 1988 से लेकर राजस्थान

(डा. करण सिंह यादव)

विश्वविद्यालय में आज तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं दरवाजे से लोग आते रहे, भाई-भतीजे की तरह से लोग आते रहे और 1988 से लेकर 1990 तक 160 आदमियों का एक ऐसा संगठित ग्रुप बन गया जिसने सरकार पर दबाव डालना चालू किया कि हमें तो बहुत दिन हो गये, अभी विपक्ष की माननीय सदस्या सुमित्रा सिंहजी कह रही थीं उनको नियमित कर दिया जाना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनके लिए पिछली राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई और तब के सैक्रेटरी अनिल वैश्य ने एक लम्बी चौड़ी थिसिस लिखी और उन्होंने एक-एक डिपार्टमेंट में कैसे नियुक्तियां की गयी हैं उनको देखा और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि न तो कोई आवेदन मांगे गये, न कोई एडवरटाइजमेंट किया गया, न कोई क्वालिफिकेशंस फुलफिल की। उनके कंक्लूजन में वो बोले हैं, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किसी एक आदमी को रख लिया, वह होशियार थी तो बहू को रख लिया, थोड़े दिनों के अन्दर मेटरनिटी लीव पर चली गयी तो उसके हजबैंड को एडहाक रख दिया। इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जहां परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में जब अध्यापन कार्य बन्द हो जाता है लेकिन उनको ईर्रेगुलर अपाइंटमेंट दे करके रख लिया और उसका नतीजा यह है कि वह 166, मैं जब 1990, 1992, 1993, 1994 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मैम्बर हुआ करता था तब यह बात चला करती थी कि इन 166 लोगों को किसी तरह से आप अकोमोडेट कीजिए।

वे 166 तो जमे हुए थे ही, उसके बाद एक कुलपतिजी आए जिन्होंने लैक्चरर रख दिए क्लासेज लेने के लिए करीब 123, जिनको सिर्फ पीरियड बैस पर कि जैसे गैस्ट फैकल्टी के तौर से हम रखते हैं उस तरह से उनको क्लास बेसिस पर रख दिया गया। वे 123 भी कोर्ट में जा करके एक छोटा-मोटा आदेश लेकर आ गए कि जब तक नियमित सलेक्शन नहीं होते तब तक आप इनको मिनिमम वेजेज देते रहिए और आज उन 123 को जोड़कर 329 आदमियों की इतनी बड़ी एक संख्या हो गयी कि जो एलीजिबल नहीं हैं। आज हाइली क्वालिफाइड, गोल्ड मैडलिस्ट, नेट और स्लेट किया हुआ आदमी तो सड़कों पर घूम रहा है और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वे राजस्थान विश्वविद्यालय में 329 बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उनमें योग्यता होती, आज कहीं कोई आदमी टैम्परेरी बैठा हुआ है तो वह इस बात की कोशिश करता है कि मुझे कोई परमानेंट नौकरी मिल जाए। वह कालेज एजुकेशन में जा करके कोशिश करता, कहीं दूसरी जगह जाकर प्रयास करता लेकिन यहां तो

(डा. करण सिंह यादव)

इन्होंने एक संगठित गिरोह बनाकर, गुट बना करके दबाव डाल करके सरकार के पास में मानवीयता की दुहाई देते हुए बारम्बार यह कि इनके लिए आर्डिनेंस लेकर आ जाए और इन 329 को तो कर दिया जाए। जब यह प्रश्न सरकार से और विश्वविद्यालय से पूछा जाता है कि इन 329 में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कोटा कितना है, उस कोटे को आप कैसे भरोगे तो उसके लिए आपके पास में क्या जवाब है? तो यह सरकार का जवाब नहीं है, यूनिवर्सिटी में उन्हीं लोगों ने अपना एक जवाब निकाल करके लेकर आए कि इन 329 को तो आप रेगुलराइज कर दीजिए आर्डिनेंस से और आपके एस.सी., एस.टी. का कोटा जो 100-125 बनता है उसके लिए हम नये पद सृजित कर देते हैं। कितनी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं एस.सी., एस.टी. के लिए बैठकर। अयोग्य आदमियों को तो आप आर्डिनेंस के माध्यम से बिना किसी तरह का इंटरव्यू फेस किए हुए दे रहे हो।

इसलिए मैं बारम्बार इस मामले को सदन में उठाता हूं कि एक बार नहीं अनेक बार, एक आदेश नहीं कोर्ट के अनेक आदेश के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर यह घुन सवार हो गया कि किस तरह से हम इन वर्गों का हित मारें। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय न्यायाधीश महेन्द्र भूषण ने 1992 में अपने निर्णय में कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय 6 माह की अवधि के भीतर-भीतर समस्त एस.सी., एस.टी. के रिक्त पद भर दें। यह उनका है :- "As and when the temporary/adhoc appointments are made, it is incumbent on the part of the University of Rajasthan to fill the posts reserved for SC & ST candidates from amongst those candidates and such posts would be filled from by other candidates. Even if the temporary adhoc appointments are made the roster system must be complied with the vacancies meant for the ST & ST candidates, must be filled." यह 1992 का आदेश है। इस 1992 के आदेश के बाद में 133 लोगों को ले लिया। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख दीं उन्होंने 1997 में।

जस्टिस टिबरेवाल कहते हैं, यह मैं कोर्ट के अलग अलग फैसले बता रहा हूं कि आपके गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के बावजूद राजस्थान यूनिवर्सिटी एस.सी. एस.टी. कोटा को इम्पलीमेंट नहीं करेगी, यह मेरे दिमाग में पूरा भय है। जस्टिस टिबरेवाल कहते हैं :- "Hence I give a firm and positive direction to the respondent-university to make regular selection in respect of the

(डा. करण सिंह यादव)

sanctioned posts of the Lecturer as early as possible but in no case later then 15th March, 1997 positively."

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं यह जानना चाहूंगा कि What is the present position? आप 1992, 1997 की बात कर रहे हो I am asking that what is the present position.

डा. करण सिंह यादव : प्रजेंट पोजिशन यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 329 एडहाक टीचर्स काम कर रहे हैं और इसके अन्दर most of them are unqulified. Most of them don't deserve to be selected. सैकण्ड क्लास के लोग, सैकण्ड क्लास से कम मार्क्स के लोग 55 प्रतिशत से नीचे नेट, स्लेट किए हुए लोग जिनको आप कालेज एजुकेशन में नहीं लेते, ऐसे लोग बने हुए हैं और उनके लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि आर्डिनेंस ले करके आ जाए। जो पुराने लोग हैं उनमें से अनुभवी हैं, कुछ क्वालिफाइड हैं उनको आप किसी तरह का ग्रेस दीजिए लेकिन यह कहना है कि पहले इनके लिए तो आर्डिनेंस ले आओ बाकी का पद भर देंगे और जिस दिन एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के सिर्फ रिजर्व क्लास के एडवरटाइजेंट होंगे उस दिन कोई न कोई आदमी कोर्ट में चला जाएगा और जाकर कहेगा 100% cannot be filled. और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप 116 या 115 या 120 पद एस.सी., एस.टी. के कैसे स्वीकृत कर देंगे। आपने वर्क लोड का असेस करवाया क्या? आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सरप्लस लोग बैठे हुए हैं, हम स्कूल के अन्दर तो यह कहते हैं कि 40 लड़कों को पढ़ाने के लिए एक मास्टर होना चाहिए, मिडल स्कूलों के अन्दर पांच टीचर्स रहेंगे इतने बच्चों पर और यूनिवर्सिटी के अन्दर हमारे पास में कोई असेसमेंट नहीं, वे अपना असेसमेंट करके नहीं देंगे इसलिए मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन वर्गों के अहित की बात पड़ी हुई है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, जो कि इन वर्गों के कल्याण के लिए और यह सरकार जो कमिटेड है, आप यूनिवर्सिटी के कहने की बात पर मत जाइये, यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो वाक्चातुर्य रखते हैं, जिनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, जो कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। सी. ए. जी. की रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहूंगा "Irregular appointments of Assistant Professors. Rajasthan Unversity Teachers-Officcers Act, 1974 regulates the appointments to the vacant posts of Assistant Professore through regular

(डा. करण सिंह यादव)

selection and appointments for a maximum period of one year..."

एडहाक अपाइंटमेंट सिर्फ एक साल के लिए हो सकता है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता..."but no regular selections will be made in the University Since 1989 and 160 adhoc appointments of the Assistant Professors were made in from 1979-93 on the ground that the increased work-load and leave vacancies falling under various departments. They were unauthorisedly allowed to remain in the service beyond one year."

उसमें आर्डिनेंस में बहुत क्लियर है यूनिवर्सिटी के एक्ट में, उनको 11 महीने रखकर 12वें महीने में भेजना पड़ेगा लेकिन इन्होंने अपनी मिलीभगत से किसी न किसी तरह से और यह जो बाद के 123 जिनको मैं कई बार सदन में कहता हूं कि जो सिगरेट की डिब्बी पर और साधारण समोसे के कागज पर अपाइंटमेंट को दे दिया गया वह लोग जा करके कोर्ट से आदेश लेकर आ गये, कोर्ट ने उनसे यह नहीं कहा कि यह अपाइंटमेंट मत कीजिए कोर्ट ने उनसे यह कहा कि जब तक आप अपाइंट करो तब तक इनको आप मिनिमम सैलेरी दीजिए। आज वे लोग भी रेगुलर होने के लिए तैयार बैठे हैं, बिना क्वालिफिकेशन के तैयार बैठे हुए हैं और हम यह सदाशयता करना चाहते हैं कि इन सबको आप बैठ करके रेगुलराइज कर दीजिए। इसलिए यह "..., thus against 638 Assistant Professors working in the University as on June, 2001 there are 298 adhoc Assistant Professors 45% of the total who have been rendering the services in the adhoc capacity." तो जो यूनिवर्सिटी कोर्ट के नियमों का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं वैरियस कैसेज के अन्दर कि आप इर्रेगुलर अपाइंटमेंट नहीं कर सकते। एडहाक करें तो उसमें भी एस.सी., एस.टी. का प्रोविजन कीजिए और यहां बिना उस प्रोविजन को किये धड़ाधड़ अपाइंटमेंट करते गए। आज तक उनको रेगुलराइज नहीं किया और अभी पिछले दिनों कुलाधिपति महोदय के कक्ष में मीटिंग हुई थी जिसमें कहा कि अप्रैल के अन्दर-अन्दर आर्डिनेंस आ जाना चाहिए।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपसे वह वर्ग, माननीय अशोक गहलोत साहब से यह वर्ग बहुत उम्मीद रखता है और खास तौर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता का कमिटमेंट है कि एस.सी., एस.टी. के प्रोविजंस को अच्छी तरह से

(डा. करण सिंह यादव)

देखा जाएगा, इस मामले में आप कोई कमेटी बनाइए, कोई ऐसा पुराना रिटायर्ड आदमी लाइए, राजगोपालजी जैसे या अन्य कोई सीनियर जिनको यूनिवर्सिटी की अंडरस्टेंडिंग हो, ऐसा आदमी जा करके वर्ष असेस तो करे। किसी दिन आपने 125, आज तो यूनिवर्सिटी वाले वाइस चांसलर साहब उनके दबाव में आकर कह देते हैं कि हम तो 100 पोस्टें क्रिएट कर देंगे, एक पोस्ट क्रिएट करना तो बड़ा मुश्किल है। आपने बहुत मेहनत करके, आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय शिक्षा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्रीजी... मैं पांच मिनट और लूंगा। आपने 400 पद स्वीकृत किए कालेज में जिनमें आपने सलेक्शन भी करवा दिया, वह तो सारे राजस्थान के लेवल पर कितनी मेहनत के बाद में आपने लड़-झगड़ करके करवाएं हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हैं कि मैं तो 126 पद स्वीकृत कर दूंगा। वर्क लोड है नहीं, कल ये सी.ए.जी. फिर आब्जैक्शन लेकर आएंगे कि यह ईरेगुलरटी कहां से लेकर आ गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर पूरा-पूरा ध्यान देवें।

दो-एक मिनट में उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, अब सब जगह शिक्षा की लहर है। आदमी चाहते हैं कि मेरे यहां नयी कालेज खुले। मैं अपने क्षेत्र बहरोड़ की बात करता हूं, 1977 से आर्ट्स कालेज है आर्ट के अलावा उसमें एक सब्जैक्ट नहीं हुआ। राजस्थान के रूरल क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संख्या की दृष्टि से कालेज है। अब अगर मैं वहां का विधायक होने के नाते या वहां की जनता यह मांग करे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनावें, वहां विज्ञान संकाय खोले। आपके सामने निश्चित रूप से, आपने आज के अपनी प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि राजस्थान में आप एक कालेज को स्नातकोत्तर बनाने जा रहे हैं, कोई 10 विषय खोलने जा रहे हैं। अब इसमें मेरा निवेदन है कि उन 10 में अगर मुझ जैसा भाग्यशाली आ जाता है, तब तो बड़ी कृपा है। अगर उसमें नहीं आता है, तो मंत्री महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में कुछ नये काम किये हैं। उन नये कामों में पिछले साल भी आपने जिस तरह से मेरे क्षेत्र में मेरी मांग पर, मेरी प्रार्थना पर और आपका खुद का सोच था कि वहां के लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, गांव के लोग इकट्ठे होकर आ गये कि साहब हम लाएंगे अध्यापक, हम पढ़ाएंगे बच्चों को, हम उनकी देंगे फीस, हम बनाएंगे लेबोरेटरी तो वहां सिस्टम में शाला विकास समिति के माध्यम से, कालेज काउंसिल के माध्यम से, कालेज की समिति के माध्यम से आप कम से कम ऐसे विद्यालयों

(डा. करण सिंह यादव)

को इस बात की छूट दें। अगर उनमें पात्रता है और वहां का विधायक या वहां की जनता यह करना चाहती है। जैसे मान लो बहरोड़ में कल आप कालेज खोल देते हैं, तो बड़ी आपकी कृपा है लेकिन अगर आप नहीं खोल सकते तो कम से कम मुझे इस बात की छूट दें कि बहरोड़ के अन्दर आप विज्ञान संकाय खोलें, गैस्ट फैकल्टी से हम अपने लोगों को लाएंगे, हम अपने लोगों को अनएम्प्लायड बहुत सारे लोग पी.जी. हैं, नेट-स्लेट किए हुए हैं जिनको गैस्ट फैकल्टी के रूप में लाएंगे और जब आपके पास में संसाधन हो तब आप वह संसाधन देना। माननीय मंत्री महोदय, मैं जानता हूं कि आपका मन है यह काम करने के लिए और आप उससे बढ़कर भी करना चाहते हैं। विधायकों में भी आपने हमको जो 60 लाख रुपए दे रखे हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि हमें एक करोड़ रुपए दीजिए। इस पैसे को भी हम शाला में लगाकर ज्यादा खुश होंगे या मेरे यहां पी.जी. कालेज खोलते हैं या मेरे किसी गांव की स्कूल के अन्दर आप साइंस सब्जैक्ट खुलवाना चाहेंगे या कालेज को क्रमोन्नत करवाना चाहें, उसके लिए मुझे पांच लाख रुपया सालाना देना है, वह मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वह मैन पावर जनरेशन के हिसाब से ज्यादा काम आएगा बजाय इसके कि मैं उस सड़क के लिए मजबूरी में, गांव में कई बार देना पड़ता है और आप जानते हैं उसका नतीजा क्या होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें 10 परसेंट और 15 परसेंट का काम भी नहीं हो पाता है।

इसलिए मेरा निवेदन है आप मंत्री महोदय, आज जब अपना जवाब देंगे, उसमें इस बारे में स्कूल कालेज को क्रमोन्नत करने की बात की है एक-एक स्कूल, अब एक-एक स्कूल को ले करके इलाके में तो जीपें भर भरकर आने लगे हैं। क्या बैठकर जवाब देंगे, एक मिडल स्कूल को सैकण्डरी और एक मिडल स्कूल को सीनियर सैकण्डरी। अब इसको कुछ न कुछ बढ़ाने की कृपा करें और इसमें आपने पिछली बार मंत्री महोदय, 4-4, 5-5 मिडल स्कूल दे दिये थे, दो सैकण्डरी दिए थे, एक सीनियर सैकण्डरी दी थी, तब ऐसा लगा था वाकई में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके सुझाव के साथ मेरी भी पूरी सहानुभूति है।

श्री रामस्वरूप : नहीं, पूरे सदन की सहानुभूति है साहब इस विचार के साथ। (व्यवधान) सब जगह जोड़ा होता है, स्त्री और पुरुष का भी जोड़ा होता है। इस प्रकार कम से कम आप दो-दो तो दें। दो सैकण्डरी, दो सीनियर सैकण्डरी और आप मिडल भी दें इसी प्रकार से मंत्री महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजो आप। मैंने इसलिए कहा था कि मेरी भी सहानुभूति है। मंत्रीजी समझ गए।

श्री रामस्वरूप : यह सभी का सहयोग है। समझ गए क्या, साहब? बहुत अच्छा।

श्री रतन लाल ताम्बी : दोनों ही समझ जाओ, बहुत बढ़िया।

श्री रामस्वरूप : मंत्री महोदय, जरूर आज ही घोषणा करें, दो सीनियर सैकण्डरी, दो सैकण्डरी और हमारे चार मिडल...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. करण सिंह यादव : मैं दो मिनट का समय लूंगा, सभापति महोदय।

मैं पुनः इस बात के लिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, आरक्षण में खास तौर से एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के साथ में सदैव अन्याय होता है। मैंने 1998-99 में एक केस उस समय में व्यक्त किया कि जहां ओ.बी.सी. के लड़कों को सलेक्शन के अन्दर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाना चाहिए था, उनको काउंट नहीं करने से नीचे के लड़कों को नुकसान हुआ। इस बात को राज्य सरकार के सामने लेकर, तत्कालीन उप निदेशक श्री भागीरथ अग्रवाल या ऐसा ही कुछ नाम था, उन्होंने इस मामले में या उनके दफ्तर में गड़बड़ की। उस बात को ऊपर तक पहुंचाया गया, उनके सारे रिकार्ड को सीज किया गया मगर आज तक उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई। कोर्ट के अन्दर उस बच्चे को, मैंने किसी बच्चे के माध्यम से इस केस को कोर्ट में दिया, जहां पर उप निदेशक ने यह स्वीकार किया कि यदि उक्त नियुक्ति में राजकीय नियमों की अक्षरशः पालना की जाती, तो तीन अन्य ओ.बी.सी. के छात्र–सुश्री सुनीता यादव, श्री रामगोपाल और मिथिलेश वर्मा भी नियुक्ति के पात्र होते। अब यह एक या दो की बात नहीं है, यह मानसिकता की बात है और ऐसा करने वाले जानबूझकर, उनको कहने के बावजूद भी सरकार के नियम क्लियर हैं कि जो ओ.बी.सी. का छात्र है, वह जनरल मेरिट में आएगा, वह जनरल में काउंट होगा और उनको आप ओ.बी.सी. के कोटे में कांउट करके नीचे लोगों को डिप्राइव कर देवें, यह अन्याय नहीं होना चाहिए। इस केस के बारे में मैं पहले भी लिख चुका हूं, इस केस का निराकरण हो, आखिर गलती कहां थी। मेरा प्रश्न उप निदेशक या उस दफ्तर से नाराजगी का नहीं है लेकिन इस वर्ग के लिए आपने इतना कुछ किया है, अभी आपने कालेज एजुकेशन में 21 प्रतिशत का आरक्षण दिया

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(डा. करण सिंह यादव)

है आपने, सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई।

श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या–24 शिक्षा के तहत अपने विचार रखना चाहती हूं और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ एक विशाल विधान सभा क्षेत्र है और साथ में ही सीमावर्ती क्षेत्र भी है, क्योंकि यहां पर आई.जी.एन.पी. की वजह से नई आबादियां बसी हैं मगर विकास की गति धीमी है इसलिए बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, अभी वर्तमान में सेना की तैनातगी और बारूदी सुरंग लगने के कारण भी इस क्षेत्र में बहुत ही दयनीय और विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। मंत्री महोदय, मैं आशा करती हूं कि आप मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देंगे।

मेरा यह विधान सभा क्षेत्र, जो कि 225 किलोमीटर लम्बा है, एक कोने में मात्र राजकीय महाविद्यालय है सूरतगढ़ में जबकि 365 हैड, रावला मण्डी, घड़साना आदि के जो बच्चे हैं, उन्हे कम से कम 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर बीकानेर सम्भाग में कहीं पर भी आप राजकीय महाविद्यालय खोलने की मंशा रखना चाहते हैं, तो यह जो सीमावर्ती इलाका है अनूपगढ़ और घड़साना का, इनको अवश्य अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां के बच्चे इतने साधन नहीं होने की वजह से, इतनी दूर नहीं जा पाने की वजह से शिक्षा से वंचित होते हैं और स्कूल ड्रोप आउटर्स बनकर रह जाते हैं यानी 12वीं करके वह पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने काम–धंधे में लग जाते हैं। यहां पर रायसिंहनगर को भी लें तो वह भी 150 किलोमीटर दूर है और अगर बीकानेर लें तो वह भी 125–150 किलोमीटर दूर है, अगर अनूपगढ़ में या घड़साना में एक महाविद्यालय खोला जाता है, तो 30–40 किलोमीटर की परिधि में ही बच्चों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल पाएगा और यहां के पिछड़े हुए बच्चे हैं और यहां का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लाभान्वित होगा।

पूर्व मुख्य मंत्रीजी और विपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने अनूपगढ़ में एक बार अपने शासनकाल के दौरान घोषणा की थी, महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया था मगर वहां

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

की जनता आज तक उस महाविद्यालय का इंतजार कर रही है जिसका अता-पता नहीं है। मैं आशा करती हूं कि आप हमारे इस क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करेंगे और मेरी इस मांग पर अवश्य विचार करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान अनूपगढ़ पंचायत समिति के शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए पदों की ओर दिलाना चाहूंगी। पूर्व में इन रिक्त पदों की संख्या 150 थीं, फिर 250 हुई और आज स्थिति यह है कि अध्यापकों के 415 रिक्त पद पड़े हुए हैं। आपका कहना भी कुछ मायने में सही है कि अध्यापकों की पूरे राजस्थान में कमी है। आपने समानीकरण भी किया लेकिन इसको लागू करने में आपके जो अधिकारी हैं, बी.डी.ओज हैं, बी.ई.ओ. हैं, उन्होंने कोताही की, उन्होंने गलतियां रखीं जिसकी वजह से यह समानीकरण ढंग से नहीं हो सका और आज स्थिति यह है कि इस कदर भ्रष्टाचार इस मामले में फैला कि जिन अधिकारियों की जेब गरम की गई, उन्होंने उठाकर जिला मुख्यालय और आसपास में जो मण्डी और कस्बे हैं, यहां पर तो अध्यापकों के स्थानान्तरण कर दिए। आज स्थिति यह है कि यहां पर तो अतिरिक्त अध्यापक हैं और जबकि ग्रामीण और पिछड़ा इलाका, जहां सबसे ज्यादा हमारे छात्र और छात्राओं को, हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, वहां पर ज्यादातर स्कूल्स में अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं।

आपने एक आदेश भी निकाला कि जहां पर बच्चों की संख्या कम है, उन स्कूलों को बन्द कर दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत बड़ा वीशियस साइकिल बन चुका है क्योंकि अध्यापक नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं या दूसरी स्कूल्स में जा रहे हैं तो स्वत: ही उनकी संख्या कम हो रही है। जब संख्या कम हो रही है, स्कूल बन्द हो जाते हैं तो इस विकट परिस्थिति से अपन तभी निपट सकते हैं जब कम से कम आधे पद अध्यापकों के यहां पर भरे जाएं और कुछ न कुछ इस बारे में जरूर किया जाए। नहीं, तो धीरे-धीरे करके इस सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकतर स्कूल बन्द हो जाएंगे।

इसके बाद मैं आपका ध्यान माध्यमिक शिक्षा की ओर दिलाना चाहूंगी। रावला मण्डी में उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के दोनों पद खाली पड़े हुए

(14.00 बजे)

है। अनूपगढ़ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरतगढ़ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा जैतसर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

पद खाली पड़ा है। यह मैं मण्डियों की बात कर रही हूं, गांवों की नहीं, मंत्री महोदय। मण्डियों में जब यह हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि गांवों में स्कूलों की क्या स्थिति होगी।

सूरतगढ़ का बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहां पर विज्ञान संकाय में सभी पद खाली पड़े हैं, एक भी अध्यापक विज्ञान संकाय में नहीं है और यह विद्यालय पचास किलोमीटर के क्षेत्र में एकमात्र विज्ञान संकाय वाला, विज्ञान विषय वाला विद्यालय है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। वहां की बालिकाएं या तो स्कूल छोड़ रही हैं या दूसरा विषय लेने पर मजबूर हो रही हैं। पिछले दिनों में इस बारे में यहां पर काफी आंदोलन हुआ और अखबारबाजी भी हुई। इसके बारे में मैंने आपसे निवेदन भी किया, इस ओर आप अवश्य ध्यान दें और इन रिक्त पदों को अवश्य भरवाएं।

माध्यमिक विद्यालयों को आप लें तो 12 जी.बी. और रोजड़ी दोनों माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं और इसी प्रकार विभिन्न विषयों के 22 पद व्याख्याताओं के भी रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा मांगे तो बहुत हैं, संकाय की भी कई जगह मांग है, आपसे मैंने पूर्व में भी कहा था, जैतसर में विज्ञान संकाय की मांग है, इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नई मण्डी, घड़साना और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसिंहपुर में भी वाणिज्य, कृषि और विज्ञान संकाय की मांग है और इसी प्रकार सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरतगढ़ में कृषि विज्ञान के संकाय की मांग है। मैं आशा करती हूं कि आप कुछ न कुछ अवश्य इन विद्यालयों को देंगे।

इसके अलावा मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी। एक समस्या आपके सामने महिला अध्यापकों और विकलांग अध्यापकों की रखना चाहती हूं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को और विकलांगों को बहुत दूर-दराज के इलाके में, इंटीरियर में ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है जो उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है और सेफ भी नहीं है और सर्दियों में जब विद्यालय लेट बन्द होते हैं, तो उनको तीन-चार किलोमीटर पैदल आकर फिर बस मिलती है और वह घर पहुंचते-पहुंचते अंधेरे में घर पहुंचती है। यह महिलाओं के लिए बिलकुल भी सेफ नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी होती है। आप भली-भांति जानते हैं कि एक महिला को सुबह अपने घर का कामकाज निबटा कर, खाना बनाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, सफाई करके उसके बाद वह पढ़ाने के लिए जाती है और जब वह थकी-मांदी आती है

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

तो उसको वही काम फिर करना पड़ता है चाहे कूकिंग का हो, चाहे घर का कामकाज हो तो इस बारे में एक ऐसी नीति बनाई जाए कि महिलाओं को और विकलांगों को ऐसी जगह स्थानान्तरित किया जाए जो ज्यादा दूरी नहीं हो, जहां उन्हें इजीली बस अवेलेबल हो या उनको रोड साइड के जो विद्यालय हैं उनमें पदस्थापित किया जाए।

इसके अलावा बजट में अभी हमारे बहरोड़ से आने वाले माननीय विधायक यादव साहब ने भी मांग रखी और हम सभी विधायकों की यह मांग है, मैं सभी विधायकों की ओर से आपसे निवेदन करती हूं क्योंकि आपने अब की दो ही विद्यालय दिए हैं मैं सोचती हूं यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, आप कम से कम दो विद्यालय प्राइमरी से मिडल करवाएं और...

डा. करण सिंह यादव : चार।

श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई : मैं तो थोड़ा कंजूसी करके बोल रही हूं साहब, बहुत अच्छी बात है अगर आप चार देते हैं तो। सब की मांग चार की है तो साहब, चार करवाएं। हमने इस बारे में वित्तीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी से भी बात की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बोलने में कंजूसी मत करो, आप तो ज्यादा ही बताओ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई : मैं ध्यान रखते हुए बजट का और अपनी जो स्थिति है, यों कंजूसी कर रही थी। साहब, चार विधायक तो आप प्राइमरी से मिडल, दो कम से कम मिडल से सैकण्डरी और दो सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी करवाएं ताकि एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। क्योंकि हमारी सरकार शिक्षा पर इतना जोर दे रही है तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जनता में और हम सभी की मांग है, इसको आप नजरअन्दाज नहीं करेंगे, मुझे पूरी आशा है।

इसके अलावा मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए, इन्हीं की बनिस्पत आज राजस्थान की ढाणी में बैठा हुआ बच्चा भी शिक्षित हो रहा है, शिक्षा का लाभ उठा रहा है। लोग वाकई धन्यवाद देते हैं आपको, मुख्य मंत्रीजी को और हमारी सरकार को कि उनके बच्चे आज शिक्षित हो रहे हैं। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में देखें तो राजीव गांधी पाठशालाएं मेरे खयाल से बहुत बड़ी संख्या में खुली हैं, 150 के करीब। इसके अलावा एस.एस.ए. के थ्रू जो पैसा हमारे जिले को मिला है 70 करोड़ के करीब, जिससे आने वाले साल में चारदीवारी और स्कूल

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

के कमरे, मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के कमरे बनेंगे उसके लिए भी मैं दिल से आपकी आभारी हूं और आशा करती हूं कि मैंने जो आपके सामने सुझाव रखे हैं, जो मांगे रखी हैं, इनकी आप सुनवाई करेंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमारामजी चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, शिक्षा पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका वास्तविक लाभ जनता को मिले इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदयजी को सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज स्कूलें जो चल रही हैं उनमें अध्यापकों की पूरी व्यवस्था करें। जो स्कूलें चल रही हैं उनमें अध्यापक न हो, तो फिर स्कूलें बिना अध्यापक के कैसे चलेंगी, यह एक अहम मुद्दा है। जहां अध्यापक चार की जरूरत है, पांच की जरूरत है वहां पर एक अध्यापक या दो अध्यापक हों, जहां दो या तीन अध्यापकों की जरूरत है वहां केवल मात्र एक अध्यापक ही हो, तो उस विद्यालय का क्या हाल होगा, उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा, उसकी कैसी नींव होगी, कैसे हमारी भावी पीढ़ी तैयार होगी, यह बात जब तक हम नहीं सोचेंगे, तो शिक्षा का जो स्तर है वह दिनों-दिन गिरता जा रहा है।

सभापति महोदय, आज देश आजाद हुए पचास साल हो चुके हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए जिसकी जगह शिक्षा के स्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जब तक आप नई भर्ती नहीं करेंगे, वहां पर पद हमेशा खाली ही रहेंगे। पिछले चार साल से, तीन साल से और यह चौथा साल लगातार पद रिक्त हैं, उनको भरने की मांग करते आ रहे हैं परन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों की बहुत कमी है। बाकी जगह की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन गुढ़ामलानी विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर जिला जो सीमांत जिला है, वहां पर अध्यापकों की बहुत कमी है। सभापति महोदय, कई स्कूलों में तो स्कूल का ताला खुल जाता है और छुट्टी होने पर वापस ताला लग जाता है, बच्चों की हाजिरी हो जाती है, इतना ही काम हो पाता है क्योंकि अध्यापक जहां एक-दो ही हो बड़े स्कूल में, मिडल स्कूल में, सैकण्डरी स्कूल में तीन-चार मुश्किल से अध्यापक हों और प्राइमरी में एक अध्यापक हो, तो उसमें पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदयजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अध्यापकों

(श्री हेमाराम चौधरी)

की पूर्ति करें चाहे वह सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो, सैकण्डरी स्कूल हो, मिडल स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो और चाहे वह राजीव गांधी पाठशालाएं हों।

सभापति महोदय, हमारे वहां बाड़मेर जिले में बहुत सी सीनियर सैकण्डरी स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं वहां पहले गणित, विज्ञान, वाणिज्य जो विषय थे वह तो बन्द हो गये हैं, वहां अध्यापक गये ही नहीं, विज्ञान को पढ़ाने वाले, गणित को पढ़ाने वाले, कृषि को पढ़ाने वाले, जहां कृषि विषय था, विषय अध्यापक ही नहीं है, तो बच्चों ने एडमिशन भी लिया तो आखिर उनको भी स्कूल छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो फिर वह विषय बन्द होने ही थे। इसी प्रकार से अब स्कूलें बन्द करने की, अनार्थिक विद्यालयों को बन्द करने की बात आई, वहां बच्चों की संख्या कम होने से उनको बन्द किया जा रहा है, तो जब आपके अध्यापक ही नहीं है, फिर बच्चे कहां से आएंगे और बच्चे अगर एक बार एडमिशन लेते हैं वह भी दूसरी स्कूल में जाना चाहेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं वह तो और खाली अपना नाम स्कूल में लिखवाना चाहते हैं तो वह काम चल सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा, पिछले बजट में भी मैंने तो यही निवेदन किया था कि आप जो मौजूदा स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की कमी आप दूर कर दें। हमारे वहां पर अध्यापक लग भी जाते हैं, तो स्थानान्तरण कराकर चले जाते हैं इसलिए जो कमी रही वह इन पिछले तीन सालों में कई गुना कमी और हो गयी है तो इसकी आप किस प्रकार से कैसे क्या व्यवस्था कर सकते है, इसका निर्णय आपको करना है। हमारी तो आपसे यही विनम्र विनती है कि आप एक बार आपके विभागीय मानदण्ड के अनुसार अध्यापकों की पूर्ति कर देंगे तो, मैं समझूंगा हमारे वहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पिछली बार भी बजट सत्र में मैंने यही निवेदन किया कि आपने बजट में कोई नयी स्कूल खोलने का नहीं रखा था। मैंने आपको उसके लिए धन्यवाद दिया था। आपको याद होगा क्योंकि नयी स्कूलें आप खोल दें और अध्यापक नहीं लगाएं तो मैं समझता हूं कि यह सरासर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए आप स्कूलें जरूर खोलें पर खोलें तो अध्यापक भी लगाएं। केवल स्कूलें खोल कर राजी करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग तो राजी हो जाएंगे पर बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मेरा तो यह मत है कि स्कूलें आप जितनी खोल सके उतनी खोलें लेकिन उनमें अध्यापक जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं। खास करके जो पहले से चल रहे और पिछले दो सालों में आपने खोली, पिछले साल नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

खोली उन दो सालों में जो आपने खोली और उसमें पहले से जो संचालित हैं उनमें आप अध्यापकों की पूर्ति कर दें। जो इससे बन्द हो चुके हैं उनको जाने दें। नया हमारा कोई विषय नहीं खुलवाना है क्योंकि सब्जैक्ट के टीचर्स की वहां उपलब्धता होती नहीं है। इसलिए मैं तो आपके मोटे रूप में यही निवेदन करूंगा कि आप और खोलें स्कूलों को पर जहां तक नयी स्कूलें ज्यादा खोलने का करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर स्कूलों में लैक्चरार चाहिए, लैक्चरार वहां आता ही नहीं है। सैकण्डरी स्कूलों में भी सैकण्ड ग्रेड टीचर चाहिए, सब्जैक्ट टीचर चाहिए, आता नहीं है। उसके बजाय यदि आप मिडल स्कूलें ज्यादा खोलें। मिडल स्कूल में थर्ड ग्रेड का टीचर भी उसको चला सके, उसकी स्कूल में जरूरत रहती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिडल स्कूलें आप ज्यादा खोलें। थर्ड ग्रेड टीचर लगा दें तो भी उसमें काम चल सकता है। आप जैसे अभी पंचायत मुख्यालय पर शिक्षा सहयोगी एक महिला शिक्षा सहयोगी की नियुक्ति की। उस प्रकार से आप चाहे, आपके धन की कमी हो, तो जो और अध्यापक लगाने की है वो शिक्षा सहयोगी के रूप में ही लगा दें पर कोई स्कूल में पढ़ाने वाला होना चाहिए बच्चों को। शिक्षा सहयोगी को भी आपने राजीव गांधी पाठशाला में लगा रखा है और मिडल स्कूलों में भी पंचायत मुख्यालय पर भी लगाए हैं, इनका मानदेय 1200 रुपए है यह बहुत कम है। कुछ तो आपको ठीक करना ही चाहिए। वाजिब मानदेय आप करोगे, तो वो भी कुछ अपना दायित्व समझेगा और ठीक से पढ़ाएगा। 1200 रुपए बहुत कम है, मिनिमम वैज से भी यह कम है इसलिए आप इस पर फिर से सोंचे, विचार करें और निर्णय करें। उनका मानदेय 1200 से कम से कम 2000 तो आप करें। आज एम.एस.सी., बी.एड. किए हुए लोग इन राजीव गांधी पाठशालाओं में लगे हुए हैं। एम.एस.सी., बी.एड. किये हुए को आप 1200 रुपए

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देते हो, तो यह आपके लिए सोचने का मामला है। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा किं आप अध्यापकों की कमी दूर करें।

राजीव गांधी पाठशाला में अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगाने की बात है, तो हमारे जिले में अभी बहुत कम अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगे हैं। छात्रों की संख्या को देख करके आप तुरन्त अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगाएं। दूसरा आपने, राजीव गांधी पाठशालाएं जो स्वीकृत की हैं वो अभी शुरू नहीं हुई हैं। इस साल राजीव गांधी पाठशालाएं बाड़मेर जिले में स्वीकृत की उसकी 50% भी शुरू नहीं हुई क्योंकि एस.टी.सी., बी.एड. किए हुए उन जिलों में जिले के लोग है नहीं है और बाहर

(श्री हेमाराम चौधरी)

के 1200 रुपये की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। बाकी तो सभी भर जाती हैं एक भी खाली नहीं रहती। इसके लिए आप नान एस.टी.सी., बी.एड. वालों को लगाने की कोई व्यवस्था करें। आपके हाई कोर्ट के निर्णय की बात भी है, तो हाई कोर्ट से भी आप परमिशन लें कि एस.टी.सी., बी.एड. के मिलेंगे, तो वो लगाएंगे अगर मान लो वो नहीं मिले तो फिर स्कूल को कैसे चलाना है। स्कूल को चलाने के लिए तो आखिर आपको कोई दूसरी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। मतलब एस.टी.सी., बी.एड. ही लगाएं और एस.टी.सी., बी.एड. है ही नहीं तो फिर स्कूल शुरू होनी ही नहीं है। शुरू तो आखिर आपको करनी है, करने के लिए आपको ही विचार करना है कि उन स्कूलों को कैसे शुरू करें जिनकी आप स्वीकृति दे चुके हैं। नान एस.टी.सी., नान बी.एड. लगाएं, पी.टी.आई. की ट्रेनिंग किए हुए हैं उनको लगा सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग किए हुए हैं उनको लगावें तो कुछ अध्यापकों की उससे भी व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद में जो बचे आप उनमें प्राथमिकता तय कर दें। एम.ए. वालों को फर्स्ट प्रिफरेंस होगी, बी.ए. वालों को सैकण्ड होगी फिर सीनियर हायर सैकण्डरी को इस तरह से हाई क्वालिफिकेशन वालों को प्रिफरेंस होगी इस तरह का तय करें। एस.टी.सी., बी.एड. वाले तो होंगे ही। वो होंगे तो दूसरों को लगाया ही नहीं जाएगा पर उसके बाद में नैक्स्ट। इस तरह की आप मेहरबानी करके कोई व्यवस्था करें। हमारे वहां पर ये राजीव गांधी पाठशालाओं की जो स्वीकृति फरमायी है, काफी तादाद में आपने स्वीकृति दी उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। उन सबको आप शुरू करवा दें और जो चल रही हैं उनमें आपके मानदण्ड के अनुसार अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी का पद बनता है, तो उसकी भी स्वीकृति फरमा करके उसकी भी आप नियुक्ति प्रदान करेंगे तो यह राजीव गांधी पाठशालाएं अच्छी तरह से चल सकेंगी और हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी। नींव अगर मजबूत होगी, तो उसका भविष्य भी अच्छा होगा और नींव कमजोर रही, तो उसका भविष्य भी खराब होगा। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से यही, जैसे उच्च शिक्षा की बात, विश्वविद्यालय की बात, महाविद्यालय की बात, टैक्निकल एजुकेशन की बात, मैं कोई उसके बारे में कुछ आपको नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे यहां इस प्रकार का कोई है नहीं। बड़े से बड़ा सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल है बाकी उससे सब नीचे ही मामला है इसलिए मैं नीचे की बात कर रहा हूं। आप नीचे का मामला ठीक कर दें इसके बाद में जहां विश्वविद्यालय हैं जहां महाविद्यालय हैं, जहां टैक्निकल एजुकेशन है और दूसरी है वहां जा करके वो शिक्षा

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्राप्त करेंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा आप इस तरफ ध्यान दें और हमारे यहां शिक्षकों की कमी को आप दूर कर देंगे तो शिक्षा के मामले

(14.17 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

में एक ही पीड़ा है वो पीड़ा आप खतम कर देंगे तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आज वह सदन मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर विचार कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और कला, संस्कृति, संस्कृत शिक्षा और पर्यटन मतलब इतने विभाग और दुर्भाग्य है कि आज 4 बजे चूंकि मुखबन्द है इसलिए चर्चा का समय सीमित रखा हैं इसलिए मैं भी संक्षिप्त मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय सम्बन्धित मंत्रियों को देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा कर राजस्थान का जो नाम पूरे देश के अन्दर आगे बढ़ाया है उसके लिए निश्चित तौर से आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि वो अभागे छात्र जो गरीबी के अभिशाप के कारण, निर्धनता के कारण या दूरदराज के इलाकों में रहने के कारण शिक्षा केन्द्रों पर पाठशालाओं में नहीं जा पा रहे हैं, आपने उनके लिए "शिक्षा आपके द्वार" और नामांकन का अभियान चला कर उनको भी विद्यालयों में आने के लिए जो प्रेरित करने का अभियान चलाया है। उससे लाखों की संख्या में राजस्थान में बच्चों का नामांकन विद्यालयों में हुआ है उसके लिए भी निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निहायत अदब के साथ माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे आपके वित्तीय कटौती के कारण हो चाहे और दूसरे कारणों से जो वेकेंसीज, जो रिक्तियां आपके शिक्षा विभाग में है उस कारण जो हमारे छात्र अध्ययनरत हैं उनके साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी चीज में तो, माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं विद्वान हैं, आप जानते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन का एक कलण्डर होता है स्कूल में कि आज इस पुस्तक का यह चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कल यह पढ़ाया जाएगा, परसों यह पढ़ाया जाएगा,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आज यहां तक होम वर्क होगा और कल वह होगा। अगर इसमें एक दिन भी जाया जाता है, तो दूसरे दिन उसको दो दिन का पाठ पढ़ना पड़ता है। तीन दिन हो जाते हैं तो उसको तीन पाठ एक साथ पढ़ने पड़ते हैं। साल-साल भर गुजर जाए, चार-चार, छह-छह महीने गुजर जाएं और वहां अध्यापकों के पद रिक्त हों, तो आप मुझे बताइए कि उस छात्र के ऊपर क्या बितती होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह कहीं भी, किसी भी स्तर के पद रिक्त हैं उनको आप पहली फुर्सत में भरने का काम कीजिए।

आप देखिए, मैं आपसे उर्दू के अध्यापकों की बात कर रहा हूं। आपने इस पुस्तक में कहा कि 400 उर्दू के अध्यापकों की जो आपने वेकेंसी निकाली थी, जो पद सृजित किए थे उनमें से 200 कुछ आपने भरे। आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मैं भी मानता हूं, मुझे जानकारी है।

पहली चीज तो आपके अब से पहले जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि जामिया उर्दू अलीगढ़ क्या बला है। यह अदीब, अदीबे कामिल, अदीबे माहिर, इब्तिदाई और मोलिम उर्दू क्या है? मैंने तत्कालीन शिक्षा सचिव से बात की, तो मुझसे कहते हैं कि यू.पी. के लड़कों को राजस्थान में क्यों घुसाना चाहते हो? मैंने उनको कहा मान्यवर, इनमें से एक भी लड़का उत्तर प्रदेश का, बिहार का नहीं है। यह सारे लड़के मूल निवासी राजस्थान के हैं, यह न परीक्षा देने अलीगढ़ और यू.पी. गए। यह जामिया उर्दू एक संस्था है। जैसे आपके प्रयाग हिन्दी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद राष्ट्र भाषा को विद प्रथमा और मध्यमा की परीक्षा लेता है, इसी तरह से यह परीक्षाएं हैं जो समकक्ष परीक्षाएं कहलाती हैं। इब्तिदाई यानि मिडल के समकक्ष, अदीबे माहिर माने इन्टर, अदीबे कामिल यानि बी.ए. मोलिम यानि बी.एड., मामला न्यायालय में चला गया और वैकेंसियां हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अदीबे कामिल, अदीबे माहिर के जो अध्यापक हैं, जैसे आपने 60 तृतीय श्रेणी उर्दू अध्यापक के पद सृजित किए थे उसमें से 16 पद अगर इन अदीबे कामिल वाले जो मेरिट में लोग हैं इनके लिए हैं तो उन 16 पदों को आप आरक्षित रख लें, जब न्यायालय का फैसला होगा तब भर दिए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो पद हैं उनको भरने में तो आपको कोई अड़चन नहीं है। उसमें आप न्यायालय का बहाना बनाकर अड़चन का काम क्यों कर रहे हैं? पूरे राजस्थान में जहां-जहां आपने 400 पद सृजित किए, 60 पद भरतपुर में भी थे, तो उसमें इन परीक्षाओं के जो योग्यताधारी हैं उनको रोक कर बाकी को तो आपको तुरन्त नियुक्ति देनी चाहिए।

आपके शारीरिक शिक्षकों का मामला है। 1998 में शारीरिक शिक्षकों के 200 पद सृजित किए, वेकेंसी निकाली, उसके बाद आपने उनको भी रोक दिया। कहने का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तात्पर्य यह है कि नई सरकार आने के बाद आज तक आपने स्कूल क्रमोन्नत भी किए, आपने नए स्कूल भी खोले लेकिन शारीरिक शिक्षकों के एक भी व्यक्ति की आपने इस पर भर्ती नहीं की, तो आखिर विद्यालय में आप क्या करना चाहते हैं? जो लोग ट्रेनिंग किए बैठे हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है? मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरफ भी कृपया ध्यान दें।

एक चीज और है, पद रिक्त भी हैं और पर जो भरे जाते हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपको याद होगा, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्या यहां बैठी हैं। विषय का अध्यापक चाहे कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो आप उसको एक छोटी सी गांठ का आपरेशन करने के लिए लगा दें तो, वह इंजीनियर गांठ का आपरेशन नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा डाक्टर हो, हाई स्पेशलिस्ट डाक्टर हो उसको कह दें कि एक छोटी सी पुलिया बना दो, तो वह नहीं बना सकता, इसलिए जहां जिस विषय का अध्यापक है, वहां आपको उस विषय का अध्यापक लगाना चाहिए। मैं आपको पर्टीकुलर नाम बताकर कह रहा हूं झुंझुनूं में श्री मोहम्मद आमीन भाटी जो उर्दू के अध्यापक हैं, इनको तीन साल से आपने पकौड़ियों की ढाणी बग्गड़ में लगा रखा है। वहां पर तो मालियों की ढाणी में उर्दू का एक भी...(व्यवधान) पकौड़ी ढाणी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे खयाल से किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसकी पैरवी करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उर्दू भाषा का अध्यापक है। (व्यवधान) मैं जो कहना चाह रहा हूं, वही बात (व्यवधान) आप सुनिए तो। यह उर्दू भाषा का अध्यापक जिस विद्यालयों में लगा रखा है वहां पर एक भी छात्र उर्दू पढ़ने वाला नहीं है। दूसरे दो विद्यालय हैं, एक झुंझुनूं का सिटी नम्बर एक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नायकान, वहां पर 46 बच्चे एक विद्यालय में और 38 बच्चे तक एक विद्यालय में उर्दू भाषा के हैं लेकिन वहां उर्दू का अध्यापक नहीं है। अब आप मुझे बताइये आखिर यह कैसे चलेगा?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में जहां भी जिस भाषा का अध्यापक है, गणित का टीचर है उसकी जगह आप संस्कृत का लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा? अंग्रेजी के टीचर की जरूरत है और उसकी जगह आप दूसरे विषय का लगा देंगे, तो वह नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाषा के अध्यापकों का ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के कई वक्तव्य और व्याख्यान मैंने भी सुने हैं। आप हमेशा एक बात कहते थे और हम सब भी कहते हैं कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना चाहिए। जब तक हम एजुकेशन को किसी धन्धे से, किसी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

काम से, लघु उद्योग से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लार्ड मैकाले वाली शिक्षा ही दे रहे हैं और पढ़ा-लिखाकर केवल बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। आज स्थिति क्या हो गई? आपके पास एग्रीकल्चर विषय है, आपके पास सैकड़ों बीघा जमीन सवाईमाधोपुर में पड़ी हुई है, दौसा में, नौ गांवों में पड़ी हुई है, आपके स्कूलों के पास जमीन पड़ी हुई है लेकिन उसको ठेके पर उठा दी जाती है।

मैं सवाईमाधोपुर का एक उदाहरण दे रहा हूं। जो स्कूल के अन्दर एग्रीकल्चर विषय है, उसका आप एग्रीकल्चर फार्म है रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, पिछले 4-5 साल से एक भी छात्र अगर वहां प्रैक्टिकल के लिए गया हो। उसको ठेके पर उठा रखा है। एक काश्तकार खेती करता है और आपको 11,000-12,000 रुपये लाकर जमा करा देता है।

माननीय सभापति महोदय, आज कामर्स सब्जैक्ट की क्या हालत हो गई, मैं भी कामर्स का लैक्चरार रहा हूं। आज कामर्स विषय खतम होता जा रहा है। आज जो शिक्षा है, उस शिक्षा को आप व्यवसाय से दूर हटाते जा रहे हैं। व्यवसायोन्मुखी शिक्षा की जो हम बात करते थे, उस तरफ भी सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय इसमें आपने 300 शिक्षक तदर्थ भर्ती किए। इन 300 शिक्षकों में से आपने केवल मात्र एक शिक्षक तो एस.सी. का लिया डाक्टर पी.एस. रैगर, एक शिक्षक आपने एस.टी. का लिया डाक्टर करतार सिंह मीणा, यानि 291 शिक्षक आपने लगाए और उसमें रिजर्वेशन का कोटा आपने फुलफिल नहीं किया। इतना ही नहीं, आप देखिए इस सम्बन्ध में माननीय न्यायाधीश श्री महेन्द्र भूषणजी ने 17 मई, 1992 को अपने निर्णय में कहा कि ''राजस्थान विश्वविद्यालय को 6 माह की अवधि के भीतर एस.सी., एस.टी. के समस्त रिक्त पद भर देने चाहिए।'' लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 6 जनवरी, 1994 को...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : 300 टोटल बताए ना आपने...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक एस.सी. का लगाया और एक एस.टी. का लगाया है। टोटल दो लगाए हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 8 का क्या हुआ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने 8 कहां बोला? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने 300 टोटल बताए, कहा कि 292 का यह हुआ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, 291 यानि लगभग 300 बोला था...(व्यवधान) आप मेरी बात ही नहीं समझे। (व्यवधान) 291 हैं, जिसको मैंने लगभग 300 कहा है। उसमें एक एस.सी. का लिया है, एक एस.टी. का लिया है, टोटल दो लिए हैं। बाकी...(व्यवधान) सब आपकी कास्ट के हैं, इसलिय आपको दर्द हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो शिक्षा मंत्रीजी को समझाइए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, यह बीच में ही बैठे-बैठे इंटरविन कर रहे हैं इनकी तो आदत है। शिक्षा मंत्रीजी का मामला है, आपकी समझ के बाहर है बात। आपको तो वैसे ही यूनिवर्सिटी नहीं मिली इसलिए आप तो चाहते हो कि उस मामले में इनकी कोई न कोई नाराजगी आवे। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था 6 जनवरी, 1994 को जयनारायण मीणा बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय के मामले में फिर यह कहा गया कि आपको यह आरक्षण का कोटा पूरा करना चाहिए। 11 अक्टूबर, 1996 को ओमप्रकाश बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय में माननीय न्यायाधीश श्री एन.एल. टिबरेवाल ने भी अपने अति महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अस्थाई शिक्षकों को विज्ञापन के माध्यम से 15 मार्च, 1997 तक समस्त रिक्त पद चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाने चाहिए और 15 दिन का समय दिया लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर पीड़ित पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में गए, जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जब अपनी रिट दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी, 1998 को अपना निर्णय दे दिया और उसमें भी कह दिया कि आपको यह काम करना चाहिए। मैं इसका लास्ट पार्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं। इन्होंने कहा :-

"Special Leave Petitions are dismissed. It is clarified that the continuation of respondents shall be only till regular selections are made and it is up to the University to take expenditious steps for making regular selections."

यानि उसमें समय दे दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह काम इनको तुरन्त कर देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी आज तक इस पर अमल नहीं हो रहा है, तो हम इनसे अमल की क्या उम्मीद करें। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आपको तुरन्त अमल करना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपको याद होगा कि आपने उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति बनायी जिसमें आपके पास बैठे हुए सरकारी उप मुख्य सचेतक भी उसके मेम्बर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

थे, रतन लाल ताम्बी, जहाजपुर से आने वाले सदस्य भी उसके मेम्बर थे, बूंदी से आने वाली सदस्या ममता शर्माजी को भी आपने उसमें मेम्बर रखा था और मुझे भी आपने उस कमेटी का मेम्बर रखा। आपने उसकी एक मीटिंग इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में 2 वर्ष पूर्व बुलायी। मैंने उस वक्त में कहा था कि यह बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है। उसमें प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्राइवेट संस्थाओं तक के सारे लोग भी आए थे और बहुत बहुमूल्य सुझाव उसमें आए थे। आपने हमें कहा था हम विदिन सिक्स मंथ्स, हर 6 महीने में इसकी एक मीटिंग बुलाया करेंगे। आज दो साल हो गये, उस कमेटी की आपने दुबारा मीटिंग भी नहीं बुलायी। क्या कारण रहे उसके? इसलिए उसकी आपको मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके जरिए आपको जो सुझाव मिलते, आपको कोई चीज मिलती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में जरूरत इसकी मीटिंग बुलाने का काम करें।

श्री सभापति : धन्यवाद। आपके आदेश की पालना कर रह हूं मैं, आपने ही आसन का ध्यान आकर्षित किया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, अच्छा ठीक है, ठीक है।

मैं आपसे एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने साक्षरता प्रतिशत बढ़ाया और आपका यह 61.3 2001 तक है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महिला साक्षरता का प्रतिशत आज भी 44.3 प्रतिशत है। इसलिए पुरुष साक्षरता के साथ-साथ हमको महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई न कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि पुरुष पढ़ता है, तो अकेला इंडिविजुअल पढ़ता है, एक अकेला पढ़ता है और जब एक बालिका पढ़ जाती है, एक महिला पढ़ जाती है, तो समझ लो एक संस्था पढ़ जाती है, एक परिवार और एक खानदान पढ़ जाता है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी आपको कुछ काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह माध्यमिक शिक्षा का जो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है इसमें आपने उर्दू माध्यम से 353 विद्यालय बताएं हैं, सिंधी के 28, गुजराती के 16 और पंजाबी के 63 बताए हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसमें 353 विद्यालयों में अब कितने विद्यालय उर्दू मीडियम के सैकण्डरी स्कूल के हैं और कितने मिडल स्कूल हैं। आजादी के वक्त कितने उर्दू मीडियम के विद्यालय थे और आज कितने विद्यालय हैं। इसका आप एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर लें तो आज जब जनसंख्या भी बढ़ी है, उर्दू भाषियों की तादाद भी बढ़ी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है, तो इस सम्बन्ध में आपको जरूर कोई न कोई कारगर कार्यवाही करनी चाहिए।

आज विषय यह है कि नये महाविद्यालय भी आपने खोले, आप नये विद्यालय भी खोल रहे हैं। लेकिन आपने महाविद्यालयों में विषय खोलने की अनुमति नहीं दी। आपको याद होगा, मैंने, बारां से आने वाले माननीय सदस्यों ने और धारीवालजी की भी सिफारिश की चिट्ठी है उसमें, बारां राजकीय महाविद्यालय में 26 छात्र उर्दू पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने आपको प्राचार्य के थ्रू ज्ञापन भेजा। मैं भी आपसे मिला। मैंने आपसे कहा इनकी मांग है। आपने कानून बना रखा है कि जहां कहीं भी 10 विद्यार्थी उर्दू अध्ययन करने वाले होंगे वहां उर्दू भाषा खोल देंगे। आपने नहीं खोला। आपके सवाईमाधोपुर गर्ल्स के अन्दर 12-13 बालिकाओं ने कहा कि हम उर्दू विषय लेना चाहते हैं, तो जहां मान्यवर, सीनियर, सीनियर हायर सैकण्डरी में उर्दू आप्शनल सब्जैक्ट है और वहां से जो उर्दू आप्शनल के बच्चे निकलकर आते हैं, अगर वहां कालेज में उर्दू विषय नहीं होगा, तो वे कहां पढ़ने जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी आपको ध्यान देना चाहिए और कुछ-न-कुछ इस सम्बन्ध में आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं एक निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर में, जब मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग हुई थी तब भी मैंने यह बात आपको कही थी और आपने माननीय ओ.पी. बिहारीजी को इस बात की जिम्मेदारी भी दी थी। आपने जो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिलेवार और तहसीलदार साक्षरता का प्रतिशत, इसमें भरतपुर जिले में सबसे कम अगर साक्षरता है, तो वह नगर और कामां विधान सभा क्षेत्रों में है, क्योंकि ये दोनों मेवात बाहुल्य क्षेत्र हैं। कामां में आपने लोक जुम्बिश योजना शुरू कर रखी है। आसन के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि मेहरबानी करके आप नगर में भी इस लोक जुम्बिश योजना की शुरूआत करें ताकि वहां के लोगों को भी शिक्षा क्षेत्र में जोड़ सकें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय खोला। मेरा आपसे निवेदन है कि जोधपुर में आप एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं और विधि विश्वविद्यालय आपने खोला है। पहले जो यूनिवर्सिटी है आपने उसका नाम पूर्व मुख्य मंत्री लोक नायक जय नारायण व्यासजी के नाम पर रखा है। अब आपसे मेरा निवेदन है कि दोनों यूनिवर्सिटियों में से एक का नाम आप पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला खां के नाम पर रखने का काम करें ताकि उनको भी आप सही तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। कल कार्मिक मंत्रीजी और मैं दोनों बीकानेर में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की 111वीं जयन्ती के अवसर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पर वहां एक कार्यक्रम में थे। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मांग की है कि बीकानेर में जो आप नयी यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं इसका नाम डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का काम करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

भविष्य में अगर आप कभी भी और कोई विश्वविद्यालय खोलें तो पूर्वी राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है। आपकी सारी यूनिवर्सिटीज इस तरफ, जयपुर के उधर-इधर हैं। जयपुर के इधर भी लोग रहते हैं। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चाहे जो भी आप अगली यूनिवर्सिटी खोले तो पूर्वी राजस्थान का आप ध्यान रखें और वहां भी एक...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट सिर्फ, दो और दूसरे पर्यटन, कला और संस्कृति पर केवल सुझाव दूंगा।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि साढ़े तीन बजे माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना शुरू करना है। चार बजे मुखबन्द है और 5-6 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए आपने ही कहा था कि आसन को समय की पाबन्दी करनी चाहिए ताकि ठीक टाइम पर मुखबन्द हो सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपके आदेश की पालना कर रहा हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, दो मिनट सिर्फ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : आप पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। आपको तो राजधानी दे दी हमने और क्या चाहते हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है। साहब, यूनिवर्सिटी और दे दो एक। आप तो बड़े दयालू हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था शिक्षा के सम्बन्ध में, आपने माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए जो आर.पी.एस.सी. में एपीयर हो उनके लिए जो शर्त लगा रखी है कि या तो तीन वर्ष का उसको सैकण्डरी शिक्षा का अनुभव हो और या दो वर्ष का उसको सीनियर सैकण्डरी शिक्षा का अनुभव हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एम.ए., बी.एड. किया हुआ अध्यापक, यह तो आपके ऊपर है कि जब थर्ड ग्रेड का टीचर आप सलेक्ट करें तो चाहे आप उसको मिडल स्कूल में लगा दें, चाहे प्राइमरी में लगा दें, चाहे सैकण्डरी में लगा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दें। तो जो अध्यापक एम.ए. और बी.एड. है, दो-दो विषयों में एम.ए. और बी.एड. है और वह प्राइमरी और मिडल स्कूल में शिक्षण का कार्य कर रहा है, उसको तो कभी जिन्दगी में माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक का चांस ही नहीं मिलेगा। (व्यवधान) He will never get a chance for promotion as a Headmaster of Secondary Schools. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी आप कुछ न कुछ सुधार करने का काम करेंगे।

(व्यवधान)

एक बात आपसे मैं राजस्थान उर्दू अकादमी और राजस्थान ब्रज अकादमी को जो अनुदान में बढ़ोतरी की है उसके लिए तो धन्यवाद दूंगा। मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि आप ब्रज भाषा को भी तृतीय भाषा के रूप में, खास करके हमारे ब्रज मेवात क्षेत्र में लागू करवाने का काम करें। और एक जो राजस्थान साहित्य अकादमी है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपको इस सम्बन्ध में ज्ञापन भी मिले होंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी ने उदयपुर में 2001 और 2002 में उन्हीं साहित्यकारों को सम्मानित कर दिया जिनको पहले सम्मानित किया था, फिर दुबारा भी उनको सम्मानित कर दिया। इसलिए इसकी शिकायत भी आपको मिली है कि आखिर एक ही व्यक्ति को दो-दो बार कैसे कर दिया और अकादमी की जो पत्रिका निकलती है ''मधुमती'' उसके सम्पादन में भी अकादमी के अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने अनियमितता की है। उसकी शिकायत भी आपको मिली है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इसकी जांच करवाने का काम करें, इसको देखें।

एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, यह चूरू का है। चूरू के दो अध्यापक हैं। एक का नाम तो है गोविन्द लाल, ये अध्यापक हैं और एक हैं श्रीमती विमला। ये दोनों अध्यापक हैं। इनकी तनखाह बराबर उठ रही है और इनके प्रधानाध्यापकों ने लिख कर भेजा है कि दो साल से उस विद्यालय में उपस्थित ही नहीं है। ये गोविन्दराम, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पण्डरेऊ टीबा, चूरू और श्रीमती विमला, राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, बाय, तहसील तारानगर, चूरू। इन दोनों के प्रधानाध्यापकों ने लिख कर भेजा है कि दो साल से ये इनके पास नहीं हैं। मुझे लगता है इनका किसी अधिकारी के यहां कहीं आपने डेपुटेशन कर रखा है। तो ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो दो साल से वह काम ही पूरा नहीं हो रहा है? कृपया आप इसकी जांच करवाएं कि आखिर क्या वजह है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अन्त में, मैं एक निवेदन माननीय कल्ला साहब से, जो यहां पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रीजी की जगह बैठे हैं, उनसे करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में राजस्थान में इस आर्थिक मंदी के दौर में पर्यटन ही एक ऐसी चीज बची है जिसके माध्यम से राजस्थान में लोगों को रोजगार मिल सकता है, व्यवसाय मिल सकता है। इसलिए इस पर्यटन इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये, मान्यवर, आपने जो पर्यटक स्थलों पर सड़क का और दूसरा काम किया है इसको बढ़ावा देने के लिए भी काम करें।

इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कमला आजाद अरबी फारसी संस्थान जो आपका टोंक में है, लाखों रुपये का उसका बजट है, आज उसकी क्या हालत है। उसमें पिछले 3-4 सालों में कितनी हस्त लिखित पुस्तकों की वृद्धि हुई है, उसने कितनी राज्य स्तरीय, कितनी राष्ट्रीय स्तरीय और कितनी अन्तरराष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार आयोजित की है? कम से कम आप जरा इसका पता तो लगाएं कि उसका उपयोग क्या हो रहा है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप देखें।

एक निवेदन में आपसे यह करना चाहता हूं कि किशोरी महल, भरतपुर, सुनहरी कोठी, टोंक और एक मेरे नगर में गुम्मट है, वह गुम्मट बहुत पुराना पर्यटन स्थल है। मैंने माननीय पर्यटन मंत्रीजी को इसका लिखित में भी प्रार्थना पत्र दिया था और उन्होंने इसका सर्वे भी कराया है। वह सर्वे की रिपोर्ट आ गई होगी। कृपया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करें।

अन्त में एक वाक्य माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत शाला है सेमली और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, पूरे जिले में सबसे अच्छे हैं। पिछली साल भी मैंने आपसे अनुरोध किया था। मैंने मेरे विधायक कोटे से वहां दो कमरे भी बनाएं हैं। कृपया इसको आप माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने का काम करें।

इन्हीं बातों के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद और मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उनको मैं मूव करता हूं ताकि उसका जवाब आ जाए।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : आदरणीय सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या-24 पर विचार कर रहे हैं। मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूं कि शिक्षा ही मानव के सर्वांगीण विकास का स्रोत

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

एवं सोपान है। शिक्षा के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी कांग्रेस सरकार ने ''सबको पढ़ाओ'' का नारा दिया है और इस नारे के तहत हम लोगों ने राजीव गांधी पाठशालाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में खोलीं। लेकिन मुझे बड़े दु:ख से कहना पड़ता है कि एक तरफ तो पढ़ाई के अन्दर हमने इतनी उन्नति की है, एक इतिहास बनाया है और दूसरी तरफ हमने उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, सीनियर माध्यमिक विद्यालय के हर गांव-गांव के अन्दर और शहरों के अन्दर पद खाली पड़े हैं। मैं मेरे क्षेत्र नोहर तहसील की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी नोहर के अन्दर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों की स्थिति के बारे में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मेरे जो रिक्त पद हैं वे तीन हैं, वह गांव के नाम है-ललाना, नोहर बालिका और ब्वायज स्कूल और प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं, जो कि गांव है बिसरासर, नीमला, जवरासर, जैदासर, पाण्डुसर, ललानिया, बिरकारी, सात पद खाली हैं। व्याख्याता हिन्दी के पांच पद खाली हैं और गांव हैं : नोहर, परलिका और रामगढ़। वाणिज्य का एक पद खाली है बालिका, नोहर में। अंग्रेजी के चार पद खाली हैं परलिका, ललाना, पल्लू और नोहर और इतिहास के दो पद खाली हैं, फेफाणा, पल्लू। राजनीति शास्त्र के चार पद खाली हैं- पल्लू, परलिका, ललाना और रामगढ़। संस्कृत के दो पद खाली हैं, ललाना नोहर। भूगोल का एक पद खाली है, परलिका में। वरिष्ठ अध्यापक, 11 पद खाली हैं-परलिका, फेफाणा, रतनपुरा, ढंढेला, ढिलकी, पाण्डुसर, बिरकारी, ललानिया, पल्लू और सामान्य विषय पढ़ाने वाले के 12 पद खाली हैं-ललानिया, पल्लू, नोहर, बालिका, फेफाणा, नीमला, दीपलाना, जेदासर, बरवाली, पाण्डुसर, बिसरासर, पल्लू, बिरकारी। थर्ड ग्रेड के अध्यापक के 20 पद खाली हैं, बालिका, फेफाणा, नोहर, जसाना, ललानिया, सोनड़ी, बरबारी, भूकरका, पाण्डुसर और दीपलाना। यू.डी.सी. के सात पद रिक्त हैं-नीमला, जेदासर, ढंढेला, जबरासर, बिसरासर, पाण्डुसर, दीपलाना। एल.डी.सी. के तीन पद रिक्त हैं, फेफाणा, ललानिया, मदनपुरा। नोहर क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के यह रिक्त पद पड़े हैं।

स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है और नोहर की आठवीं के स्कूलों में भी जो रिक्त पद पड़े हैं, प्रधानाध्यापक जो सैकण्ड ग्रेड के हैं, वे स्वीकृत हैं 81, 63 कार्यरत हैं और रिक्त पद जो हैं वे 18 हैं और यही दूसरे अध्यापक, थर्ड ग्रेड के 430 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत 338 हैं और रिक्त पद पड़े हैं 92. शारीरिक शिक्षकों के 77 स्वीकृत हैं, कार्यरत 61 हैं और रिक्त पद हैं 16.

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

पंचायती राज विभाग के पांचवीं के स्कूल थर्ड ग्रेड में 476 स्वीकृत हैं, कार्यरत हैं 467 और रिक्त पद हैं 9, यह हालत है स्कूलों की इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि दूर-दराज में वैसे ही हमारे अकाल की स्थिति बनी हुई है। गरीब लोग रहते हैं। उनके वैसे ही पढ़ाई के साधन नहीं है। 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। इसलिए कृपा कर इन स्कूलों के अन्दर जो कमियां हैं उनको पूरा करें और जो रिक्त पद पड़े हैं उनको पूरे करने की कोशिश करें।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगी कि मंत्रीजी को मैं तीन साल से बराबर कह रही हूं कि श्रीमती नर्मदा देवी भियानी, राजकीय महाविद्यालय, नोहर को पी.जी. बनाया जाए और बहुत टाइम से इस बात की मांग हो रही है। पिछड़ा हुआ इलाका है। एक भी वहां कोई गवर्नमेंट कालेज नहीं है और इन सबको वहां से हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, प्राइवेट कालेज के अन्दर पढ़ने के लिए। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्रीजी आप इस ओर ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप बार-बार पैसे की बात कहते हैं तो अगर कोई वित्त की आपके यहां बात आड़े आती हो, तो कम से कम मेरे यहां सब्जैक्ट खुलवाने की तो आप बात करिए जिससे कि वहां के लोगों को फायदा हो सकें। मैं थोड़ा सा आपको मेरे राजकीय महाविद्यालय, नोहर के बारे में जो कमी है, उसके बारे में बताना चाहती हूं कि महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष व व्याख्याताओं के अनेक पद रिक्त हैं। महाविद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाएं न होना, महाविद्यालय के कला संकाय में राजस्थानी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी व संस्कृत जैसे विषयों का भी उपलब्ध न होना, महाविद्यालय में वाचनालय भवन का भी अभाव है। इसलिए इनमें और नहीं तो एक दो सब्जैक्ट ही खुलवा दीजिए जिससे हम लोगों की थोड़ी-बहुत परेशानी खतम हो।

अब मैं आपको और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं आपने 200 सैकण्डरी स्कूल दिए और 200 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल दिए, उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन यह इतने कम है कि उससे हम एम.एल.एज. जो है, उनकी जान बाहर गांव वाले खाते रहते हैं कि यह बहुत कम है। इसलिए इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। आप दो सैकण्डरी स्कूल दो ही सीनियर सैकण्डरी स्कूल और कम से कम पांच मिडल स्कूल दें जिससे कि वहां पर हमारी हालत ठीक रह सके। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या–24 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रगट करना चाहता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोज–रोज मैं नाम देता हूं, यह हमारे दल के जो नाम देते हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना रवैया दलित विरोधी बना लिया है। बड़ी मुश्किल से नाम आया है, कई बार प्रार्थना करने के बाद में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य सचेतकजी, है कोई जवाब आपके पास इसका? कोई जवाब है? हम कहते हैं तो तब तो आप हंसते हो। आप देओ जवाब क्या है? अब आप मान लो, स्वीकार कर लो कि आप दलित विरोधी हो। दलित विरोधी हो।

एक माननीय सदस्य : यह तो फ्रेण्डली मेच है, फ्रेण्डली।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी का बहुत–बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ही क्या पूरे राजस्थान की छोटी–छोटी ढाणियों में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति परिवार के लोग जगह–जगह राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर शिक्षा की जो व्यवस्था की है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार को और राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी को बहुत–बहुत बधाई देता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी ने, तीन साल में इस सरकार ने जिस तरह से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, समानीकरण की व्यवस्था की है...सभापति महोदय, संक्षिप्त में ही बोलूंगा।

श्री सभापति : हां, बोलो। हां, बोलो न रोका किसने है आपको।

श्री बाबूलाल नागर : जिस तरह से प्राइमरी स्तर पर, सैकण्डरी स्तर पर समानीकरण की व्यवस्था की है, छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापक लगाना और समानीकरण भी संख्यात्मक दृष्टि से किया, विषयवार दृष्टि से किया। अधिकतर अध्यापक, जिन्होंने राजस्थान में एक गिरोह बना रखा था, जो अपने–अपने तरीके से शहरों के स्कूलों में रहते थे, जो सामान्य पदों के विरुद्ध वहां नौकरी करते रहते थे। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत बोल्ड निर्णय लिया कि जहां–जहां आवश्यकता थी, वहां–वहां उन अध्यापकों को भेजा गया, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, आदर्श मिडल स्कूल बनाए गए। वहां भी विषयवार अध्यापकों की व्यवस्था की गयी। गणित के अध्यापक लगाए गए। जिस स्कूल को आदर्श विद्यालय घोषित किया है वहां गणित के लगाए, साइंस के लगाए। इससे निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति लोगों

(श्री बाबूलाल नागर)

का, जो सरकारी स्कूले हैं, उनके प्रति रूझान बना है। मैं आपके माध्यम से पुनः शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके "शिक्षा दर्पण" और "शिक्षा आपके द्वार" जो अभियान है, उससे राजस्थान में बहुत क्रांति आयी है। छह साल से चौदह साल के बच्चों के जिस तरह से नामांकन की व्यवस्था की गयी, सर्वे किया गया। 2000 में सर्वे किया, पुनः फिर सर्वे किया गया और 23 लाख बच्चे चयनित किए गए। सभापति महोदय, 15 लाख बच्चे ग्रामीण और 8 लाख बच्चे शहरी, निश्चित रूप से यह बधाई की बात है।

आपने डी.पी.ई.पी. को नोडल एर्जेसी बनाया। उनके कार्यकाल खोले उससे निश्चित रूप से इससे शिक्षा में एक ऐतिहासिक क्रांति आयी है, सभापति महोदय, समय का अभाव है, मैं समझता हूं। मैं तो संक्षिप्त में सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी, एक तो यह जो अध्यापन का नामांकन है, जो विद्यार्थियों का नामांकन है, इसमें अध्यापकों के लिए एक टार्गेट निश्चित कर देना चाहिए। जब भी स्कूलों में प्रवेश होते हैं, विद्यार्थी भर्ती हो जाते हैं। महीने-दो-महीने वह विद्यालय में आते हैं और शिक्षक पूरा प्रयत्न नहीं कर पाते हैं और वापस वह घर बैठे जाते हैं। आपसे मेरा आग्रह है प्रत्येक अध्यापक का टार्गेट तय कर दें कि एक अध्यापक को नौकरी करनी है, तो इतने विद्यार्थियों का नामांकन उसको वहां, जहां वह नौकरी करता है, उसको रखना पड़ेगा। उससे एक सुनिश्चितता आएगी और आपने जो अलग-अलग माध्यम से विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाया है, यह लगातार जारी रहेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, यह जो ट्रांसफर नीति है, इससे हम लोग भी बहुत दुःखी हैं। जिसका हो जाता है वह भी धन्यवाद देने की स्थिति में नहीं है और जिसका नहीं होता है वह वैसे परेशान रहता है। हम सारे डवलपमेंट के काम करते हैं, विकास के काम करते हैं, दिन-रात उनके सुख-दुःख में भागीदार बनते हैं। किसका ट्रांसफर हुआ, किसका नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप योग्यता के आधार पर या उपलब्धि के आधार पर एक ऐसा निश्चित टार्गेट तय कर लें कि जो विषयवार उपलब्धि हासिल करेगा, उसका अपनी इच्छा से यहां ट्रांसफर होगा, वह अपने निकट के गांव आ सकेगा। कम से कम यह जो अव्यवस्था फैली हुई है, इससे मुक्ति मिलेगी।

तीसरा, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने और इस सरकार ने नामांकन शिक्षा और साक्षरता का बहुत बड़ा काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री बाबूलाल नागर)

कि आपने तरह-तरह के प्रयोग किए हैं। ''शिक्षा दर्पण'' के माध्यम से और कई योजनाएं भी बनायी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में क्यों नहीं प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए? अगर आप राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर देते हैं, फ्री शिक्षा कर देते हैं, जो भी मां-बाप के बच्चा होगा, उसको पढ़ना, हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो आपको अलग-अलग प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी कि हर बच्चा पैदा होगा, पांच-छह साल का बच्चा होगा, उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा।

चौथा, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान पाठ्यक्रम इसमें कुछ नये विषय अवश्य जोड़ने चाहिए। हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले विधान सभा में भी चाहे जनसंख्या का मामला हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की थी। सभापति महोदय, यह जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, यह कोरे-कागज के समान होते हैं। उनके दिमाग में जैसा लिख दिया जाता है, जैसा इनको बताया जाता है, वह इनके दिमाग में आ जाता है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसको तो आप लगातार जारी रखिए, लेकिन इसमें कई नये विषय हैं जैसे-संतुलित पर्यावरण, मानव और पर्यावरण का क्या सम्बन्ध है। अगर आप इसमें ऐसा विषय डाल देते हैं तो हर बच्चा, जो नया बच्चा है, उसके दिमाग में बनेगा। स्कूल में जाते ही उसको आभास होगा कि पर्यावरण आज के जीवन में क्यों आवश्यक है।

पांचवां, सभापति महोदय, जैसे जनसंख्या, जन्म दर पर नियंत्रण। उस बच्चे के दिमाग में रहेगा कि एक आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए और ज्यादा जनसंख्या से क्यों नुकसान होता है, समाज में, परिवार में, देश में कितनी और क्या बाधाएं आती हैं? यह ऐसे सब्जैक्ट हैं जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा।

छठा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो बड़ी इण्डस्ट्रीज है उनको स्कूलों से जोड़ देना चाहिए। उसमें 50 प्रतिशत सिलेबस दैनिक शिक्षा का रखना चाहिए और 50 प्रतिशत ट्रेड शिक्षा का उसमें सिलबस रखना चाहिए। इन बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज को स्कूल से जोड़ देंगे तो वह प्रशिक्षण लेंगे, इन्हीं में उनकी भर्ती हो जाएगी। उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो एक नौजवान में फ्रस्टेशन आता है, वह फ्रस्टेशन नहीं आएगा। कम से कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

उच्च शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। उच्च शिक्षा के फण्डामेंटल रिसर्च बेस पर होने चाहिए। सभापति महोदय, जिसमें बायो-टैक्नोलाजी, जीन थैरेपी रोबेट सर्जरी, कम्प्यूटर, इन सबका उच्च शिक्षा में बेस होना चाहिए। 21 वीं शताब्दी में राजीव गांधी जी की जो सोच थी, उसकी ओर हम आगे बढ़ सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं वैसे तो माननीय सदस्य, डा. करण सिंह ने, माहिर आजादजी ने निवेदन किया है, उन्हीं में अपनी सहमति जताते हुए कहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी पूरे राजस्थान के लोग इस सरकार पर विश्वास करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। राजस्थान के कुलपति बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने समय पर एग्जाम कराए हैं और समय पर रिजल्ट देंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में जो अत्याचार किया गया है, उसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं।

मैं जानता हूं, शिक्षा मंत्रीजी को भी जानता हूं कि इन वर्गों के प्रति इनका मन बहुत है। पता नहीं कौनसी मजबूरी ऐसी आ रही है, पता नहीं इतना मन रखने के बाद भी क्यों नहीं शिक्षा मंत्रीजी ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में किए गए अत्याचार रुके। मैं देखता हूं, हम तीन साल से एम.एल.ए. हैं, आये दिन, हर रोज अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, एम.एल.एज. के घरों के बाहर घूमते रहते हैं। वह रोते रहते हैं कि हमने एम.फिल पास कर ली है। हमने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और हमें राजस्थान विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिल रही है और कुछ जो हैं पीछे के दरवाजे से नौकरी में लग गए हैं और उनका बेहाल हो गया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर पूरे राजस्थान में इस तरह से बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। एक गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार का सदस्य बहुत मुश्किल से अपना पेट काटकर बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके, अपने गहने गिरवी रखकर, अपनी जमीन को गिरवी रखकर राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, एम.फिल. करते हैं, रिसर्च करते हैं। उनमें वह लोग पढ़ते हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। इसके बाद भी जब वह दर-दर भटकते हैं, हम भी उनके भाई

(श्री बाबूलाल नागर)

हैं। हमें रोना आ जाता है कि यह कैसे हो रहा है। सी. पी. जोशी साहब

(15.00 बजे)

बहुत विद्वान आदमी हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के प्रति उनका बहुत लगाव है, हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री संवेदनशील हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति संवेदनशील हैं फिर यह राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा कैसे हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिए।

जैसा कि डा. करणसिंहजी ने कहा कि कुछ लोग पीछे के रास्ते से आ गये हैं। सभापति महोदय, मैं तो कम से कम उनका भी विरोधी नहीं हूं, उनकी भी मैं हालत देखता हूं जिस तरह से वह आये दिन मिलते हैं, उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन देखता हूं। जहां शिक्षक में फ्रस्ट्रेशन हो, संतुलित दिमाग नहीं हो, तो मुझे लगता नहीं है कि असंतुलित दिमाग का शिक्षक कोई छात्रों को अच्छा पढ़ा पाएगा, असंतुलित दिमाग का शिक्षक कोई छात्रों को अच्छा ज्ञान दे पाएगा। उनके लिए भी आपको आर्डिनेंस लाना चाहिए लेकिन पहले एस.सी., एस.टी. के इन नौजवानों की व्यवस्था करिए। उनकी व्यवस्था के बाद में उनका भी आर्डिनेंस लाइए, उनको भी आप स्थायी करिए, उनको भी आप पूरा पैसा दीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह लोग भी पांच-पांच साल से पी.एच.डी. करके राजस्थान यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं। दर-दर भटक रहे हैं, इनके बुरे हाल हैं इसलिए एस.सी., एस.टी. की व्यवस्था करें। हम उनके विरोधी नहीं हैं, उनको आप नौकरी दीजिए, उनको पूरी तनखाह दीजिए, उनको स्थायी बनाइये पर पहले एस.सी., एस.टी. के लोगों की व्यवस्था करिए। जैसा डा. करणसिंहजी ने कहा कुछ लोग कोर्ट में चले जाएंगे और फिर एस.सी., एस.टी. के लोग रोते रहेंगे।

सभापति महोदय, मैं मेरे दूदू के सम्बन्ध में दो मिनट लेना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जगह-जगह कालेज भी खुले हैं। शिक्षा मंत्रीजी, दूदू एक ऐसी जगह है, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं, पीने का पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, एक मुट्ठी भर अनाज पैदा नहीं हो रहा है, अब ऐसी जगह पर पता नहीं आपके सेठ-साहूकार, बड़े-बड़े लोग हैं, हम कई बार निवेदन करते हैं, सभापति महोदय, कोई भी कालेज खोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बुरा हाल है। पहले तो हमारे बच्चे वैसे ही गरीब हैं, इन राजीव

(श्री बाबूलाल नागर)

गांधी पाठशालाओं के माध्यम से स्कूलों में आने लगे हैं, एक अच्छा आउटपुट आया है लेकिन जहां कालेज स्तर तक, सैकण्डरी तक पढ़ते हैं और फिर वहीं की वहीं रुक जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सौ-सवा सौ किलोमीटर की दूरी तक मेरा विधान सभा क्षेत्र फैला हुआ है, फागी में नहीं है, आपके सांभर भी बहुत दूर है, इसलिए आप दूदू में एक कालेज की व्यवस्था करें जिससे वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साइंस बायोलोजी है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरे दूदू विधान सभा क्षेत्र में एक भी विद्यालय में साइंस बायोलोजी नहीं है, मतलब यह कितना बड़ा अन्याय है, वहां के लोग डाक्टर नहीं बन सकते, वहां के लोग अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते। मैं आग्रह करना चाहता हूं कम से कम पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल में तो साइंस बायोलोजी करें जिससे वहां के लोग साइंस बायोलोजी में एडमिशन लें, जिनका मन हो उसमें आगे पढ़ सकें।

सभापति महोदय, तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैकण्डरी विद्यालय के मेरे यहां दूदू विधान सभा क्षेत्र में एच.एम. के पद रिक्त हैं। साली में एच.एम. नहीं है, मरवा में नहीं है, नरयाणा बालिका विद्यालय में नहीं है, रोजड़ी में नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे यहां बहुत शिक्षक के पद खाली थे, मुझे इस बात की जानकारी है आपने खुद ने पहल करके, शिक्षा सचिवजी ने खुद ने पहल करके मेरे क्षेत्र में बहुत से शिक्षक लगाए हैं फिर भी यह कुछ अध्यापक के पद रिक्त हैं इसलिए व्यवस्था कराने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, मैं आधा मिनट और लूंगा। शारीरिक शिक्षकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहां स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के करीब-करीब अधिकतर पद रिक्त चल रहे हैं। मिडल स्कूलों की स्थिति तो यह है कि 158 पद तो अकेले मिडल स्कूलों में मेरे दूदू में रिक्त चल रहे हैं। कुलमिलाकर 175 पद हैं अध्यापकों के जो दूदू में रिक्त चल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, बारबार प्रयास करते हैं, कई बार मंत्रीजी ने भी कोशिश की, मेरे यहां अध्यापक लगाए पर, सभापति महोदय, कोई न कोई किसी न किसी नेता के पास चला जाता है, किसी न किसी विधायक के पास चला जाता है और वह वहां जोइन ही नहीं करता, उससे पहले ही निरस्त करा लेता है। खारा पानी है, कोई आना नहीं चाहता वहां पर। दूर-दराज में ऐसा हाल है कि कोई वहां एक दिन भी रहना नहीं चाहता इसलिए आप इस व्यवस्था को प्राथमिकता से करें।

श्री सभापति : हो गया, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर : मिडल स्कूल के सम्बन्ध में लास्ट है।

सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया और मेरे दल के जिन लोगों ने मेरा नाम सूची में दिया है उनका मैं निश्चित आभार प्रकट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की सरकार दलितों के खून-पसीने से बनी है, दलित सदस्य यहां बोलेगा तो कम से कम राजस्थान के दलितों की आवाज इस विधान सभा में गूंजेगी, मेहरबानी करके दलित सदस्यों का भी सब का नम्बर आना चाहिए, जो-जो बोलना चाहते हैं उनका।

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय श्री अमरारामजी धोद।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया है हर डिमांड में मैं नाम देता हूं लेकिन मेरा कहीं नामोनिशान भी नहीं आता इसलिए मैं बहुत आक्रोश पैदा करता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : आज तो नाम भी आ गया और समय भी पूरा ले लिया। श्री अमराराराजजी धोद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपकी जानकारी के लिए यह सूचना दे दूं। जब-जब आपने मांगा है नाम, आप तो बोलते हो लेकिन आज तो सब दलित ही दलित बोल रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर : कहां बोल रहे हैं, आप बताइये कौन बोल रहा है? पहला नम्बर है मेरा, पहला नम्बर। बताइये एस.सी., एस.टी. का कौन बोला है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : रामचन्द्र सराधना ओ.बी.सी., श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई, ओ.बी.सी., श्रीमती सुचित्रा आर्य ओ.बी.सी. डा. करण सिंह ओ.बी.सी., बाबूलाल नागर एस.टी. सब दलित ही दलित बोले हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सचेतक महोदय भी ओ.बी.सी....

श्री बाबूलाल नागर : दलित नहीं देखे। दलित किसको बोलते हैं?

श्री सभापति : श्री अमराराम धोद।

श्री रामस्वरूप : अब हमारा नम्बर कब आ रहा है, यह बता दो आप तो।

श्री सभापति : आपका आएगा बैठो, बैठो।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार कर

(श्री अमराराम)

रहा है। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करते हुए निवेदन करना चाहता हूं।

जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शिक्षा है। राजस्थान में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वे उच्च शिक्षा से लेकर महाविद्यालय शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो और चाहे प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा हो, सबसे कठिन परिस्थितियां हैं। आज शिक्षकों की पोस्टें खाली हैं, उससे सबसे बड़ी परेशानी उस शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को है। चाहे राजस्थान में साक्षरता दर बढ़ गयी हो, साक्षरता दर जरूर बढ़ी है लेकिन शिक्षा का स्तर तय रूप से घटा है। वह स्तर इसलिए घटा है कि उच्च शिक्षा से लेकर प्राइमरी एजुकेशन तक हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अगर पोस्टें वेकेंट होंगी, साल भर की पढ़ाई में उसकी क्लास नहीं लगेगी और उसके बाद जब वह एग्जाम में जाएगा तो उसका शिक्षा का स्तर तय रूप से, निश्चित रूप से गिरेगा।

आज जहां स्कूल एजुकेशन का सवाल है, आज की तारीख में आपने जो प्रतिवेदन दिया है उसके अनुसार 3388 व्याख्याता, एक सत्र नहीं, आपके मंत्री बनने के बाद तीन सत्र पूरे कर दिये आपने और हजारों की संख्या में स्कूल एजुकेशन के व्याख्याताओं के पद खाली रहे हैं। आपने एक गैस्ट फैकल्टी योजना लगायी। सभापति महोदय, सीकर जिले की सैकण्डरी और सीनियर स्कूलों में 356 पद रिक्त थे और इस गैस फैकल्टी से 160 मात्र आए। जो आपने व्यवस्था की पूरे साल भर में 250 से ज्यादा एक जिले में और पूरे राजस्थान में 3388 व्याख्याता की पोस्ट अगर खाली रहेंगी, तो क्या मकसद रहेगा उस शिक्षा का? जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसको आप रोजगार से नहीं जोड़ सकते लेकिन जो कुछ दे रहे हैं उसमें भी आप अगर इस संख्या में पद रखेंगे तो क्या होगा?

आपने सबसे पहले आते ही जो 39 और 40 का रेशो एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार था, आपने बढ़ा कर 39 से 49 कर दिया। अभी आप इनकी पूर्ति करने के लिए समानीकरण के नाम से अगर 50 से 60 कर देंगे, 60 से 80 कर देंगे तो शायद जो शिक्षक हैं, इनसे ही आपकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए आप जो शिक्षा देना चाहते हैं उसको कहां तक ले जाना चाहते हैं? आज जिस तरह से आप शिक्षा में इन अध्यापकों की, प्राध्यापकों की पोस्टें खाली रख कर राजस्थान में जिस तरह से शराब माफिया है, खान खामिया है, भू-माफिया है उसी तरह से आज राजस्थान में जिस तरह से शिक्षा माफिया बढ़ रहा है, उनकी गिरफ्त में जाने के लिए राजस्थान के

(श्री अमराराम)

विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक रिक्त पद रख कर उनमें इजाफा करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है।

आज क्या हालत है? जिस तरह से वे लोगों का शोषण कर रहे हैं, सभापति महोदय, आप देखेंगे कि जो विद्यालय आवासीय विद्यालय के नाम पर चलाते हैं, जहां छात्रावास हैं, चाहे वो झुंझुनूं हो, चाहे सीकर हो, एक-एक कमरे में 50-50 विद्यार्थियों को होस्टल के नाम से रखते हैं। एक कमरा बीस बाई पन्द्रह का जिसमें 50 भेड़ और बकरी भी नहीं आ सकती, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से एक ईंच जगह नहीं मिलेगी। उनको इस बात की छूट है, चाहे जो फीस लेंगे। जिस तरह का शोषण कर रहे हैं, इनका ही नहीं जिनकी 90 प्रतिशत अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं। आप 70 प्रतिशत अनुदान देते हैं। ये दोनों तरफ से लूटते हैं। 90 प्रतिशत राजस्थान की जनता का पैसा लगे उस विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस का कम्पेरीजन करने पर चार गुना फीस है जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको तो तनखाह के लिए आपने भी बार-बार घोषणाएं की कि 90 प्रतिशत सरकार दे रही है। जितनी भी अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उनके शिक्षक जो कड़ी मेहनत करते हैं उनको आधा भी वेतन मैनेजमेंट कमेटी नहीं देती। आपने घोषणा की थी 90 प्रतिशत हम देते हैं और दस प्रतिशत मैनेजमेंट कमेटी देती है और उनके वेतन का आहरण कोष कार्यालय से होगा लेकिन आज तक नहीं हुआ। सभापति महोदय, क्यों स्कैंडल करने वाले लोग, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को चीट कर रहे हैं, जनता का पैसा 90 प्रतिशत जाएगा, उनको किस तरह से आपने छूट दे रखी है? मैं समझता हूं घोषणा के बावजूद वह आज तक लागू नहीं हुई। उनको लाभ कमाने के लिए, आज शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण किया जा रहा है, मैं समझता हूं शिक्षा को आगे नहीं ले जा पाएंगे इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किस तरह से आपका विभाग विजिलेंट है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि दसवीं से नीचे के विद्यार्थी के लिए, एस.सी. और एस.टी. की स्कालरशिप जो समाज कल्याण विभाग से जाती है, आपके विभाग में गयी और इस साल अभी एग्जाम हो रहे हैं, पूरी साल का दसवीं से नीचे के विद्यार्थियों को तीस और चालीस रुपए आप स्कालरशिप के रूप में देते हैं। पूरी साल की स्कालरशिप आज तक नहीं बटी। या तो समाज कल्याण विभाग ने नहीं भेजी या फिर समाज कल्याण विभाग ने भेज दी है, तो क्यों नहीं शिक्षा निदेशालय भेजता? जो आज तक नहीं हो पाया है।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, आपका किस तरह से बिजिर्लेंट है, किस तरह का इस विभाग का रेकिट है, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। संवदेनशीलता और पारदर्शिता का एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिपराली पंचायत समिति के बी.डी.ओ. का चार्ज शिक्षा प्रसार अधिकारी के पास था। बच्चों के लिए दरी-पट्टी खरीदने के लिए उसको आदेश मिला सरकार का। विभाग के तमाम निर्देशों की अवहेलना करते हुए बच्चों की टाट-पट्टी खरीद में घोटाला किया। जो बच्चों को पोषाहार के रूप में गेहूं मिलता है उस पोषाहार में मिट्टी मिला दी। तीन स्कूलों की मिट्टी, इस जांच में आपने दिया है, जो तीन स्कूलें, जिनमें मुश्किल से एक लड़के को तीन या चार किलो, तीन किलो, सौ ग्राम रोजाना के हिसाब से देते हैं जो मुश्किल से दो या चार किलो और एक स्कूल में 145 किलो मिट्टी, गेहूं की जगह मिट्टी मिलाकर दो। हमारा शिक्षा प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी मिट्टी दे गेहूं की जगह, दरी-पट्टियों में घोटाला कर दे, पंचायत समिति पिपराली की बात है। आपकी संवेदनशील सरकार 1998 में इसने घोटाला किया। उसको 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया और आपका विभाग उत्तर देता है 2002 तक, अभी निदेशक और जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच पांच साल से उन कागजों का आदान-प्रदान हो रहा है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो गेहूं की जगह बच्चों को मिट्टी दे दे, जो टाट-पट्टियों में घोटाला कर दे। उसको 16 सी.सी.ए. का नोटिस मिला 1998 में आपकी सरकार के आने से पहले और आज तक निदेशालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच में पत्र व्यवहार हो रहा है पांच साल तक। मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि पांच साल तक आपका पत्र व्यवहार चल रहा है। मैं समझता हूं केवल निर्णय होने में शायद आपकी सरकार के दुबारा टर्म खतम होने तक तो फैसला नहीं होगा।

सभापति महोदय, यही हालत सरकार की शिक्षा के हर क्षेत्र में आज हो रही है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है छोटे प्राइमरी और मिडल स्कूल्स में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और शारीरिक शिक्षक की। वहां शारीरिक शिक्षक जो प्राइमरी तक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता पानी के लिए सफाई के लिए जहां दस साल के बच्चे हैं वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होगा। सीनियर और सैकण्डरी स्कूल में पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे लेकिन जहां आवश्यकता है वहां तो तय रूप से, अगर हम शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान को खेल जगत में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक हम हमारी नींव मजबूत नहीं

(श्री अमराराम)

करेंगे, जो कुछ पैसा हम खर्च कर रहे हैं, आप शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलें, सोनिया गांधी पाठशालाएं खोलें इससे किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं वह पूरे इस लायक हो कि वह पढ़ा सकें। आपने अभी उनको झुनझुना पकड़ा रखा है। शिक्षा सहयोगी जिस तरह के ग्रामीण के विद्यार्थियों को, शिक्षा से जिस तरह से वंचित करने का विभाग प्रयास कर रहा है, क्योंकि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, आपने अभी प्रमोशन का बनाया कि वेकेंट पोस्ट है थर्ड ग्रेड में प्राइमरी और मिडल स्कूल में अध्यापक हैं उनको हम प्रमोशन देकर सैकण्ड ग्रेड में ले जाएंगे और जो सैकण्ड ग्रेड में हैं उनको फर्स्ट ग्रेड में ले जाएंगे, जो प्राइमरी स्कूल्स और मिडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनमें थर्ड ग्रेड टीचर्स की नियुक्ति नहीं करके पैराटीचर के नाम पर चालीस रुपए रोजाना के नाम से जो आपने अभी प्रमोशन...

श्री सी. पी. जोशी : केरल में कितना है? जिस पार्टी के आप हैं, वहां कितना है, इसकी भी जानकारी दें तो ठीक रहेगा। बंगाल में कितना है?

श्री सभापति : दोनों ही स्टेट बहुत दूर में हैं। आप अपनी बात कहिए।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी केरल की बात कर रहे हैं जहां साक्षरता 99 प्रतिशत है।

श्री सी. पी. जोशी : पैराटीचर को कितना पैसा मिलता है बेस्ट बंगाल और केरल में? इसकी भी जानकारी सदन को दें तो ठीक रहेगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप दे दें। पैराटीचरर्स हैं कहां वहां? पैराटीचर तो आप ही लाते हो।

श्री सी. पी. जोशी : पता लगा लो। बेस्ट बंगाल में मुख्य मंत्रीजी की बैठक थी, शिक्षा मंत्रीजी की वहां यह चर्चा करके आया हूं। उसके बाद ही बात कह रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : तो आप ज्ञानवर्द्धन कर दो। मैं बंगाल और केरल की बात थोड़े ही कर रहा हूं। राजस्थान की कर रहा हूं।

राजस्थान के उस ग्रामीण विद्यार्थी की जो 80 प्रतिशत राजस्थान की जनता है, शिक्षा के साथ जिस तरह का बर्ताव राजस्थान की सरकार कर रही है, आने वाले दस सालों में अगर यही नीति लागू रही, राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की प्राइमरी और मिडल स्कूलों में केवल पैराटीचर रहा, मिडल स्कूलों में केवल एक हैडमास्टर के अलावा पैराटीचर हुआ,

(श्री अमराराम)

तो कोई भी बोर्ड की परीक्षा में दसवीं पास नहीं कर पाएगा। जिस तरह से आपने यह बनाया है राजस्थान के ग्रामीण वैसे ही साक्षरता में पिछड़े हुए हैं, महिला शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। आपकी योजनाएं तो बड़ी योजनाएं हैं। लोक जुम्बिश है, शिक्षा आपके द्वार है। शिक्षा आपके द्वार भेजने की बात कर रहे हैं। जो शिक्षा लेने के लिए आपके पास स्कूल में आ रहा है उसको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, उसके लिए टाट-पट्टी नहीं है, उसके लिए महाविद्यालय में भवन नहीं होगा।

कल्याण महाविद्यालय सीकर, जिसकी राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या, छह हजार से ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या है और वहां छह हजार विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। महाविद्यालय का भवन राव राजा कल्याण सिंह ने दिया था। उसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई। आज उस महाविद्यालय में भवन के लिए फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं। आज जिस महाविद्यालय में प्राध्यापकों की पैंतालीस पोस्ट वेकेंट हों, क्या आप पढ़ा सकते हैं?

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो हालत बनायी है और यहीं तक नहीं कुछ लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए। शिक्षा मंत्रीजी, मैं एक मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि यह सरकार अल्पसंख्यकों की हमदर्द होने की बात करती है। सीकर में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित इस्मालिया सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है। क्या हालत है? वहां मैनेजमेंट कमेटी का तीन साल के लिए चुनाव हुआ। उस मैनेजमेंट कमेटी ने काफी घोटाले किए। अपनी मनमर्जी से हर जो सदस्य जो कुछ भी दान देता था संस्था को वह उसका सदस्य होता था। उन्होंने कहा दो हजार रुपए, अपने आप कुछ लिमिटेड लोगों तक सीमित करने के लिए यह प्रस्ताव पास करके दो हजार रुपए इस संस्था को जो देगा वही केवल अधिकार रखेगा। साधारण मैम्बर। वह सहकारिता अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। उनकी शिकायतें हुईं। पूरे अल्पसंख्यक वर्ग ने, सीकर के पूरे अल्पसंख्यक वर्ग ने जिसका बहुत बड़ा जुड़ाव उस संस्था से है। बार-बार शिकायत की। जिला कलक्टर से आपने ओपिनियन मांगी। शिक्षा विभाग के निदेशक ने तमाम, चाहे वह जिला कलक्टर हो, चाहे वह निदेशक हो, सभी ने यह कहा कि यह जो मैनेजमेंट कमेटी है जो अपने आप चुनकर आयी है वह स्वतंत्र नहीं है। सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार ने 10.7.2000 को निर्देश दिए कि इस संस्था का 45 दिनों में प्रशासक नियुक्त करके, इसके जो बायलाज हैं उनके अनुसार नियमानुसार चुनाव होकर मैनेजमैंट कमेटी आती है उसी को अधिकार होगा। आपका

(श्री अमराराम)

आदेश जाता है, जो संस्था सहकारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है 10.7.2000 को और 11 तारीख को हमारे शिक्षा सचिव मंत्रीजी के निर्देश पर आदेश निकालते हैं कि समुचित जांच के बाद कलक्टर ने कहा कि चुनाव करवाए जाएं। आपके सहकारिता विभाग ने आदेश दे दिए, आपका शिक्षा निदेशालय यह भेजता है कि इसका निष्पक्ष चुनाव प्रशासक के माध्यम से होना चाहिए। मैं मंत्रीजी पूछना चाहता हूं और कौनसे जरिए हैं जिसमें समुचित आपने जांच कर ली और आपको आभास हो गया कि यह कमेटी सही है। सभापति महोदय, उस कमेटी ने अरब कंट्री से करोड़ों रुपए स्कूल के नाम से लेकर डकार गई और उनको बचाने का काम राजस्थान की सरकार ने इस आदेश के माध्यम से किया है। क्यों नहीं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सहकारिता अधिनियम के तहत प्रशासक के माध्यम से, उसके पहले भी, पांच साल पहले भी प्रशासक की देख-रेख में चुनाव हुए। किसी को क्या एतराज है। उस संस्था को जो आज चालीस साल से चल रही है, सीकर में सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। सब लोगों के बीच में प्रशासक के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से जो भी कमेटी आये, जिसकी भी आये किसको क्या एतराज है। लेकिन करोड़ों रुपए अरब कंट्री से लाकर घपला कर और तीन साल तक उसको खुर्द-बुर्द कर दे इसलिए आप उनको बचाने के लिए, जहां अल्पसंख्यकों में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा बढ़ाने के लिए जो कमेटी है उसमें कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए अगर राजस्थान की सरकार अपने प्रभाव का उपयोग कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए करेगी तो यह शिक्षा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है

(15.21 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि अगर आप शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, जो आधारभूत क्षेत्र है, तय रूप से जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो साठ-साठ हजार रुपए साल के अपने बच्चे या बच्चियों को पढ़ाने के लिए दे सकते हैं लेकिन जो गरीब है, जो स्कूल तक नहीं भेज सकता उनके लिए हमें व्यवस्था करनी है, उनके लिए पुख्ता व्यवस्था हो, अध्यापकों की व्यवस्था हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सीनियर और सैकण्डरी तो दो-दो सौ खोलने का काम किया है लेकिन जब तक आप मिडल स्कूल नहीं खोलेंगे क्योंकि सीनियर स्कूल तय रूप से आप जाएंगे तो बच्चा बड़ा होगा, पांच किलोमीटर जाकर भी पढ़ सकता है लेकिन मिडल स्कूल जब तक आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मैं पंचायत समिति, धोद, आज भी पूरी पंचायत

(श्री अमराराम)

समिति सीकर में आठ पंचायत समितियां हैं जिनमें महिला शिक्षा सबसे कम धोद में है और उसका कारण यह है कि आज भी पूरी पंचायत समिति, धोद में एक भी गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है।

इस तरह से हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन में आपने राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाया है उसको स्ट्रेंथन करें। जहां सौ से ज्यादा लड़के हैं वहां आपने दूसरा पैराटीचर देने का काम किया है और उनमें जितना बढ़िया रिजल्ट लाते हैं, जितना बढ़िया पढ़ाने का काम करते हैं, तय रूप से उनका आप मानदेय भी बढ़ाएं, उनको आप परमानैंट भी करें और इसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन और सैकण्डरी एजुकेशन को आप मजबूत करेंगे। आपने उपाध्यक्ष महोदय, समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 20वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.4.2002 को म.प. 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने दिनांक 16 अप्रैल, 2002 को सदन में लिए जाने वाले कार्य पर पुनर्विचार किया और समिति यह सिफारिश करती है कि दिनांक 16 अप्रैल, 2002 को कार्य का बंटवारा निम्नप्रकार रहेगा :-

मंगलवार दिनांक 16 अप्रैल, 2002 को

(1) राजस्थान विनियोग संख्या-3 विधेयक, 2002

(2) राजस्थान वित्त विधेयक, 2002

(3) राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 एवं

(4) राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी। श्री कय्यूम खान।

मांग संख्या–24 पर विचार

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या–24 पर अपने विचार रख रहा हूं, माननीय मंत्रीजी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, जो विचार है वह हमेशा तृतीय भाषा उर्दू, फारसी, सिन्धी के लिए हमेशा उनकी सोच रही है। वह उर्दू विषय के लिए काफी कार्य करना चाहते हैं और उन्होंने काफी उर्दू के लिए कार्य किया है।

मैं आदरणीय मंत्रीजी से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने कुछ समय पूर्व यह बात कही थी कि जहां भी दस विद्यार्थी होंगे वहां पर उर्दू विषय खोल दिया जाएगा। बार-बार मेरे द्वारा अपने क्षेत्र के अन्दर जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया पर वहां से एक ही जवाब आया कि हमने बीकानेर और मंत्री महोदय के पास भेज दिया है वहां से स्वीकृत होने के बाद आपके यहां पर उर्दू विषय खोल दिया जाएगा। मैंने 1 मार्च, 1999 को राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरल द्वितीय के अन्दर, राजनगर में नारायण प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, विजयनगर में कानिया राजस्थान माध्यमिक विद्यालय, मंदेडा ब्लाट फतहगढ़ सल्लां, मसूदा, रूपनगर और विजयनगर के लिए प्रस्ताव आपके पास में बार-बार लिखित में भेजे हैं। रूपनगर में उर्दू पढ़ने वालों की संख्या आठवीं में, मिडल में सोलह, सातवीं में तीस, छठी में तीस और पांचवीं में बारह।

इसी तरह से बरल की संख्या है, आठवीं की नौ, सातवीं की चौदह, छठी की छह, पांचवीं की सोलह, फोर्थ क्लास में बारह, थर्ड में चौदह, इसी तरह राजनगर विजयनगर के अन्दर मैंने लिखित में भेजा वहां के लिए कक्षा आठ में पांच, सात में चौदह, छठी में ग्यारह, रूपनगर विजयनगर के अन्दर इसी तरह से मेरे पास सारे आंकड़े हैं। बार-बार लिखने के बावजूद भी वहां पर उर्दू विषय नहीं खोला गया और एक ही बात कही गयी कि हमने मंत्री महोदय को लिख दिया है वहां से आने के बाद हम भी इस विषय को खोल देंगे।

मंत्री महोदय, मेरा आपको सुझाव है कि जो सब्जैक्ट टीचर मेरे मसूदा क्षेत्र के अन्दर काफी तादाद में पाठशालाओं में है, स्कूलों में सब्जैक्ट टीचर अंदर सब्जैक्ट पढ़ा रहे हैं। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम मेरे पास ऐसी सूची है जो उर्दू पढ़ाने वाले सब्जैक्ट टीचर 17 मेरे यहां पर लगे हुए हैं, जिनको अगर आप सब्जैक्ट टीचर उर्दू मेरे यहां मसूदा में, जहां-जहां मैंने आपको लिस्ट भी दी है, अगर खोल देंगे, तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की आशा और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी काफी राहत मिलेगी। मेरा

(श्री कय्यूम खान)

आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर आप थोड़ा विचार करें।

इसी तरह से आपने जो स्कूल क्रमोन्नत किए हैं उनमें लगभग 42 टीचर मेरे यहां पर अभी भी पूरे मसूदा के अन्दर सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, मिडल में रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनको भी भरने की कृपा करें।

दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो राजीव गांधी पाठशाला हमारे मुख्य मंत्रीजी ने खोली सोलह हजार, उससे हमारी जनता को बहुत राहत मिली है। खास कर मेरे मसूदा क्षेत्र के अन्दर क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो अशिक्षित थे, उनको काफी शिक्षा से जोड़ा गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी को और आपको कि उस ग्रामीण जनता के हित के लिए उसे शिक्षित करने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय हैं।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे अजमेर के अन्दर जो उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय हैं, उनके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी लिखा था कि वहां उर्दू और फारसी पढ़ाई जाती है और वहां पर जो परसेंटेज आता है उसमें हमारे बच्चे नहीं आ पाते हैं। पूर्व में भी मैंने आपको कहा था कि लगभग 1996-97 में उर्दू, सिंधी और फारसी के लिये विशेष छूट दी गयी थी। विशेष छूट दे करके वहां पर 45 परसेंट पर उर्दू और फारसी के जो बच्चे थे, जो वहां पर अध्ययन करना चाहते थे, उनको प्रवेश मिला था। मैंने आपसे बार-बार अनुरोध किया था कि हमारे यहां पर बच्चे इस कंपीटीशन के अन्दर, 51 परसेंट के अन्दर जो मैरिट वहां पर बनी थी, उसमें नहीं आ पाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मुख्य मंत्रीजी से भी अनुरोध है कि वहां पर 45 परसेंट पर जो मैरिट बनती है उसमें हमें 3 परसेंट की छूट दिला दें तो हमारे काफी बच्चों को इसके अन्दर राहत मिलेगी। राहत ही नहीं इसके अन्दर सरकार के ऊपर कोई भार भी नहीं पड़ेगा। न उनको भवन बनाने पड़ेंगे, न उनको कोई प्रोफेसर रखने पड़ेंगे।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं वह इस प्रकार है : बी.ए. में वहां 1999-2000 में कुल 23 छात्र थे, 2000-2001 के अन्दर 22 छात्र हैं, 2002 के अन्दर कुल 25 छात्रों को प्रवेश मिला, जबकि 1997-98 में यह संख्या 35 थी। मैंने आपसे अनुरोध किया और अगर आप इस बात को मान लेते और 45 परसेंट के अन्दर एडमिशन दिला देते तो हमारे बहुत से बच्चों का भला होता और हमारे मुख्य मंत्रीजी की जो कामना थी, आशा थी वह पूरी होती।

(श्री कय्यूम खान)

मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो सरकार की केन्द्रीय नीति आयी है। पिछले दो साल से राज्य के अजमेर सहित कुछ बड़े शहरों में भी यह केन्द्रीय प्रवेश भोजन व्यवस्था लागू की गयी है। अब जो छात्र उर्दू और फारसी जैसे अल्पसंख्यायी विषय लेकर अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है जहां पर यह विषय नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। परिणामस्वरूप छात्रों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अन्य विषयों का अध्ययन करना पड़ता है जिससे हमारे यहां उर्दू, फारसी पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी हानि होती है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यायी भाषाओं के लिए पूर्व की भांति न्यूनतम प्रतिशत 45 तथा छात्र संख्या 5 की जाए। मेरा आपसे अनुरोध है इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की विवरणिकाओं में रिजर्व किया जाए। इन विषय में कक्षाएं आरम्भ करने के लिये महाविद्यालयों में न्यूनतम स्थान आरक्षित किए जाएं।

प्रवेश योजना के कारण इन विषयों के छात्रों को दूसरे महाविद्यालयों में दूसरे विषयों का अध्ययन करना पड़ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की भांति दूसरे नगरों में भी यह व्यवस्था की जाए कि इन विषयों में छात्रों को केवल उन्हीं महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जहां यह विषय उपलब्ध हैं और मेरा खयाल है कि सिर्फ अजमेर में ही उर्दू विषय का महाविद्यालय है। गवर्नमेंट कालेज यहां पर ही चलते हैं।

फारसी विषय विद्यालय स्तर पर नियमित नहीं पढ़ाया जाता है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल होते हुए भी स्वयंपाठी छात्रों को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। उच्च माध्यमिक स्तर पर स्वयंपाठी छात्रों को इस विषय की परीक्षा की अनुमति दिलायी जाए।

राजस्थान में किसी भी विश्वविद्यालय में फारसी विषय में एम.ए. नहीं है। राजस्थानी भाषा की भांति अजमेर विश्वविद्यालय एम.ए. स्वयंपाठी रूप से प्राथमिकता दी जाए और विश्वविद्यालय में उर्दू, फारसी के पाठ्यक्रम मण्डल अलग-अलग बनाए जाएं। क्योंकि दोनों भाषाएं भिन्न हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फारसी विषय की प्रतियोगिता परीक्षा को हटा दिया है। इनको लेने की वजह सिंधी भाषा प्रतियोगी पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, फारसी भाषा को पुनः आयोग की परीक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

इसी तरह मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां अजमेर के अन्दर एक एस.टी.सी. थी जो अल्प भाषायी भाषा के नाम से थी। जहां पर सिंधी, उर्दू के विषय में हमारे बच्चे,

(श्री कय्यूम खान)

बच्चियां एस.टी.सी. करते थे। जिनको बहुत लाभ होता था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस एस.टी.सी. को जो अल्प भाषायी एस.टी.सी. थी जिसमें सिंधी और उर्दू भाषा के बच्चों को प्रोत्साहन मिलता था, इसको दुबारा खोलने पर आप विचार करें तो बहुत ही मेहरबानी होगी।

इसी तरह अदीब माहिर, कामिल और मौलवी की जो डिग्रियां हैं, दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी इसको इस तरह मान्यता है। मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री महोदय, कि इसको यही मान्यता हमारे राजस्थान में भी दी जाए ताकि उर्दू विषय की अदीब, माहिर, कामिल और मौलवी की डिग्रियों के लिए हमें इधर उधर न भटकना पड़े और हमें राहत मिल सके।

मैं श्री अशोक गहलोतजी और आपका आभारी हूं, एक विनती आपसे करता हूं कि मेरे यहां पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई हैं। छोटी-छोटी बस्तियों के अन्दर मंजरे और ढाणियों के अन्दर बच्चों को बहुत परेशानी होती है वहां से पैदल वह 5-5, 6-6 किलोमीटर जाते हैं। इस कारण मेरे यहां पर मिडल सैकण्डरी और हायर सैकेण्डरी कम से कम 8 मिडल स्कूल मेरे यहां पर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। क्योंकि मेरे यहां पर बहुत सख्त जरूरत है...(व्यवधान) सारे ले जाओ नहीं, सभी को दें। क्योंकि मेरे यहां पर पहाड़ी इलाका है, गरीब बच्चे हैं, गरीब जनता है इसलिए मैं मंत्रीजी से मांग कर रहा हूं और हमें जो दो सौ, दो सौ का है एक सीनियर सैकण्डरी और एक हायर सैकण्डरी जो दी है उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम हर एम.एल.ए. को तीन तीन सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी दें तो मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं।

एक बात जो बाबूलालजी नागर ने कही, इस बात को मैं दुबारा दोहराता हूं मगर अपनी इच्छानुसार कहता हूं। जो कि मेरे सारे एम.एल.एज. साथियों को गलत लगेगा। यह जो ट्रांसफर की नीति है उसको आप तब्दील कर दें। किसी भी एम.एल.ए. के कहने के अनुसार आप कोई ट्रांसफर न करें, योग्यतानुसार कर दें ताकि हमारी जान छूटे हमारे क्षेत्र के अन्दर। आप तीस की लिस्ट मांगते है, पन्द्रह की लिस्ट मांगते हैं। फिर चार दे देते हैं, पांच दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस काम को बिलकुल खतम कर दें ताकि कोई हमारे पास आएगा नहीं और हम आपको परेशान करेंगे नहीं...

श्री बाबूलाल नागर : या फिर खुला कर दो जितने चाहो उतने सारे ही कर दो...

श्री कय्यूम खान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया...

श्री ललित भाटी : कय्यूम साहब, यही नीति है कि अनीति है? ट्रांसफर नीति है या अनीति है?

श्री कय्यूम खान : अब यह तो मंत्री महोदय बताएंगे कि नीति है कि अनीति है। मगर मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए मंत्रीजी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी, आपने इनसे कोई लिस्ट मांगी थी क्या ट्रांसफर के लिए? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने इनसे कोई लिस्ट मांगी थी क्या ट्रांसफर के लिए? यह कह रहे हैं कि मुझसे लिस्ट मांगी थी और पूरे नहीं किए, आधे किए हैं। हमें तो कोई जानकारी नहीं कि हमसे कभी लिस्ट मांगी हो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय माहिर आजादजी आप बोल चुके। काहे को? बिराजिए, बिराजिए। श्री रतन लालजी ताम्बी।

श्री कय्यूम खान : मैंने कोई लिस्ट की बात नहीं कही। मैंने तो यह कहा कि इस नीति पर दुबारा गौर किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय संदस्य, बिराजे।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के टाइम पर पूरे देश में ''दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन'' इन चार अवधारणाओं के इर्द-गिर्द उस समय देश में काफी अच्छा काम हुआ था और उसी सोच को, वर्तमान सरकार ने ''दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन'' की अवधारणा को लागू करने को विशेष प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास की धुरी को शिक्षा मानकर एक समग्र विकास का अनुष्ठान दूरदृष्टि, विवेक और संकल्प के साथ शिक्षा को नया आयाम देने से निश्चित रूप से प्रदेश के इतिहास में शिक्षा का जिस ढंग से प्रसार हुआ है वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और भावी प्रदेश के निर्माण में सदैव अंकित रहेगा। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि राष्ट्र एवं प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और शिक्षित नागरिक ही शिक्षित एवं समग्र राष्ट्र निर्माण कर सकता है। इस अवधारणा को अपने लक्ष्य एवं इच्छाशक्ति के आधार पर जो परिकल्पना करके सार्थक स्वरूप दिया है उसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

जब राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती विद्यालय की चर्चा शुरू हुई थी और उस

(श्री रतन लाल ताम्बी)

समय जब यह सोच राजस्थान के पुराने विधान सभा भवन में आया था, तो मुझे खुशी है कि यह सुझाव मैंने दिया था कि इन स्वर्ण जयन्ती विद्यालयों का नाम ''राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती विद्यालय'' दिया जाए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी को कि उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और लागू किया। मैंने यह इसलिए कहा था कि मैकाले कि वह शिक्षा पद्धति जो 1932 से प्रारम्भ थी, 1986 में राजीव गांधी ने पहली बार उसको बदलने का बहुत दृढ़ निश्चय किया और उसको बदलकर एक नया स्वरूप दिया इसलिए मैं चाहता था कि राजीव गांधी का नाम उससे जोड़ा जाए और उसी आधार पर राजस्थान में ''राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन'' की स्थापना और जिला ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन और उसमें जनता की भागीदारी यह ऐसी कुछ परिकल्पना है जिसको राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में लागू करके इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है।

''शिक्षा आपके द्वार'' अभी चर्चा कर रहे थे हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्य, नाम कुछ भी हो सकता है उसके पीछे भावना क्या है, यह सोच राजस्थान के दूरदृष्टा मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का रहा है कि अभी भी 23 लाख छात्र और छात्राएं शिक्षा से वंचित हैं...(व्यवधान) कोई बात नहीं, आपका अपना सोच हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन 23 लाख बालक और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया और उसको राजस्थान के गांव-गांव, ढाणियों-ढाणियों तक सर्वेक्षण करके ''शिक्षा दर्पण'' के माध्यम से और किसी भी तौर-तरीके से इस बात को चिन्हित किया गया कि अमुक बालक एवं बालिकाएं वंचित हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि 12 लाख इस अभियान के आधार पर छात्र-छात्राएं नामांकित हो गए। यह आंकड़े हैं, तथ्य और सत्य हैं, केवल आंकड़ें बाजी का जाल नहीं है। यह बातें आप अपने इलाकों में देख रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने जो भी सोचा है, किया है उसको राजस्थान की जनता निश्चित रूप से स्वीकार करेगी और यह सार्थक निश्चय सरकार का है कि 2003-2004 तक राजस्थान में साक्षरता पूरी तरह से हो जाएगी और यह बात सही भी है कि जिस राजस्थान का 1951 में, जब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय राजस्थान में 8.95 प्रतिशत जहां शिक्षा थी और 3 प्रतिशत मात्र महिलाओं की शिक्षा थी, उस राजस्थान में 1991 में 38.55 और 2001 में 61.3 प्रतिशत शिक्षा है और बालिकाओं की शिक्षा में 44.34 प्रतिशत की यह छलांग निश्चित रूप से सराहनीय है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 1951 में 8.95 थी, 1961 में 18.08 एवरेज 10 प्रतिशत, 10-10 सालों में बढ़ती रही और 1971 में 22.57 और 1981 में वही 8 प्रतिशत 30.9 थी, 1991 में 38.55 और 2001 में 61.3 प्रतिशत मतलब 23 प्रतिशत साक्षरता एक साथ बढ़ना, यह राजस्थान की सरकार का शिक्षा के प्रति जन-जीवन को महत्व देना है क्योंकि कोई भी प्रदेश, कोई भी सरकार, कोई भी योजना बिना शिक्षा के सफल नहीं हो सकती है। इस बात को राजस्थान की वर्तमान सरकार ने शुरू किया है, बहुत समय यह कहा गया था कि राजस्थान में यह राजीव गांधी स्कूल एक तरह से केवल राजीव गांधी के नाम को प्रचारित करने के लिए हैं, न कोई इनका उद्देश्य है, न इसमें कोई पर्याप्त तनखाह मिल रही है, इत्यादि इत्यादि बातें सामने आई थीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने 21151 ग्रामीण क्षेत्रों और ढाणियों में जो प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी स्कूल खोले और शहरों में 790 खोले, 21941 विद्यालय स्थापित करके 18173 विद्यालयों का संचालन किया है, स्वीकृति के मुकाबले में और यही नहीं इसमें 8 लाख 38 हजार 956 छात्र और छात्राएं पढ़ना अपने आपमें एक विशेषता की बात है। इसके साथ-साथ लगभग 12734 भवन भी निर्मित हो गये तो इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आयाम स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है।

आठवीं कक्षा तक का प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से एक क्रांतिकारी निर्णय है। 45-50 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब भी यह बोर्ड था और बहुत इसका महत्व था और इसको बाद में समाप्त कर दिया गया। इसका पुनरावलोकन करने के बाद यह कार्यक्रम ठीक तरह से चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार होगा। जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम और कई तरह की योजनाएं इसमें लागू हुई जिसके माध्यम से कुछ जिलों का चयन हुआ और उनमें शिक्षा की गति निश्चित रूप से बढ़ी है। छोटे-छोटे गांवों में विद्यालयों का प्रचार-प्रसार होना निश्चित रूप से काफी उपयोगी साबित हो रहा है।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कई पाठ्यक्रमों का पुनरावलोकन करने की बड़ी आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहिए। सबमें समरसता पैदा होनी चाहिए, सहिष्णुता और भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए और इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे आने वाली पीढ़ियां ठीक तरह से तैयार हों। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पिछले 8-10 सालों तक ऐसी सत्ता रही जो इन बातों से, सोच से काफी दूर रही और इसका परिणाम यह रहा कि पाठ्यक्रम जिस संकीर्ण भावना को लेकर के समाविष्ट किये गये हैं। आज उसको देखने की आवश्यकता है और पाठ्यक्रम में आज सुधार की आवश्यकता है जिससे हमारा राष्ट्र एकता और अखण्डता के सूत्र में बंधे, भाईचारा बढ़े, आपस में सद्भाव बढ़े और सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को साकार करे। यह निश्चित रूप से होना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपने बहुत क्रांतिकारी काम किए हैं मगर राजस्थान के जनमानस में जो धर्मनिरपेक्ष वातावरण बनना चाहिए वह शिक्षा की इन योजनाओं के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से बने इस बात को भी आपको देखने की आवश्यकता है। आज भी अनेक समितियां, अनेक अकादमी इस तरह के लोगों को धारण किए हुए हैं जिनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं हो, जिनका साम्प्रदायिक सद्भाव में विश्वास नहीं हो। तो इसके लिए आपको देखने की आवश्यकता है जिससे प्रतिबद्ध विचारों के लोग उसमें आने चाहिए जिससे हमारे समाज का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो और हमारे प्रदेश में सद्भाव स्थापित हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे कि आज के 40-50 साल पहले उर्दू विषय और उर्दू विद्यालयों में शिक्षा बहुत ज्यादा व्यापक रूप से उपलब्ध थी। जनसंख्या बढ़ी है, आवश्यकता बढ़नी चाहिए, उसके बाद भी यह सीमित क्यों हो रही है? इसको भी आज देखने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की आवश्यकता हैं। समाप्त करने ही जा रहा हूं। मैं मेरे क्षेत्र की बात तो कह दूं?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने थोड़े कहा कि आप बैठ जाओ, मैंने तो आपको आगाह किया है। बोलो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना का आपने अच्छा निर्णय किया है। राजस्थान में मेरा यह सुझाव है कि उर्दू की यूनिवर्सिटी भी सरकारी स्तर पर होनी चाहिए जिससे राजस्थान में जो यह विषय है, जो समुदाय है, उसको लाभ मिल सके। हमारे इलाके में उर्दू के कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं पर उर्दू के अध्यापक नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी आपका ध्यान जाएगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निजी शिक्षा की तरफ राजस्थान बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण हमारे सीमित साधन हैं, उसके बारे में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आपको यह तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा उसकी गुणवत्ता के आधार पर, मगर उसमें फीस और शोषण की जो बात होती है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान के आम लोग उससे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और आपके विद्यालय इस प्रकार की पूरी व्यवस्था नहीं कर सकते इसलिए निश्चित रूप से आपको उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

समय की सीमा को देखते हुए मैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राचीन किले, मन्दिर एवं दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों की काफी दयनीय स्थिति है, इस दिशा में भी राज्य सरकार का ध्यान निश्चित रूप से जाएगा, यह भी मेरा निवेदन है। जहाजपुर, जिस इलाके से मैं आता हूं, भीलवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति और देश की सेना में काम करने वाले परिवारों की सर्वाधिक संख्या है, दुर्भाग्य से आपकी नीति और कार्यक्रम पता नहीं किस प्रकार के रहे कि इस तरफ के लोगों को शिक्षा की तरफ जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कालेज क्यों नहीं खोलना चाहते? आज जहाजपुर जैसा क्षेत्र जिसके 600-700 बालक दूर-दूर पढ़ने जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। आपके बजट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं करना, इस तरह के लोगों के साथ न्याय नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उस दृष्टि से भी आपका ध्यान जाएगा।

मैं इस मौके पर जो मैंने कहा है पुराने किले और संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो धरोहर है, उनकी ओर भी और संस्कृति के क्षेत्र में पुरानी कला और कलाकारों को आप किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं उसका इसमें विशेष तौर से जिक्र आना चाहिए। जहाजपुर जैसा क्षेत्र, औद्योगिक शिक्षण संस्थान जो पहले माडा में चलता था, वह भी बन्द कर दिया गया है तो मैं चाहूंगा कि आप आई.टी.आई. के माध्यम से, आप निश्चित रूप से वहां आई.टी.आई. स्थापित करें।

आपने 21वीं सदी में कम्प्यूटर कोर्स को काफी बढ़ावा दे रखा है, इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। राजस्थान में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में इस काम को आपने बहुत महत्व दिया है, राज्य सरकार की आगे की सोच निश्चित रूप से बधाई की पात्र है।

गत भाजपा सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने एक बहुत बड़े विसंगति की थी, व्याख्याताओं के वेतनमान और उसके साथ में सैकण्डरी स्कूल के वेतनमान प्रायः हमेशा एक साथ एक प्रकार के रहते थ और उन्होंने उसमें भेदभाव करके जो विसंगति पैदा कर दी उसको लेकर व्याख्याताओं में बहुत बड़ा असंतोष है। आज हमारे इतने स्थान खाली

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रहते हैं, लोग इसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि विसंगति को आप निश्चित रूप से दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

मैं इस मौके पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना व्यापक दृष्टिकोण बना रखा है, तो वित्त मंत्रीजी और आपके बीच में यह सामंजस्य स्थापित होना चाहिए था। शुरूआत में जिस गति से राजस्थान में नयी सरकार ने सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल खोलकर बहुत बड़ा वैक्यूम जो पिछली सरकार के टाइम पर, इतना भेदभाव था कि हमारे इलाके में एक सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल उस समय नहीं खोला था। हमारी जनता को यह उम्मीद बंधी, इस सरकार ने आते ही काम को काफी आगे बढ़ाया। शुरू के तीन सालों में बजट रखने के बाद आपने अब जो बजट दिया है, वह मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच वर्ष में कम से कम आपको दस सैकण्डरी स्कूल कुल मिलाकर देने चाहिए थे, आपने मात्र तीन दिए, सात तो कम से कम और होने चाहिए। इसके लिए आप इस साल और अगले साल में क्या प्रावधान कर सकते हैं और खर्चा कम कीजिए।

राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को साक्षर बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें यह व्यवधान है, उसमें यह अवरोध है, इसको आप समाप्त करने की दृष्टि से सोचेंगे और सीनियर माध्यमिक विद्यालय भी पांच वर्ष में सात तो कम से कम होने चाहिए थे, दो-दो, तीन-तीन हुये हैं, यह कमी क्यों है? इसको भी आपको देखना है और कल आप वित्त मंत्रीजी से बात करें और मुख्य मंत्री महोदय से बात करें, सारे सदन के सदस्यों की भावना की मैं अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। आपने मिडल स्कूल इस साल भी नहीं दिया और गत साल भी नहीं दिया, कितना बड़ा बैकलाग होगा इसलिए राजस्थान में जब आप एक शानदार इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, इस इतिहास में यह ऐसे अक्षर तो मत लिखवाइए जिससे राजस्थान आपको यह कहेगा कि यह कहां आप पीछे ले गये राजस्थान को वापस आगे बढ़ते हुए को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात कल कहना है, कल जो...

श्री रतन लाल ताम्बी : कल मुझे मालूम क्या, रोज मुझे अवसर मिलेगा? मुझे जो अवसर मिल रहा है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको रोज ही अवसर मिल रहा है।

श्री रतन लाल ताम्बी : कल मिलेगा तो मैं कल कह दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कोई दिन ही नहीं गया जब आपको अवसर नहीं मिला।

श्री रतन लाल ताम्बी : कल मिल जाएगा, तो कल कह दूंगा वरना आज कह दूं मैं तो अपनी बात। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी के चैम्बर में लिखं करके भिजवा दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मंत्रीजी के चैम्बर में कहने से कोई काम नहीं चलेगा, राजस्थान की जनता की भावना को राजस्थान के सदन में सब सदस्यों के सामने यहां व्यक्त करने से काम चलेगा।

सदन की कार्यवाही

मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) : चार बजे मुख बंद का समय है। कृपया आप मुख बंद रखें। (व्यवधान) चार बजे का समय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबंद का समय निर्धारित समय से एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुखबंद का समय एक घंटा और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

मुखबंद का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

मांग संख्या–24 पर विचार

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलें खोलने के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित बात नहीं रख पायी तो यह बहुत बुरी बात है। इसलिए आपसे सिर्फ ज्यादा नहीं पांच मिनट का टाइम लेना चाह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कल बोल लेना आप।

श्रीमती कमला बृजलाल : शिक्षा पर कल है ही नहीं।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था, मेरा भी नम्बर नहीं आया।

श्री सी. पी. जोशी : उस पर बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कल जो आपके जंचे, आप बोलना।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो विश्वविद्यालय के बारे में है जो एस.सी., एस.टी. छात्र हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप बिराजिए। आपकी बात नोट नहीं हो रही है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, माननीय सदस्य, आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कटमोशन के माध्यम से और सदन में अपनी अभिव्यक्ति देकर इस मांग के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया और अपने सुझाव दिये। उन्होंने खास तौर पर इस बात की चिंता व्यक्त की कि हमारे जो पद हैं, वह खाली पड़े हुए हैं, इस बात की चिंता भी व्यक्त की कि हमारे इलाकों में महाविद्यालय खुलने चाहिए। इस बात की भी चिंता व्यक्त की कि तृतीय भाषा के सम्बन्ध में सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के हमारे जो भाई हैं उनके रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में, राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित किया। मैं उन सबका बहुत आभारी हूं। मैं इस बात का भी बहुत आभारी हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए और साथ में यह भी सबने मांग रखी थी हमारे यहां पर जो स्कूल खोले गये हैं वह पूरे नहीं हैं, चाहे वह सैकण्डरी स्कूल हो या सीनियर सैण्कडरी स्कूल हो, इनको खोलने की संख्या का बजट में जो प्रावधान रखा है वह कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए और खास तौर से मिडल स्कूल ज्यादा बढ़ाये जाने चाहिए।

हमारे गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी बात कही कि आप स्कूल खोले या नहीं खोले लेकिन जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें खास तौर से अध्यापकों की व्यवस्था करें। यह चिन्ता खास तौर से सीमावर्ती हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे सूरतगढ़ हो, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, चाहे नोहर हो, उन इलाकों की खास तौर से यह समस्या है कि वहां स्कूल तो खुले हुये हैं लेकिन वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है।

(16.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं शिक्षा का काम मुझे अतिरिक्त भार मिला। शिक्षा का जो मंत्रालय है वह पंचायती राज मंत्री के रूप में मुझे

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

बाद में एडिशनल भार मिला और उस समय मिला जबकि जैसे किसी की शल्य क्रिया करनी हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वह फोड़ा पूरा पक जाए तब तो पैशेंट भी आशा करता है कि उसे तकलीफ न हो और आपरेशन हो जाए और देखने वाला भी देखता है सर्जन किस होशियारी से और हुनर से इसका आपरेशन करता है, उस समय मुझे भार मिला। इसलिए माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हम आज दिन तक शिक्षा के क्षेत्र में जो बातें करते हैं वो ये करते हैं कि शिक्षा में यह परिवर्तन होना चाहिए, ''चाहिए'' की भाषा हमने 50 साल में बहुत बोली। अब हमें जो कुछ भी करना है वो करना है। हमारे वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं उन वित्तीय संसाधनों में हम कितना ओप्टिमम मैक्जिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं और डिबेट में उन्हीं बिन्दुओं पर हम चर्चा करें तो मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री के रूप में मैं आपके सुझावों को उनमें जगह दे पाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं डिमाण्ड में आप अपनी बात रखते हैं, वित्तीय संसाधनों की जो स्थिति है उससे सब परिचित हैं और पिछले 4-5 साल में जिस तरह की राजस्थान की नहीं, सम्पूर्ण देश की वित्तीय स्थिति बन गई है उन्हीं वित्तीय संसाधनों में बेस्ट काम करके हमें जनता के बीच में जाना है। यह कठिन काम है, यह काम सरल नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जहां एक तरफ सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सैकण्डरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं वहां वस्तुस्थिति क्या है उसको भी हम जान लें। जब तक हम वस्तुस्थिति को नहीं जानेंगे तब तक हम स्कूल खुलवा भी लें उसके बाद में हम यह सोच लें कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आंकड़ें उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि राजस्थान में आज के दिन प्रधानाचार्य के 1791 पदों में से 125 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक के 3341 में से 509 पद खाली हैं। व्याख्याता के 15864 पद में से 3369 पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 31732 में से 4010 पद खाली हैं। अध्यापक थर्ड ग्रेड के 14365 में से 2587 पद खाली हैं। ये सब पद मैं बता रहा हूं सैकण्डरी सैटअप के। जो एलीमेंटरी सैटअप है (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : इनका बजट तो स्वीकृत है न।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनिए मेरी बात। माननीय सदस्य, आप सुनिए। यही तो आपकी जानकारी होनी चाहिए कि बजट स्वीकृत है, क्या स्थिति है, यह जानकारी होनी चाहिए। (व्यवधान) आप सुन तो लें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : यह सदन पास करता है बजट तो।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुन तो लें। यही बात मैं कह रहा हूं, यह मांग कहां करनी चाहिए, कहां बात करनी चाहिए वही बात मैं कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक उसी प्रकार एलीमेंटरी सैटअप में आज के दिन जो पद खाली हैं वो पद खाली हैं, स्वीकृत पद हैं 14855 और कार्यरत सैकण्ड ग्रेड में 11020, 3835 पद तो सैकण्ड ग्रेड के खाली हैं, 27989 पद थर्ड ग्रेड के खाली हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बजट में प्रोविजन है या नहीं है इस फेलेसी को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं वह परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये पद स्वीकृत हैं, ये पद स्वीकृत होने के बाद भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण हम इन पदों को नहीं भर पा रहे हैं। यदि हम आज सैकण्डरी स्कूल और सीनियर सैकण्डरी स्कूल को और बढ़ाने की बात करेंगे, इस संख्या में कमी नहीं होगी, इस संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसलिए माननीय सदस्यों से जब हम यह बैठकर चर्चा करते हैं, तो हमें चर्चा प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, आइडियलिस्टिक चर्चा करना बहुत सरल है शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। (व्यवधान) आप पहले सुन लें बाबूलाल जी प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : आप यह व्यवस्था तो कर दें कि जगह बराबर-बराबर खाली रखो।

श्री सी. पी. जोशी : एक बार सुन तो लें आप पहले।

श्री बाबूलाल नागर : कई जगह तो एकदम खाली हैं और कई जगह खाली है ही नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुन तो लो पहले। आप सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये अनुशासित नहीं हैं।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, अनुशासित हैं, माननीय सदस्य अनुशासित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह तो स्थिति है एक तरफ। दूसरी तरफ जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 41 क्या

(श्री सी. पी. जोशी)

कहता है, आर्टिकल 45 क्या कहता है? जब तक हम आर्टिकल 41 व 45 को नहीं समझ पाएंगे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम जितने परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन सार्थक नहीं होगा, दूरगामी नहीं होगा। आर्टिकल 41 कहता है :-

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development," the word which I am using Article 41, "The State shall, within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want." This is Article 41.

Article 45 says; "The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्टिकल है 45, जिसमें हमने 14 साल के बच्चों को 10 साल में शिक्षा की व्यवस्था करनी थी और आर्टिकल 41 यह कहता है कि–"the limits of its economic capacity and development" इसके अन्तर्गत स्टेट बाकी एजुकेशन की व्यवस्था करे। आर्टिकल 45 मेंडेटरी है, हमको 14 साल के बच्चों को कंपलसरी शिक्षा की व्यवस्था करनी थी 10 साल में। आज 50 साल हो गये और 50 साल बाद हमने क्या व्यवस्था की, मैं यह भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 50 साल में जो हमारी व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से देखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज खास तौर से जो स्थिति है वह बताना चाहता हूं। 1990-91 में 5 लाख 24 हजार बच्चे थे प्राइमरी सैट अप में और आज बच्चे हो गये हैं 8 लाख 83 हजार। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि एस.सी. और एस.टी. का परसेंटेज बढ़ा है। एस.सी. का परसेंटेज 91 में केवल मात्र 79 हजार के करीब था वो फिगर आज जाकर ब्वायज और गर्ल्स का जाकर बैठता है एक लाख 61 हजार। एस.सी. का बोल रहा हूं और एस.टी. का जो फिगर है वह आज हुआ है एक लाख 13 हजार। सब्सटेंशियल हमने इंक्रीज किया है एस.सी., एस.टी. के अन्तर्गत। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका करस्पोंडिंग हम फिगर देखते हैं सैकण्डरी सैटअप में तो सैकण्डरी सैटअप में जो फिगर आते हैं...

श्री अमराराम (धोद) : जनसंख्या तो बढ़ गयी।

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात तो सुन लें। बढ़ गई तो परसेंटेज का हिसाब करें अमराराम जी, परसेंटेज नहीं बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ती-घटती है, परसेंटेज कांस्टेंट रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उसका करस्पोंडिंग जो सैकण्डरी एजुकेशन है, जहां पर 1990-91 में केवल 5 लाख 24 हजार बच्चे पढ़ते थे वहां 1990-91 में केवल मात्र जो हमारे एस.सी. और एस.टी. के बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे थे उनकी संख्या बहुत कम है। एक लाख 82 हजार, एक लाख 8 हजार, यह संख्या इस बात को बताती है कि हमने 14 साल में जो एलीमेंट्री सैटअप की शिक्षा कम्पलसरी करनी थी वह हम नहीं कर पाये। सैकण्डरी स्कूल खोल दें, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दें, पर 14 साल के बच्चों की कम्पलसरी एजुकेशन करने का काम हम नहीं करें तो 50 साल में जो व्यवस्था हमने की, हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो आगे 50 साल तक भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शपथ लेते ही सबसे पहले मन में कल्पना ली कि राजस्थान सम्पूर्ण साक्षर बनना चाहिए, 2003 तक राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षर करेंगे। यह मन में कल्पना लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी जब आगे बढ़े थे तब लोगों के मन में कल्पना नहीं थी कि हम राजस्थान को 2003 में साक्षर कैसे कर सकेंगे। उस समय 2001 आंकड़े नहीं आए थे, उस समय तक तो ये बीच के आंकड़े आए थे, लेकिन 2001 के जो आंकड़े हैं वे इस बात को हमें प्रेरित करते हैं। जैसा झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि सबका सहयोग है, चाहे हम विपक्ष में बैठे हो, चाहे पक्ष में बैठे हों, चाहे टीचर हों, चाहे एन.जी.ओज. हों, सबके सहयोग से राजस्थान ने एक डिकेड में जितनी प्रगति करनी चाहिए उतनी प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में हमने की और आज मेल लिटरेसी में हम नेशनल एवरेज से भी आगे बढ़ गये हैं। यह इस बात को प्रेरित करता है कि हम कमिटमेंट के साथ काम करें तो यह आर्टिकल 45 का जो प्रोविजन है उस आर्टिकल 45 के प्रोविजन को हम राजस्थान में प्राप्त कर सकते हैं।

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक कैचवर्ड है, ये सारी चीजों पर थर्स्ट कर रहे हैं केवल मात्र एनरोलमेंट पर। हम रिटेंशन पर नहीं कर रहे हैं। ये 14 ईयर्स की एज ग्रुप के आदमी को रिटेन करना है। यह काम बहुत कठिन काम है। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह बच्चों का एनरोलमेंट का काम कर रहे हैं। एनरोलमेंट पहली क्लास में जितना होता है उसका 50 पर्सेंट ड्राप आउट सैकण्ड क्लास में ही हो जाता है। जब तक हम बच्चों का एनरोलमेंट क्लास एट्थ तक नहीं

(श्री सी. पी. जोशी)

कर सकें, खास तौर से हम बच्चों की एनरोलमेंट क्लास एट्थ तक रिटेन नहीं कर सकें तब तक आर्टिकल 45 की जो व्यवस्था है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकेंगे।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं यह आपका और हम सबका कर्तव्य है कि हम कैसे राजस्थान में इस आर्टिकल 45 के प्रोविजो के अन्तर्गत एलीमेंटरी की, जो आठवीं कक्षा की शिक्षा है, खास तौर से गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन और गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन में एस.सी. की गर्ल्स, एस.टी. की गर्ल्स, माइनोरिटी की गर्ल्स, जिसकी 91 की सेंसस 10 परसेंट से नीचे है उसको यदि हमने मैनस्ट्रीम में लाने के लिए काम नहीं किया तो हम कितनी ही सैकण्डरी स्कूल खोल दें, कितने ही सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल दें हम शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं मैंने आंकड़ें इकट्ठे किये और मुझे कहते हुए तकलीफ है आज राजस्थान में 2232 सैकण्डरी स्कूल ऐसी हैं जहां पर मैंने पता लगाया कि यह पता लगाया जाए कि इनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं आठवीं, नवीं, दसवीं में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे 20 लड़के नहीं हैं। मैंने फिगर इकट्ठे किए हैं, 2232 सैकण्डरी स्कूलें राजस्थान में ऐसी हैं जिनमें 20 लड़के नहीं हैं। एक सैकण्डरी स्कूल का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम खर्च लगाएं तो एक सैकण्डरी स्कूल जब हम क्रमोन्नत करते हैं तो हमें एक हैडमास्टर की व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें 5 सैकण्ड ग्रेड के अध्यापकों की व्यवस्था करनी पड़ती है, थर्ड ग्रेड की व्यवस्था करनी पड़ती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल करते हैं, तो एक प्रिंसिपल की व्यवस्था करनी पड़ती है, 5 लेक्चरर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसका हिसाब-किताब लगाएं तो उस हिसाब किताब को आप जानकर आश्चर्य करेंगे एक स्कूल जब हम अपग्रेड करते हैं, यू.पी.एस. की तब खर्च आता है 6.50 लाख रुपए जिसमें एक प्रधानाध्यापक का पद है, 5 पद हैं इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 5 अध्यापक हैं थर्ड ग्रेड के, एक अध्यापक है पी.टी.आई. का और कुलमिलाकर 7 पदों का खर्चा है 6 लाख 50 हजार रुपए। जब हम यू.पी.एस. को सैकण्डरी स्कूल में कन्वर्ट करते हैं तब उसका पद होता है एक प्रधानाध्यापक, 6 अध्यापक होते हैं सैकण्ड ग्रेड के एक फिजिकल को मिलाकर, तीन अध्यापक होते हैं थर्ड ग्रेड के, एल.डी.सी., यू.डी.सी. सब मिलाकर 19 लाख का खर्चा होता है जब स्कूल हम अपग्रेड

(श्री सी. पी. जोशी)

करते हैं। सैकण्डरी स्कूल में और जब सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में अपग्रेड करते हैं तब खर्चा होता है 23 लाख रुपए। 23 लाख रुपए खर्च माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल करते हैं और 23 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो लेक्चरार है वह पढ़ा रहा था केवल मात्र इलेवंथ और ट्वेल्वथ में और इलेवंथ और ट्वेल्वथ में पढ़ा रहा था लेक्चरार और हमारा खर्चा इस तरह का है। हम एलीमेंटरी सैटअप की एजुकेशन की व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं कर सके इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे विधायकों के सहयोग से, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से सहयोग से अभिनव प्रयोग किया। राजीव गांधी पाठशाला का। यह एक पहला प्रयास है एलीमेंटरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। यह प्रयास सार्थक प्रयास है इसके ऊपर हम जितनी चर्चा करें, वह कम है। लेकिन आज हमने लगभग 8 लाख बच्चों को राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से एनरोल किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 8 लाख बच्चे एनरोल करने के बाद भी शिक्षा दर्पण का आंकड़ा यह कहता है, हमने प्रोजेक्ट किया 23 लाख बच्चे, आज के दिन भी 11 लाख बच्चे स्कूल में जाने से वंचित हैं। एक तरफ यह बच्चे स्कूल जाने के लिए वंचित हैं। इनको पढ़ाने के लिए जो अध्यापकों की व्यवस्था करें उसका खर्चा ज्यादा है, दूसरी तरफ राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर हमने एक अभिनव प्रयोग किया। जब ई.जी.एस. की स्कीम आज भारत सरकार लगा रही है वहां एक हजार रुपये देंगे, मध्य प्रदेश की व्यवस्था की बात करें 500 रुपए देंगे, केरल ने व्यवस्था क्या कर रखी है, वेस्ट बंगाल ने व्यवस्था क्या कर रखी है, आंध्र ने व्यवस्था क्या कर रखी है। जब हमने राजस्थान में यह प्रारम्भ किया तब किसी के मन में यह कल्पना नहीं थी कि यह पैराटीचर के रूप में काम करने वाला जो आदमी है वह निष्ठा से, लगन से काम करेगा। पर हमाने मन में कल्पना थी, क्योंकि हमने फैसला किया था कि जिस वार्ड में पढ़ाने वाला आदमी है उस वार्ड का जिसका केरक्टर ठीक है उस आदमी को हम लगाएंगे। आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत घमण्ड है, गर्व है कि यह व्यवस्था करने के बाद राजस्थान में हमने पहली राजीव गांधी पाठशाला खोली। उस राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय 70 परसेंट लड़के एस.सी., एस.टी. के हैं, ओ.बी.सी. के हैं, पहले से इनके लोग हैं और वहां पर राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमने उनका विश्वास जगाया है।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने यह प्रारम्भ किया तब 40 रुपए मजदूरी नहीं थी, मजदूरी 40 रुपए नहीं थी, तब लोगों ने यह नहीं कहा था कि 1200 रुपए कैसे कर दिए? हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा किया है। इतना पैसा न मध्य-प्रदेश में हैं, न आंध्र प्रदेश में है, न बंगाल में है, न केरल में है, सबसे पहले हमने 1200 रुपए राजस्थान में किये। जब यह बात करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो उस नौजवान आदमी को कहते हैं कि यह सरकार तुम्हें न्यूनतम मजदूरी से कम देती है, यह कांग्रेस के कार्यकर्ता भर्ती कर लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पंचायती राज में कमिटमेंट है। उस समय चुनाव बी.जे.पी. के समय में हुए थे। पंचायती राज के हमारे समय चुनाव नहीं हुए थे लेकिन हमने उस समय की चुनी हुई पंचायतों के, सरपंचों के माध्यम से यह काम करवाया कि जिससे हमारा वह कमिटमेंट लगे कि हम पंचायती राज में विश्वास करते हैं। लोग कोर्ट में गये, कोर्ट में स्टे हो गया और कोर्ट में स्टे होने के बाद हम 2000 में भर्ती नहीं कर पाए। उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया फिर राजीव गांधी पाठशाला का सैकण्ड फेज हमने प्रारम्भ किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह नौजवान आदमी 1200 रुपए में काम कर रहा है, कमिटमेंट से काम कर रहा है, निष्ठा से काम कर रहा है। उसको कह दिया गया कि आज मजदूरी 60 रुपए होगी, तेरे पास 60 रुपए से कम मजदूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैक्टरी में काम करता है मजदूर, जिस आदमी को मजदूरी मिलती है उसकी नौकरी की गारंटी है क्या? वहां 60 रुपए मिलता है, 40 रुपए मिलता है, जिन्दगी भर निकाल लेता है क्या? उसमें नौकरी की गारंटी है? इसलिए हमने यह कहा और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप उन पैराटीचर्स को इस लेबर के कंसेप्ट के साथ नहीं जोड़ें। यह उनका मानदेय है, हम उनके आभारी हैं, हम उनके प्रति नतमस्तक हैं, वह निष्ठा और लगन से काम करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेहरबानी करके उसको वेजेज के साथ नहीं जोड़ें। हम कहना चाहते हैं, उसके बाद हमने नियम बनाया और हमने कहा कि उनको जाब सिक्योरिटी देंगे। हमने 1200 रुपए से उनको 200 रुपए बढ़ाने का काम किया, दो साल हो गये हमने 400 रुपए बढ़ाए, उनकी छुट्टी की व्यवस्था की, जो महिला काम कर रही है उनके लिए हमने मेटरनिटी लीव की व्यवस्था की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था हमने इसलिए कि ताकि उनके मन में विश्वास बंधे कि यह पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं वह काम ठीक ढंग से कर सकेंगे। हमने कहा उनको पांच साल में थर्ड ग्रेड का अध्यापक बनाएंगे। कोर्ट के अन्दर आज

(श्री सी. पी. जोशी)

यह प्राब्लम चल रही है, कोर्ट के बाद हमने रास्ता निकाला। हमने कानून बदला, हमने नियम बदला, पंचायत एक्ट में परिवर्तन किया हमने सर्विस में क्लाज डाला कि हम पैराटीचर्स के रूप में यह करेंगे जिससे हमारा कमिटमेंट लगे और उन लोगों को हमने विश्वास दिलाया कि पांच साल में रखेंगे, तब उनको कहा कि पांच साल में तो चुनाव आ जाएंगे, आप उनको परमानेंट कैसे करोगे? हमने चार साल के लिए उनको कहा अब आप कह दो कि 1200 रुपए कम ही हैं, आज कर लो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस मानसिकता को प्रतिपादित करता है कि जिन लोगों की पंचायती राज में निष्ठा नहीं, जिन लोगों की आर्टिकल 45 को लागू करने में निष्ठा नहीं, जो राजस्थान को आगे बढ़ाने की मन में कल्पना नहीं रखते, जिनके मन में कल्पना नहीं कि एस.सी., एस.टी. की महिला कैसे आगे बढ़ सके वह लोगों को गुमराह करके इस तरह की बातें करना चाहते हैं कि राजीव गांधी पाठशालाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी भी प्रदेश में 12 हजार स्कूल भवन एक तरह के तीन साल में बनाकर खड़े नहीं हुए। चाहे वह केरल जाकर देख लें, चाहे वेस्ट बंगाल में जाकर देख लें, चाहे वह आंध्र प्रदेश में जाकर देख लें, चाहे महाराष्ट्र में जाकर देख लें। यह हमारी निष्ठा और लगन का प्रतीक है कि हम काम को करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्यों की सब भावनाओं से परिचित हूं, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं से भी परिचित हूं और माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्रीजी को भी हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे विधायक क्या चाहते हैं। हमारे विधायक चाहते हैं कि मिडल स्कूल का प्रोविजन किया जाए और मिडल स्कूल का प्रोविजन 200 का नहीं किया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम एक हजार मिडल स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम अपने आर्टिकल 45 का जो कमिटमेंट है उसको ठीक ढंग से कर सकें। वित्त मंत्री जी इतने वरिष्ठ आदमी हैं, वित्त मंत्री जी हमारी भावनाओं को समझते हैं, वित्त मंत्री जी जिस क्षेत्र को रिप्रजेंट करते हैं, वित्त मंत्रीजी का जो इलाका है धौलपुर, वहां गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन सबसे पीछे है। इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है इसलिए मैं तो समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी कल एप्रोप्रिएशन पर बोलेंगे तो न केवल मिडल स्कूल की बात बोलेंगे, वह सैकण्डरी स्कूल की बात भी करेंगे, सीनियर हायर

(श्री सी. पी. जोशी)

सैकण्डरी स्कूल की बात भी करेंगे। लेकिन आपको और हमको समझना पड़ेगा कि जब हम यह काम करना चाहते हैं तब विधायकों से हमारे जितने भी सदस्य हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, थोड़ा सा और कुछ वित्त मंत्री जी को कहो न।

श्री सी. पी. जोशी : आपके कहने के बाद तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी कुछ बचा ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि सदन का समय मुझे ज्यादा लेना नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को जो आर्टिकल 45 का प्रोविजन है उसको लागू करने के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी की उदारता की आवश्यकता है। आज राजीव गांधी पाठशालाएं हमने खोलीं। राजीव गांधी पाठशाला खोलने के लिए आज पांचवीं क्लास शुरू हो गयी। पांचवीं क्लास शुरू करने पर आज वहां पर पांचवीं तक पढ़ाई की व्यवस्था है। एक पैराटीचर्स पांच क्लास को पढ़ाए यह क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज है। वहां पर कम से कम पढ़ाने के लिए दूसरे पैराटीचर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने पिछले समय पैराफीमेल टीचर की व्यवस्था की पंचायत मुख्यालय पर, पैराफीमेल टीचर लगाएंगे हम, 9188 पंचायतों में हमने लगभग 7 हजार जगह पर यह व्यवस्था की लेकिन दो हजार पर यह व्यवस्था नहीं कर सके। हम यह चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे वित्त मंत्री जी जो हमने प्रोविजन किया राजीव गांधी पाठशाला जिसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे मन में कल्पना है कि राजस्थान में एनरोलमेंट नहीं रिटेंशन क्राइटेरिया होना चाहिए कि अपने लक्ष्य प्राप्त किए कि नहीं किए और रिटेंशन को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी जैसे मूक-बधिर विद्यालय के लिए शतप्रतिशत अनुदान करके आपने हमको एक व्यवस्था दी, ठीक उसी तरह आपकी राजीव गांधी पाठशाला का जो प्रोविजन 2000-2001 में है, उसको भी पूरा करेंगे जिससे हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मैंने पिछली बार कठिन निर्णय लिया। मैं सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैंने कहा कि हम राजस्थान के जितने म्युनिसिपल टाउंस हैं उन म्युनिसिपल टाउंस में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम टीचर की खाली जगह को रखेंगे, हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे। अब मैंने फिगर इसलिए दिए, यदि मैं आज स्थानान्तरण करूं तब भी यह एक वन टाइम किसी भी समय पर इतने पद खाली रहेंगे। आज हम उनको घुमाते रहें, 23 हजार

(श्री सी. पी. जोशी)

पद, जितने बताएं वह थर्ड ग्रेड के खाली रहेंगे, 10 हजार जो सैकण्डरी स्कूल के खाली पड़े रहेंगे। यदि स्थानान्तरण से उनको घुमाने का ही काम करते रहे, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है राजस्थान में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारे पास पैसे के जुडिशियस उपयोग करने का कांस्टीट्यूशन बना हुआ है, दूसरी तरफ ट्रांसफर के नाम पर कभी 5 करोड़ रुपए, कभी 12 करोड़ रुपए, कभी 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो मैंने कड़वा निर्णय लिया पिछली बार कि किसी भी स्थिति के अन्दर जो म्यूनिसिपल टाउंस हैं उनमें पद खाली रहेंगे, वहां हम ट्रांसफर करके आदमी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिसको भी प्रमोशन करो वह आदमी शहर में आना चाहता है। हमने वहां पर गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की और गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था करने के बाद हमने एक काम और किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको उदाहरण दिया, 2232 स्कूलें ऐसी हैं जिन स्कूलों में 20 से लड़के कम हैं सैकण्डरी स्कूलों में और वहां पर बैठा हुआ है एक हैडमास्टर, 5 बैठे हुए हैं सैकण्डरी स्कूल के अध्यापक तो वहां पर हमने पांच अध्यापकों को हटाया उन्हें कहा कि इंटीरियर स्कूलों में जाएं वहां पर भेजा है हमने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे सहयोग चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि 200 की जगह 400 स्कूल हों, 400 स्कूल कोई तकलीफ नहीं लेकिन फिर हमें यह सभी सदस्यों से निवेदन करना पड़ेगा कि जहां पर इस तरह की स्कूलों में अध्यापक बैठे हुए हैं उन अध्यापकों को जुडिशियस काम लेने के लिए हम उन स्कूलों में भेजें जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है। यदि हमने यह मोह नहीं छोड़ा, तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम एक नया काम जो करना चाहते हैं पंचायती राज में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी प्रधान रहे हैं, आपको भी अनुभव होगा कि सड़कों के आसपास जितनी स्कूलें हैं, पंचायत मुख्यालय हैं और टाउन के आसपास जितनी ईस्ट, वेस्ट, नोर्थ, साउथ तक कई स्कूलें हैं, वहां पर पांच प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बैठे हुए हैं, 6 अध्यापक बैठे हुए हैं और इंटीरियर में जहां 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहां पर अध्यापक भी प्राइमरी स्कूल में एक बैठा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम नया निर्णय लेना चाहते हैं आपके सहयोग से, माननीय सभी सदस्यों के सहयोग से। अब स्कूलवाइज टीचर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। किस स्कूल में कितने अध्यापक होंगे, जैसा हमने फैसला किया किसी प्राइमरी स्कूल में दो अध्यापक

(श्री सी. पी. जोशी)

होंगे तो वह शहर के पास है, रोड साइड पर है, शहर के एक किलोमीटर या दो किलोमीटर पर हैं, दो अध्यापक से ज्यादा अध्यापक वहां नहीं रह सकेंगे। यह व्यवस्था हम करना चाहते हैं जिससे जो नीचे लेवल पर स्कूलों में अध्यापक का यह मिस मैनेजमेंट कर रहा है उसको ठीक ढंग का काम हम करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सूरतगढ़ से आने वाली माननीया सदस्या ने कहा कि हमें विकलांग का, हमें महिलाओं का ध्यान रखना है। हमने निर्देश दिए हैं और मैं फिर इसको रिट्रेट करना चाहता हूं कि वह पंचायत के आठवीं क्लास तक के जो ट्रांसफर हैं वो ट्रांसफर हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही करेंगे। यह मेंडेट है 73वें अमेंडमेंट का। हम पसन्द करें या नहीं करें, एलीमेंटरी सैटअप तक के ट्रांसफर विदिन पंचायत जिला परिषद् करेगी, विदिन डिस्ट्रिक्स दोनों जिला परिषद की एन.ओ.सी. के बाद सरकार करेगी। तो हम यह व्यवस्था के अन्दर डायरेक्शन दे रहे हैं कि कम से कम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे ट्रांसफर करते समय महिलाओं को रोड साइड पर रखें, विडो को रखें, विकलांग को रखें। यह हम निर्देश दे रहे हैं। जिससे हम जिन चीजों के सम्बन्ध में जानते हैं उनका दुरुपयोग नहीं हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि हमने शिक्षा दर्पण का काम किया, राजीव गांधी पाठशाला का काम किया। अब "शिक्षा आपके द्वार" का काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा यह धर्म बन जाता है कि हम किसी भी गांव में एक भी बच्चे को अनपढ़ नहीं रखें। सरकार व्यवस्था कर रही है, अध्यापकों को लगा रही है। अध्यापकों को इंचार्ज बना रहे हैं, अध्यापकों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन हम जनप्रतिनिधि भी ईमानदारी से भाग लें इस कार्यक्रम में तब जाकर के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं वे इसमें भाग लेंगे और भाग लेने के बाद इस कार्यक्रम को सफल करेंगे जिससे 2003 तक हम बच्चों को एनरोल कर सकें। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है आर्टिकल 45 के अन्तर्गत उसको प्राप्त करने में भी वे सहयोग करते रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एलीमेंटरी सैटअप में मैं यही बात कहना चाहता हूं। अब झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि जब भी कोई हम नया प्रयोग करते हैं तब प्रश्नचिन्ह उठता है। यह कम्प्यूटर एजुकेशन, यह कम्प्यूकाम, इसमें करोड़ रुपए खा गये। मुझे तकलीफ होती है, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री सी. पी. जोशी)

महोदय, जिन लोगों के मन में कल्पना ही नहीं है, जिन लोगों के मन में डीम नहीं है, जो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े वे कोई भी काम हो उसमें आब्सटेकल और मन में जो अपने प्रोजेक्शन हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं वे दूसरे प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे हम ऐसा करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, उस दिन यह बात चली, आज विरोधी पक्ष के नेता, उप नेता यहां पर नहीं हैं, मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर डाकुमेंट को आप देख लें। हमने तीन लाख बच्चों के लिए कम्प्यूटर एजुकेशन का टैण्डर दिया, तीन लाख कम्प्यूटर एजुकेशन का टैण्डर देने में जो लोएस्ट टैण्डर है उस आदमी को दिया। लोएस्ट टैण्डर देने के बाद...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया वह आपकी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्या, आप मंत्री रही हैं। मैं जब रिप्लाई दे रहा हूं, तो बोर्ड की रिप्लाई मैं दूंगा। आन बिहाफ बोर्ड मैं रिप्लाई दे रहा हूं, बोर्ड का चेयरमैन थोड़े ही रिप्लाई देगा। मैं जब कहूंगा तो मैं बोर्ड के बिहाफ पर बोल रहा हूं That you have to under stand it. उपाध्यक्ष महोदय, सीनियर सदस्या हैं, मंत्री रही हैं, मुझे आश्चर्य होता है, आपको तो नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोलूंगा पर यह रिकार्ड में आना चाहिए। यदि हमारे मन में बेईमानी होती, हमने पहले कालेज के अन्दर टैण्डर करवाए थे। दो साल पहले कालेज में जो विड आई है उसमें एप्टेक और आई.सी.ए. को 800 रुपए सालाना में दी। एप्टेक और आई.सी.ए. फ्रेंचाइजी नहीं है, एप्टेक और आई.सी.ए. वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, तीन साल से कालेज में हर जगह यह पढ़ाई हो रही है। किसी के मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ लेकिन यह राजस्थान कम्प्यूकाम की व्यवस्था हमने प्रारम्भ की उस व्यवस्था में जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, यदि हमारे मन में बेईमानी होती, तो 800 रुपए का टैण्डर 900 में जाना चाहिए था। वह टैण्डर 800 रुपए का 50 रुपए के हिसाब से 600 रुपए में दिया। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, 600 रुपए में भी दो रुपए मिलेंगे विद्यालय समिति को, एक रुपया मिलेगा बोर्ड को और उसके बाद जो एक्चुअल उसकी प्राइस है वह 35 रुपए से लगाकर 42 रुपए तक वैराई कर रही है। अब मुझे बताओ, हमने तीन लाख रुपए से घटाकर उसकी संख्या 90 हजार कर दी। 90 हजार करने के बाद यदि हमने तीन लाख को देते और 90 हजार में दिया तो क्वांटम जब ज्यादा होता है

(श्री सी. पी. जोशी)

तो कोस्ट कम होती है। उस आदमी की हमें मदद करनी होती तो हम 50 रुपए की कोस्ट को एनलार्ज करते, हम उस कोस्ट को कम क्यों करते? हम यह भी फैसला क्यों करते कि पांच साल के बाद कम्प्यूटर हमारे होंगे। कालेज में यह फैसला क्यों करते कि कम्प्यूटर हमारे होंगे। हमने बिना पूंजी के इतना बड़ा इंवेस्टमेंट करके उस पूंजी को जनरेट किया। आज करीब 4-5 करोड़ रुपए के कम्प्यूटर तीन साल बाद राजस्थान सरकार के होंगे, कालेज में होंगे, स्कूल में होंगे। यह व्यवस्था हमने उस व्यवस्था के अन्दर की। फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई जाए, फ्रेंचाइजी किसने ली, उस फ्रेंचाइजी में किसी के स्वार्थ है तब कहते हैं 90 हजार रुपए में कोई गणित ऐसी मुझे बता दें कि वो फ्रेंचाइजी वाले को पैसा भी दे देगा, बोर्ड को भी पैसा दे देगा और मंत्री को एक करोड़ रुपए रिश्वत भी दे देगा, ऐसी कोई टेक्नीक कोई माननीय सदस्य के पास हो, तो मुझे भी बताएं, मैं भी अपने आपको एप्राइज करूंगा और मुझे जानकारी रहेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो नहीं कहा कि मंत्री जी ने लिया है।

श्री सी. पी. जोशी : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, यह रिकार्ड में है, यह आरोप लगाए गये हैं कि आपने करोड़ रुपए लेकर किये हैं। मुझे तकलीफ होती है, मैं इस बात को मानता हूं कि इस कार्यक्रम को लागू करने में कमी और खामी है, मैं कभी मना नहीं करता क्योंकि एक साथ कोई कार्यक्रम को लागू करेंगे, तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम धीरे-धीरे लागू करें, 25 साल का इंतजार करें, पहले 40 कालेज स्कूलों में लागू करें, फिर 50 में लागू करें, फिर 100 में लागू करें।

1980 में हिन्दुस्तान में कम्प्यूटर क्रांति हो गयी, आज 2000 तक हम राजस्थान में कम्प्यूटर लड़के को बता नहीं सकें। 50 साल पहले हम कहते थे कि गांव के लड़के ने 25 साल पहले रेलगाड़ी देखी है। अगले 50 साल बाद हम कहेंगे कि वह लड़के 50 साल बाद एक कम्प्यूटर देखेगा। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमने भी पढ़ाई की है। विज्ञान के विद्यार्थी में स्पोटिंग होता है, बच्चों को अटेच कराता है किसी चीज को समझने के लिए एग्जाम होता है कि स्पोटिंग में यह चीज क्या होती है क्या नहीं होती है। हम यह भी मान लें कि कम्प्यूटर एजुकेशन में हमने उनको स्पाट करना सिखाया, उनको भयमुक्त करना सिखाया, उनको एक्सपोज किया। उसकी कोस्ट इतनी है, मैं समझता हूं तब भी मैं अपने आपको सेटिस्फाई मानता हूं कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया है उसमें स्कोप है आगे बढ़ाने का।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, एक बात जो कही है झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने, उससे मैं सहमत हूं। अच्छा होता हम बोर्ड के साथ इसमें नहीं जुड़ते। मैं इससे सहमत हूं कि यह काम जो सबसे बड़ी प्राब्लम क्रिएट हुई वह इसलिए हुई कि डी.ई.ओ. का नियंत्रण होता है स्कूलों के अन्दर, बोर्ड का काम होता है एग्जामिनेशन कराना। यह जो राइवलरी है विटविन राल कांफ्लिक्ट कि वह डी.ई.ओ. अपने आपको अकाउंटेबल नहीं मान रहा, वह हैडमास्टर अपने आपको अकाउंटेबल नहीं मान रहा है। यह मानता हूं कि बोर्ड का काम है इसलिए यह प्राब्लम यहां पर क्रिएट हो गयी। यह प्राब्लम जो बोर्ड के कारण से क्रिएट हुई है उसकी समस्या का निदान करने के लिए ओपन माइंड से किया है। क्योंकि अभी हमने 624 स्कूलों में यह प्रारम्भ किया है। आने वाले समय में राजस्थान की सभी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में हम आर्ट्स, साइंस और कामर्स के बच्चों को यह एक्सपोज करना चाहते हैं। जैसे-जैसे स्कूल के बच्चे कालेज में आएंगे, वैसे-वैसे 50 साल तक जो हम स्कूल में जिस अंग्रेजी को पढ़कर कालेज में आज भी अंग्रेजी बच्चा पढ़ता है वह व्यवस्था नहीं करेंगे। जैसे-जैसे स्कूल का बच्चा 12वीं का पढ़कर आएगा तो कालेज में हम इस सब्जैक्ट को कम्पलसरी से हटाकर इलेक्टिव सब्जैक्ट करेंगे और आज के दिन हर कालेज में हमने कम्प्यूटर लैब बना दी है, कम्प्यूटर पहुंचा दिए हैं और अगली बार दो साल बाद वहां पर इलेक्टिव सब्जैक्ट होगा। तो गांव का गरीब आदमी भी हिन्दी, पोलिटिकल साइंस के साथ कम्प्यूटर पढ़ सकेगा। यह व्यवस्था हमने उसके साथ जोड़ दी है। इसलिए हमने आगे का सोचकर यह व्यवस्था की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जिनके मन में सोच ही नहीं है, जिनके मन में सोच यह है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए त्रिशूल की आवश्यकता है, जिनके मन में यह आवश्यकता है कि एन.सी.ई.आर.टी. के कोर्स को बदलने से आगे बढ़ सकता है। उनका सोच यह हो सकता है कि देश को आगे बढ़ाने का तरीका है एन.सी.ई.आर.टी. के कोर्स को बदलो, देश को आगे बढ़ाने का तरीका यह हो सकता है लोगों को त्रिशूल की ट्रेनिंग दो, लोगों को आगे बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि गुजरात में हो वैसा हो, हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका है इस देश को आगे बढ़ाना, मजबूत करना, इसको और आगे बढ़ाने की कल्पना हमारे नेता राजीव गांधी के मन में थी उस कल्पना को साकार करने के लिए हम आगे की सोच से काम करना चाहते हैं। उसमें कठिनाई है, तकलीफ है, रास्ता कठिन है लेकिन हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त

(श्री सी. पी. जोशी)

करेंगे और राजस्थान को ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट में एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे जिससे हम गर्व के साथ कह सकें कि हमारे पास जमीन है, हमारे पानी नहीं था लेकिन हमने एच.आर.डी. के आधार पर अपने आपका डवलपमेंट किया और गांव का गरीब आदमी भी अपने पोटेंशियल का उपयोग लेकर जैसे अमर्त्य सेन ने कहा है लोगों को च्वाइसेज दो, जिसमें क्षमता है वह च्वाइसेज का उपयोग लेकर आगे बढ़ पायेगा। च्वाइसेज देने का मौका ही नहीं दें आदमी को, उसको मालूम ही नहीं है कि कम्प्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है, तो गांव का गरीब आदमी, जिसमें क्षमता है, पोटेंशियल है वह उस पोटेंशियल को रिविल नहीं करता, मेनिफेस्ट नहीं कर सकता। हम यह मौका नहीं देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, हम पूरा मौका देंगे कि हमारे गांव के गरीब आदमी को भी मेनिफेस्ट करने का मौका दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गांवों में बिजली ही नहीं है कम्प्यूटर चलेगा कैसे? जहां बिजली ही नहीं है गांवों में तो कम्प्यूटर कैसे चलेगा?

श्री सी. पी. जोशी : अब आपको यह भी समझने की आवश्यकता है। मुझे तकलीफ है कि कम्प्यूटर के लिए बिजली जरूरी नहीं है ऐसे कम्प्यूटर भी आ गये हैं। अब आपको जानकारी नहीं हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकारी जितनी है उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले बता तो दो कैसे चलेगा वो?

श्री रामस्वरूप : यह कांग्रेस का राज है बिना बिजली के चलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे साथी मंत्री भी अपनी बात कहेंगे पर मैं दो बात जरूर कहना चाहता हूं हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में। हायर एजुकेशन में आज हमें इस बात का संतोष है कि राजस्थान में हमने हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में जो हमने कार्यक्रम हाथ में लिए थे उससे आज राजस्थान विश्वविद्यालय हो, उदयपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे कोटा विश्वविद्यालय हो, चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो, परीक्षा समय पर हो रही है, लोग समय पर दे रहे हैं, आर.पी.ई.टी. की परीक्षा हम ठीक समय पर करा पा रहे हैं और आज हमने कई एडवांसमेंट स्कीम भी लागू की हैं। उसमें कमी और खामी है।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित किया, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित किया, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित किया। यह समस्या है जिस

(श्री सी. पी. जोशी)

समस्या को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे कमिटमेंट को समझे। एक तरीका तो यह है कि जो हमने यह कल्पना लें कि जो आदमी जैसे एडहाक लैक्चरर बन गये, एक तरीका तो यह है कि हम उनको बाहर निकाल दें। आप मुझे बताएं कि उन लोगों के पढ़ाए-लिखाए लड़के नेट, स्लेट पास हैं, जिस आदमी ने एजुकेशन इम्पार्ट की, पढ़ाई की उसको हम 15 साल बाद कहें कि आप पढ़ाने लायक नहीं थे? उसके पढ़ाए लड़के नेट, स्लेट पास हो गये तो कहीं न कहीं कोंट्राडिक्शन है। मैं आपको उल्टे ढंग से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और ओ.बी.सी. का रिक्रूटमेंट करना, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है लेकिन हमने सोचा उसको लम्बा सोचा है। मैं बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य को उदाहरण देना चाहता हूं, 300 को भी यदि हम आइडल माने और 300 में से ए.सी./एस.टी. का प्रमोशन निकाले और 300 की जगह 400 का निकाले तो कोटा नम्बर बढ़ता है एब्सोल्यूटली। आप भी प्रपोज कर रहे हैं कि हम 120 आदमियों को बाहर निकाल दें तो जितने आदमी, जो 160 आदमी बचे हैं, उस 160 से एस.सी./एस.टी. का प्रमोशन कम हो जाएगा। हम जो प्रपोज कर रहे हैं, वह प्रपोज कर रहे हैं जिससे एस.सी./एस.टी. का नम्बर बढ़ रहा है इसलिए हम आपकी बात और आपकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं आपको रिपीटेडली, दुबारा, हम एकेडेमिक क्वालिफिकेशन से कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं and what is the academic qualification. The academic qualification is very simple. 1993 से पहले जो पी.एच.डी. है, उस आदमी को नेट-स्लेट पास करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसको पूरा जांच कर लिया है, जिसमें भी हम कर रहे हैं, उसमें जो भी आदमी 1993 से पहले पीएच.डी. नहीं है ऐसे आदमी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। 1993 से पहले जो पीएच.डी. है या नेट है या स्लेट है, उन लोगों को हम कंसीडर कर रहे हैं। उसमें रेप्सा एक्ट में एक प्रोब्लम आ रही है। उसमें मुख्य मंत्रीजी के लेवल पर मीटिंग हुई है We are eized with it. मैंने यह कहा है कि इस आर्डिनेंस का कोई सम्बन्ध एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के रिक्रूटमेंट से नहीं है। हमारा पहला कमिटमेंट है कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की पोस्ट की आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने पर आपने कहा है कि वर्क लोड की प्रोब्लम है। वर्क लोड की प्रोब्लम नहीं है। वर्क लोड इविनिंग क्लासेज और...

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पांच साल अध्यापन का कार्य विश्वविद्यालय में कर लिया, उसको नेट-स्लेट पास करना जरूरी नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आपने कहा है तो मैं अपने आपको अपडेट कर लूंगा। पर मैं जो अभी बता रहा हूं, जो मेरी जानकारी है, वह मैं बता रहा हूं कि...

श्री रामस्वरूप : इन सारे फैसलों की कापी मेरे पास है।

श्री सी. पी. जोशी : रामस्वरूप जी बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं संशोधन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

श्री सी. पी. जोशी : ...कि हम वर्क लोड का बिन्दु नहीं रखे। हम पहले प्रोसेस स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट आफ एस.सी., एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी., उसमें आपके मन में एप्रिहेंसन है कि पास्ट में ऐसा हुआ, यह हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि...

डा. करण सिंह यादव : यही चाहते हैं, पहले एस.सी./एस.टी. को आप एम्प्लायमेंट दे दें, उसके बाद में आर्डिनेंस लेकर आओ। पहले अगर आर्डिनेंस आ गया मंत्री महोदय तो यही सदन रहेगा, यही समय रहेगा, मैं बता दूंगा आपको कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का अगर रिक्रूटमेंट हो जाए तो।

श्री रामस्वरूप : एस.सी. का पहले दें, उसके बाद में आप कर लें, यही हमारा निवेदन है। यही हमारा निवेदन है। ठीक है, साहब। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बैठो न। आपकी भावना को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, कहा कि "Don't have apprehension. Don't have a fear. As a Minister, as a Congressman, I can give you a commitment. Rest assured, we are committed for this and we will do it first. Don't worry about this"

श्री अमराराम (धोद) : जोशीजी, आप तो यह ज्ञानवर्द्धन कर दो, यह 55 साल की आजादी में 40 साल कांग्रेस का ही राज रहा, वह आपका नहीं था क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सी. पी. जोशी : यह हमारा राज ही था, जिस राज में साइंटिफिक प्रोग्रेस की, इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेस की और दुनिया में नाम कमाया है।

श्री अमराराम (धोद) : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, वह बात कह दो आप तो।

श्री सी. पी. जोशी : हमारा यह काम है कि गुजरात में...(व्यवधान) किस मुंह से दुनिया में नाम लेंगे। हमने यह काम नहीं किया, किस मुंह से दुनिया में कहेंगे। हमने यह काम किया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : विकास की बात छोड़ो। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तीन प्रतिशत एस.सी./एस.टी. के, तीन प्रतिशत भी रिक्रूटमेंट नहीं है, उसकी बात तो कह दो, बाकी बहस नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 28 प्रतिशत की बजाय एस.सी./एस.टी. का तीन प्रतिशत है, यह किसके राज में हुआ, यह बता दो आप तो। हमारा तो राज नहीं है न।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अमराराम जी, पहले पूरी जानकारी रखे, 1986 के पहले Should I speak it? यूनिवर्सिटी में कब रिजर्वेशन लागू हुआ, आपको मालूम है? अपन जनरल बात कह रहे हैं। जो बात मालूम नहीं है। आज भी दिल्ली में नहीं है Are you aware about this? Universities are autonomous bodies. कब रिजर्वेशन लागू हुआ, यह गवर्नमेंट की अलग अलग चीज है इसलिए got first update information हमारे राज में रिक्रूटमेंट होने के बाद, कांग्रेस के राज में एस.सी./एस.टी. में रिजर्वेशन अब नहीं है। जहां भी हुआ है, हमने पहले इसको एडहर किया है। यह प्रोब्लम बैकलाग है, उन लोगों की है जिनके मन में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के प्रति कोई था ही नहीं, उनकी प्रोब्लम है, हमारी प्रोब्लम नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : पहले यूनिवर्सिटी में लागू नहीं हुआ, तब आपकी सरकार थी, केन्द्र में तो आपकी सरकार थी।

श्री सी. पी. जोशी : किसकी?

श्री अमराराम (धोद) : नेहरूजी, इन्दिराजी, आपके ही होंगे, लालबहादुर शास्त्री जी...

श्री सी. पी. जोशी : हैं ना, कहां तकलीफ है।

श्री रामस्वरूप : वह पिछली बातों को छोड़ो, आज करने दो मंत्रीजी को, समय जा रहा है, अब तो कराओ घोषणा आज ही।

श्री अमराराम (धोद) : आप कह रहे हैं, केन्द्र सरकार ने किया है। यह तो कांग्रेस का ही राज था। नेहरू जी, लालबहादुर शास्त्रीजी, इन्दिराजी थी, राजीव गांधी थे, नरसिम्हारावजी थे। अगर यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लागू नहीं किया तो इसका दोष आपका नहीं है?

श्री सी. पी. जोशी : आपने केरल में कर लिया, क्या प्राइवेट सैक्टर में या बंगाल में कर लिया?

श्री अमराराम (धोद) : हम तो दिल्ली में आए नहीं, हम तो यू.जी.सी. में नहीं हैं आपके दिल्ली में आए नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : वह चीज समझनी पड़ेगी, अपन बात तो कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : दिल्ली में सरकार में आए नहीं।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आप तो घोषणा करो आज।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिकांश समय नहीं लूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें आज खुशी है कि हमने हायर एजुकेशन में एकेडेमिक कल्चर को एडहर किया है, आज एग्जाम समय पर हो रहे हैं, प्रमोशन की बात हमने की है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम आप सभी के सहयोग से इस एकेडेमिक एंवायर्नमेंट को बनाए रखेंगे और कुछ घोषणाएं मुझे करनी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि आपकी भावना मेरी भावना है और सबकी भावना यह है कि जो कुछ मैंने आर्टिकुलेट किया है, फिर दुबारा आर्टिकुलेट करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी, यहां बैठे हैं, कल एप्रोप्रियेशन बिल है, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मिडल स्कूल की बात हो, चाहे सैकण्डरी स्कूल की बात हो, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल की बात हो, उदार दिल से, दिल बड़ा रखकर माननीय वित्त मंत्रीजी, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर यह काम करें जिससे राजस्थान में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

इन्हीं सब भावनाओं के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठाई हैं, उन्हें भी मैं जवाब भेज दूंगा और खास तौर से हमारे जो मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है उर्दू भाषा के सम्बन्ध में, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उर्दू भाषा के सम्बन्ध में जो उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, चाहे फारसी के बारे में आकर्षित किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठकर आपकी भावना के अनुरूप यदि अध्यापक उपलब्ध हैं, मसूदा में कैसे भी हम उनको उर्दू पढ़ाने के लिए उपयोग में ला सके या वित्त मंत्रीजी, उर्दू के पद और क्रिएट करा सके, इसकी व्यवस्था कर सके। जैसा भी हो, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जिससे...

श्री रामस्वरूप : विश्वविद्यालय वाले आदेश आज ही भेज देना।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है किसका जवाब देना था मुझे। आपने जो बात कही है कि विश्वविद्यालय का नाम ''बरकतुल्ला खां'' के नाम पर रखना चाहिए। आपने विश्वविद्यालय का दूसरा नाम रखा। आपकी भावनाओं को मुख्य मंत्रीजी के पास जरूर पहुंचाउंगा कि यह हमारे...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आपने यह निवेदन किया था कि कुछ जगह जहां सीनियर सैकण्डरी में उर्दू आप्शनल है, वहां कालेज में उर्दू विषय खोल दें, जहां उर्दू के अध्यापक के पद सामान्य जगह पर लग रहे हैं उनको उर्दू अध्यापक की जगह लगा दें और अजीमल कामिल वालों को छोड़कर, बाकी जो उर्दू टीचर की पोस्ट है, उनको तो भर सकते हैं। उसमें तो हाई कोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, न तो मैं हाई कोर्ट का जज हूं और हाई कोर्ट के जजमेंट में ऐसा बताया है, मैं कर दूंगा, दूसरी बात सुनिये, जहां पर भी मिनिमम स्टूडेंट का नम्बर है कालेज में, उतने स्टूडेंट जहां होंगे, हम कंसीडर करेंगे, ब्लेंकेट फैसला नहीं कर सकते। आज विश्वविद्यालय में तीन लड़के हैं, तीन को कोई उर्दू पढ़ा दो, दो को फारसी पढ़ा दो, यह सम्भव नहीं है। आज जुडिशियल उपयोग करना है, तो नोर्म्स फिक्स करने पड़ेंगे। उसमें जहां-जहां पर उर्दू की स्कूल सीनियर सैकण्डरी है, बच्चे पढ़ने के लिए कालेज में आना चाहते हैं, उनकी संख्या ठीक होगी तो उसको कंसीडर करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं और बात कहना चाहता था लेकिन मेरे साथी कल्लाजी और माननीय कमलाजी भी अपनी बात कहेंगी, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मांग को पास करें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. (श्रीमती) कमलाजी। बिराजिए माननीय सदस्य। बिराजिए, बिराजिए। कमलाजी बोल रही हैं। माननीय सदस्य, बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य करण सिंह जी, बिराजिए। कमलाजी बोल रही हैं। बिराजिए प्लीज।

श्री रामस्वरूप : यह यूनिवर्सिटी वाले आदेश तो अभी भेज देना साहब। इसको भेज देना। ठीक है, धन्यवाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। बिराजिए प्लीज। माननीय कमलाजी।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, जोशी साहब से पूछना चाहता हूं, नये संकाय और कालेज और जो स्ववित्त योजना, घोषित योजना और विधायक कोष का जो पैसा रेकरिंग एक्सपेंडीचर इत्यादि के बारे में आपके थोट्स थे कि नये सब्जैक्ट्स कैसे खुलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सारी भावनाएं वित्त मंत्रीजी के साथ बैठकर, कितना वित्त मंत्रीजी उसमें सदाशयता और उदारता बरतते हैं, उसके बाद में बात करेंगे।

श्री रामस्वरूप : खेतसिंहजी बैठे-बैठे वही काम कर रहे हैं अभी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या नाराजगी है, ऐसी कौनसी नाराजगी है? एक सवाल आपसे नहीं पूछने देना चाहते हैं हमें... नहीं, नजर मिला रहे हैं, जबान नहीं मिला रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने अभी फरमाया, बजट प्रोविजन होगा एक अलग बात है और उन प्रोविजन के आधार पर मास्टर लगाना, स्कूल खोलना दूसरी बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा या तो बजट में प्रोविजन हो क्यों और बजट में प्रोविजन है, तो पूरे होने चाहिए क्योंकि बजट एक बहुत ही पवित्र डाकुमेंट होता है इसलिए आपको यह कह दिया कि स्कूल तो खोल दो, हमने किसी ने भी आपसे आग्रह नहीं किया था कि आप स्कूल खोलने की घोषणा करो। यदि स्कूल खोलने की घोषणा करते हैं, तो उनमें अध्यापक पूरे होने चाहिए और बजट में प्रोविजन किया है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. कमलाजी।

डा. (श्रीमती) कमला (संस्कृत शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञान-विज्ञान के अपार...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये अपना भाषण आदिकाल से शुरू करेंगी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : अब आप पहले सुनिए कि मैं क्या शुरू करूंगी, क्या अन्त करूंगी।

श्री रामस्वरूप : महिलाओं को भी नहीं सुनना चाहती हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, संसार के ज्ञान विज्ञान के अथाह सागर में से आज की यह दुनिया, आज का यह मानव कुछ बिन्दु बटोर सके इस दौड़ में लगे हुए इस परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले मन की गहराइयों से यह कामना करना चाहती हूं कि देश में जल्दी से जल्दी, अतिशीघ्र वह समय आवे जब इस राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारें, राज्य सरकारें और समूचा समाज इस बात का अहसास कर सके कि वर्षों पहले युगों-युगों की ज्ञान साधना, कर्म तपस्या और मानस की उपासना के बाद हमारे जिन विद्वानों ने, मनीषियों ने इस ब्रह्माण्ड के, प्रकृति के, मानव के, जड़ और चेतन के छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी अद्भुत वैज्ञानिक अवस्थाओं को, व्यवस्थाओं को गहराई से देखकर, अध्ययन करके, अनुभूत करके, परीक्षण करके जो सौगात हमें अथाह समुद्र के रूप में, एक अपरिमित निधि के रूप में सौंप कर गये हैं उन्हें प्रकाश में लाकर तमाम संसार को, मानव मात्र को हम सौंप सकें। इसके लिए भी हमारी

(डा. (श्रीमती) कमला)

राष्ट्रीय सरकारें और राज्य सरकारें कुछ सोचने का कष्ट करें, यह मैं हृदय से कामना करती हूं।

मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूं कि आज जो कुछ भी हम संस्कृत के बारे में, संस्कृत वांमय के बारे में, उसके प्रतिपादित ज्ञान और विज्ञान के सिद्धान्तों के बारे में थोड़ा-बहुत भी जो कुछ हम जानते हैं तो हम यह कहते रहते हैं कि यह वर्ग विशेष का अपना काम है। यह अपनी कमाई के जरिए निकाल कर कर्मकाण्ड का एक साधन है और हम यह भी कहते हैं कि बहुत सारे-कहानी किस्से हैं यह लुभावने, सुन्दर लगने वाले जैसे टी.वी. पर महाभारत, रामायण की कथाएं बताई हैं, वह हैं। वास्तव में यह इसका एक बहुत ही विकृत और एक सांसारिक स्वरूप है। इस वांग्मय में हमारी खाने-पीने की वस्तुएं, पहनने-ओढ़ने के तरीके, रहन-सहन की विधाएं, उनसे लेकर इस ब्रह्माण्ड में जितना भी कुछ संचारित है, जितनी भी कुछ तरंगित है और इसके नक्षत्र मण्डल हैं, इसका सामुद्रिक शास्त्र है, इसका ज्योतिष है, अस्त्र-शस्त्र विद्या है, युद्ध विद्या है, हमारा आयुर्वेद है, कोई एक वस्तु कण से लेकर मण तक इस सृष्टि में ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने अनुभूत नहीं किया हो, जिसको उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया हो और अपरिक्षित और अनुभूत के बाद उसके सिद्धान्त उन्होंने प्रतिपादित नहीं किये हों कि यह सृष्टि का जो सोर्यमण्डल है, सृष्टि में जो चन्द्रमा है, जो पृथ्वी है, इन्सान का मानस जो है उसके शरीर में अवस्थित जो अवयव हैं उनमें कितनी शक्तियां हैं और कितने दूरगामी प्रकाश के साथ वह अपनी तपस्या से तैयार किये जा सकते हैं यह सब चीजें उसके अन्दर मौजूद हैं। उसमें किसी धर्म का नाम नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूं, किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, किसी वर्ग का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है।

यह ठीक है कि प्राचीन वक्त में जिन लोगों ने, जिन ऋषि-मुनियों, तपस्वियों ने अपनी ज्ञान-आराधना के जरिए से, विज्ञान के परीक्षित सिद्धान्तों के जरिए से यह सब कायम किया, आज आप जिन मिसाइलों के लिए इतना गौरव करते हैं और जाने कितने, एक शताब्दी में जाकर आपने उनको अन्वेषण किया वह सब तो आपके सामने मौजूद पड़े हैं। आप जिस प्रकार की अस्त्र-शस्त्र विद्या का आज गुणगान कर रहे हैं वह जो उसमें दिया हुआ है उसका अंशमात्र भी आपके पास में नहीं है। तो इसलिए यह सब जो कुछ उन्होंने तैयार किया, कोई उसमें जाति-धर्म और धर्म-कर्म का नाम नहीं है। उस वक्त जो यह काम करते थे उनको हम ब्रह्मज्ञानी कहते थे, क्योंकि वह अपने कार्य की शक्ति से, अपनी आराधना की शक्ति से इस संसार के, प्रकृति के जड़-चेतन के

(डा. (श्रीमती) कमला)

साथ रहते हुए सब कुछ वह तैयार किया। अब उनको हम कालांतर में ब्राह्मण कहने लगे, उनके घर में जो पैदा हुआ वह भी ब्राह्मण हो गया। लेकिन उस समय के ब्रह्मज्ञानी का तात्पर्य कोई आज के ब्राह्मण से नहीं है। यह सही है कि इस वर्ग ने, उससे सम्बन्धित धार्मिक संस्थाओं ने, सम्प्रदायों ने जब कोई बाहर से आक्रमण हुए, जब ऐसी परिस्थितियां आई चाहे किसी भी काल की, उस वक्त उन्होंने संरक्षित रखने में काम कियां। लेकिन यह भी सही है कि इनको मूर्ति का रूप दे करके, इनको पूजा का रूप देकर, इनकी शक्लें बनाकर जो इस ज्ञान-विज्ञान को इन्होंने एक प्रकार से अंधकार में धकेला, वह भी अपने आप में एक स्थिति है। इसलिए ज्ञान-विज्ञान के इस अपार, अथाह समुद्र को हम अगर अपने देश के लिए, समाज के लिए जल्दी से जल्दी अपने उपयोग में लाने की कोशिश करें तो इस देश के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। यह किसी जाति-धर्म की थाती नहीं है, यह किसी वर्ग समुदाय की थाती नहीं है, यह समूचे मानव समाज की, समूचे संसार की थाती है जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध विज्ञान है, अनुभूत जो शास्त्र है। इसलिए इस दिशा में कुछ सोचेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा।

विभाग की दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है क्योंकि पिछले साल भी कुछ नहीं था, इस साल भी कुछ नहीं है। कामना इतनी करती हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने जो निवेदन लिखित में, जबानी किया है कि एक तरफ हम विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके और इस ज्ञान के भण्डार को संसार को देने की चेष्टा में हैं, तो अगर इसका हम नीचे नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो क्या उपयोग होगा उस विश्वविद्यालय का, क्या उपयोग होगा उस अनुसंधान का? इसलिए उस तरफ गहराई से दृष्टि डालने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहती हूं कि छोटे से साधन के साथ मात्र पचास लाख के प्रावधान जो यूनिवर्सिटी के लिए किया है उसके माध्यम से आने वाले शिक्षा सत्र से हम चार विषयों में अध्ययन-अध्यापन का काम प्रारम्भ कर रहे हैं और वैदिक विज्ञान के अन्वेषण के लिए, अनुसंधान के लिए भी हम कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी थी उसका पूरे का पूरा हरेक परिसर का, हरेक ब्लाक का नक्शा तैयार करके उसे जल्दी ही निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ कर रहे हैं और यह परिसर जब तक बने उसके लिए एक बड़ा कोई भवन लेकर यह कार्य प्रारम्भ करने की दृष्टि से हम जुटे हुए हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं और अन्त में फिर कामना करती हूं कि देश और राज्य के लोग और मानवमात्र इस दृष्टि से सोचने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब। बिराजें, बिराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कला एवं संस्कृत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में आज माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उत्पादन की विधाओं में जो परिवर्तन हुआ है उसका नाम है सभ्यता, लोग पहले हल और बैल से खेती करते थे, आज वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से खेती कर रहे हैं, यह जो परिवर्तन आया है इसका नाम है सभ्यता। हम अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं, हम किस तरीके से अपने नृत्य, गायन, संगीत, लोक संगीत गाते हैं इन सब को मिलाकर हमारी संस्कृति की पहचान बनती है, जैसे मैं आपको दो-चार उदाहरण देना चाहूंगा। अभी इन दिनों में त्यौहार चल रहा है गणगौर का, तो आप देखेंगे कि- है। "पूजण द्यो गणगौर भंवर म्हाने पूजण द्यो गणगौर" तो लोग समझेंगे कि यह गणगौर का त्यौहार हो रहा "घुड़ल्यो घूमे छैः" जी घूमे छैः म्हारो तेल बले गिगाड़, घुड़ल्यो घूमे छैः, लोग कहेंगे कि यह घुड़ले का त्यौहार हो रहा है और कहीं पर यह गीत गाया जाए...

श्री रामस्वरूप : सुर में सुनाइये, सुर के अन्दर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : "केसिरियो लाडो जीवतो रह्ये ओ तो जीवतो जीवतो ढोले जागो," तो लोग समझेंगे कि यहां कोई शादी हो रही है। ऐसी संस्कृति मात्र राजस्थान की है, और किसी भी प्रदेश की नहीं है जहां गीत से, संगीत से पता लग जाता है कि यहां कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : "केसरिया बालम पधारो सा म्हारे देस", यह भी बोलते हैं जिससे पता लग जाता है कि शादी है घर में, हां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, यह शादी का गीत नहीं यह मांड राग है जिसमें अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री मिली थी और जिसको अभी हाल ही में लता मंगेश्कर ने अपनी आवाज में इसी गीत को गाया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि एक संस्कृत में श्लोक है-"संगीत, साहित्य, कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छविसान हीना।" "संगीत, साहित्य, और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। हमारे राजस्थान के लोगों की संगीत, साहित्य और कला में रुचि है इसलिए वे उत्कृष्ट माने जाते हैं। क्योंकि उनकी संगीत, साहित्य और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कला में रुचि है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य में वर्ष 1982 में कला और संस्कृति विभाग की स्थापना हुई और सौभाग्य से मैं उस समय इस विभाग का मंत्री था। हम लोगों ने मिल करके यह प्रयत्न किया कि इस विभाग के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति का उन्नयन किया जाए, इसको संरक्षण प्रदान किया जाए।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कत्थक लखनऊ में प्रसिद्ध है, वहां के कत्थक में नजाकत, अदाएं हैं, लेकिन जयपुर के कत्थक में खास तौर से भक्ति के ऊपर, संगीत के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है और इसी के लिए यहां पर एक कत्थक केन्द्र प्रारम्भ किया गया जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। इसी तरीके से जोधपुर में संगीत और नाटक अकादमी की स्थापना की गयी। वहां पर जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे पुराने लोक संगीत के जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको संजो कर रखा गया है। पुरानी पाबूजी की फड़ और अलग-अलग प्रकार की विधाओं में जो लोक संगीत गाये जाते थे उनको वहां पर संरक्षित करने का काम किया गया है। (व्यवधान) ताली क्या, मैं तो आप कहें तो बैठ जाउ या बोलता रहूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदय, एक मिनट मंत्रीजी, जैसे संस्कृत मंत्रीजी ने संस्कृत का महत्व, उद्गम जितना जो कुछ उसके बारे में बताया, आप तो कला की परिभाषा कर दीजिए और संस्कृति की कर दीजिये, काफी है बस।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यही तो बोल रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, परिभाषा नहीं की है। गलत बात, परिभाषा नहीं की है।

श्री रामस्वरूप : राजनीति भी एक कला है। यह कम कला नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आपका ध्यान माननीय सदस्या कहीं और गया हुआ था। मैंने संस्कृति की परिभाषा देते हुए ही बात बताई थी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को कमलाजी का संस्कृत का ज्ञान देख कर बाहर जाना पड़ा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परिभाषा नहीं की है उदाहरण दिया है। परिभाषा कला क्या है, नहीं की है। परिभाषा नहीं की है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने यह बताया था कि संस्कृति जो हमारे तीज-त्यौहार, गीत-संगीत ये सब चीजें जो हम मनाते हैं, करते हैं, ये हमारी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

संस्कृति के अंग है और संस्कृति से सम्बन्धित मैंने अनेक उदाहरण देकर आपको यह बताया था कि किस तरह से हमारी संस्कृति को हम संरक्षण दे रहे हैं। हमारे जितने भी पुरातत्व महत्व के स्मारक हैं उनको संरक्षण देने का काम भी, उपाध्यक्ष महोदय, हम कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय मंत्री महोदय, आप संस्कृति की बात कर रहे हो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पुरासम्पदाओं को संरक्षित रखने में...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : ...आप अजमेर गये होंगे तो तारागढ़ को देखिए। क्या बिगाड़ा है। वहां न मालूम टेलिकम्युनिकेशन वालों ने टावर इतना ऊंचा कर दिया कि वो संस्कृति, वो तारागढ़ का स्ट्रक्चर सारे का सत्यानाश कर दिया। आप उस पर भी ध्यान दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस आज भी अपनी पुरासम्पदाओं को संरक्षित रखने में विश्वास रखती है। आज भी अपनी पुरासम्पदाएं संरक्षित हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी संग्रहालय हैं राज्य के उनके माध्यम से हमारी संस्कृति को और हमारी पुरानी संस्कृति को हमने संजोए रखा है और इसी तरीके से जो हमारे पुराने हस्तलिखित ग्रन्थ हैं उन ग्रन्थों को, जिनकी संख्या लगभग दो लाख से अधिक है, उन हस्तलिखित ग्रन्थों को हमारे यहां राजकीय अभिलेखागार में संजोया हुआ है। समय-समय पर हमने उन 205 हस्तलिखित ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया है। इसी प्रकार से इस वर्ष हम सीकर में राजकीय संग्रहालय का भवन बन चुका है, उसका लोकार्पण करेंगे। हमारे राज्य में...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। (व्यवधान) मांग पारित होने तक।

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) चोरी हो गयी उसमें से। एक बार चोरी करके सामान ले गये उसके बाद...(व्यवधान) जल्दी करवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आज की सदन की कार्यवाही पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या–24 पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसी वर्ष हम राज्य के जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं उनके संरक्षण के लिए ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन की सहायता से लगभग दो करोड़, बारह लाख, पचास हजार रुपए की सहायता से उनके संरक्षण करने का काम शुरू करेंगे।

इसके अतिरिक्त हमारा जवाहर कला केन्द्र जो राज्य की कला और संस्कृति को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसका बजट गत वर्ष हमने 40 लाख से बढ़ा कर 65 लाख किया था। इस वर्ष इसका बजट हम एक करोड़ रुपए करने के लिए जा रहे हैं।

माननीय सदस्य, जो नगर से आते हैं उन्होंने यह बताया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद संस्थान जो अरबी और फारसी का शोध संस्थान है इनमें किताबों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और यहां शोध प्रबन्ध अधिक होना चाहिए। मैं इनके सुझावों को ध्यान में रखूंगा और विभाग के माध्यम से इसमें बढ़ोतरी करवाने का प्रयास करूंगा।

जहां तक जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किलों के संरक्षण और संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देने की मांग की, इसको भी विभाग अपने वित्तीय साधनों को ध्यान में रख कर रखेगा और जिन–जिन माननीय सदस्यों ने...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...अभी तीन रोज पहले राजस्थान पत्रिका में आया था कि आपके पुरानी किताबें, जो पुस्तकें, हमारे ऐसे–ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ हैं उनको संरक्षित रखने के लिए मात्र 10 पैसे एक पुस्तक पर खर्च किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : (व्यवधान) गांव की झोपड़ियों के खातिर आप यहां...(व्यवधान)... आए हो। किलों की खातिर आप नहीं आए हो। किलों पर ज्यादा खर्च मत करो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उन पुरानी पुस्तकों को जो हमारे दुर्लभ ग्रन्थ हैं उनको संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार क्या मंशा रखती है यह स्पष्ट करें आप।

श्री रामस्वरूप : यह मीन भगवान का जो पुरान ग्रन्थ था, मीणाओं का जो सबसे बड़ा ग्रन्थ था वो कहां गायब कर दिया? कौन ले गया हमारे मीणाओं के ग्रन्थ को, उसकी भी खोज करो आप? एस.टी. के हमारे मीणा जाति का एक ग्रन्थ था बहुत बड़ा, जो मीन भगवान हुए हमारे, उस ग्रन्थ का तो पता लगाओ मंत्रीजी। वो भी पुरातत्व से सम्बन्धित है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बोले नहीं उसके बारे में। हस्तलिखित ग्रन्थ जो हैं उनका अभिलेखागार में वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाता है। किसी भी हस्तलिखित ग्रन्थ को कहीं भी खराब नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं उनको विभाग द्वारा समय पर जवाब भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान)... बताया न वो शरीर में प्रवेश कर गया और मौके बे-मौके उजागर होता रहता है।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 के समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 35,72,91,87,000/- (पैंतीस अरब, बहत्तर करोड़, इक्वानवे लाख, सतासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 13,19,18,000/- (तेरह करोड़, उन्नीस लाख, अट्ठारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,05,28,000/- (तीन करोड़, पांच लाख, अट्ठाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 97,42,58,000/- (सतानवे करोड़, बयालीस लाख, अठावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,03,65,95,000/- (एक अरब, तीन करोड़, पैंसठ लाख, पचानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 32,96,07,000/-(बत्तीस करोड़, छियानवे लाख, सात हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,12,79,31,000/- (एक अरब, बारह करोड़, उनयासी लाख, इकतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(17.00 बजे)

मांग संख्या-7 निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 9,82,03,000/- (नौ करोड़, बयासी लाख, तीन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-8 राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए

(श्री उपाध्यक्ष)

1,87,56,86,000/-(एक अरब, सतासी करोड़, छप्पन लाख, छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9 वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,69,37,84,000/-(दो अरब, उनहत्तर करोड़, सैंतीस लाख, चौरासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 20,14,000/-(बीस लाख, चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 11,59,18,000/- (ग्यारह करोड़, उनसठ लाख, अठारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12 अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 41,02,88,000/-(इकतालीस करोड़, दो लाख, अट्ठासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-13 आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13 आबाकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,15,58,76,000/-(एक अरब, पन्द्रह करोड़, अठावन लाख, छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14 बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 54,33,35,000/-(चौवन करोड़, तैंतीस लाख, पैंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 20,27,73,34,000/-(बीस अरब, सत्ताइस करोड़, तिहत्तर लाख, चौंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18 जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 9,16,14,000/-(नौ करोड़, सोलह लाख, चौदह हजार) तक की राशि इसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,89,78,62,000/-(दो अरब, नवासी करोड़, अठहत्तर लाख, बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-20 आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,02,21,86,000/- (एक अरब, दो करोड़, इक्कीस लाख, छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,72,01,01,000/- (चार अरब, बहत्तर करोड़, एक लाख एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,76,61,38,000/- (एक अरब, छियत्तर करोड़, इकसठ लाख, अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 41,14,15,000/- (इकतालीस करोड़, चौदह लाख, पन्द्रह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 42,19,56,000/-(बयालीस करोड़, उन्नीस लाख, छप्पन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,37,09,76,000/-(एक अरब, सैंतीस करोड़, नौ लाख, छियत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,85,46,39,000/-(चार अरब, पचासी करोड़, छियालीस लाख, उनतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 19,73,000/-(उन्नीस लाख, तिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 23,82,38,000/-(तेईस करोड़, बयासी लाख, उड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,57,99,00, 000/- (एक अरब, सतावन करोड़, निन्यानवे लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36 सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 50,65,36,000/- (पचास करोड़, पैंसठ लाख, छत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,11,95,13,000/- (दो अरब, ग्यारह करोड़, पचानवे लाख, तेरह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,18,85,41,000/- (एक अरब, अट्ठारह करोड़, पचासी लाख, इकतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,21,93,77,000/- (एक अरब, इक्कीस करोड़, तिरानवे लाख, सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,31,03,000/-(दो करोड़, इकतीस लाख, तीन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,45,10,19,000/- (चार अरब, पैंतालीस करोड़, दस लाख, उन्नीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43 खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 31,63,59,000/- (इकतीस करोड़, तिरेसठ लाख, उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 13,28,43,000/-(तेरह करोड़, अट्ठाइस लाख, तियालीस हजार) तक की राशि

(श्री उपाध्यक्ष)

जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,97,53,79,000/- (एक अरब, सतानवे करोड़, तिरेपन लाख, उन्नासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-47 पर्यटक

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47 पर्यटक के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 22,33,40,000/- (बाईस करोड़, तैंतीस लाख, चालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 13,62,80,97,000/-(तेरह अरब, बासठ करोड़, अस्सी लाख, सतानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 18,16,58,000/- (अठारह करोड़, सोलह लाख, अठावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 36,03,01,000/- (छत्तीस करोड़, तीन लाख, एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 94,04,26,000/- (चौरानवे करोड़, चार लाख, छब्बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.16 बजे, मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समायाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र खारची में पथ परिवहन निगम के स्वीकृत मार्ग

439. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में राज्य पथ परिवहन निगम को कितने मार्गों पर परमिट स्वीकृत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत मार्गों पर परिवहन निगम बसें संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन का मेज पर रखें। यदि नहीं, तो जिन मार्गों पर बसें नही चल रही हैं उन पर कब तक चालू कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में निगम को 8 मार्गों पर परमिट स्वीकृत हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। फिलहाल 3 मार्गों पर बसें चल रही हैं। शेष मार्गों पर बस संचालन अलाभकारी रहा है। अत: निगम द्वारा इन मार्गों पर हानि के कारण फिलहाल संचालन करना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र खारची में निगम को स्वीकृत 8 मार्गों के अनुज्ञापत्रों का विवरण

1. पाली-मारवाड़ जंक्शन वाया गोललीमडा, मठ शिवपुरा-जाडन-खारड़ी
2. पाली भीलवाड़ा वाया जाडन-खारड़ी राजकियावास जोगडावास-मारवाड़ जंक्शन-नरसिंहपुरा चौराया, गांव चलावास-गादाणा-राणावास-मलसा बावड़ी-सूरसिंह गुढ़ा-डिगोर चौराया-फुलाद-करमाल चौराया-जामुडा-विरमगुडा-कामलीघटाट चौराया-देवगढ़-करेडा-हरिपुरा चौराया-माण्डल।
3. पाली उदयपुर वाया जाडन-खारड़ी-राजकियावास-मारवाड़ जंक्शन-नरसिंहपुरा चौराया, गांव, चैलावास-गादाणा-राणावास-मसला बावड़ी-सरसिंह गुढ़-डिगौर

चौराया-फुलाद-करमाल चौराया-जामुण्डा-विरमगुढ़ा-कामलीघाट चौराया-देवगढ़-छापली-दिवेर-रातानिवास-गागमती-केलवा-राजनगर-काकरोली-नाथद्वारा-देलवाड़ा-कैलाशपुरी।

4. सोजतसिटी-सोजतरोड-देसूरी वाया सियाट-सोजतरोड-सवराड- माण्डा बोपारी-सिरयारी-डिगौर प्याऊ-फुलाद-करमाल चौराया-जोजावर-जोडकिया-पनोता-नयागांव-मगरतलाब-बागोल-गांधी-गुढ़ा आसकरण-समेरे-लापी।

5. पाली-देसूरी (वाया माण्डली-हेमावास) वाया मण्डली-हेमावास- सोनाई-गुढ़ा नारकान-सोढ़ावास-टेवारी-बसी-सोमेसर-इन्द्रवाड़ा-गुढ़ा जेतसिंह-पांचटिया-रायपुरिया-वणदार-खिवांडा-टकरला-बागोल-गांधी-समेर-लापी।

6. पाली-देसूरी वाया-जाडन-खारडी-राजकियावास-मारवाड़ जंक्शन-भगवानपुरा चौराया-आउवा जैतपुरा-प्याऊ-जैतपुरा-देवली-मुकनपुरा-प्याऊ-खिवाड़ा-टोकरला-डायला-गुढ़ा-देवला-बागोल-गांधी-गुढ़ा असकरण प्याऊ-सुमेर-लांपी।

7. पाली-फालना वाया खुडार बाली-कोट-मुण्डारा-बावडी-सवाईगुढ़ा-धाणेराव-देसूरी-लापी-सुमेर-गांधी-बागोल-देवरोका गुढ़ा-डायलाना टोकरला-खिवाड़ा-गजनीपुरा-देवली-आउवा-मारवाड़ जंक्शन सूर्यनगर-छोटा-बिठुडा-बारसा-गोदावास-रामपुरा-खैरवा-बालेलाद उतवन।

8. पाली-देसूरी-वाया उतवन-बालेलाव-खोरवा-सपूणी-टेबाली-बूसी-निम्बाड़ा-सोमसरबदरलाउ-सेपटावा-डालकी-रूगणी-पिलावणी-गेन्दूडी-सेवास-खिवाड़ा-टोकरला-डायलाना-देवरोका-गुढ़ा-बागोल सेला-सेकर-बालढाणी-देवकी गुढ़ा भीमसिंह-सावलता-गुढ़ा मेघसिंह-पिलावणी।

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध राशि

440. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी संघ पंजीयक शीर्ष सहकारी संस्था है? यदि हां, तो इसका गठन/पंजीयन किस उद्देश्यों से किया गया तथा पंजीयन से अब तक संघ ने उद्देश्यों के अनुरूप क्या कार्य योजना का संचालन किया तथा वर्तमान में क्या कार्य किया जा रहा है?

(2) संघ को पंजीयन से अब तक प्रतिवर्ष किन-किन स्रोत से कितनी आय हुई जिसमें सरकार द्वारा किस-किस मद में कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई?

(3) संघ ने क्या स्थाई सम्पत्ति बनाई तथा स्थाई सम्पत्ति में से अन्य संस्था या व्यक्ति को कोई सम्पत्ति हस्तानान्तरण की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) जयपुर भी एक पंजीयक संस्था है और इसका राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पंजीयन किया गया है? यदि नहीं, तो संस्था का किस अधिनियम के अन्तर्गत किस उद्देश्य के लिए पंजीयन किया गया? पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं विधान, नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कौन सदस्य हैं? क्या सहकारी संस्थाएं भी सदस्य हैं? यदि हां, तो क्या सहकारी संस्थाएं किसी भी गैर सहकारी संस्थान कम्पनी, फर्म की सदस्य व हिस्सेदार हो सकती है?

(6) राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के गठन से अब तक सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी गई है एवं सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्रोतों से प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई?

(7) राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गठन से अब तक क्या कार्य किये गये हैं?

(8) राजस्थान राज्य सहकारी संघ के कार्यरत रहते हुए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन क्यों किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। संघ का गठन/पंजीयन जिन उद्देश्यों के लिए किया गया है। उनका विवरण इसके उपनियमों में वर्णित है, जो परिशिष्ट-1 पर लगा दिए गये हैं। संघ के उद्देश्यों के अनुरूप जिन कार्य योजनाओं का संचालन संघ द्वारा किया गया उसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा

...वास-मारवाड़ जंक्शन-भगवानपुरा
...तपुरा-प्याऊ-जैतपुरा-देवली-मुकनपुरा-प्याऊ-खिवाड़ा-टोकरला-
डायला-गुढ़ा-देवला-बागोल-गांधी-गुढ़ा असकरण प्याऊ-सुमेर-लांपी।

7. पाली-फालना वाया खुडार बाली-कोट-मुण्डारा-बावडी-सवाईगुढ़ा-धाणेराव-देसूरी-लापी-सुमेर-गांधी-बागोल-देवरोका गुढ़ा-डायलाना टोकरला-खिवाड़ा-गजनीपुरा-देवली-आउवा-मारवाड़ जंक्शन सूर्यनगर-छोटा-बिठुडा-बारसा-गोदावास-रामपुरा-खैरवा-बालेलाद उतवन।

8. पाली-देसूरी-वाया उतवन-बालेलाव-खोरवा-सपूणी-टेबाली-बूसी-निम्बाड़ा-सोमसरबदरलाउ-सेपटावा-डालकी-रूगणी-पिलावणी-गेन्दूडी-सेवास-खिवाड़ा-टोकरला-डायलाना-देवरोका-गुढ़ा-बागोल सेला-सेकर-बालढाणी-देवकी गुढ़ा भीमसिंह-सावलता-गुढ़ा मेघसिंह-पिलावणी।

...1969 में दान में प्राप्त हु... प्रकार संघ को 8758.95 वर्गगज का एक भूखण्ड संख्या-7बी, झालाना डूंगरी योजना में वर्ष 1984 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित हुआ। भवानीसिंह रोड पर स्थित भूखण्ड को राज्य सरकार के निर्णयानुसार नेहरू सहकार भवन के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी भवन प्रबन्ध सहकारी संघ, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया तथा इस स्थानान्तरित जमीन के एवज में नेहरू सहकारी भवन में 7777.69 वर्ग फीट निर्मित एरिया निःशुल्क प्राप्त हुआ। इसी प्रकार झालाना डूंगरी योजना में स्थित भूखण्ड की एवज में संघ को राजस्थान राज्य समन्वित सहकार भवन परिसर झालाना डूंगरी में 10100 वर्ग फीट निर्मित एरिया तथा होस्टल परिसर में 19500 वर्ग फीट निर्मित एरिया निःशुल्क प्राप्त हुआ।

शामिल ... संलग्न कर दी गई। जी हां। ... संस्थाओं की ऐसी सदस्यता पर राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(6) राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान के गठन से अब तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली राजकीय सहायता एवं सहकारी विभाग/संस्थाओं से प्राप्त सहायता/प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य वित्तीय स्रोतों का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(7) गठन से अब तक किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(8) राजस्थान राज्य सहकारी संघ के कार्यरत रहते हुए भी किसी अन्य शिक्षा

(सहकारिता मंत्री)

एवं प्रशिक्षण संस्थान के गठन/पंजीयन के बाबत राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भीलवाड़ा में अवैध खनन की रोकथाम

441. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में स्वीकृत खनिज लीज के अलावा मौके पर अन्यत्र वन भूमि में या अन्य प्रकार की भूमि में खनन कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खनिज विभाग की अनदेखी एवं मिलीभगत से स्वीकृत खनिज के नाम पर अन्य वन भूमि चारागाह व अन्य निजी भूमि में भी नाजायज खनन होने के प्रकरण पर उक्त के विरुद्ध कितने-कितने क्षेत्रफल के प्रकरण बनाए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार के नियम व नीति को विभाग नजरअन्दाज करके नाजायज खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करके प्रोत्साहित कर रहा है? उक्त सम्बन्ध में कहां-कहां नाजायज खनन वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत बाउण्डरी और नक्शे में हेराफेरी मिलीभगत से करके बड़ी मात्रा में वन भूमि, सिवाय चक व चरागाह में स्वीकृत खनिज क्षेत्र की आड़ में अन्यत्र खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में किस किस के द्वारा कहां-कहां उक्त कार्य हो रहा है? उक्त में विभाग ने कहां-कहां किस-किस के विरुद्ध कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला भीलवाड़ा में कितना क्षेत्रफल किस-किस को किस श्रेणी के खनिज के लिये स्वीकृत किया है? क्या उक्त स्वीकृत क्षेत्र में खनन हो रहा है या अन्य क्षेत्र में है? क्या सरकार ने मूल नक्शों व रेकार्ड के आधार पर कभी कोई भौतिक सत्यापन किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में वन भूमि तथा अन्य भूमि में अवैध खनन के कुछ मामले विभाग द्वारा पकड़े गये हैं। गत तीन वर्षों में पकड़े गये मामलों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दिया गया है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(2) यह सही नहीं है कि विभाग की अनदेखी एवं मिलीभगत से अवैध खनन किया गया है। कतिपय पट्टेधारियों द्वारा स्वीकृत खनिज के क्षेत्र के नाम से अन्यत्र भूमि पर खनन किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रकरण बना, कार्यवाही की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" में दिया गया है।

(3) जी नहीं। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया गया है।

(4) यह सही है कि कुछ पट्टधारियों द्वारा स्वीकृत बाउन्डरी और नक्शे में हेराफेरी कर कुछ मात्रा में वन भूमि, सिवायचक व चरागाह में स्वीकृत खनिज क्षेत्र की आड़ में अन्यत्र खनन किया गया है। ऐसे पट्टाधारियों के नाम व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दिया गया है।

(5) भीलवाड़ा जिले में प्रधान खनिजों के 148 खनन पट्टे व 161 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र तथा अप्रधान खनिजों के 115 खनन पट्टे व 2390 क्वारी लाइसेंस स्वीकृत हैं। स्वीकृत खनन पट्टों पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों व क्वारी लाइसेंसों की सूची नाम सहित संलग्न परिशिष्ट सं. 1, स–2, स–3 व स–4 में दी गई है। स्वीकृत क्षेत्रों के मूल नक्शों व रिकार्ड के आधार पर निरीक्षण के समय भौतिक सत्यापन कर यह देखा जाता है कि पट्टाधारी स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रहा है अथवा नहीं।

(परिशिष्ट पुस्तकालय शाखा में रख गये)

अजमेर में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वितरित गेहूं

442. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अजमेर शहर में अन्नपूर्णा योजना के तहत निःशुल्क गेहूं वितरण वर्तमान में कितने व्यक्तियों को किया जा रहा है? उक्त व्यक्तियों को प्रतिमाह कितना गेहूं दिया जाता है और इसकी पात्रता/मानदण्ड क्या रखे गए है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर शहर में अन्नपूर्णा योजना के तहत वर्तमान में 126 चयनित व्यक्तियों को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। पात्रता के अन्तर्गत 65 वर्ष से ऊपर ऐसे वृद्ध, निर्धन, अशक्त, असहाय, नागरिक आते हैं जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, किन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य पेंशन योजना के अन्तर्गत कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पात्रता/मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ 13(39)खा.वि./आबंटन/2000 जयपुर, दिनांक 19.4.2000

समस्त,
जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय : 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रयोजित ''अन्नपूर्णा'' योजना की अप्रैल, 2000 से क्रियान्विति बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अ.शा. पत्र क्रमांक 16011/1/9/1999 एन.एस.ए.पी. दिनांक 15.3.2000 की छाया प्रति एवं इस योजना की दिशा-निर्देशों की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि अप्रैल, 2000 से केन्द्र सरकार की योजना अनुसार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ''अन्नपूर्णा'' प्रारम्भ की जानी है, जिसके अन्तर्गत वृद्ध नागरिक, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, किन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज पेंशन योजना के अन्तर्गत कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को 10 किग्रा. खाद्यान्न प्रतिमाह नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रकार से लाभान्वित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिले में दी जा रही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनर्स की संख्या के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिलों में योजना की मानीटरिंग जिला कलक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा की जानी है तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायत के द्वारा की जानी है। योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों का निर्धारण करके अधिकारिता/राशनकार्ड का इस हेतु वितरण कराया जाना है।

योजना के सफल क्रियान्वयन की अग्रिम व्यवस्था हेतु निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/पालिका/परिषद् आदि की सहायता से ऐसे लाभार्थियों को तत्काल ही चिन्हित कराया जाकर दिनांक 30.4.2000 तक विभाग को सूची भिजवाया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें। साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुरूप उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को गेहूं वितरित कराये जाने सम्बन्धी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार। भवदीय

ह०/-
(अलका काला)
शासन सचिव

फूलवारी गेम सेंचुरी उदयपुर के निवासियों का अन्यत्र पुनर्वास

443. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1 जुलाई, 1980 से पूर्व राज्य की वन भूमि पर कुल 7554 कृषकों ने अतिक्रमण कर रखा था और उसमें से केवल 5096 कृषकों का अतिक्रमण ही नियमन योग्य पाया गया है? यदि हां, तो 2312 प्रकरण के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

(2) ''फूलवारी गेम सेंचुरी'' जिला उदयपुर में सेंचुरी घोषित होने के पूर्व किस-किस गांव में कितने आदिवासी परिवार निवास करते थे? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार फूलवारी गेम सेंचुरी में रहने वालों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वन भूमि पर आदिवासी कृषकों द्वारा दिनांक 1.7.1980 से पूर्व के अतिक्रमण के प्रकरणों में 9453 प्रकरण चिन्हित किए गए।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.4.1991 के अनुसरण में गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा इन 9453 प्रकरणों में से 5495 प्रकरण नियमन योग्य पाए। शेष 3958 प्रकरणों को समिति द्वारा नियमन योग्य नहीं माने जाने से समिति द्वारा निरस्त किए गए। जिन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) वन्य जीव अभ्यारण्य फूलवाड़ी जिला उदयपुर में अभ्यारण्य घोषित किए जाने से पूर्व 65 गांवों में 4526 आदिवासी परिवार निवास करते थे।

आदिवासी परिवारों की ग्रामवार संख्या की सूची संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-क

फूलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य घोषित होने से पूर्व (1983) अभ्यारण्य में निवास करने वाले आदिवासी परिवारों की ग्रामवार सूचना

क्र.सं.	अभ्यारण्य में स्थित गांव का नाम	आदिवासी परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	सूरा	19
2.	दोतड़	36
3.	आशावाड़ा	29
4.	मनासी	20
5.	आम्बा	7
6.	आमली	60
7.	मोरचुछा	102
8.	डिंगावरी	61
9.	घोडामारिया	69
10.	ऊपरली मालघर	8
11.	आडीवाला	24
12.	निचली मालघर	20
13.	कडुआ महुआ	3
14.	ढेडमारिया	106
15.	माहड़ी	304
16.	बोरड़ीकला	79
17.	बोरड़ी खुर्द	36
18.	गोदलवाड़ा	33

1	2	3
19.	खाखरीया	40
20.	पोपटाली	35
21.	तालाब	49
22.	सिशविया	38
23.	उमरीया	48
24.	अम्बादेह	78
25.	नाल	220
26.	सडा	269
27.	सावनक्यारा	121
28.	देहरी	84
29.	घाडामारी	58
30.	कोलधरा	27
31.	वाब विरान	3
32.	मामेर	255
33.	वासेला	74
34.	नाकोला	54
35.	हथरेटा	36
36.	भीमतलाई	26
37.	महोद	117
38.	बेडाघर	40
39.	डैया	16
40.	खारावाणी	21
41.	जैर	76
42.	खोखरा	42

1	2	3
43.	चौकी	15
44.	डुंगरीया	59
45.	अर्जुनपुरा	21
46.	पाथरपाडी	197
47.	लौहारी	27
48.	खाचण	15
49.	आडाहल्दू	25
50.	माण्डवा	89
51.	लथुनी	105
52.	अम्बावी	36
53.	टिण्डुरी	65
54.	टूण्डला	34
55.	बुजा	70
56.	डैया	109
57.	वाही घाटीया	114
58.	अम्बासा	195
59.	छाली बोकड़ा	48
60.	कवेल	72
61.	माल	22
62.	शरवण	136
63.	धरावण	154
64.	गामड़ी	70
65.	पीलक	5
	योग	4526

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धौलपुर की जिप्सी से दुर्घटना

444. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 फरवरी, 2002 को धौलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी जिप्सी से श्री विकास नाम के युवक के टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया गया?

(2) क्या उक्त दुर्घटना में घायल युवक धौलपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पुत्र थे जिसके कारण सभी न्यायालयों में हड़ताल हो गई? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घटना के विरुद्ध में आंदोलन के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली धौलपुर में दर्ज हुई? यदि हां, तो रिपोर्ट में दर्ज अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त तिथि को पुलिस कर्मियों ने न्यायिक सेवा में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

(5) क्या पुलिस की ज्यादती व आतंक के विरुद्ध धौलपुर के सभी वकीलों व न्यायिक अधिकारियों व न्यायिक कर्मियों ने आंदोलन किया है? यदि हां, तो सरकार उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है?

(6) वर्ष 2001-2002 में धौलपुर जिले में पुलिस के विरुद्ध कितने इस्तेमाल व शिकायतें न्यायालय या उच्च अधिकारियों को दर्ज करवाई गई तथा कितने प्रकरणों का किस प्रकार निष्पादन हुआ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि दिनांक 6 फरवरी, 2002 को धौलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री विकास सिंह के अपनी जिप्सी से टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया गया, क्योंकि दिनांक 6 फरवरी, 2002 को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। तथ्य यह है कि दिनांक 5.3.2002 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर की जिप्सी, जिसे चालक अनिल कुमार कानि. नं. 971 चला रहा था, का एक्सीडेंट स्कूटर नं. आरएनआर.-5352 जिसे श्री विकास सिंह चला रहे थे, से हुआ था।

(2) यह सही है कि दुर्घटना में घायल युवक श्री विकास सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री महेन्द्र सिंह के पुत्र हैं। इस घटना फलस्वरूप दिनांक 5.3.2002 से 8.3.2002 तक अभिभाषक संघ धौलपुर एवं न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। पुलिस द्वारा

(गृह मंत्री)

परिवादी श्री विकास सिंह की रिपोर्ट पर दुर्घटना सम्बन्धित अभियोग उसी दिन दर्ज किया गया है।

(3) उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में अभिभाषक संघ धौलपुर एवं न्यायिक कर्मचारियों द्वारा दिनांक 5.3.2002 से 8.3.2002 तक न्यायालय/कार्यालय का बहिष्कार किया गया था। उक्त दुर्घटना सम्बन्धित अभियोग प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 53/2002 धारा 279,323, 341, 504 भादस दि. 5.3.2002 को पुलिस थाना निहालगंज में श्री विकास सिंह की रिपोर्ट पर उसी समय दर्ज की गई थी। यह सही नहीं है कि यह अभियोग आन्दोलन के कारण दर्ज किया गया था। उक्त अभियोग का अनुसंधान जारी है।

(4) यह सही नहीं है कि दिनांक 6 फरवरी, 2002 को किसी पुलिस कर्मी ने न्यायिक सेवा में कार्यरत किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मी के साथ मारपीट की हो। दिनांक 6.3.2002 को वृत्ताधिकारी धौलपुर द्वारा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नवनिर्मित उद्यान में लघु शंका करते हुए मना करने पर वह बुरा मान गया और उसने एक झूठी शिकायत अभिभाषक संघ को की। चूंकि अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा पूर्व से ही उक्त स्कूटर दुर्घटना प्रकरण में कार्य का बहिष्कार कर रखा था, अतः इस झूठी शिकायत को भी उन्होंने मुद्दा बना लिया।

(5) यह सही नहीं है कि पुलिस की ज्यादती व आतंक के विरुद्ध धौलपुर के सभी वकीलों एवं न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आन्दोलन किया हो। धौलपुर के अभिभाषक संघ व न्यायिक कर्मियों ने भाग संख्या एक में उल्लिखित वाहन दुर्घटना के कारण दिनांक 5.3.2002 से 8.3.2002 तक कार्य का बहिष्कार किया था।

(6) जिले में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कुल 24 इस्तगासे न्यायालय से प्राप्त होने पर विभिन्न थानों पर अभियोग दर्ज हुए। इनमें से 14 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन, 1 में चालान पेश न्यायालय किया गया एवं 9 अभियोग अनुसंधानाहीन है। उच्चाधिकारियों को पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान 4 परिवाद प्राप्त हुए, जिन पर अभियोग दर्ज हुए हैं। ये चारों अभियोग अनुसंधानाधीन है।

ओम आयल मिल्स, खैरथल के निरीक्षण प्रतिवेदन में परिवर्तन

445. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल में ओम आयल मिल्स का निरीक्षण सचिव, कृषि

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उपज मण्डी समिति, खैरथल द्वारा दिनांक 10.11.1999 को किया गया था? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा तैयार किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन हटाकर दूसरा जांच प्रतिवेदन बनाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी?

(2) क्या उक्त शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच उपनिदेशक, मुख्यालय के द्वारा की गई थी? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त जांच में सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के द्वारा जांच प्रतिवेदन बदल देना सिद्ध पाया गया? यदि हां, तो सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल को निरीक्षण प्रदिवेदन बदलने, दूसरे निरीक्षण प्रतिवेदन में कम राशि का मण्डी शुल्क अपवंचन बताने का दोषी पाए जाने के बावजूद भी क्या उनके विरुद्ध 17 सी.सी.ए. में ही आरोप–पत्र जारी किया गया है?

(4) क्या सरकार सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के विरुद्ध अब 16 सी.सी.ए. में कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) अब तक इतने गम्भीर आरोप सिद्ध हो जाने के बावजूद भी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के विरुद्ध नियम-16 में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित निरीक्षण प्रतिवेदन हटाकर दूसरा निरीक्षण प्रतिवेदन बनाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। उपनिदेशक, मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.11.2000 से 10.11.2000 तक प्रकरण की जांच की गई।

(3) जी हां। सम्बन्धित दोषी सचिव को सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित किया गया हैं।

(4) जी हां। जांच को 16 सी.सी.ए. में परिवर्तित करने के आदेश दे दिए गए है।

(5) अनुशासिक अधिकारी निदेशक कृषि विपणन ने प्रकरण से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दोषी सचिव से प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षण उपरान्त सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। आरोपित अधिकारी के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. में कार्यवाही का निर्णय लिया जा चुका है। अत: शेष प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

446. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट केन्द्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण वर्ष 1994 में एवं हाल में भी हो चुका है? यदि हां, तो दोनों सर्वेक्षणों की रिपोर्ट मय नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त योजना से कितने ग्राम जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के एवं बाड़मेर शहर लाभान्वित होंगे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना को इसी वर्ष स्वीकृत करने की घोषणा की है?

(4) क्या सरकार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के ग्रामों एवं बाड़मेर शहर में पीने के पानी की गुणवत्ता में बड़ी गिरावट एवं पीने के पानी के घोर संकट को देखते हुये उक्त योजना का कार्य इसी वर्ष में शुरू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई योजना के प्रारम्भिक सर्वेक्षण वर्ष 1994 में पूर्ण कर योजना बनाई गई थी। अगस्त, 2001 में 1994 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ही योजना के तखमीने का पुनर्मूल्यांकन किया गया। वर्तमान में यह योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया में है। योजना में नक्शें एवं तखमीनों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) इस योजना के तहत जिला जैसलमेर के 161 गांव एवं जिला बाड़मेर के 412 गांव तथा बाड़मेर शहर को पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां।

(4) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के ग्रामों एवं बाड़मेर शहर में पेयजल की कमी को देखते हुए उक्त योजना तैयार की गई है तथा वर्तमान में स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। योजना की स्वीकृति तत्पश्चात् बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा सम्भाग की नगर परिषद् द्वारा स्थापित हाई मास्ट लाइटें

447. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन दिलावर)

(1) कोटा नगर निगम व हाड़ौती की नगर परिषदों/नगरपालिकाओं में कब कब कितने-कितने वाट-की हाई मास्ट लाइट कितनी कितनी लागत की लगाई गई है? नगर निगम/नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में उक्त हाई मास्ट लाइटों को सायं होने से प्रातः उजाला होने तक जलाया जावे तो कितनी बिजली का खर्चा आएगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं में कौन-कौन सी जगह ट्यूब लाइट कितने समय कब से कब तक जलती है?

(3) क्या हाई मास्ट लाइटें लगाने से पहले संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन कर लिया गया था कि उक्त संस्थाएं बिजली खर्च का भुगतान कर पाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) हाई मास्ट लाइट लगाने का ठेका उपरोक्त संस्थाओं द्वारा कब-कब किसको दिया गया? उक्त आर्थिक संकट में हाई मास्ट लाइटों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

उत्तर

(1) हाड़ौती क्षेत्र की नगरपालिकाओं में मात्र एक नगरपालिका बारां में एक हाई मास्ट लाइट वर्ष 2001-2002 में 6×2×400 वाट की राशि रुपए 3,60,000 की लगाई गई है। उक्त हाई मास्ट लाइट के सायं से प्रातः उजाला होने तक उपयोग करने पर प्रतिमाह कितना खर्च आता है उसका आकलन कराया जा रहा है।

(2) उक्त संस्थाओं में से जिस-जिस संस्था में जितने समय तक ट्यूबलाइट जलती है, उसका विवरण संलग्न है।

(3) लाइटें लगाने का कार्य नगरीय निकायों का है। वे अपने विवेक से लाइटें लगाती हैं इसलिए इस विषय में आर्थिक स्थिति या खर्च कर सकने का विश्लेषण राज्य स्तर पर वांछनीय नहीं था। वैसे बारां पालिका इस व्यय का भार उठाने में सक्षम है।

(4) नगरपालिका, बारां में एक हाई मास्ट लाइट फिलिप्स इण्डिया, न्यू देहली द्वारा लगाई गई है। एक हाई मास्ट लाइट लगाए जाने का निर्णय नगरपालिका, बारां द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही किया गया है।

हाड़ौती क्षेत्र की नगरपालिकाओं में टयूब लाइटें जलने के समय का विवरण

क्र.सं. 1	नाम नगर निगम/पालिका 2	टयूब लाइट जलने का समय 3
1.	नगर निगम, कोटा	सोलर टाइमर स्विच लगे हुए है जिनमें मौसम के अनुसार लाइटों के बन्द चालू होने का समय सैट किया जाता है।
2.	नगरपालिका, बारां	6.पी.एम. से 6 ए.एम.
3.	नगरपालिका, अन्ता	सूर्यास्त के पश्चात् जलती है एवं सूर्य निकलने से पहले बन्द कर दी जाती है।
4.	नगरपालिका, मांगरोल	सायंकाल से प्रातः काल तक जलती है।
5.	नगरपालिका, छबड़ा	सायं सूर्यास्त के आधा घंटे बाद जलती है एवं सूर्य उदय से 45 मिनट पूर्व बन्द कर दी जाती है।
6.	नगरपालिका बून्दी	सायं 6.30 से प्रातः 5.30 बजे तक।
7.	नगरपालिका, कापरेन	सायं 7.30 से प्रातः 6.00 बजे तक जलती है।
8.	नगरपालिका, लाखेरी	सायं 7.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक।
9.	नगरपालिका, केशोरायपाटन	सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक।
10.	नगरपालिका, इन्द्रगढ़	सायं 7.30 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक।
11.	नगरपालिका, झालावाड़	पालिका में वर्तमान में विद्युत कनेक्शन कटा हुआ है।

1	2	3
12.	नगरपालिका, झालरापाटन	शून्य
13.	नगरपालिका, पिडावा	रात्रि 7.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक।
14.	नगरपालिका भवानीमण्डी	स्वचालित टाइमर स्विच लगाए गए हैं।
15.	नगरपालिका, नैनवां	टयूब लाइट सैट नहीं लगा रखे हैं।
16.	नगरपालिका, कैथून	सूर्यास्त के पश्चात् जलाई जाती है एवं सूर्योदय से पूर्व बन्द कर दी जाती है।
17.	नगरपालिका, रामगंजमण्डी	सायं 6.45 से प्रात: 6.15।
18.	नगरपालिका, सांगोद	टयूब लाइटें नहीं लगाई गई है।
19.	नगरपालिका, अकलेरा	सूर्यास्त के पश्चात् जलती है एवं सूर्य निकलने से पहले बन्द कर दी जाती है।

मुण्डावर (अलवर) से संचालित परिवहन निगम बस सेवा

448. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर के मुण्डावर कस्बे में सायं 4 बजे के बाद कहां-कहां के लिये परिवहन निगम की बसें संचालित की जाती हैं?

(2) क्या तहसील हैडक्वार्टर मुण्डावर होने के कारण जयपुर एवं देहली के लिये सिधी बसें चलाई जाती हैं?

(3) क्या पथ परिवहन निगम की बस के लिये जो रूट पहले से खैरथल के लिये नेशलाइज है उक्त पर निगम बस संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे मार्गों को डी. नेशलाइज करने का विचार रखती है?

(4) क्या तहसील हैडक्वार्टर मुण्डावर के लिये बस स्टैण्ड की आवश्यकता है?

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(5) क्या सरकार उक्त मुख्यालय पर बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मुण्डावर कस्बे में सायंकाल 4 बजे के बाद निगम की बसें कोटपूतली, खैरथल, बहरोड़ एवं मुण्डनवाड़ा के लिए संचालित की जाती हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। निगम की वित्तीय स्थिति व संसाधनों की कमी को देखते हुये फिलहाल बस स्टैण्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में किसानों की हिस्सा राशि

449. श्री अमीन खान (शिव): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक किसानों से 12% से अधिक हिस्सा राशि लेकर ऋण दे रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त ऋण गरीब किसानों को महंगा पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार हिस्सा राशि कम करने का विचार रखती है?

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कितनी हिस्सा राशि जमा है? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने हिस्सा राशि का मुनाफा वितरित किया है?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जो सीधा कृषकों को ऋण दिया जाता है इस पर बैंक द्वारा हिस्सा राशि नहीं ली जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां की 103.39 करोड़ रुपये हिस्सा राशि के रूप में जमा हैं। बैंकवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	नाम बैंक केन्द्रीय सहकारी	केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस के माध्यम से वर्ष, 2001-2002 के अन्त में जमा हिस्सा राशि (राशि लाखों में) ग्राम सेवा सहकारी समितियां/पैक्स की हिस्सा राशि जो केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा हैं (31.3.2002)
1.	अजमेर	375.36
2.	अलवर	733.75
3.	बांसवाड़ा	193.53
4.	बाड़मेर	572.95
5.	भरतपुर	678.78
6.	भीलवाड़ा	308.48
7.	बीकानेर	242.91
8.	बून्दी	300.34
9.	चित्तौड़गढ़	370.34
10.	चूरू	415.56
11.	डूंगरपुर	141.67
12.	जयपुर	606.62
13.	जैसलमेर	774.42
14.	जालौर	399.15
15.	झालावाड़	386.38
16.	झुंझुनूं	388.86
17.	जोधपुर	423.30
18.	कोटा	669.60
19.	नागौर	531.63
20.	पाली	478.09
21.	श्रीगंगानगर	1017.06
22.	सवाईमाधोपुर	522.39
23.	सीकर	510.64
24.	सिरोही	147.16
25.	टोंक	421.99
26.	उदयपुर	424.55
	योग	10339.00

तहसील सोजत व रायपुर (पाली) में बजरी ठेकेदारों द्वारा जबरन रायल्टी की वसूली

450. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील सोजत व रायपुर (पाली) की किन-किन नदियों में बजरी उठाने के ठेके किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि पर वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में दिये गये? ठेकेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नदियों का ठेका देने के बाद स्थानीय ग्रामवासियों को व ग्राम पंचायतों को स्थानीय निर्माण कार्यों पर भी रायल्टी देनी पड़ती है? यदि हां, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो ठेकेदारों द्वारा जबरन वसूली के विरुद्ध सरकार क्या ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही कर रही है?

(3) बजरी ठेके पर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस-किस वर्ष से निर्णय कर बजरी के ठेके प्रारम्भ किए? उक्त सम्बन्ध में किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सोजत व रायपुर (पाली) क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में बजरी पर अधिशुल्क व परमिट शुल्क वसूली हेतु दिए गए ठेकों का विवरण क्रमशः संलग्न प्रपत्र ''अ'' व ''ब'' में है।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 58 में काश्तकारों आदि को स्वयं के उपयोग के लिए ऐसे क्षेत्रों से जो खनन पट्टे आदि पर स्वीकृत नहीं हो, साधारण मिट्टी, बजरी, ईंट बनाने योग्य क्ले, चेजा पत्थर जैसे खनिजों का खनन करने पर रैंट व रायल्टी की छूट का प्रावधान है, बशर्ते कि उसके लिए पंचायत, पटवारी या खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से नियमानुसार परमिट प्राप्त कर लिया गया हो। नियम 58 संलग्न परिशिष्ट ''स'' में उद्धृत है।

यदि किसी ठेकेदार द्वारा नियमानुसार पंचायत अथवा पटवारी का परमिट होने के उपरान्त भी जबरन रायल्टी वसूली की जाती है तो नियमानुसार ठेका खण्डित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

(3) बजरी के ठेके देने के लिए शासन द्वारा दिनांक 10.12.1986 को निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को निर्देश दिए गए। तद्नुसार निदेशालय ने दिनांक 19.2.1987 को परिपत्र जारी कर दिशा-निर्देश जारी किए। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट ''द'' संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में उचित मूल्य की सामग्री वितरण में अनियमितता

451. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में चयनित परिवारों को किस-किस उचित मूल्य की वस्तुओं का किस-किस योजना के अन्तर्गत किस-किस माह कितना कितना वितरण हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कुछ पंचायतों में चयनित परिवारों के उचित मूल्य की वस्तुओं का नियमित वितरण नहीं किया गया? यदि हां, तो उक्त डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उचित मूल्य कि वस्तुओं के वितरण की कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो उक्त डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कुल 81 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में चयनित परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा तथा बी.पी.एल. योजनाओं के तहत वितरित की गई उचित मूल्य वस्तुओं की सूची माहवार सदन की मेज पर रख दी गई है। निर्धारित दुकानों से केरोसीन उन सब राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाता हैं जिनके पास डबल गैस सिलेण्डर वाले रसोई गैस कनेक्शन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में चयनित परिवारों को उचित मूल्य वस्तुओं का नियमित वितरण नहीं करने के दोषी 15 डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही कर 975/- रु. प्रतिभूति राशि जब्त की गई है।

(4) उक्त क्षेत्र में उचित मूल्य की सामग्री के वितरण के सम्बन्ध में 12 शिकायतें दर्ज हुई। शिकायतों पर कार्यवाही कर 3 डीलरों के प्राधिकार-पत्र निरस्त किये गये, 6 डीलरों की प्रतिभूति राशि जब्त की गई, 1 डीलर के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा 1 प्रकरण में नियम 6 ए. के तहत कार्यवाही की गई।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गढ़ी (अलवर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

452. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गढ़ी तहसील मुण्डावर में दिनांक 14.2.2002 को शहीद श्री दारासिंह की अन्त्येष्टि की गई थी? क्या उक्त दिन पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारी भी ग्राम गढ़ी, तहसील मुण्डावर (अलवर) में मौजूद थे?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री जगदीश वल्द श्री हीरालाल ग्राम गढ़ी, तहसील मुण्डावर (अलवर) में ग्राम गढ़ी, के समस्त लोगों का रास्ते पर विवाद था और उक्त ने ग्राम के सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे रोक रखा था और प्रशासन के द्वारा रास्ता खुलवा दिया था लेकिन उक्त द्वारा फिर रास्ता रोक दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि शहीद की जहां अन्त्येष्टि की जानी थी उक्त स्थल पर उसी रास्ते होकर जाना था? ग्रामवासियों एवं प्रशासन ने जब वह रास्ते का अतिक्रमण हटाया तो श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री जगदीश ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बाबत दिनांक 15.2.2002 को थाना मुण्डावर में गांव के लोगों के विरुद्ध दफा 302 में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी? क्या मुकामी पुलिस बेवजह ग्राम वालों को तंग कर रही है? क्या उक्त घटनाक्रम के समय पुलिस भी घटना स्थल पर मौजूद थी और जानती थी कि यह आत्महत्या का केस है?

उत्तर

(1) ग्राम गढ़ी तहसील मुण्डावर (अलवर) में दिनांक 15.2.2002 को शहीद धाराचन्द की अन्त्येष्टि की गई थी। शहीद का नाम दारासिंह नहीं है तथा अन्त्येष्टि भी दिनांक 14.2.2002 को नहीं हुई। अन्त्येष्टि के समय एस.डी.एम. उप अधीक्षक पुलिस व थानाधिकारी, थाना मुण्डावर मौजूद थे।

(2) यह सही है कि जगदीश पुत्र हीरालाल अहीर का ग्रामवासियों से रास्ते के अतिक्रमण को लेकर विवाद था। जगदीश ने ग्राम के सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था। दिनांक 21.12.1999 को प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खुलवा दिया था। परन्तु अतिक्रमण का मलबा रास्ते पर ही पड़ा था। दिनांक 13.3.2001 को राजस्व विभाग द्वारा पेमाइश करा कर पत्थरगढ़ी कराई गई थी। दिनांक 16.6.2001 को ए.सी.एम. मुण्डावर, तहसीलदार, विकासाधिकारी, उप अधीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, थाना मुण्डावर द्वारा ग्राम गढ़ी में पहुंच उक्त अतिक्रमण के मलबे को हटवाया गया।

(3) जिस स्थल पर शहीद धाराचन्द की अन्त्येष्टि होनी थी उस स्थान पर

(गृह मंत्री)

विवादित रास्ते से होकर जाना था। रास्ते में कीचड़ व पानी होने के कारण ग्रामवासियों ने उसमें मिट्टी डाली थी, इस बात से खिन्न होकर श्रीमती विद्यादेवी ने कुएं में कुद कर आत्महत्या कर ली थी। घटना के समय मुकामी पुलिस मौके पर नहीं थी। घटना की सूचना मिलने पर ही पुलिस वहां पहुंची थी।

(4) थाना मुण्डावर में दिनांक 14.2.2002 को उक्त घटना के संबंध में श्री रणवीर पुत्र जगदीश की रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 54/2002 धारा 143, 447, 323, 302, भा.द.स. पंजीबद्ध किया गया था। घटना के समय मुकामी पुलिस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। अब तक के अन्वेषण से मामला आत्महत्या का पाया गया है। अभियोग का अन्वेषण जारी है।

कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर द्वारा नीलामी में आबंटित दुकान

453. श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (ऊन, फल व सब्जी) बीकानेर द्वारा अपनी बैठक दिनांक 13.7.1998 एवं 15 व 16.7.1998 में कितने लोगों को उक्त मण्डी में नीलामी की प्रक्रिया से कितनी भूमि किस रेट पर किन-किन व्यक्तियों को आबंटित की थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषि उपज मण्डी (ऊन, फल व सब्जी) ने उक्त नीलामी के माध्यम से आबंटित दुकानों के भूखण्डों को 1999 वर्ष की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये जाने हेतु तत्कालीन निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय को दिनांक 29.12.1998 को पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री को अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति (ऊन, फल व सब्जी), बीकानेर द्वारा दिनांक 1.12.1999 को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रतिवेदन में निदेशक एवं कनिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा भूखण्ड आबंटन में स्वीकृति देने बाबत रुपये 10.00 लाख रिश्वत मांगे जाने की ओर ध्यानाकर्षित किया गया था? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री द्वारा उक्त मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो किस अधिकारी से? उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या निदेशक, कृषि विपणन द्वारा दिनांक 28.4.1999 को कृषि उपज

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मण्डी समिति (ऊन, फल व सब्जी) बीकानेर द्वारा किए गए 2046 भूखण्डों की नीलामी की स्वीकृति रद्द कर दी? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त आबंटन मुख्यत: किस आधार पर निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त आबंटन को दिनांक 28.4.1999 को निरस्त करने के पश्चात् राज्य सरकार ने नई नीलामी की कार्यवाही करने के लिए क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि बीकानेर ऊन एसोसिएशन ने राज्य सरकार व कृषि उपज मण्डी समिति बीकानेर के विरुद्ध इसी प्रकरण को लेकर रिट याचिका प्रस्तुत की है? यदि हां, तो उक्त रिट याचिका में क्या कोई अन्तरिम आदेश राज्य सरकार व कृषि उपज मण्डी समिति के विरुद्ध पारित किया गया है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

(2) जी हां। वांछित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है।

(3) जी नहीं। दिनांक 1.12.1999 का कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (ऊन, फल व सब्जी) में अध्यक्ष नहीं अपितु प्रशासक कार्यरत थे। अत: ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का ज्ञापन विभाग को प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं होता।

(5) जी हां। संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट ''स'' पर है।

(6) संदर्भित नीलामी में आरक्षित दर कम निर्धारित किये जाने एवं गैर अनुज्ञापत्रधारियों को नीलामी में शामिल किये जाने हेतु समुचित विज्ञप्ति का प्रसारण नहीं किये जाने के कारण आबंटन निरस्त किया।

(7) पुन: नीलामी के निर्देश दिए गए थे लेकिन न्यायालय के अन्तरिम आदेश यथास्थिति के कारण नीलामी नहीं की जा सकी है।

(8) जी हां। अन्तरिम आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट ''द'' पर है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जर्मन सरकार के सहयोग से आपणी योजना में खरीद में अनियमितता की जांच

454. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) जर्मन सरकार के सहयोग आपणी योजना का प्रथम व द्वितीय चरण कब पूरा हो जाना चाहिए था? उक्त दोनों चरणों में कितना विलम्ब हुआ व कितनी राशि व्यय होनी चाहिए थी एवं कितनी राशि व्यय हुई, कितने गांव लाभान्वित होने चाहिए और कितने हुये?

(2) क्या आपणी योजना अन्तर्गत बल्कवाटर मीटर खरीदने ए.सी. पाइप खरीदने, पाइपरिंग आपूर्ति में विलम्ब होने सम्बन्धी कोई शिकायत प्रकाश में आई? क्या वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में वरिष्ठ उप महालेखाकार ने कोई टिप्पणी की है? क्या सरकार उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या मुख्य अभियन्ता पी.एम.सी. पी.एच.डी. ने तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण) के वित्तीय नियमों के विरुद्ध पाइप व रिंग सप्लाई करने वाली फर्म फिनोलेक्स इण्ड. लिमिटेड पूने को परोक्ष रूप से अदेय लाभ व सरकार को हानि सम्बन्धी कोई पत्र या टिप्पणी सरकार को भेजी है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मुख्य अभियन्ता व वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण) के पत्र/टिप्पणी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रथम चरण वर्ष 1999 में पूरा होना था तथा द्वितीय चरण अभी जर्मन सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। प्रथम चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रथम चरण में 402.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति है एवं फरवरी, 2002 तक 300.236 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है व प्रथम चरण के अन्तर्गत 370 गांव लाभान्वित होने थे उनमें से फरवरी, 2002 तक 141 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) जी हां। शिकायत तथा वरिष्ठ उप-महालेखाकार कार्यालय से आपत्ति प्राप्त हुई थी। मामले के तथ्य एकत्र कर प्राथमिक रूप से शिकायत में तथ्य पाए जाने पर शिकायत की जांच करवाने बाबत निर्णय लिया जाएगा। प्रकरण विचाराधीन है।

(3) फर्म द्वारा पाइप सप्लाई करने के सन्दर्भ में डिलिवरी काल गणना करने हेतु ड्राइंग की स्वीकृति दिनांक को आधार मानने बाबत वित्तीय समिति के निर्णय पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई आपत्ति के सन्दर्भ में निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद् ब्यावर में कार्यरत सफाई कर्मियों की वरिष्ठता का निर्धारण

455. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. के. सी. चौधरी)

(1) क्या नगर परिषद् ब्यावर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का वरिष्ठता निर्धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण का कार्य कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार नगर परिषद् ब्यावर में रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रतिबन्ध में ढील देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ब्यावर शहर की वर्तमान जनसंख्या के मद्दे नजर नगर परिषद् ब्यावर में सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, ब्यावर के सफाई कर्मचारियों का वरिष्ठता निर्धारण कार्य प्रारम्भ किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। आपत्तियों पर सुनवाई की जाकर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(2) नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(3) इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी फिलहाल नहीं।

राजस्थान पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्डों पर स्टाल आबंटन में आरक्षण

456. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा स्थापित बस स्टेण्डों पर आबंटित की जाने वाली स्टालों के आबंटन के क्या मानदण्ड है?

(2) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को उक्त स्टालों के आबंटन में प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को कितना आबंटन किया?

(3) क्या सरकार बस स्टेण्डों पर आबंटित स्टालों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम की निर्धारित नीति अनुरूप खुली निविदाओं के आधार पर उच्चतम दर पर स्टाल आबंटन करने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उत्तर के प्रथम बिन्दु में स्टाल आबंटन की निर्धारित नीति का वर्णन किया गया है।

कोटा सैंट्रल काआपरेटिव बैंक, कोटा के विरुद्ध विचाराधीन जांचें

457. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना), **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप पंजीयक, सहकारी समितियां जिला-कोटा के पास शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा रजिस्ट्रेशन नं. 696 लि. कोटा व कोटा सैंट्रल काआपरेटिव बैंक लि. कोटा के विरुद्ध अगस्त, 2000 से 10 मार्च, 2002 तक कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई तथा शिकायत की जांच हेतु किस-किस अधिकारी को लगाया गया तथा उसने कब-कब जांच प्रारम्भ की तथा जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या निष्कर्ष रहे? निष्कर्षों के आधार पर किसको पुरस्कृत या दण्डित किया गया?

(2) क्या उक्त जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर प्रबन्धक कोटा सैंट्रल बैंक को आरोप पत्र दिया गया था उनको बाद में निलम्बित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त मामले की धीमी गति से जांच की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला कोटा के पास अगस्त, 2000 से 10 मार्च, 2002 तक की अवधि में शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा रजिस्ट्रेशन नम्बर-696 लि. कोटा के विरुद्ध 4 एवं कोटा सैंट्रल काआपरेटिव बैंक लि. कोटा के विरुद्ध 8 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायते किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई तथा शिकायत की जांच हेतु किस अधिकारी को लगाया गया तथा उसने कब जांच प्रारम्भ की एवं जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या निष्कर्ष रहे एवं निष्कर्षों के आधार पर किसको पुरस्कृत या दण्डित किया गया, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जांच में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर कोटा सैंट्रल काआपरेटिव बैंक के प्रबन्धक विकास श्री बृजमोहन शर्मा को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था, परन्तु उन्हें निलम्बित नहीं किया गया था।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कोटा को शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा एवं कोटा सैंट्रल काआपरेटिव बैंक लि. के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों व शिकायतों पर सम्पन्न कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	नाम संस्था जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतकर्ता का नाम	जांच अधिकारी का नाम	जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रारम्भ करने की दिनांक	जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने का दिनांक	जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष	निष्कर्षों के आधार पर पुरस्कृत या दण्ड का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा नं. 696 आर	श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त महामंत्री हिन्द मजदूर सभा, कोटा	श्री मौसरिया लाल मीणा निरीक्षक (कार्य)	21.8.2001	27.10.2001	संचालक मण्डल द्वारा वरीयता को नजरअंदाज कर ऋण प्राप्त किया साथ ही श्री बाबूलाल मीणा संचालक एवं ईश्वर सिंह मंत्री द्वारा स्वीकृत ऋण से अधिक ऋण प्राप्त कर अनियमितता की गई।	दण्ड/पुरस्कार का निर्णय विचाराधीन कार्यवाही अन्तिम रूप से निस्तारण होने पर लिया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा नं. 696 आर	श्री लीलाधर मेहता जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संघ	श्री मौसरिया लाल मीणा निरीक्षक (कार्य)	22.5.2001	16.6.2001	जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।	दण्ड/पुरस्कार का निर्णय विचाराधीन कार्यवाही अन्तिम रूप से निस्तारण होने पर लिया जायेगा।
3.	,, ,,	जनधारणा के अंक 52	श्री अमित कुमार वैध, निरीक्षक (कार्य.) से श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा निरीक्षक (कार्य.)	18.1.2002	जांच जारी है	–	,, ,,
4.	,, ,,	श्री नरेन्द्र कुमार संयुक्त महामंत्री, राज. प्रदेश हिन्द मजदूर सभा, कोटा	श्री वत्सराज जैन निरीक्षक (कार्य.)	29.1.2002	28.2.2002	कार्यकारिणी द्वारा नियमों के विपरीत कार्य किया गया है।	,, ,,
5.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. कोटा	श्री शिवनारायण नागर, विधायक बारां	श्री त्रिभुवन सिंह सिसोदिया उप रजिस्ट्रार स.स. कोटा	10.12.2001	3.1.2002	बैंक द्वारा दायर निगरानी में दिनांक 7.10.1997 में निर्देश पारित करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार कोटा के आदेश दिनांक 30.12.1992 को निरस्त कर दिया।	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कोटा	श्री बद्रीलाल पुत्र नारायण मीणा निवासी खेड़ली नोनेरा, तह. पीपल्दा	श्री रमेशचन्द गुप्ता तकनीकी सहायक (सहकारी आपके द्वार अभियान में)	16.2.2001	1.3.2001	श्री मदन मोहन विजय, शाखा प्रबन्धक बैंक शाखा इटावा द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता करना पाया गया।	दण्ड/पुरस्कार का निर्णय विचाराधीन कार्यवाही अन्तिम रूप से निस्तारण होने पर लिया जायेगा।
7.	,, ,,	श्री रामकल्याण पुत्र किशन लाल मीणा, दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा निरीक्षक (कार्य.)	21.5.2001	3.8.2001	श्री मदन मोहन विजय, शाखा प्रबन्धक बैंक शाखा इटावा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होना पाया गया।	,, ,,
8.	,, ,,	श्री हेमराज नागर ग्राम जोरावरपुरा तह. पीपल्दा	श्री त्रिभुवन सिंह सिसोदिया, उप रजिस्ट्रार, स.स. कोटा	18.8.2001	4.9.2001	ऋण वितरण में अनियमितता के लिए श्री दयाकृष्ण योगानन्दी शाखा प्रबन्धक बैंक दोषी पाये गये।	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कोटा	श्री मनोहर पारीक सम्पादक जनधारणा पक्ष	श्री जयदेव देवल विशेष लेखा अंकेक्षक, कोटा	27.2.2002	जांच कार्यवाही जारी है	–	दण्ड/पुरस्कार का निर्णय विचाराधीन कार्यवाही अन्तिम रूप से निस्तारण होने पर लिया जायेगा।
10.	,,	,,	श्री राधेश्याम गौतम अध्यक्ष राज. काआपरेटिव बैंक एम्पलाइज (एटक) कोटा	श्रीमती बीना बैरवा समवर्ती अंकेक्षक, केन्द्रीय सह. बैंक लि. कोटा	30.7.2001	जांच कार्यवाही जारी है	–	,, ,,
11.	,,	,,	श्री बद्रीलाल पुत्र नेनू गोस्वामी मांगरोल जिला बारां	श्री मौसरियालाल मीणा निरीक्षक, कार्य.	14.9.2001	20.12.2001	ऋण वितरण में अनियमितता के लिए ओमप्रकाश विजय, शाखा प्रबन्धक बैंक दोषी पाये गये।	,, ,,
12.	,,	,,	श्री सत्यनारायण पुत्र छोटूलाल मीणा निवासी कीचल हेड़ा, तह. लाडपुरा	श्री त्रिभुवन सिंह सिसोदिया उप रजिस्ट्रार सह. समितियां, कोटा	26.2.2002	4.4.2002	अनियमित ऋण वितरण में श्री कल्याण सिंह हाडा शाखा प्रबन्ध कैथन एवं श्री बृजमोहन शर्मा, प्रबन्धक (विकास) बैंक दोषी पाये गये।	,, ,,

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा हेतु आबंटित केरोसीन

458. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद के किस-किस ग्राम पंचायत/नगरपालिका क्षेत्र में किस-किस डीलर को कितना-कितना केरोसीन आबंटित किया जा रहा है? क्या यह पर्याप्त है?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा तहसील में ग्राम पंचायतों को 86,800 लीटर नगर पालिका, छबड़ा में 32,200 लीटर तथा छीपाबड़ौद में 1,15,000 लीटर आबंटित किया गया है। डीलर्स एवं उन्हें आबंटित मात्रा की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आबंटन को जिलों में गैस कनेक्शन को ध्यान में रख कर राशन कार्डों के अनुपात के आधार पर आबंटन कर दिया जाता है तथा जिला प्रशासन द्वारा उन्हें प्राप्त आबंटन का स्थानीय आवश्यकता के अनुसार केरोसीन का उप आबंटन किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर में सेवण घास संरक्षण की योजना

459. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि वन विकास हेतु आरक्षित है?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में ओरण एवं गौचर में आरक्षित भूमि को परिवर्तित अन्य कार्यों हेतु कर रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान में धोरा स्थरीकरण में जो भूमि वन विभाग ने आरक्षित की थी उसको पुन: खुली छोड़ दी गई है?

(4) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में वन विकास की योजना है उक्त का कुल भूमि का कितना प्रतिशत है?

(5) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले में कई वर्षों से प्रतिवर्ष करीब पन्द्रह करोड़ की राशि व्यय की जा रही है?

(6) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सेवण घास संरक्षण हेतु गोल्डन ग्रास योजना स्वीकृत हुई है जिसकी राशि पशुपालन विभाग को दी है?

(7) क्या यह भी सही है कि वन विकास हेतु विभिन्न एर्जेसियों कार्य कर

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

रही हैं जिनका आपस में समन्वय नहीं है?

(8) क्या सरकार कोई वन नीति बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वन विकास हेतु पृथक से कोई भूमि आरक्षित नहीं है। प्रदेश में कुल 32,488 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.48 प्रतिशत है। इन वन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त वृक्षविहीन पड़त भूमि पर राजस्व विभाग की सहमति से तथा समुदायिक भूमि पर ग्राम पंचायत की सहमति से वन विकास कार्य कराये जाते हैं।

(2) वन विभाग द्वारा ओरण एवं गौचर भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास कार्य स्थानीय जनता की सहमति से ही कराये जाते हैं। ऐसी भूमि को विभाग द्वारा अन्य कार्य हेतु परिवर्तित करने हेतु सक्षम नहीं है।

(3) जी हां। पश्चिमी राजस्थान में जिस भूमि पर टिब्बा स्थिरीकरण हेतु वन विभाग वृक्षारोपण करता है उसे वृक्षारोपण के पश्चात् जब पेड़ पशुओं की चराई के नुकसान से सुरक्षित हो जाता है तब चराई हेतु खोल दिया जाता है।

(4) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्शाया गया है।

(5) वन विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में गत 5 वर्षों में वन विकास पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''ख'' में दर्शाया गया है।

(6) जैसलमेर जिले के लिये सेवण घास के संरक्षण एवं उत्पादन हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना को पायलट बेसिस पर प्रारम्भ करने की दृष्टि से पशुपालन विभाग को 16.50 लाख रुपये वर्ष 2000-2001 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जैसलमेर द्वारा आबंटित किये गये हैं।

(7) जैसलमेर जिले में वन विकास कार्य कराने वाली विभिन्न एर्जेसियों जैसे वन विभाग, केन्द्रीय रुक्ष अनुसंधान संस्थान, जलग्रहण विकास समितियां, पशुपालन विभाग इत्यादि के मध्य समुचित समन्वय नहीं होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(8) भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति राज्य ने भी लागू की हुई है, अत: पृथक से राज्य में वन नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट "क"

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के उपनिवेशन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षण की व्यवस्था

क्र.सं.	नहर	वृक्षारोपण की व्यवस्था (मेंडेटरी स्ट्रीप)
1.	मुख्य नहर	बायीं ओर 200 मीटर तथा दायीं ओर 100 मीटर चौड़ाई में।
2.	ब्रांच नहर	बायीं तथा दायीं दोनों ओर 100 मीटर चौड़ाई में।
3.	वितरिका	बायीं तथा दायीं दोनों ओर 50 मीटर चौड़ाई में।
4.	माइनर	बायीं तथा दायीं 25 मीटर चौड़ाई में।
5.	आबादी वृक्षारोपण	प्रत्येक चक, जो 64 मुरब्बे का होता है, में दो मुरब्बे में आबादी वृक्षारोपण।

परिशिष्ट "ख"

जैसलमेर जिले में वन विभाग द्वारा एवं वर्ष 1996-97 से जिलों में मरू विकास योजना में जल संरक्षण/कलक्टर योजना लागू हो जाने से कलक्टर कमेटियों द्वारा गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	विभाग द्वारा व्यय की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	कलक्टर/जलग्रहण समितियों द्वारा व्यय (करोड़ रुपयों में)	योग (करोड़ रुपयों में)
1.	1996-1997	8.99	2.20	11.19
2.	1997-1998	8.87	3.51	12.38
3.	1998-1999	8.40	4.36	12.76
4.	1999-2000	9.18	3.25	12.43
5.	2000-2001	14.71	5.89	20.60

पुलिस थाना मोलासर (नागौर) के निरीक्षक के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

460. श्री अमराराम (धोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस थाना, मोलासर जिला नागौर के पुलिस निरीक्षक श्री राकेश सोनी पर किसान नेता श्री लाखाराम पर जीप से प्राण घातक, हमला करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट 307 में कितनी तारीख को दर्ज की गई और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त निरीक्षक के विरुद्ध कितनी शिकायतें विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त प्रकरण के दर्ज होने के कितने दिन बाद उक्त निरीक्षक को थाने से हटाया गया है?

(4) उक्त परिवाद की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और अब तक चालान पेश नहीं होने के क्या कारण हैं?

(5) अब कब तक चालान न्यायालय में पेश कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पुलिस थाना, मोलासर, जिला नागौर के पुलिस उप निरीक्षक श्री राकेश सोनी के विरुद्ध श्री लाखाराम पर जीप से हमला करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2001 धारा 307,323/34 आई.पी.सी. दिनांक 4.12.2001 को थाना मोलासर पर दर्ज की गई। अभियोग का अनुसंधान उप निरीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया। तत्पश्चात् महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज के आदेशानुसार वर्तमान में पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(2) उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध अब तक कुल पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त पांच में से जांच से तीन असत्य पायी गयीं। एक की जांच जारी है तथा एक परिवाद के सही पाए जाने पर उप निरीक्षक के विरुद्ध 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

(3) उक्त प्रकरण 4.12.2001 को दर्ज हुआ तथा दिनांक 28.12.2001 को थाना अधिकारी को पुलिस लाइन, नागौर में लगाया गया।

(4) उक्त प्रकरण की तफतीश पुलिस उपअधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

(5) वर्तमान में प्रकरण का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति पाली के विरुद्ध जांच

461. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, पाली के सचिव के विरुद्ध अतिरिक्त कलक्टर, पाली ने जांच कर प्रतिवेदन निदेशक, कृषि विपणन को भिजवाया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त जांच में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली को भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों में दोषी पाया? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त कलक्टर, पाली ने सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के भ्रष्ट आचरण एवं उसका व्यापारियों के साथ खराब व्यवहार की शिकायतें भी निदेशक, कृषि विपणन को की गई थी? यदि हां, तो कब-कब की गई? उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पाली जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में भी सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया? यदि हां, तो क्या? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जांच प्रतिवेदन उनके पत्र दिनांक 29.1.2002 एवं दिनांक 5.2.2002 द्वारा भिजवाये गये।

(2) जी हां। जानकारी के आधार पर भेजे गए जांच प्रतिवेदन की प्रतियां परिशिष्ट "अ" एवं "ब" संलग्न है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(4) दिनांक 2.3.2002 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति, पाली की बैठक में प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा सचिव, पाली के प्रकरण में प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट देने एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली को अपने व्यक्तिगत व्यवहार एवं कार्यशैली में सुधार लाने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक कार्यवाही के सम्बन्धित अंश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) निदेशालय के उच्चाधिकारियों से पुन: जांच करवाई जा रही है। जांच निष्कर्ष उपरान्त कार्यवाही सम्भव होगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

462. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने कस्बों, ग्रामों एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वे किया गया था? उक्त में से कितने ग्रामों में किन-किन स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया गया तथा शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों में कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा?

(2) क्या यह सही है कि तीन वर्ष व्यतीत होने एवं सर्वे होने के पश्चात् भी सर्वेशुदा ग्रामों/ढाणियों में कार्य शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक कार्य शुरू कर उक्त ग्रामों में पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त क्षेत्र हेतु वर्ष 2002-2003 में शेष रहे कितने ग्रामों/ढाणियों में सुलभ पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन से पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 1991 की जनगणना के अनुसार 182 गांव तथा 1 शहर है जो विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित है :-

योजना का प्रकार	लाभान्वित गांवों की संख्या
पाइप्ड योजना	4
पम्प व टैंक योजना	15
क्षेत्रीय जल योजना	70
जनता जल योजना	11
हैण्ड पम्प योजना	82
योग	182

क्षेत्र में स्थित एक शहर टोडाभीम पाइप्ड योजना से लाभान्वित है। इस क्षेत्र में कुल 187 चिन्हित ढाणियां हैं जिनमें से 176 हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित की जा चुकी है तथा शेष 11 चिन्हित ढाणियों हेतु हैण्ड पम्प योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है जहां कार्य प्रगति में है एवं जिन्हें ग्रीष्म 2002 में लाभान्वित करना लक्षित है। ढाणियों के चिन्हीकरण का कार्य वर्ष 1991 तथा वर्ष 1996 में करवाया गया था जिसके अनुसार क्षेत्र में कुल 187 ढाणियां चिन्हित हुई जिनका विवरण उपरोक्तानुसार है। इसके बाद इस बाबत चिन्हीकरण प्रक्रिया नहीं की गई। नये

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सर्वेक्षण के बाबत निर्णय भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न में इंगित समय वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक चिन्हीकरण बाबत कोई सर्वेक्षण नहीं किया। परन्तु सतत् प्रक्रिया के रूप में पेयजल उपलब्धि बाबत सर्वेक्षण किया जाता है ताकि संवर्धन योजना बनाकर स्वीकृत कर उनका क्रियान्वयन प्राथमिकता पर किया जा सके। अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 तक उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् इस क्षेत्र हेतु कुल 37 योजनाएं 422.32 लाख रु. लागत की स्वीकृत की गई जिनमें से 15 योजनाएं पूर्ण कर 19 ग्रामों तथा एक कस्बा टोडाभीम को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 22 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। इन शेष योजनाओं में से 14 योजनाएं मार्च, 2002 में स्वीकृत की गई थीं। इन सभी शेष योजनाओं में से 1 योजना (पुनर्गठित सोप शहर नादौती) को छोड़कर शेष को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है। योजना सोप नहर नादौती को वर्ष 2004 तक पूर्ण करना लक्षित है। इन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। टोडाभीम शहर (आबादी 16736 वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) हेतु दूरगामी संवर्धन हेतु लगभग 123.00 लाख रु. लागत पर योजना बनाई गई जो भारत सरकार को ''त्वरित शहरी जलप्रदाय कार्यक्रम'' के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव हो पाएगा।

(2) जी नहीं। कुल स्वीकृत 37 योजनाओं में से 15 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष में से 21 योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में उपलब्ध है।

(3) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार सभी आबाद 182 गांव तथा चिन्हित 187 ढाणियों में से 176 को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। शेष अलाभान्वित 11 ढाणियों को ग्रीष्म 2002 में लाभान्वित करना प्रस्तावित है। संवर्धन सतत् प्रक्रिया के रूप में किया जा रहा है तथा अप्रैल, 1999 से अब तक स्वीकृत योजनाओं का विवरण तथा प्रगति व प्रगति में चल रहे कार्यों के पूर्ण करने का लक्ष्य संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में उपलब्ध है।

(4) क्षेत्र में चल रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विवरण भाग 1 के उत्तर में निहित है। विभागीय मानदण्डों के अनुसार 1500 (1991 जनगणना) की आबादी से कम के स्थानों में हैण्ड पम्प योजना नीति के अनुसार है। 1500 से अधिक आबादी के इस क्षेत्र में 7 गांव हैं जिनमें से एक जनता जल योजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(नलकूप) के तहत लाभान्वित है। शेष में से 2 गांवों हेतु हैण्ड पम्प योजना से पम्प वं टैंक योजना में बदलने हेतु योजना अनुमानित लागत 21.02 लाख रु. की स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' में उपलब्ध है। शेष 4 गांव हेतु मांग, प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार योजना बनाना, स्वीकृति तथा क्रियान्विति सम्भव होगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

घाट की गुणी जयपुर का प्रस्तावित पर्यटन शिल्प बाजार

463. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर के पूर्वी प्रवेश मार्ग घाट की गुणी में वर्तमान सड़क से यातायात बन्द कर वहां पर्यटन शिल्प का एक अनूठा बाजार बनाने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त का प्रारूप एवं अब तक उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना कब तक एवं कितनी राशि से पूर्ण कर ली जावेगी?

(3) उक्त योजना से वर्तमान मार्ग के बन्द हो जाने के उपरान्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्यारह को कहां से निकाला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। घाट की गुणी को निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित कराए जाने की रूपरेखा विचाराधीन है।

(2) क्योंकि उक्त योजना की रूपरेखा विचाराधीन है, अतः अन्तिम निर्णय होने तक यह बताया जाना सम्भव नहीं है।

(3) योजना को अन्तिम स्वरूप दिए जाने के पश्चात् ही वैकल्पिक मार्ग बाबत सूचना देना सम्भव होगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित अवैध वाहनों की रोकथाम

464. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं? जिलानुसार उनकी संख्या क्या है?

(2) उक्त मार्गों पर कुल कितनी बसें संचालित हैं?

(3) राज्य से बाहर किन-किन प्रान्तों से बस संचालन हेतु हमारे समझौते किए हुए हैं? उक्त पर अन्य प्रान्तों में किस किस प्रान्त में कितनी बसें संचालित हैं?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) क्या उक्त मार्गों पर अवैध बस भी चल रही हैं? उक्त बसों की रोकथाम की व्यवस्था क्या है? क्या बसों के अलावा भी अन्य वाहन भी अवैध रूप से मार्गों पर संचालित हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त अवैध संचालन की रोकथाम हेतु क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में 154 राष्ट्रीयकरण योजनाओं में कुल 478 मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं।

इन राष्ट्रीयकरण योजनाओं एवं योजनाओं के भागों में अन्तर जिले मार्ग भी सम्मिलित हैं जिनका जिलेवार पृथक से वर्गीकरण नहीं किया गया है, अत: जिलेवार राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या का पृथक से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) इन राष्ट्रीयकृत योजनाओं एवं उनके भागों पर वर्तमान में निगम द्वारा 4638 बसों का दैनिक संचालन किया जा रहा है।

(3) राजस्थान राज्य से बाहर निम्न पड़ौसी राज्यों से बस संचालन हेतु राज्य स्तर पर विधिवत पारस्परिक करार किए हुए हैं, राज्यवार निगम द्वारा दैनिक संचालित एकल परिचक्रों की संख्या राज्य के सामने अंकितानुसार है :-

क्र. सं.	पड़ौसी राज्य	दैनिक एकल परिचक्र
1.	उत्तर प्रदेश	234
2.	गुजरात	236
3.	मध्य प्रदेश	509
4.	हरियाणा	456
5.	दिल्ली	442
6.	पंजाब	118

(4) उक्त मार्गों पर यदि बसें अवैध रूप से चलती पाई जाती हैं तो उनका नियमानुसार चालान बनाया जाता है तथा नियमित चैकिंग के अलावा चैकिंग के विशेष अभियान व संयुक्त सघन पैकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं। चैकिंग के दौरान बसों के अलावा मिनी बस तथा कार व जीप जैसे वाहन भी अवैध रूप से चलते पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

दिनांक 26.11.2001 से 6.12.2001 तक चलाये गये विशेष अभियान में 14558 वाहन चैक किए गये, 3735 वाहनों के चालान बनाए गए, 710 वाहन जब्त किए गए तथा 68.65 लाख रुपये राशि वसूल की गई।

इसी प्रकार वर्ष 2001-2002 के दौरान चलाए गए संयुक्त सघन चैकिंग अभियानों में 128876 वाहन चैक किए गए, 30277 चालान बनाए गए, 7782 वाहन जब्त किए गए एवं 691.81 लाख रुपए की राशि वसूल की गई।

जिला आबकारी अधिकारी सूरतगढ़ से विधायक द्वारा जानकारी प्राप्ति हेतु प्रेषित पत्र

465. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डी.एफ.ओ., सूरतगढ़ स्टेट ट्रेडिंग कार्यालय में दिनांक 11.9.2001 को पांच पत्र किसी विधायक ने सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रेषित किए? क्या उक्त पत्रों का उत्तर दिया गया? यदि हां, तो कितनी तारीख को तथा उनके जवाब का मूल रूप मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पांच पत्रों में से तीन का दिनांक 28.2.2002 तक जवाब नहीं दिया गया? क्या उक्त पत्रों द्वारा चाही गई सूचनाओं से उक्त कार्यालय द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्यों की जानकारी उजागर हो सकती है?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित विधायक ने जनवरी, 2002 में राज्य सरकार को उक्त पांचों पत्रों की प्रतियां पेश करते हुए पत्र लिखकर डी.एफ.ओ., सूरतगढ़ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध ना करवाने की शिकायत की थी? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(4) क्या डी.एफ.ओ., सूरतगढ़ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध ना करवाना राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है? यदि हां, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(5) क्या सूचनाएं उपलब्ध ना करवाने के पीछे वन संरक्षक श्री सिद्धनाथ सिंह व श्री कल्याण सागर, डी.एफ.ओ. द्वारा आपराधिक षडयंत्र है? क्या श्री सिद्धनाथ सिंह, वन संरक्षक व श्री कल्याण सागर, डी.एफ.ओ., रेंजर श्री राजीव गुप्ता को हनुमानगढ़ रेंज से हटाना चाहते थे? क्या श्री राजीव गुप्ता ने 5 माह में जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी का तीन गुना उत्पादन बढ़ा दिया था तथा आय भी तीन गुना बढ़ा दी? क्या इससे तुलना करने पर उक्त द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के तथ्य स्पष्ट हो रहे थे?

(6) क्या यह सही है कि इसी भय से वन संरक्षक श्री सिद्धनाथ सिंह ने श्री राजीव गुप्ता, रेंजर की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में तथ्यों के विपरीत अच्छे परिणाम देने पर भी विपरीत टिप्पणी दर्ज कर कुछ बोगियों की कमी बताकर जयपुर बुलवाकर स्टेट ट्रेडिंग विभाग से हटाकर प्रधान प्रमुख वन संरक्षक के कार्यालय में भेज दिया? क्या उक्त पत्रों के जवाब से हजारों बोगियां गायब होने का पर्दाफाश हो जाता? क्या इसी कारण जवाब नहीं दिया गया है?

(7) क्या सरकार श्री राजीव गुप्ता रेंजर की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में श्री सिद्धनाथ सिंह, वन संरक्षक द्वारा अंकित टिप्पणियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ द्वारा विधायक पीलीबंगा को उक्त समस्त पत्रों

(राज्य मंत्री, वन)

के उत्तर प्रेषित कर दिये हैं। उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ द्वारा दिये गये उत्तर का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' के अनुसार तथा पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ द्वारा शेष तीन पत्रों द्वारा चाही गई जानकारियां दिनांक 6.3.2002 को उपलब्ध करवा दी गई हैं।

(3) प्रश्न के भाग एक एवं दो में दिए गए उत्तर अनुसार चाही गई जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है, अत: कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रश्न के भाग एक एवं दो में वर्णानुसार उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाने में अलबत्ता कुछ देरी के कारण भविष्य के लिए इस बाबत सचेत किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। श्री राजीव गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी का स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान के द्वारा किया गया है। दिनांक 1.4.2000 से 31.8.2000 तक (श्री करण सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी) के कार्यकाल में 6 नहरों पर कटाई कार्य से 118.34 लाख रुपये की आय हुई एवं 82243 क्विंटल लकड़ी उत्पादित हुई एवं दिनांक 1.9.2000 से दिनांक 31.1.2001 तक (श्री राजीव गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी) के कार्य काल में 17 नहरों/स्थलों पर कटाई कार्य से 234.50 लाख रुपये की आय हुई एवं 176242 क्विंटल लकड़ी का उत्पादन हुआ।

उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि श्री राजीव गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्य काल में लगभग तीन गुणा उत्पादन स्थल होने से अधिक उत्पादन हुआ।

तुलना से भ्रष्टाचार के तथ्य उजागर नहीं होते हैं।

(6) जी नहीं। श्री राजीव गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्य का समग्र मूल्यांकन उनके द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में तथ्यों के आधार पर किया गया।

श्री राजीव गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरुद्ध निरन्तर शिकायतें मिलने से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, जयपुर के आदेश दिनांक 3.9.2001 से वन संरक्षक, विभागीय कार्य वृत, जयपुर के कार्यालय में सहचारी क्षेत्रीय लगाया गया।

तत्पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 25.9.2001 से इन्हें कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर में लगाया गया। इस कार्यवाही में कोई द्वेष भावना नहीं रही है।

(7) जी नहीं। प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता के अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम स्तर से प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखने का निर्णय लिया जा चुका है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-810 का विवरण)

नगर निगम, जयपुर के अधीनस्थ दबावखाना (कांजी हाउस) में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र.सं. 1	नाम कर्मचारी 2	पद 3	कार्य 4
1.	श्री रामस्वरूप मीणा	राजस्व निरीक्षक	प्रभारी, दबावखाना
2.	श्री भगवानदास शर्मा	क.लि.	प्रभारी, सांगानेर
3.	श्री मल्लूराम	ग्वाल	आवारा पशु पकड़ना
4.	श्री रामकल्याण मीणा	"	" "
5.	श्री प्रेमचन्द	"	चौकीदार
6.	श्री मुन्ना खां	"	आवरा पशु पकड़ना
7.	श्री बिरधी चन्द	"	" "
8.	श्री प्रभुदयाल	"	" "
9.	श्री देवीसहाय	"	" "
10.	श्री सत्यनारायण	"	" "
11.	श्री भूरेलाल	"	" "
12.	श्री रामनारायण	कारीगर	" "
13.	श्री मूलचन्द	"	" "
14.	श्री देवीसिंह	बैलदार	" "
15.	श्री कालूराम	फा.वा.	" "
16.	श्री बाबूलाल	"	" "
17.	श्री राजेन्द्र/चुन्नी	"	" "
18.	श्री राजेन्द्र/मोहरी	"	" "

1	2	3	4
19.	श्री ताराचन्द्र	चपरासी	चारा डालना
20.	श्री शोकत खां	भिश्ती	,, ,,
21.	श्री हीरालाल शर्मा	चपरासी	,, ,,
22.	श्री यासीन खां	भिश्ती	,, ,,
23.	श्री ईशाक खां	भिश्ती	,, ,,
24.	श्री समुन्द्र लाल	ग्वाल	,, ,,
25.	श्री सिराज खां	भिश्ती	,, ,,
26.	श्री हनुमान	ग्वाल	,, ,,
27.	श्री हजारी पहाड़िया	ग्वाल	,, ,,
28.	श्री सईद/मुनीर	भिश्ती	,, ,,
29.	श्री हफीज खां	भिश्ती	चौकीदार
30.	श्री हजारी खां	ग्वाल	,,
31.	श्री रफीक खां	भिश्ती	,,
32.	श्री गिरधर	ग्वाल	सफाई कार्य
33.	श्री सीताराम	फा.वा.	,,
34.	श्री मदन लाल	,,	,,
35.	श्री पूनम चन्द	,,	,,
36.	श्री मुन्ना/मिश्री	,,	,,
37.	श्री लाला	,,	,,
38.	श्री रूक्मणी देवी	स.क.	,,
39.	श्री शिवलाल	जमादार	,,
40.	श्री रेवतीराम	ग्वाल	चौकीदार
41.	श्री गोपाल माली	माली	बागवानी
42.	श्री मईनुद्दीन	स्कन्धवाल	कमेला एवं पशु इलाज
43.	श्री भवानी सिंह	,,	कमेला एवं पशु इलाज
44.	श्री मदन लाल/घासी	जमादार प्रभारी	सुअरगैग, कुतागैग एवं बन्दर पकड़वाना

ह०/-

आयुक्त मुख्यालय,

नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-811 का विवरण)

कार्यालय, नगर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक स./नविप्र/1999-2000/612 दिनांक 31.1.2000

निदेशक,
पानी राम सोसायटी,
उदयपुर।

विषय : वृक्षारोपण कार्यक्रम की अनुमति हेतु।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 3/पानी/2000 दिनांक 11.1.2000.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपको वृक्षारोपण हेतु प्रथम चरण में स्वरूप सागर के चारों तरफ, भुवाणा योजना, शोभागपुरा, फतहपुरा, यूनिवर्सिटी मार्ग, एवं न्यास की योजना की सड़कों पर वृक्षारोपण की सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि उस पर आपकी संस्था, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू एवं शराब जैसी कम्पनियों के विज्ञापन नहीं लगाएगी। संस्था मात्र ट्री गार्ड लगाकर उस पर विज्ञापन लगा सकेगी। विज्ञापन देने वाली कम्पनी से राशि लेकर ट्री गार्ड बनाए जाएंगे। पेड़ जो विकसित किए जाएंगे वे राजकीय सम्पत्ति होगी। न्यास द्वारा उपरोक्त कार्य पर कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होगा। ट्री गार्ड संस्था द्वारा लगाए जाएंगे एवं उन्हीं की सम्पत्ति होगी। पेड़ संस्था द्वारा लगाए जावेंगे।

ह०/-
सचिव
नगर विकास प्रन्यास,
उदयपुर

कार्यालय नगर परिषद्, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : 617

दिनांक : 15.3.2000

निदेशक,

पानी राम सोसायटी,

उदयपुर।

विषय : वृक्षारोपण कार्यक्रम की अनुमति हेतु।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 7/पानी/2000 दिनांक 2.3.2000.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपको वृक्षारोपण हेतु नगर परिषद् सीमा में सड़कों एवं मुख्य मार्गों पर वृक्षारोपण की सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि उस पर आपकी संस्था, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू एवं शराब जैसी कम्पनियों के विज्ञापन नहीं लगाएगी। संस्था मात्र ट्री गार्ड लगाकर उस पर विज्ञापन लगा सकेगी तथा विज्ञापन देने वाली कम्पनी से राशि लेकर ट्री गार्ड बनाए जाएंगे। पेड़ जो विकसित किए जाएंगे वे राजकीय सम्पत्ति होगी। नगर परिषद् द्वारा उपरोक्त कार्य पर कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होगा। ट्री गार्ड संस्था द्वारा लगाए जाएंगे एवं उन्हीं की सम्पत्ति होगी। पेड़ संस्था द्वारा लगाए जावेंगे।

ह०/-

सभापति

नगर परिषद्, उदयपुर

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-830 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र खारची के शेष गांव की सूची जिनके पानी में फ्लोराइड की मात्रा 3 पीपीएम से अधिक है

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार	वर्तमान जलसेवा स्तर	कार्यरत हैण्ड पम्प	रासायनिक विश्लेषण टी.डी.एस.	क्लोराइड	फ्लोराइड	नाइट्रेट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन										
1.	निम्बली माण्डा	61	2871	पनघट	20	3	1180	230	3.1	4
2.	ठाकरवास	62	1186	टीएसएस	20	1	1160	270	3.1	22
3.	गुडा सूरसिंह	100	1026	हैण्ड पम्प	–	4	1300	250	4.2	110
4.	गुडा मेहकरण	96	274	हैण्ड पम्प	–	2	2130	820	3.6	110
5.	मलसा बावड़ी	97	2753	पनघट	40	2	1780	340	3.2	10
6.	राणावास	64	4652	पाइप्ड	16	13	1540	350	3.1	10
7.	गुढ़ा रामसिंह	91	1328	पाइप्ड	28	3	1340	70	3.1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	मानी	114	556	क्षेत्रीय	28	4	1348	250	3.1	4
9.	गुडा केसर सिंह	89	1863	क्षेत्रीय	28	1	1340	70	3.1	4
10.	गुडा प्रेमसिंह	94	624	पनघट	59	4	1660	580	3.8	40
11.	गादाना	65	1755	पनघट	33	4	1380	170	3.1	40
12.	रडडावास	95	1719	पनघट	32	2	1360	140	3.3	18
13.	आंगदोष	67	896	क्षेत्रीय	64	1	720	190	3.2	–
14.	आउवा	69	4220	पाइप्ड	10	10	2000	550	4.9	9
15.	खारची की ढाणी	70	248	विस्तार	7	1	2000	550	4.9	9
16.	आसन	71	257	टीएसएस	18	3	1680	110	4.4	18
17.	सटियों की ढाणी	72	375	विस्तार	7	2	2000	550	4.9	9
18.	चौधरियों की ढाणी	73	505	विस्तार	7	2	2000	550	4.9	9
19.	चलावास	66	1654	पाइप्ड	24	3	1510	90	3.7	4
20.	भगवानपुरा	19	789	क्षेत्रीय	24	2	1780	400	3.4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	बिठुडा कलां	20	2289	पाइप्ड	37	2	1680	360	3.6	13
22.	करोलिया	26	525	क्षेत्रीय	24	2	1510	90	3.7	9
23.	हरिसिंहपुरा	23	760	–	24	1	2010	410	5.3	18
24.	गुडा रघुनाथ सिंह	93	482	पनघट	45	2	1740	100	3.1	40
25.	गुडा नावां	113	265	क्षेत्रीय	28	–	1370	70	3.1	40
26.	जटियों की ढाणी	68	541	–	8	2	2000	550	4.9	9
27.	कादू	90	539	पनघट	51	3	1980	560	3.8	4
पंचायत समिति रानी										
1.	सेप्टावा	4	527	हैण्ड पम्प	–	5	960	50	20.9	13
2.	गुडा जेतसिंह	8	1075	टीएसएस	15	7	390	40	6.7	4
3.	दोलजी का गुढ़ा	11	142	हैण्ड पम्प	–	3	1700	170	18	13
4.	पिलोवनी	34	2267	जेजवाई	30	4	390	40	6.7	42
5.	इलानी	36	158	हैण्ड पम्प	–	4	920	140	21.5	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गवाड़ा	56	1428	जेजवाई	22	7	920	320	3.2	9
7.	जीवन्द खुर्द	74	280	हैण्ड पम्प	–	3	2160	530	5	4
8.	गुढ़ा रूपसिंह	76	550	हैण्ड पम्प	–	7	600	70	3.6	4
9.	गुढा केसर सिंह	75	441	जजेवाई	18	5	600	70	4.0	4
पचांयत समिति देसूरी										
1.	गुढ़ा जेतावतान	60	504	हैण्ड पम्प	–	4	990	130	4.6	77
2.	चकवरडिया	64	70	हैण्ड पम्प	–	2	1880	280	4.1	110
3.	गांधी	65	1342	हैण्ड पम्प	–	6	1540	290	3.1	36
4.	तीखी	67	115	हैण्ड पम्प	–	3	1600	440	3.2	77
5.	गुढ़ा अखेराज	73	797	हैण्ड पम्प	–	4	4090	1280	3.6	396
6.	चक सुजापुरा	99	106	हैण्ड पम्प	–	3	850	230	4.3	22

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-834 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्ष 1999-2000 में विधायक कोटे से स्वीकृत हैण्ड पम्पों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्डपम्प स्थान	स्वीकृति क्रमांक दिनांक	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	विवरण
1.	खेलना	ग्राम में	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
2.	राजावत नगर	हरिजन बस्ती	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
3.	धवली	हरिजन बस्ती	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
4.	दूदारू	जोहड़ के पास	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
5.	खेड़ा सरूण्ड	गांव के बाहर	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
6.	कारोली	हरिजन बस्ती	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
7.	भखराना	धर्मशाला के पास	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
8.	बडनगर	ग्राम में	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण
9.	कल्याणपुरा कलां	चमारों की ढाणी में भैरूजी का स्थान	3356/3.1.2000	0.40	कार्य पूर्ण

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-839 की प्रति)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहिता)

क्र.सं. 18311

1. जिला दौसा, थाना महवा वर्ष 2002

2. प्र.ई.रि.सं. 27/2002 दिनांक 28.1.2002

(1) अधिनियम एक्ट धारा 19/54 आबकारी अधिनियम

(2) अधिनियम.............धारा...............

3. (अ) रोजनामचा आम रफ्ट संख्या 1243 समय 7.45 पी.एम.

(ब) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 28.1.2002 समय 4.50 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 28.1.2002 समय 7.45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक वापसी थानाधिकारी पर

5. घटना स्थल : भौजा मोपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी दक्षिण दिशा दूरी 9 कि.मी. थाने से

(ब) ....बीट संख्या 2 जरायमदेही संख्या 50

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरा सोमा का है तो पुलिस थाना जिला दौसा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता

(क) नाम श्री अजय कुमार यादव, उप निरीक्षक थानाधिकारी, थाना महवा

(ख) पता : पुलिस थाना, महवा, जिला दौसा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्त का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित

मुल. रामराज गुर्जर नि. भोपुर	मुलजिम रामराज गुर्जर व समय सिंह
थाना महवा, जिला दौसा	उर्फ नकटा मीणा के कब्जे से 4200

(2) समय सिंह उर्फ नकटा मीना नि. झाड़ीसा, थाना टोडाभीम, जिला करौली।	पाउच देशी शराब को बिना लाइसेंस के पकड़ी

8. इस समय मन थानाधिकारी अजय यादव मय श्री देवकरण कानि. नं. 455, प्रहलाद सिंह कानि. 513, रामवतार कानि. 715, माधव सिंह कानि. 848, उमरेश चन्द्र कानि. 439, रमेश चन्द्र कानि. 513 रविन्द्र सिंह कानि. 197, कुलदीप सिंह 157 जीप सरकारी चालक भरत सिंह नं. 564 व श्री राजेश याद थानाधिकारी, रामकिशन एच.सी. 84, रामकरण नं. 609, असिल सिंह नं. 724 जीप सरकारी चालक लाहड़ी राम नं. 866, व श्री पूरण मल यादव थानाधिकारी, प्यार सिंह नं. 625, खमेसिंह नं. 616, साहब सिंह नं. 627, जीप सरकारी चालक हंरिसिंह 843, दो रायफल 100 कारतूस मय जब्तशुदा देशी शराब के हवाले रफ्ट नं. 1238 राज. आम का गया हुआ वास थाना आया दर्ज रहे कि मन थानाधिकारी अजय यादव मय जाब्ता के मुताबिक आदेश श्रीमान् वृत्ताधिकारी, वृत्त महवा के वास्ते दबिश हेतु भौजा भोपुर समय 4.50 पी.एम. पर पहुंचा। जहां ग्राम भोपुर से पहले ही सड़क सरे आम बायीं तरफ खाली जगह में एक जीप नं. आरजे 29 सी. 1208 डी.आई. में रामराज गुर्जर, निवासी भोपुर व समय सिंह उर्फ नकटा मीणा निवासी झाड़ीसा सफेद कट्टो को जीप में रख रहे थे तीन चार कट्टे जीप में रखे हुए थे तथा कुछ कट्टे घास-फूस के नीचे खाली जगह में छुपा रखे थे। उक्त शख्स वावर्दी पुलिस देखकर जीप नं. आरजे 29 सी 1208 को मौके से लेकर भाग गये। मन थानाधिकारी द्वारा घास-फूस के नीचे रखे सफेद कट्टो को चैक किया तो कुल 21 कट्टे मिले जिनको खोल कर देखा तो देशी शराब के पाउच हो तथा जिन पर प्रत्येक पाउच के ऊपर अजमेर मदिरालय लिखा हुआ है तथा प्रत्येक पाउच 200 एम.एल. है। उक्त शख्सो का यह कृपया धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के वृद को मय जीप मन थानाधिकारी दुबारा चालक भरत सिंह को मय जीप सरकारी के वास्ते लेने खाली जरीकेन प्लास्टिक हेतु महवा रवाना किया गया। महवा से चालक खाली जरीकेन लेकर घटना

स्थल पहुंचा जहां पर मन थानाधिकारी द्वारा व मुलाजिमानो व मौके पर ही उक्त जब्तशुदा शराब के पाउचों के खाली जरीकेनों में खाली किया गया तथा प्रत्येक जरीकेन में से थोड़ी-थोड़ी शराब एक खाली बोतल में बतौर वजह सबूत नमूना सैम्पल भर कर मौके पर शिल्ड मोहर किया जाकर मार्का × अंकित किया गया व जरीकनों में भरी देशी शराब को मौके पर ही शिल्ड मोहर किया जाकर जरीकेन पर मार्का ए.बी.सी.डी.ई. एफ.जी.एच.आई.जे.के.एल.एम.एन.ओ.पी. अंकित किया गया। मन थानाधिकारी मय जब्त मय जब्तशुदा शराब मय जीप सरकारीयों के घटना स्थल से रवाना होकर हाजिर थाना आया। जब्तशुदा शराब को जमा माल खाना जरीये पर्द के जमा कराया गया। वापसी थाना अभियोग संख्या 27/2002 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर तफतीश सुपुर्द श्री मुकुट बिहारी, सहायक उप निरीक्षक पुलिस के जुम्मे की गई प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

ह०/-

अजय कुमार, उप निरीक्षक,

थानाधिकारी थाना महवा,

जिला दौसा दिनांक 28.1.2002

समय 7.45 पी.एम.

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-851 की सूची)

मण्डल वन अधिकारी, टोंक द्वारा माह जून, 2001 में स्थानान्तरित/ पदस्थापित किए गए कर्मचारियों का रेंजवार/पदवार विवरण

क्र. सं.	आदेश दिनांक	स्थानान्तरित/ पदस्थापित कर्मचारियों का नाम	पद	कहां से	कहां को
1.	6.6.2001	श्री राधेश्याम खण्डेलवाल	वरिष्ठ लिपिक	मण्डल कार्यालय टोंक	रेंज मालपुरा,
2.	6.6.2001	श्री हसन शाह	कनिष्ठ लिपिक	मण्डल कार्यालय टोंक	रेंज टोंक,
3.	6.6.2001	श्री जहीर अहमद	वन रक्षक	रेंज उनियारा	मण्डल कार्यालय टोंक का बिल भुगतान
4.	6.6.2001	श्री सिद्दीक मोहम्मद	कनिष्ठ लिपिक	रेंज टोंक	रेंज उनियारा एवं भू-राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित मामलात का अनुभाग तत्पश्चात् आदेश दिनांक 13.7.2001 से मण्डल कार्यालय, टोंक में भू-राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित मामलात के अनुभाग में लगाया गया।

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-868 की सूचना)

जिला जैसलमेर के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर, गौण मण्डी यार्ड मोहनगढ़, नाचना एवं रामगढ़ में करवाए गए निर्माण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाख रु.)	लागत (लाख रु.)
1	2	3	4
	कृ.उ.म.स. (जैसलमेर)		
1.	चारदीवारी मय गेट चैक पोस्ट	4.92	4.48
2.	8 नं. शॉप कम गोदाम	29.00	27.74
3.	चारदीवारी	16.23	15.05
4.	आन्तरिक सड़क	16.56	16.34
5.	5 नं. शॉप विथ प्लेट फार्म	7.65	7.32
6.	चैक पोस्ट विथ टायलेट	2.33	1.53
7.	आक्सन प्लेट फार्म	4.75	4.34
8.	पंचम टाइप क्वार्टर	4.14	3.95
9.	तृतीय टाइप क्वार्टर	6.22	5.68
10.	कार्यालय भवन	14.53	13.06
11.	4 नं. फूटकर दुकाने	3.22	3.09
12.	यूरीयन ब्लाक	0.54	0.28
13.	कियोस्क	0.99	0.83
14.	पानी की प्याऊ	0.94	0.93
15.	वाटर सप्लाई	2.38	2.21

1　2	3	4
16. वाटर टफ	0.33	0.30
17. स्ट्रीट लाइट	3.60	3.60
योग	118.33	110.73
गौण मण्डी यार्ड मोहनगढ़		
1. चारदीवारी मय गेट	28.68	22.87
2. कार्यालय भवन	2.84	2.63
3. कियोस्क	0.77	0.73
4. पानी की प्याऊ	0.81	0.54
5. टायलेट	1.41	1.39
6. नीलामी चबूतरा	18.47	14.97
7. पानी की खेल	0.19	0.17
8. वाटर सप्लाई	3.69	2.00
9. 250 मै. टन गोदाम	9.33	5.50
10. आन्तरिक सड़क	22.88	15.88
11. विद्युत व्यवस्था	6.00	5.11
योग	95.07	71.79
गौण मण्डी यार्ड नाचना		
1. चारदीवारी मय गेट	28.68	26.32
2. कार्यालय भवन	2.84	2.84
3. कियोस्क	0.77	0.77
4. पानी की प्याऊ	0.81	0.77
5. टायलेट	1.41	1.40

1	2		3	4
6.	नीलामी चबूतरा		18.47	18.46
7.	पानी की खेल		0.19	0.18
8.	वाटर सप्लाई		3.69	2.70
9.	250 मै. टन गोदाम		9.33	7.86
10.	आन्तरिक सड़क		22.88	14.72
11.	विद्युत व्यवस्था		6.00	5.06
	योग		95.07	81.09

गौण मण्डी यार्ड रामगढ़

1.	चारदीवारी मय गेट		42.61	26.76
2.	कार्यालय भवन		2.84	2.48
3.	कियोस्क		0.77	0.43
4.	पानी की प्याऊ		0.81	0.68
5.	टॉयलेट	————	1.41	1.35
6.	नीलामी चबूतरा		18.47	15.06
7.	पानी की खेल		0.19	0.17
8.	वाटर सप्लाई		3.69	1.47
9.	250 मै. टन गोदाम		9.33	5.43
10.	आन्तरिक सड़क		26.15	16.80
11.	विद्युत व्यवस्था		6.00	5.06
	योग		112.27	75.71

परिशिष्ट–9

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

धौलपुर के बस स्टैण्ड पर पर्याप्त स्थान नहीं होने से यात्रियों को परेशानी

[श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)]

उपरोक्त विषय में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि धौलपुर बस स्टैण्ड पर पर्याप्त स्थान न होने के कारण जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस बस स्टैण्ड पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों से सैकड़ों बसों का रात-दिन आवागमन रहता है। सवारियों को उतरने-चढ़ने, सामान लाने ले जाने में अत्यधिक परेशानी होती है। यहां अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए वर्तमान रोडवेज आगार जो बस स्टैण्ड से लगा हुआ है, को बस स्टैण्ड में परिवर्तित कर देना उचित होगा तथा आगार का किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाना उपयुक्त होगा।

धौलपुर की जनता तथा आने जाने वाली सवारियों को राहत देने हेतु मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

पोलियो उन्मूलन के नाम पर 15 वर्षीय छात्र का घुटने से ऊपर का पैर काट दिया जाना

[श्री कन्हैया लाल (बस्सी)]

मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम चौरवाड़ा, तहसील बस्सी के 15 वर्षीय कक्षा 10 के नियमित छात्र रमेश मीणा का बायां पैर जो पूर्णतः स्वस्थ, मौटा-ताजा कहीं से पतला नहीं था। छोटा होने की वजह से छात्र मामूली सी लचक से चलता फिरता, दौड़ता, खेलता-कूदता, स्वयं अपने काम निपटाता, स्कूल जाता आता, कुल मिलाकर सामान्य जीवन जी रहा था।

सरकार ने पोलियो उन्मूलन के नाम पर दिनांक 3 जनवरी, 2002 को पंचायत समिति, बस्सी में कैम्प आयोजित कर, तहसील के मार्फत बस्सी में कैम्प आयोजित

कर, तहसील के मार्फत रमेश पुत्र गैंदीलाल को उसकी लचक दूर करने का झूठा झांसा देकर बुलाया। पटवारी गिरदावर ने दिनांक 4 जनवरी, 2002 को बच्चे को राजकीय जयपुरिया अस्पताल में लचक दूर करने के लिए भर्ती करवा दिया। जहां डा. पी.सी. जोशी एवं अन्य डाक्टर्स ने मिलकर उक्त छात्र का आनन-फानन में उल्टा पुल्टा आपरेशन कर पट्टियां लपेट दी। 7 जनवरी को उसे यह कह कर छुट्टी दे दी गई कि तीन सप्ताह के बाद एस.एम.एस. में दिखाना है।

माननीय, तीन सप्ताह तो बहुत बड़ी बात है प्रथम सप्ताह में ही उक्त छात्र के आपरेटेड बायें पैर में असहनीय पीड़ा आरम्भ हो गई। बालक चीखने-चिल्लाने लगा। घर वाले उसे लेकर पुनः जयपुरिया अस्पताल दौड़े जहां से उसे एस.एम.एस. रैफर कर दिया गया। एस.एम.एस. में डाक्टर्स ने पट्टियां खोल कर देखी तो पता चला कि आपरेशन गलत होने व लापरवाहीपूर्ण पट्टियां बांधने से पैर गल चुका है। यहां के डाक्टर्स ने सामूहिक निर्णय लिया कि गल चुके पैर को तत्काल काटकर अलग करने पर ही बच्चे के प्राणों की रक्षा सम्भव है अन्यथा बच्चा मर जाएगा। यह कह कर बच्चे का दिनांक 21 जनवरी, 2002 को घुटने से ऊपर तक पैर काट दिया गया। लचक से चलने-फिरने वाले बालक को स्थाई रूप से अपाहिज बना दिया सरकार ने।

माननीय उक्त हृदय विदारक घटना के बारे में बच्चे के पिता श्री गैंदीलाल मीणा ने थाना बजाज नगर में इस लापरवाही के विरुद्ध एफ.आई.आर. नं. 44 दिनांक 22.1.2002 दर्ज कराई लेकिन आज तक दोषी डाक्टर्स खुले रूप से घूम रहे हैं और गृह विभाग एवं चिकित्सा विभाग कान में तेल डाल कर सो रहे हैं।

15 वर्षीय बालक के सामने पहाड़ सी जिन्दगी है उसे राजकीय सेवा में लिया जावे, बड़ी धनराशि आर्थिक मुआवजे के रूप में दी जाए एवं दोषी डाक्टर्स के विरुद्ध अविलम्ब सतत् कार्यवाही की जाए।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में महाविद्यालय

[श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उच्च शिक्षा की दृष्टि से कोई भी कालेज नहीं है। मेरे क्षेत्र में छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को आती है जो कि अपने घर से दूर आकर शिक्षा अध्ययन नहीं कर सकती और शिक्षा से वंचित रह जाती है। एक तरफ तो सरकार नारी शिक्षा पर और दे रही है, दूसरी ओर टोडाभीम क्षेत्र में कालेज न खोल कर इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अभियान के दौरान टोडाभीम में भूमि की 50 बीघा आबंटन की कार्यवाही कर दी गई है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। हमेशा से कांग्रेस यहां पर विजयी रही है। वर्तमान में भी पंचायत समिति प्रधान एवं नगरपालिका अध्यक्ष निर्विरोध चुने गये हैं, फिर भी उच्च शिक्षा में इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।

भाजपा शासनकाल में भी वह मांग मैं लगातार उठाता रहा था। 50वां धरना भी मैंने कालेज के लिये विधान सभा में दिया था पर भाजपा सरकार ने मेरी एक नहीं सुनी। आज राजस्थान में जो लोकप्रिय सरकार माननीय गहलोतजी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर चल रही है। शिक्षा के विकास में भागीरथी प्रयास किए हैं पर मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि अभी तक उस क्षेत्र में कालेज नहीं खुला है। मुझे भरोसा है जनकल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी का कि जो अवश्य कालेज खोलेंगे।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र की इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनता से किये गये वायदे को पूरा किया जाए।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में शीतलहर से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा

[श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)]

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। अब की बार भी बाजरे के अलावा मूंग मोठ की पैदावार नहीं हुई। जिससे काश्तकारों की हालत बड़ी दयनीय हो गई है।

शीतलहर से सरसों की फसल बिलकुल चौपट हो गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) तहसील में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत सरसों की फसल को भुगतान हुआ। जिससे काश्तकारों की कमर टूट गई है। चने एवं गेहूं की फसल को भी शीतलहर से अधिक नुकसान हुआ है।

ऐसी परिस्थिति में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि काश्तकारों को फसल के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। काश्तकारों को इतनी भी उम्मीद नहीं है कि बची हुई उत्पादित फसल से बिजली के बिल एवं खाद आदि का नुकसान किया जा सके। राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि काश्तकारों के हुए नुकसान की व्यवस्था राज्य सरकार करे चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो।

अतः मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए उनको राहत प्रदान की जावें।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था हेतु नये जी.एस.एस.

[श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)]

सादर अनुरोध है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था से जनता हमेशा किल्लत से प्रभावित रहती है। इस बाबत् बार–बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी स्थिति यथावत है। अतः निम्नांकित जी.एस.एस. इस क्षेत्र में स्थापित किए जाए :-

1. 132 के.वी. जी.एस.एस. ग्रीड जहाजपुर मुख्यालय पर

2. 33 के.वी. सब स्टेशन

    1. रोंपा (जहाजपुर)

    2. भगुनगर (जहाजपुर)

    3. रासेंड़ (कोटड़ी) विधान सभा क्षेत्र (जहाजपुर)

3. शक्करगढ़ में 33 के.वी. की लाइन खजूरी से बिछाने से वहां स्थिति खराब रहती है इसको जहाजपुर से जोड़ा जाए।

2. जोजर बालापुरा लाइन को शक्करगढ़ से जोड़ा जाकर वर्तमान में दलपुरा खैरूणा से जोड़ी हुई से समस्या मिटाना आवश्यक है।

जहाजपुर तहसील के ग्रामों के देवली हिण्डौली तथा पारोली से जोड़ने से उनको हो रही कठिनाई को दूर करने हेतु अमरवासी तथा पण्डेर से जोड़ा जाकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत विद्युत प्रसारण की व्यवस्थाएं किए बिना अन्य स्थानों के नियंत्रण से हो रही परेशानी से राहत दी जानी आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त समस्याओं तथा सुझावों पर विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित कर त्वरित समाधान कराने का अनुरोध कर रहा हूं। साथ ही वर्तमान में छात्रों की परीक्षा को देखते हुए जहाजपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए जिससे पेयजल आपूर्ति में भी व्यवधान नहीं हो।

ग्राम पंचायत, नियाना, सोरसन व अमलसरा (जिला बारां) को वन विभाग द्वारा गोडावण क्षेत्र घोषित करने से, काश्तकारों को हो रही परेशानी

[श्री शिवनारायण सिंह (बारां)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कुछ वर्षों पहले अमलसरा ग्राम पंचायत से लेकर सोरसन ग्राम पंचायत तक के हजारों बीघा बरडिया में गोडावण पक्षी एरिया घोषित किया गया था जिससे उस क्षेत्र के बजाय गोडावण के सैकड़ों हिरण, जंगली सुअर, सियार, लोमड़ी आदि-आदि जानवर इतने पैदा हो गये हैं जिससे तीनों ग्राम पंचायतों के काश्तकारों की फसल को इतना नुकसान हो रहा है जिसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। उस बरडिया क्षेत्र में आज की तारीख में कोई एक भी गोडावण पक्षी नहीं है और सरकारी आंकड़ों के द्वारा गोडावण पक्षी एक और हिरन, सुअर, जंगली जानवर सैकड़ों में पैदा हो गए हैं। गोडावण एक नर है या मादा तो दूसरा गोडावण पक्षी पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हिरन और सुअर खरीफ और रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। काश्तकार कहां तक रात दिन खड़ी फसलों की रखवाली करें। अब उसी बरडिया क्षेत्र को वन विभाग में घोषित किए जाने को राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही चल रही है। जिस बरडिया में किसी भी किस्म का एक भी पेड़ नहीं है सिवाय पत्थर, पठार और छोटी-छोटी झाड़ियां खड़ी हैं। इस बरडिया में सिवाय लापलिया घास के अलावा मवेशी चरने का घास भी पैदा नहीं होता है। बरडिया क्षेत्र के अन्दर गांव भी बसे हुये हैं। जिनकी जमीन और मवेशी भी उसी एरिया में है और बरडिया क्षेत्र से लगे 10-15 ग्राम भी इसी क्षेत्र से लगे हुए हैं। इसी वर्ष में 5-6 माह पूर्व वन मंत्रीजी गये थे तब तीनों पंचायतों के काश्तकारों और सरपंचों ने भारी विरोध किया था कि इस बरडिया को वन क्षेत्र घोषित नहीं किया जावे। इस बरडिया क्षेत्र में न तो कोई पेड़ लग सकता है और न ही वन सम्पदा पैदा हो सकती है। यदि इसे वन क्षेत्र घोषित किया गया तो वन विभाग के द्वारा जो रुपया खर्च किया जाएगा वह व्यर्थ हो जाएगा और आसपास के ग्रामों के काश्तकारों को एवं बरडिया में बसे ग्राम पंचायतों को भारी परेशानी पैदा हो जाएगी।

अतः उक्त समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए इस क्षेत्र को वन विभाग को नहीं दिया जाए वरना 15-20 ग्रामों के वाशिंदों को हमेशा-हमेशा के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इस क्षेत्र को सन् 1991 में भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वन विभाग में दिये जाने की शुरूआत की गई थी लेकिन आसपास के काश्तकारों एवं जनता की सुविधा को मद्दे नजर रखते हुए वन विभाग में घोषित नहीं किया गया था।

ग्राम बालवाड़ा (जालौर) की पुनः पैमाइश करवा कर राजस्व रेकार्ड की दुरुस्ती

[श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)]

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि :-

ग्रामवासी बालवाड़ा (जालौर) के सैकड़ों लोगों ने पंचायत बैठक में उपस्थित होकर अवगत कराया था कि ग्राम बालवाड़ा का राजस्व रेकार्ड के बारे में पुनः भू-प्रबन्धन की सर्वे पूर्णतया गलत होने से भयंकर समस्या बनी हुई है। प्रथम सैटलमैंट का रेकार्ड मिलान करने पर पुनः भू-प्रबन्धन के समय रेकार्ड का मिलान नहीं हो रहा है। मौके एवं नक्शे की आकृतियां भी नहीं है एवं न ही काश्तकार का प्रथम सैटलमैंट से ही खसरों पर कब्जा बना हुआ था, वह वर्ष 1990-91 के सैटलमैंट में भिन्न करके दूसरे काश्तकारों के ही खातेदारी दर्ज है। अतः "प्रशासन गांव के संग" कैम्प में लोगों के राजस्व सम्बन्धी बंटवारा पैमाइश का कार्य नहीं हुआ है। बालवाड़ा की मौका व नक्शे की स्थिति रेकार्ड 85% से अधिक गलत सर्वे होने से पुनः दुरुस्तीकरण (सुधार) हेतु जिलाधीश को निर्देश देकर पुनः पैमाइश के आदेश जारी किए जाएं।

इस ओर राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि काश्तकारों की इस जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए पुनः पैमाइश के आदेश तुरन्त करवाएं जाए ताकि गरीब किसानों को राहत मिल सके।

लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

[श्री नगराज (लसाड़िया)]

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों में लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरने हेतु कई बार माननीय मंत्री महोदय तथा जिला शिक्षा अधिकारी को निवेदन करने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मैं मांग करता हूं कि लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को तुरन्त भरा जावे ताकि आदिवासी छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई ठीक से करके आगे बढ़ सके।

रतनगढ़ (चूरू) में जनता जल योजना में कार्यरत कर्मियों के वेतन का चुकारा

[श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) **]**

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जलदाय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के 18 गांव जनता जल योजना के अन्तर्गत संचालित है। उक्त योजनान्तर्गत संचालित नलकूपों तथा खुले कुओं एवं बूस्टर का संचालन करने हेतु नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस संदर्भ में प्रति स्रोत 500/- (पांच सौ रुपए) मासिक दिया जाना निश्चित है। किन्तु साल भर से सम्बन्धित व्यक्तियों को मासिक राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे जल वितरण व्यवस्था ठप्प है। ग्रामवासियों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है जिसके फलस्वरूप कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बन सकती है। इसलिए समय रहते स्थिति पर ध्यान दिया जाना परमावश्यक है।

अतः जलदाय मंत्रीजी से सविनय निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया बकाया राशि का तत्काल भुगतान व्यवस्था से अनुगृहीत करें।

खातोली (कोटा) में नायब तहसील का कार्यालय

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) **]**

मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के अन्तर्गत आने वाले खातोली (अठारव) क्षेत्र की दूरी तहसील मुख्यालय से 50 किलोमीटर होने कारण इस क्षेत्र के गरीब किसानों को अपने कृषि कार्य के लिए जाने में असुविधा होती है।

इस क्षेत्र के किसान वर्षों से नायब तहसीलदार, पीपल्दा का कार्यालय खातोली में शिफ्ट करने की मांग करते आ रहे हैं, जो किसानों की आर्थिक शारीरिक व मानसिक दृष्टि में उचित है। खातोली में नायब तहसीलदार का कार्यालय शिफ्ट करने में सरकार को किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक भार वहन नहीं करना पड़ेगा। वहां पर पुराने हास्पिटल की बिल्डिंग उपलब्ध है।

अतः आप इस क्षेत्र के किसानों व आम जनता की सुविधा को मद्दे नजर रखते हुए खातोली में नायब तहसीलदार का कार्यालय शिफ्ट करवाने के आदेश जारी कर जनता को राहत पहुंचाने का श्रम करें।

राज्य पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश सुविधा

[श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)]

प्रदेश के प्रत्येक सरकारी व निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन काम करते हैं तथा दो दिन अवकाश पर रहते हैं। आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी भी क्रमवार सप्ताह में एक दिन अवकाश पर रहते हैं। कारखानों में निजी क्षेत्र में भी एक दिन के अवकाश का प्रावधान है। राज्य सरकार की भी एक यह नीति है कि सरकारी व निजी क्षेत्र में एक दिन का अवकाश कर्मवार या मजदूर को देना नियमानुसार आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के कर्मचारियों का सीधा सम्बन्ध आम जनता से पड़ता है। दुःखी पीड़ित, परेशान व्यक्ति राहत प्राप्त करने के ध्येय से पुलिस स्टेशन जाता है। पीड़ित परेशान व्यक्ति आशा करता है कि थाने में उसके साथ अच्छा व्यवहार हो उसे दुःख दर्द को सुना जाकर उसे सुरक्षा प्रदान की जाये। इसके लिये पुलिस कार्यालय या कर्मचारी संवेदनशील, शांत तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही व्यक्ति संवेदनशील व शालीन रहता है।

पुलिस कर्मचारियों के भी परिवार होता है, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे, माता-पिता, आदि होते हैं। साप्ताहिक अवकाश न होने से कर्मचारी अपने स्वयं और परिवार पर समय एवं ध्यान नहीं दे पाता तथा चिंतित व परेशान रहता है। जिसका परिणाम होता है कि वह संवेदनशील, शालीन नहीं रह पाता। रात-दिन बिना विश्राम सर्दी-गर्मी वर्षा ऋतु में विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहने से वह सद्व्यवहार आने वाले पीड़ित दुःखी व्यक्ति से नहीं कर पाता। इसका विपरीत प्रभाव पुलिस विभाग पर पड़ता है व जनता में छवि खराब होती है।

सद्व्यवहार और संवेदनशीलता की जगह पीड़ित व्यक्ति कर्मचारी द्वारा प्रताड़ित व उसके क्रोध का कोप भाजन होता है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश (क्रमवार) जिससे सरकार पर एक रुपए का भी आर्थिक भार नही पड़ता, करने का अनुरोध करता हूं। इससे आम जनता को राहत मिलेगी तथा पुलिस विभाग की छवि भी सुधरेगी।

भीमडावास (टोंक) में बीसलपुर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आरक्षित भूमि में पेड़ों की कटाई

[श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)]

वन खण्ड भीमडावास नाका राजमहल, रैंज देवली, वन मण्डल टोंक के अन्दर भीमडावास वन आरक्षित वन क्षेत्र घोषित होने के बावजूद इस वन खण्ड खसरा नं. 99,100 एवं 36 पूर्व खसरा नं. की भूमि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा बीसलपुर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु दिनांक 26.2.2002 को आदेश जारी कर भूमि आरक्षित की है।

इस वन भूमि पर काफी मात्रा में हरे वृक्षों का काटन करवाकर एवं जे.सी.बी. लगाकर पेड़ों के ढूंढ़ उखड़ा कर जमीन समतल कर कालोनी बनाने का कार्य चल रहा है। जबकि उक्त वन खण्ड वर्ष 1960 में राज सरकार की विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। वन की इस भूमि को राजस्व अधिकारियों के द्वारा पूर्व में की गई लापरवाही का फायदा उठाते हुए जिला कलक्टर, टोंक एवं मण्डल वन अधिकारी, टोंक ने आपसी सहमति कर भूमि वन क्षेत्र से बाहर की दर्शाकर कालोनी का कार्य प्रारम्भ करवा दिया है जबकि वन संरक्षक अधिनियम, 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार वन भूमि को आबंटित नहीं किया जा सकता तथा वन भूमि में गैर वानिकी कार्य भी नहीं करवाया जा सकता, इसके लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाना आवश्यक है। जिससे इस भूमि की एवज में जिला कलक्टर, टोंक अन्य भूमि देने के सम्बन्ध में दी जाकर इस वन भूमि को वन क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, राज्य सरकार से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जाते हैं।

इस प्रकार मण्डल वन अधिकारी, टोंक एवं जिला कलक्टर, टोंक ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लंघन किया है। पूर्व में भीमडावास के खसरा नं. 99,100,36 की भूमि में से मौजा भीमडावास की भूमि को मौजा गावड़ी की भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा गावड़ी मौजा की भूमि वर्तमान खसरा नं. 1,211 बनाएं गए हैं, क्योंकि किसी भी वन भूमि के वन खण्ड के मौजा भूमि का परिवर्तन तो राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी कारण किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी यदि गावड़ी मौजा की दर्शानी चाहिए थी राजस्व अधिकारियों द्वारा लेकिन उन्होंने इस वन भूमि को गावड़ी मौजा की गैरमुमकिन पहाड़ एवं बंजर

सिवाय चक भूमि रिकार्ड में दर्शा दी। मौके पर इस भूमि की सीमा पर वन विभाग के मीनास (सीमा सम्बन्ध), खाई फेंसिंग खुदी हुई थी एवं इस भूमि पर वन विभाग के पेड़ भी खड़े हुये थे।

इस प्रकार से तहसीलदार देवली एवं हलका पटवारी ने मौके की स्थिति के अनुसार सही स्थिति नहीं दर्शायी व वास्तविकता को छुपाया है। जबकि रेंज उनियारा, जिला टोंक में ग्राम इस्लामपुर-नगर जहां ओ.बी.सी. व अनुसूचित जाति के सदस्य करीब 40 वर्षों से बसे हुये हैं और वहीं पर खेती करते हैं जहां करीब 70.80 परिवार हैं और इनके पास कोई भूमि नहीं है, को बेदखल करने की नीयत व रंजिश रखते हुए वन विभाग को 2.25 लाख का एक वन क्लोजर बनाने का 23 जनवरी, 2002 को स्वीकृत कराया। इस भूमि के बारे में वन मण्डल अधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 13/14 मार्च, 2002 को जे.सी.बी. मशीन लेकर स्वयं पहुंचे और काश्तकारों की खड़ी फसल को नष्ट कराना चाहते थे। पर वन मंत्री के हस्तक्षेप से इसे रोका गया। कई काश्तकारों के न्यायालय के स्थगन आदेश भी हैं और पुराने 30, 40 वर्षों के बचे हैं। इन्हें जलवानिया बांध निर्माण हुआ इसी जगह बसाया गया था और काश्त के लिये भूमि बतलाई गई थी जो ख.नं. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/344, 19/344, 14/344, 14/344 इत्यादि नये भू-प्रबन्ध के अनुसार है व पुराने ख.नं. 6, 9, 10, 11, 12 व 14 दर्ज है। इस ग्राम में वन विभाग की भूमि 409 बीघा मौजूद है। इसमें केवल 60 बीघा काश्त की भूमि का सवाल है।

आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो बिना सरकार की स्वीकृति से वन भूमि कालोनी के लिए स्थानान्तरित की गई है और दूसरी ओर गरीब काश्तकार जो कि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग से हैं, को बेदखल किया जा रहा है। इससे केवल 60 बीघा काश्त भूमि वन विभाग को राजस्व विभाग सिवाय चक भूमि, जो कि वर्तमान में आमली-मोहम्मदपुरा के बीच में खाली पड़ी हुई है उसे देने का प्रस्ताव वित्त करके, जिला कलक्टर एवं वन विभाग क्यों नहीं भेज रहा है।

अत: इस प्रकरण की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जानी चाहिए जिससे कि प्रशासन द्वारा मनमानी तरीकों से काम करता है उसकी स्थिति का पता चल सके।

अत: प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर की इन्तजामिया कमेटी द्वारा अनियमितता

[श्री अमराराम (धोद)]

आपसे निवेदन है कि सीकर शहर में अल्पसंख्यकों की एक प्रतिष्ठित संस्था है जिससे सीकर के तमाम अल्पसंख्यकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कमेटी का कार्यकाल दिनांक 31.12.2000 को समाप्त होने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता कमेटी को दे दी गई है। आदेश संख्या 17 (22) शिक्षा 9/2001 दिनांक 11.7.2001 द्वारा मान्यता सम्पूर्ण परीक्षा के आधार पर दे दी गई है। मुझे आश्चर्य है कि यह संस्था सहकारी अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थाएं अनुदान नियम, 1993 के नियम 23(2) के तहत निदेशक शिक्षा विभाग एवं जिला कलक्टर द्वारा जांच करके रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाई गयी है कि यह कमेटी को नियमानुसार नहीं है। अतः पूर्व की तरह प्रशासक नियुक्त करके 45 दिन में नियमानुसार चुनाव करावें तथा विभाग को सूचित करे ताकि संस्था सहकारिता अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड की जा सके। चुनाव के सम्बन्ध में निर्णय सहकारिता विभाग का लागू होता है। जहां सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार के आदेश 10.7.2001 को 45 दिन में प्रशासक द्वारा कराने का आदेश दिया, लेकिन शिक्षा सचिव द्वारा 11.7.2001 को उसी कमेटी को वैध करार देने का आदेश दिया गया है, जो किसी भी प्रकार से न्याय संगत एवं संस्था के हित में नहीं है।

अतः मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि वह कब तक सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के 10.7.2001 के आदेश को लागू करके संस्था के हित एवं अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आदर करेंगे और कानूनी आधार पर संस्था को चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग के आदेश की आड में संस्था के धन का दुरुपयोग करने वालों को बचाने का कार्य हुआ है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सहकारिता विभाग के आदेश की क्रियान्विति लागू करके संस्था के सदस्यों को एवं मुझे अनुगृहीत करेंगे।

कृषि कनेक्शन पर मिनिमम चार्ज माफ किया जाना

[श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस विशेष उल्लेख के जरिए में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में काश्तकारों के कुओं/नलकूपों का जल स्तर बहुत नीचा चला गया है, विशेष कर जिला नागौर में कुएं अधिक हैं, कुएं सूखने लग गए हैं और कुओं में पानी बहुत कम होने से काश्तकारों की मोटरें एक-दो घंटे चलती हैं। रबी फसल की पैदावार भी बहुत कम होती है। केवल पशुओं और स्वयं के लिए पीने का पानी काम में लेते हैं। विद्युत बिल भी चुका पाना भी काश्तकार के लिए भारी पड़ता है। प्रतिमाह मिनिमम चार्ज वसूल किया जाता है जिससे किसान दु:खी और परेशान है। किसानों में असंतोष एवं आक्रोश है। इसके अलावा किसान का कुआं बिलकुल सूख गया है और वे अपना विद्युत कनेक्शन कटाना चाहते हैं मगर कटा नहीं पाते हैं इसलिए उन्हें मिनिमम चार्ज का बिल चुकाना पड़ता है। अत: कनेक्शन कटाने की छूट होनी चाहिए।

अत: मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से इस विशेष उल्लेख के जरिए मांग करता हूं कि राजस्थान में किसानों के कुओं के बिल में लगने वाले मिनिमम चार्ज माफ किया जाए तथा किसानों को कनेक्शन कटाने के लिए छह माह की छूट प्रति वर्ष दीया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके।